गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी जाँच आयोग पर न्यायमूर्ति विष्णु सहाय की रिपोर्ट

हिन्दी रूपान्तरकार

श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, भाषा अधिकारी (से0नि0)

श्री रत्नदीप दीक्षित, अनुभाग अधिकारी (हिन्दी)

गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी जाँच आयोग पर न्यायमूर्ति विष्णु सहाय की रिपोर्ट

हिन्दी रूपान्तरकार

श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, भाषा अधिकारी (से0नि0)

श्री रत्नदीप दीक्षित, अनुभाग अधिकारी (हिन्दी)

प्रस्तावना

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की वास्तविक पहचान के लिए उनसे जुड़े समस्त तथ्यों की जांच हेतु एक सदस्यीय मा० न्यायमूर्ति श्री विष्णु सहाय आयोग का गठन गृह विभाग की अधिसूचना संख्या–1720ख/छः–पु–4–16–20 (रिट)/2002 दिनांक : 28 जून, 2016 के द्वारा किया गया था।

जांच आयोग अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–60 सन् 1952) की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा गठित मा० न्यायमूर्ति श्री विष्णु सहाय आयोग द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की गयी। मा० मंत्रिपरिषद द्वारा जांच रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए राज्य विधान मण्डल के पटल पर इसे रखने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

राज्य विधान मण्डल के पटल पर हिन्दी एवं अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में प्रतियां रखी जाती हैं। मा० न्यायमूर्ति श्री विष्णु सहाय आयोग की मूल रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा में है। फलतः जांच रिपोर्ट का हिन्दी में रूपान्तरण कराया गया है। रिपोर्ट के हिन्दी रूपान्तरण के लिए भाषा विभाग के प्रमुख सचिव श्री जितेन्द्र कुमार एवं उनके सभी सहयोगी साधुवाद के पात्र हैं।

गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की वास्तविक पहचान के सम्बन्ध में जनमानस में उत्सुकता रही है। तत्कालीन जनपद फैजाबाद (वर्तमान में अयोध्या) के जिलाधिकारी के रूप में अपनी तैनाती के दौरान मैंने जनता की इस उत्सुकता को महसूस किया था। लोगों के साथ–साथ मैं भी गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की पहचान जानने के लिए उत्सुक रहता था।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत मा० न्यायमूर्ति श्री विष्णु सहाय, आयोग की जांच रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव,
गृह, गोपन, वीजा, पासपोर्ट, सतर्कता, कारागार,
सूचना एवं धर्मार्थ कार्य विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

गुमनामी बाबा @ भगवानजी जाँच आयोग पर न्यायमूर्ति विष्णु सहाय की रिपोर्ट

विषय–सूची

1. भाग–1 – प्रस्तावना..... 1–6

2. भाग–2 – इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या प्रकीर्ण पीठ 929 सन् 1986और 10877 सन् 2010 का निर्णय..... 7–17

3. भाग–3 –गवाहों के साक्ष्य..... 18–114

4. भाग–4 – गुमनामी बाबा @भगवानजी के अभिज्ञान को निर्धारित करनेके लिए गवाहों केसाक्ष्यों का वर्गीकरण..... 115–117

5. भाग–5 – राम भवन, सिविल लाइन्स, फैजाबाद के परिसर के उस भाग से वस्तुओं की प्राप्ति के साक्ष्य, जिसमें गुमनामी बाबा @ भगवानजी नें दिसम्बर, 1982 से अपनी मृत्यु पर्यन्त अर्थात 16–09–1985 तक निवास किया..... 118–126

6. भाग–6 – निष्कर्ष 127–129

7. अभिस्वीकृतियां 130

———

गुमनामी बाबा @ भगवानजी जाँच आयोग पर न्यायमूर्ति विष्णु सहाय की रिपोर्ट

भाग – 1

प्रस्तावना

(1) सुश्री ललिता बोस और अन्य ने एक रिट याचिका (रिट याचिका संख्या प्रकीर्ण पीठ संख्या 929 सन् 1986 : सुश्री ललिता बोस और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में सन् 1986 में दायर की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ गुमनामी बाबा उपाख्यभगवानजी, जो राम भवन, फैजाबाद में रहते थे और जिनका अंतिम संस्कार 18 सितम्बर, 1985 को गुप्तार घाट, अयोध्या में किया गया था, के संबंध में यथोचित जाँच कराये जाने की प्रार्थना की गई थी। अग्रतर यह प्रार्थना की गई थी कि राम भवन, फैजाबाद में रखी गुमनामी बाबा की वस्तुओं के अधिवक्ता आयुक्त द्वारा एक वस्तुसूची तैयार कराई जाय और उनको नीलामी में न बेचा जाय। रिट याचिका में प्रतिपादित किया गया था कि गुमनामी बाबा उपाख्यभगवानजी तथ्यतः नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। सुश्री ललिता बोस स्वर्गीय सुरेश चन्द्र बोस की पुत्री हैं, जो स्वर्गीय नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाई थे।

वर्ष 2010 में अन्य रिट याचिका प्रकीर्ण पीठ संख्या 10877 सन् 2010 : सुभाष चन्द्र बोस राष्ट्रीय विचार केन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, इस प्रार्थना के साथ दायर की गई थी कि राम भवन, फैजाबाद में गुमनामी बाबा द्वारा छोड़ी गई वस्तुएं जो फैजाबाद कोषागार में बंद हैं, के चित्र लेने दिये जायें और मुखर्जी आयोग द्वारा ली गई कुछ सुनिश्चित वस्तुओं को उत्तर प्रदेश राज्य को लौटाया जाय तथा संपूर्ण वस्तुओं को राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा जाये या याचिकाकर्ता समिति को सौपा जाये, जिसका वर्ष 1984 में पंजीकरण कराया गया था।

उपरोक्त दोनों रिट याचिकायें सम्बद्ध थीं और उन्हें 31 जनवरी, 2013 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ द्वारा निम्नलिखित आदेश के साथ निर्णीत किया गया था :

''उपरोक्त पर्यवेक्षण के अध्यधीन दोनों रिट याचिकायें अनुमति प्राप्ति के योग्य हैं और एतद्द्वारा अनुमति दी जाती है।''

(क) फैजाबाद/अयोध्या में संग्रहाध्यक्ष द्वारा प्रबंधित संग्रहालय की स्थापना पर विचार करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य को निर्गत की गई है जिसमें स्वर्गीय गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की वस्तुओं के साथ–साथ अन्य प्राचीन वस्तुएं, किसी योग्य व्यक्ति (संग्रहाध्यक्ष) के पर्यवेक्षण के अधीन वैज्ञानिक रूप से रखी जायें।

(ख) अग्रतर परमादेश की प्रकृति में एक रिट राज्य सरकार के साथ–साथ भारत सरकार को मुखर्जी आयोग द्वारा ली गईं गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की समस्त वस्तुओं को पुनः पाने और फैजाबाद कोषागार को प्रस्तुत करने के लिए निर्गत की गई है, जो इसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित यथोचित स्थान पर

स्थापित संग्रहालय को स्थानान्तरित की जायेगीं। यहाँ उपरोक्त पर्यवेक्षण को दृष्टिगत् रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाय। अविलंब, यथोचित स्थान पर संग्रहालय की स्थापना के संबंध में तीन मास के भीतर निश्चय किया जाये।

(ग) अग्रतर, उत्तर प्रदेश सरकार को स्वर्गीय गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी, जो राम भवन, फैजाबाद में रहते थे और 18/09/1985 को जिनका दाह संस्कार (सुप्रा) किया गया था के अभिज्ञान के संबंध में जाँच के लिए एक समिति, जिसमें विशेषज्ञों का एक समूह और उच्चाधिकारी समाविष्ट हों, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाये,की नियुक्ति पर विचार करने का निदेश दिया है। शीघ्रता से, तीन मास के भीतर निश्चय कर निर्णय लिया जाये।

दोनों रिट याचिकाओं के अभिलेखों को जिसमें रिपोर्ट और अन्य सामग्री समाविष्ट है, मोहरबंद कवर में रखी जायेंगी और केवल न्यायालय के आदेश से पंजीकरण द्वारा खोली जायेगीं। चित्र और वीडियो अभिलेख राजकोष अधिकारी, फैजाबाद को वापस लौटा दिये जायेंगे, जो संग्रहालय (सुप्रा) को स्थानान्तरण के लिए उनके द्वारा मोहरबंद कवर में रखे जायेंगे।

प्रतिवादी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, यथा वर्तमान निर्णय के अनुसरण में चार मास के भीतर लिये गये निर्णय और सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अवलोकन के लिए पंजीयक याचिका को चार मास के पश्चात सूचीबद्ध करेगा।

पंजीयक वर्तमान निर्णय की प्रति को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को दो सप्ताह के भीतर अनुपालन के लिए भेजेगा।

तद्नुसार रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाती है।इसके बदले में कोई आदेश नहीं।''

(2) उपरोक्त दो रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के अनुरोध के दृष्टिगत् और मा0 उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुक्रम में, मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश का यह मंतव्य था कि, गुमनामी बाबा उपाख्यभगवानजी, जो राम भवन, फैजाबाद में रहते थे और जिनका दाह संस्कार 18/09/1985 को किया गया था, के जन महत्व के प्रकरण में जाँच किया जाना आवश्यक था तथा जाँचआयोग अधिनियम आयोग, 1952 के अधीन अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2016 द्वारा जाँच के लिए मुझको (न्यायमूर्ति विष्णु सहाय, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय) सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय गुमनामी बाबा उपाख्यभगवानजी की अभिज्ञान हेतु जाँच करने के लिए एकल सदस्यीय जाँच आयोग का गठन किया गया था ।

अधिसूचना का परिशीलन दर्शाता है कि आयोग का मुख्यालय लखनऊ में और शिविर कार्यालयफैजाबाद में होगा।

मैं, न्यायमूर्ति विष्णु सहाय (सेवानिवृत) एकल सदस्यीय जाँच आयोग का प्रभार 04 जुलाई, 2016 को लेता हूँ।

मेरी संस्तुति पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आदेश दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा श्री दिलीप कुमार, उ0न्या0से0(सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश, चन्दौली) को आयोग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और श्री दिलीप कुमार ने आयोग में सचिव के रूप में 13 जुलाई, 2016 को प्रभार ग्रहण किया ।

(3)आयोग द्वारा विनिर्मित विनियम

जाँच आयोग राज्य नियमावली, 1985 के नियम (8) के उप–नियम (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके आयोग ने जाँच करने की प्रक्रिया के विनियमन के लिए विनियमों को विनिर्मित किया । उक्त विनियमनों को निम्नवत् पढ़ा जाये :

3.1. कार्यवाहियां हिन्दी/अंग्रेजी में होगीं।

3.2.आयोग का मुख्यालय बंगला संख्या –सी–104, निराला नगर, लखनऊ में होगा।

3.3. आयोग का कार्यालय पूर्वाह्न 9.30 से अपराह्न 5.30 तक, मध्याह्न 1.30 से 2.00 तक अल्पावकाश के साथ सप्ताह के समस्त दिनों में शनिवार, रविवार और सरकारी अवकाशों के अतिरिक्त खुलेगा।

3.4. सामान्यतया आयोग अपनी बैठकें बंगला संख्या– सी–104, निराला नगर, लखनऊ में आयोजित करेगा, परन्तु साक्षियों की संख्या और प्रकृति के दृष्टिगत तथा साक्षियों और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को असुविधा से बचाने के दृष्टिगत्, आयोग की बैठकें शिविर कार्यालय, फैजाबाद या किसी अन्य स्थान पर, जैसा आयोग उचित समझे की जा सकेंगीं। आयोग की बैठकों की तिथि, समय और स्थान की अधिसूचना समय–समय पर की जायेगी।

3.5. आयोग की सुनवाइयाँ जन सामान्य के लिए खुली होगीं, उसके अतिरिक्त जब आयोग का विचार हो तो किसी सुनिश्चित व्यक्ति/व्यक्तियों की सुनवाइयाँ कैमरे के समक्ष की जायेगी।

3.6.आयोग को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता हो सकती है जो उसके विचार में शपथ पत्रों या तथ्य कथनों को जाँच के अधीन प्रकरणों के सुसंगत तथ्यों को, आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का ज्ञान रखता हो। आयोग के समक्ष कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जाने के पूर्व शपथ दिलाने के लिए विधिक शक्ति प्राप्त प्राधिकारी के समक्ष शपथ ली जायेगी। तथ्यों या शपथ–पत्रों के इस प्रकार के विवरण आयोग के सचिव को पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जायेंगे। आयोग के कार्यालय पर कार्यालय समय में किसी प्राधिकृत अधिकारी को पावती देय या हस्तांतरित की जाये और रसीद प्रदान की जाये।

3.7. प्राधिकारी जिसके समक्ष शपथ ली जाती है, उस पर निम्नांकित पृष्ठांकन करेगा :

''अभिसाक्षी द्वारा मेरे समक्ष शपथ ली गई, मेरी संतुष्टि के लिए जिसका अभिज्ञान ..... द्वारा किया गया या वह मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है। अभिसाक्षी के समक्ष शपथ-पत्रको पूर्ण रूपेण पढ़ा जाये, जिसने इस पर तिथि..... स्थान ..... पर सही होने की स्वीकारोक्ति के पश्चात मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

प्राधिकारी के हस्ताक्षर

3.8.प्रत्येक शपथ-पत्र को उत्तम पुरूष में लिखा जायेगा और क्रमानुगत रूप में क्रमांकित कर प्रस्तरों में विभक्त किया जायेगा, प्रत्येक तथ्य के विवरण की सामग्री को एक पृथक प्रस्तर की विषय वस्तु बनाया जायेगा। शपथ-पत्र अभिसाक्षी का विवरण, व्यवसाय, यदि कोई हो, और सामान्य निवास स्थान को प्रकट करेगा।

3.9. (क) शपथ-पत्र को अंत में निम्नलिखित रीति में सत्यापित किया जायेगा :

> ''मैं घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र के प्रस्तरों..... में दिये गये वक्तव्य/दृढ़ कथन मेरी व्यक्तिगत् जानकारी के अनुसार सत्य हैं और मेरे द्वारा इन प्रस्तरों..... में प्राप्त सूचना और विश्वास सत्य है।''

(ख) यदि सूचना किसी प्रलेख या अभिलेख से प्राप्त की गई है, तो अभिसाक्षी इस प्रकार के प्रलेख की प्रकृति और विवरणों तथा जिस व्यक्ति के नियंत्रण और अभिरक्षा मैं है, को दर्शायेगा।

(ग) यदिशपथ-पत्र का कोई भाग अभिसाक्षी द्वारा प्राप्त सूचना से सत्यापित है, तो वह इस प्रकार की सूचना के स्त्रोत को शपथ-पत्रमें उद्घाटित करेगा।

(घ) अभिसाक्षी उन तथ्यों को संक्षिप्त रूप से दर्शायेगा, यदि आयोग के समक्ष जाँच हो तो जिसके बारे में अभिसाक्षी को बोलने की अपेक्षा की गई हो।

3.10.यदि अभिसाक्षी/साक्षी किसी संपूर्ण प्रलेख या उसके संस्करण के किसी भाग पर भरोसा करता है, तो इस प्रकार का प्रलेख मूलरूप में या उसकी पूर्ण सत्यापित प्रतिलिपि, शपथ-पत्र के साथ संलग्न की जायेगी । यदि मूल प्रलेख उसके अधिकार, शक्ति या नियंत्रण में नहीं है, तो वह उसके अधिकार को रखने वाले व्यक्ति की पहचान को प्रकट करेगा जिसके अधिकार में वे हैं। यदि प्रलेख किसी अधिकारिक अभिलेख का भाग है, तो अभिसाक्षी इस प्रकार के प्रलेख को सरकार के विभाग या अभिरक्षा या नियंत्रण करने वाले अधिकारी को प्रकट करेगा।

3.11. आयोग, यदि न्याय के हित में यह आवश्यक समझता है तो शपथ-पत्र प्रस्तुत करने वाले किसी भी व्यक्ति को या तथ्यों के विवरण के मौखिक साक्ष्य को देने के लिए आयोग के समक्ष आमंत्रित कर सकता है। इस प्रकार के प्रकरणों में, किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व से ही शपथ-पत्र या तथ्यों का विवरण या उसका कोई अंश, आयोग के विवेकाधिकार पर, मुख्य परीक्षण के रूप में माना जायेगा।

3.12. यदि आयोग किसी व्यक्ति विशेष के मौखिक साक्ष्यों को अभिलिखित करने का विनिश्चय करता है, तो राज्य जाँच आयोग नियमावली, 1985 के नियम–5 के खण्ड 5के उपखण्ड (क) में वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। तथापि, किसी भी व्यक्ति को किसी शपथ-पत्र के किसी व्यक्ति या अभिसाक्षी को मौखिक परीक्षा के लिए बाध्य करने का अधिकार नहीं होगा। किसी शपथ-पत्र के किसी व्यक्ति या अभिसाक्षी की मौखिक परीक्षा लेने का आयोग को विवेकाधिकार होगा।

3.13.समस्त अभिसाक्षी जिनके साक्ष्य मौखिक रूप में शपथ के साथ अभिलिखित हैं, का प्रतिपरीक्षण समस्त दलों और व्यक्तियों को करने की अनुमति होगी।

3.14. आयोग किसी भी व्यक्ति को आयोग के समक्ष वक्तव्य देने या साक्ष्य देने के लिए बुला सकता है। परन्तु आयोग किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए केवल इसलिए बाध्य नही है, कि किसी व्यक्ति द्वारा आयोग को ऐसा करने के लिए कहा गया है।

3.15. आयोग अपने स्वविवेकाधिकार से किसी व्यक्ति को मौखिक परीक्षण या प्रतिपरीक्षण हेतु बुलाना अस्वीकार कर सकता है और इसके स्थान पर शपथ पत्र के द्वारा उसे प्रदान किये गये लिखित प्रश्नों पर परीक्षण की अनुमति दे सकता है।

3.16. सरकारी विभाग या सरकार नियंत्रित संस्थान, स्वायत्तशासी निकायों, राज्य उपक्रमों, बैंकों और सहकारी समितियों समेत कार्यालयी टिप्पणियों, आदेशों आदि के आधिकारिक अभिलेखों को बिना किसी औपचारिक प्रमाण के विशेषाधिकार के किसी भी वैध दावे के अधीन स्वीकार किया जाये, जब तक आयोग को किसी सुनिश्चित प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निर्धारित किसी रीति में प्रमाणित करने की आवश्यकता न हो।

3.17.यद्यपि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तकनीकी उपबंध आयोग के समक्ष साक्ष्यों के अभिलेखबद्धीकरण को नियंत्रित या प्रतिबंधित नहीं करेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्राथमिक उपबंधों का मौलिक प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में पालन किया जायेगा।

3.18.किसी वक्तव्य के अभिलेखीकरण के लिए, आयोग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, जो इस प्रकार के वक्तव्य को अभिलिखित करेगा।

3.19. आयोग के सचिव को राज्य जाँच आयोग नियमावली, 1985 के नियम 4(2) और 6 के अधीन आयोग द्वारा निर्गत बुलावापत्रों और प्रत्येक अन्य प्रक्रिया पर हस्ताक्षर करने को प्राधिकृत किया जाता है।

3.20. अग्रतर विनियमनों, अधिनियम के साथ सुसंगत प्रक्रिया और इसके अधीन विनिर्मित नियमावलियाँ,जैसा उपयुक्त हो सकता हो, जब और जैसा अवसर उपस्थित हो अपनायाजायेगा।

3.21.आयोग या तो अपने स्वविवेक पर या किसी व्यक्ति या पक्ष द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर किसी अर्जी, शपथ-पत्र या अन्य प्रलेख से किसी बात को हटा सकता है या आयोग को प्रस्तुत किसी प्रलेख को वापस लौटा सकता है, जो आयोग के विचार में अप्रसांगिक, मिथ्या या निंद्य हो।

3.22. आयोगको जाँच के मध्य किसी भी समय, जब और जैसा आवश्यक समझे, इन विनियमों या प्रक्रिया को परिवर्तित, संशोधित, विलोपित या योग करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

3.23. नियमावलियां जो सिद्धांतों के अनुपालन के साथ अपनायी जाती है के बारे में सर रिचर्ड स्कॉट ने समझाया है कि '' स्वर्णिम नियम वह हैं, जहॉ प्रक्रियागत नम्यता, निष्पक्षता की प्राप्ति की प्रक्रिया, प्रत्येक जाँच की परिस्थितियों के अनुरूप हो।''

4. आयोग स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित और पश्चिम बंगाल राज्य में विशेषकर कोलकाता के आस-पास प्रसारण रखने वाले बंगला भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुए उपरोक्त विनियमनों और अधिसूचनाओं के अनुरूप प्रवृत्त होगा, जिनमें सामान्य जनता से प्रार्थना की गई हो कि कोई व्यक्ति जो गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी, जो राम भवन, फैजाबाद में रहते थे तथा जिनका दाह संस्कार 18 सितम्बर, 1985 को गुप्तारघाट, फैजाबाद में किया गया था,के बारे में व्यक्तिगत या विशेष जानकारी रखता हो और उनके बारे में तथ्यों का जानकार हो, को आयोग की जानकारी में लाना चाहता हो, व्यक्तिगत रूप में आयोग के समक्ष उपस्थित होकर या अपना वक्तव्य शपथ-पत्र पर प्रस्तुत करके या लिखित में सामग्री प्रस्तुत करके या चित्रों या वीडियों की कतरनों को 30 दिनों के अंदर आयोग को आयोग के कार्यालय/शिविर कार्यालय पर प्रस्तुत कर सकता है।

यदि उसे शपथ की आवश्यकता है तो आवश्यक परिव्यय आयोग द्वारा वहन किये जायेंगे। संबंधित व्यक्ति आयोग के कार्यालय या आयोग के सचिव से व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकता है।

भाग–2

रिट याचिका संख्या : प्रकीर्ण पीठ 929 सन् 1986 और 10877 सन् 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय

(1) चूंकि उपरोक्त रिट याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के निर्णय द्वारा अनुबोधित मा0 राज्यपाल द्वारा आयोग का गठन किया गया था, अतः संक्षेपमें यह उचित होगा कि उस पर विचार किया जाये।

मैं यह इंगित करना उचित समझता हूँ कि रिपोर्ट (एतद्पश्चात रक्षित) के इस भाग में वर्णित विवरण और तथ्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से उद्धरित किये गये हैं।

उक्त रिट याचिका में याचिकाकर्ता का यह दावा था कि स्वर्गीय गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी, जो रामभवन, फैजाबाद में रहते थे और जिनका दाह संस्कार दिनांक 18 सितम्बर, 1985 को गुप्तारघाट, फैजाबाद में किया गया था, सुभाष चन्द्र बोस थे। यह कहा गया है कि उनके रामभवन, फैजाबाद में निवास की अवधि में अनेकों गणमान्य व्यक्ति और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के संबंधी प्रायः उनसे भेंट करने आते रहते थे।

गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की मृत्यु के पश्चात फैजाबाद में एक विवाद उत्पन्न हो गया जब एक स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र ''नये लोग'' ने एक कथा प्रकाशित की, कि भगवानजी के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति, जिनका देहावसान 16/9/1985 को हुआ था, वास्तव मेंनेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अलावा अन्य कोई नहीं थे। यह विवाद लंबी अवधि तक समाचार-पत्रों में चलता रहा और कुछ राजनीतिज्ञ तथा समाजिक संगठनों ने फैजाबाद के जनपद मजिस्ट्रेट से प्रार्थना करते हुए संपर्क किया कि गुमनामी बाबा की मृत्यु की परिस्थितियां और उनके द्वारा अपने पीछे छोड़ी गयी समस्त वस्तुओं की गहन संवीक्षा की जानी चाहिए जिससे गुमनामी बाबाउपाख्य भगवानजी के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस होने के विवाद का समाधान हो सके।

इसी बीच में एक रिट याचिका सुश्री ललिता बोस, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की वास्तविक भतीजी (स्वर्गीय सुरेश चन्द्र बोस की पुत्री , जो स्वर्गीय नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाई थे), डा0 एम0ए0 हलीम, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय समाजवादी दल और श्री विश्व बांधव तिवारी, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय सुभाष मुक्ति वाहिनी द्वारा रिट याचिका संख्या 929 (एमबी) सन् 1986 दायर की गई जिसमें प्रार्थना की गई थी कि गुमनामी बाबा के संबंध में यथोचित जाँच की जाए और उनके द्वारा पीछे छोड़ी गयी वस्तुएं, जो रामभवन, फैजाबाद में थीं, की सूची को एक अधिवक्ता आयुक्त द्वारा तैयार किया जाये और उक्त वस्तुओं की नीलामी न की जाये।

उपरोक्त रिट याचिका की प्रथम याचिकाकर्ता सुश्री ललिता बोस ने दावा किया कि स्वर्गीय भगवानजी की संपत्ति पर उनका अधिकार है, इस प्रकरण में जाँच के पश्चात पाया गया कि स्वर्गीय गुमनामी बाबाउपाख्य भगवानजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

दिनांक 10/02/1986 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खण्डपीठ ने दिये एक अंतरिम आदेश में जनपद मजिस्ट्रेट, फैजाबाद को निदेशित किया कि, राम भवन, फैजाबाद के नाम रहित संत द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं की वस्तुसूची किसी अधिवक्ता आयुक्त, जिनकी नियुक्ति जनपद मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं की जायेगी या वह इस प्रकार के अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति जनपद न्यायाधीश, फैजाबाद के द्वारा होगी, के माध्यम से तैयार की जायेगी। अग्रतर यह निदेशित किया गया कि वस्तुसूची के तैयार होने के पश्चात वस्तुओं को राम भवन, फैजाबाद से कोषागार को जनपद मजिस्ट्रेट के ताले और मोहर के अधीन अभिरक्षा में सुरक्षित रखने के लिए स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

उपरोक्त रिट याचिका के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से एक प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया था जिसमें याचीकर्ता के इस दावे को, कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी, जो राम भवन, फैजाबाद में रहते थे, तथ्यतः नेताजी सुभाष चन्द्र बोस होने को नकारा गया था।

तथापि, प्रतिशपथ पत्र में दर्शाया गया था कि 16/09/1985 को अपराह्न लगभग 9.40 को उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी जो अपने अनुयायियों में ''भगवानजी'' के नाम से जाना जाता था। वह फैजाबाद नगर में एक भवन जिसे ''राम भवन'' कहा जाता था, में रहता था। यह दर्शाया गया था कि इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जाँच की गई थी जिसमें प्रकट हुआ कि वह सन् 1974 में बस्ती जनपद से अयोध्या आये थे और अनेकों वर्षों तक अयोध्या में एक भवन जिसे लखनऊवा हाता के नाम से जाना जाता था, में रहे थे और तत्पश्चात वह ब्रह्म कुण्ड, अयोध्या में स्थित सरदार गुर बक्श सिंह सौंधी के मकान में स्थानान्तरित हो गये थे । कुछ समय पश्चात, भगवानजी को डा0 रघुनाथ प्रसाद मिश्रा, सेवानिवृत्त सर्जन, जनपद चिकित्सालय, फैजाबाद लाये थे और राम भवन, फैजाबाद के बाह्यगृह में समायोजित किया था।

प्रतिशपथ पत्र में यह भी दर्शाया गया था कि उपरोक्त गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी किसी व्यक्ति के सामने कभी नही आये और स्वयं को सदैव आवरण के पीछे रखते थे। उक्त जाँच में यह भी उद्घाटित किया गया था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी तीन लोगों के निकटस्थ थे और वे तीन लोग थे– डा0 पवित्र मोहन राय, जो 517, दमदम पार्क, कलकत्ता के निवासी थे, डा0 रघुनाथ प्रसाद मिश्रा और डा0 पी0 बनर्जी, दोनों फैजाबाद के थे। प्रतिशपथ पत्र में अग्रतर यह वर्णित किया गया था कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश, फैजाबाद ने श्री एस0एन0सिंह, अधिवक्ता, फैजाबाद को गुमनामी बाबा भगवानजी के मकान में रखी समस्त वस्तुओं की एक वस्तुसूची बनाने के लिए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया था। अधिवक्ता आयुक्त ने समस्त इच्छुक पक्षों को सूचना देने के पश्चात मकान में पाई गई वस्तुओं की एक वस्तुसूची तैयार की थी और वस्तुओं को मोहरबंद मंजूषाओं में रखा था। इन मोहरबंद मंजूषाओं को दोहरे ताले में जनपद कोषागार, फैजाबाद में रखा गया था।

यह कहा गया है कि गुमनामी बाबा के आवास की तलाशी में प्रचुर मात्रा में ''भारतीय राष्ट्रीय सेना''(इण्डियन नेशनल आर्मी) से संबंधित वस्तुएं और साहित्य सामान्य रूप से और स्वर्गीय नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से विशेषतः प्रकाश में आया जिसमें प्रचुर मात्रा में पारिवारिक चित्र, नेताजी की मृत्यु से संबंधित जाँच आयोग की रिपोर्टें थी। जाँच में यह भी प्रकट हुआ था कि प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को गुमनामी बाबा उपाख्यभगवानजी के कक्ष में विशेष उत्सव होता था, जो संयोगवश सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिन है और इस दिन फैजाबाद के किसी व्यक्ति को भगवानजी से मिलने की अनुमति नहीं थी और प्रायः कलकत्ता से कुछ व्यक्ति आते थे और वह उनके साथ दिन व्यतीत करते थे।

(2) संक्षेप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने, वायुयान दुर्घटना में उनकी मृत्यु के सिद्धांत और तीन आयोगों अर्थात नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु से संबंधित शहनवाज आयोग, खोसला आयोग और मुखर्जी आयोग द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों को भी संव्यवहृत करता है।

अब मैं संक्षेप में नेताजी की राजनीतिक यात्रा, उनका रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने और वायुयान दुर्घटना में उनकी मृत्यु के सिद्वांत, जैसा कि उपरोक्त निर्णय में चर्चा की गई है, का उल्लेख करता हूँ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने भारतीय नागरिक सेवा(इण्डियन सिविल सर्विस) की परीक्षा सितम्बर, 1920 में उत्तीर्ण की थी और भारतीय नागरिक सेवा(इण्डियन सिविल सर्विस) में कार्यभार ग्रहण किया था, परन्तु उनकी उत्कट राष्ट्रवादी मनोवृत्ति ने राष्ट्रहित में भारतीय नागरिक सेवा (इण्डियन सिविल सर्विस) से त्याग-पत्र देने को विवश कर दिया और परिणामस्वरूप उन्होनें अप्रैल, 1921 को त्याग-पत्र दे दिया। तत्पश्चात सुभाष चन्द्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गये।

सन् 1928 में सुभाष चन्द्र बोस ने एक लक्ष्य के रूप में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता पर दृढ़ता पूर्वक बल दिया। सन् 1938 के जनवरी मास में जब सुभाष चन्द्र बोस उपचार के लिए ब्रिटेन में थे, उनको भारतीय राष्ट्रीयकांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने (अनुपस्थिति में) की सूचना दी गई थी। सन् 1939 में उन्होंने गांधीजी की इच्छा के विपरीत कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था और जीते थे परन्तु गांधीजी के साथ वैचारिक मतभेदों के आधार पर उन्होनें कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस के अंदर एक नवीन ब्लाक अर्थात, फारवर्ड ब्लॉक का सृजन किया था तथा तत्पश्चात उक्त ब्लॉक से इस्तीफा दे दिया था। सन् 1940 में आंदोलन के दौरान सुभाष चन्द्र बोस को गिरफ्तार किया गया था और वे भूख हड़ताल पर बैठ गये थे। उन्होनें दिनांक 29/11/1940 को स्वैच्छिक उपवास की घोषणा की थी और अपने निर्णय की सूचना दिनांक 26/11/1940 के एक पत्र

के माध्यम से दी थी। अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए सुभाष चन्द्र बोस ने कहा –

> ''मेरे देशवासियों मैं कहता हूँ'' मत भूलिये कि किसी मानव के लिए महानतम अभिशाप दासबने रहना है। मत भूलिये कि अन्याय और गलती के साथ समझौता घोर अपराध है। शाश्वत विधि का स्मरण करिये : आपको अवश्य जीवन देना चाहिए, यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। और स्मरण रखिए कि सर्वोत्तम गुण असमानता के विरूद्ध युद्ध करना है, उसका प्रयोजन कोई मूल्य नहीं रखता है।''

सुभाष चन्द्र बोस का प्रत्येक शब्द और पंक्ति सम्पूर्ण राष्ट्र को एकीकृत करती है। तत्कालीन सरकार दिनांक 05/12/1940 को उनकी मुक्ति के लिए विवश हो गई। एल्गिन रोड, कलकत्ता में स्थित अपने स्वयं के घर में गृह अभिरक्षा के दौरान दिनांक 17/01/1941 को वह भाग गये और गोमोह, काबुल (अफगानिस्तान) होते हुए जर्मनी पहुँचे। काबुल में वे 46 दिन रुके और बर्लिन भाग निकलने के लिए व्यवस्थायें कीं। वह मास्को होते हुए दिनांक 03 अप्रैल, 1941 को बर्लिन पहुँचे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन से उनके प्रसारण ने उनको एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। भारतीय स्वतंत्रता संघ (इण्डियन इंण्डिपेंडेंस लीग) के आमंत्रण पर उन्होनें एक पनडुब्बी में जर्मनी को छोड़ दिया तथा भारतीय स्वतंत्रता संघ का प्रभार ग्रहण किया और भारतीय राष्ट्रीय सेना (इंडियन नेशनल आर्मी) का गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय सेना (आई0एन0ए0) के प्रधान सेनापति के रूप में उन्होनें अंडमान और निकोबार द्वीपों को मुक्त कराया । उन्होनें उपनिवेशी शासन से भारत के मणिपुर को भी मुक्त कराया था।

सुभाष चन्द्र बोस की स्थानीय सरकार को अक्टूबर, 1945 में जापान के साथ जर्मनी, इटली, बर्मा, फिलीपीन्स, नॉनकिंग, क्रोएशिया, मंचुकुओ और श्याम ने मान्यता प्रदान की थी। जर्मनी ने दिनांक 07/05/1945 को समर्पण कर दिया, जापान ने आधिकारिक रूप से दिनांक 15/08/1945 को समर्पण किया इसके पश्चात रूस ने 08/08/1945 को जापान के विरूद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अप्रैल 1945 को सुभाष चन्द्र बोस ने रंगून छोड़ दिया और दिनांक 14/5/1945 को बैंकाक पहुँचे। तथा वहॉ से वे सिंगापुर चले गये। सिंगापुर में उनको जानकारी हुई कि जापान ने समर्पण कर दिया है। 15 अगस्त, 1945 को सुभाष चन्द्र बोस ने एक विमान से कर्नल हबीब–उर–रहमान, प्रीतम सिंह, गुलजारा सिंह, मेजर आबिद हसन, एस0ए0अय्यर और देबनाथ दास के साथ सैगोन के लिए सिंगापुर को छोड़ दिया और बैंकाक आ गये । फील्ड मार्शल तेराउची की सहायता से सुभाष चन्द्र बोस अपने दल के साथ, उसी विमान से बैंकाक से सैगान पहुँचकर तेराउची से मिले थे जिन्होंने नेताजी की शिंक्यो, मंचूरिया की उड़ान के लेफ्टिनेन्ट जनरल तुनमासा शियाई, तृतीय जापानी वायु सेना से संबंधित भारी बम वर्षकों की बर्मा कमान के

सेनाध्यक्ष के साथ विशेष व्यवस्था की थी। दल जिसमें सुभाष चन्द्र बोस सम्मिलित थे ने 17/08/1945 को उड़ान भरी थी। विमान में स्थान की कमी के कारण केवल हबीब–उर–रहमान नेताजी के साथ थे। अन्य आगामी उड़ान की प्रतीक्षा के लिए रूक गये थे । विमान तौराने पर रूका था और वे रात्रि को मोरिम होटल में रूके थे । आगामी दिवस अर्थात 18/08/1945 को प्रातः 5.00 को विमान ने तौराने से उड़ान भरी और ताइपेह में लगभग दोपहर में पहुँचा। लगभग 2 घंटे के भोजन और विश्राम के पश्चात विमान ने लगभग 2 बजे पुनः उड़ान भरी और जब खडी उड़ान भरी तो एक भीषण धमाका सुनाई पड़ा था और विमान ने भूमि की ओर एक डुबकी लगाई थी तथा अग्नि की लपटों में विमान विस्फोटित हो गया था। यह सूचना दी गई कि नेताजी समेत छह व्यक्ति मारे गये थे और हबीब–उर–रहमान समेत सात आंशिक से लेकर गंभीर चोटों के साथ बच गये थे। उनमें से दो (लेफ्टिनेन्ट शाइदेई और चालक मेजर ताकीजावा) घटना स्थल पर ही मर गये थे और नेताजी समेत चार लोग चिकित्सालय में मृत्यु को प्राप्त हुये थे। नेताजी ने खाकी ड्रिल के कपड़े पहन रखे थे। उनके कपड़ों में आग थी। कर्नल रहमान ने उनको भूमि पर लिटा दिया था और उन्होंने उनके मस्तिष्क के वाम भाग में एक तीक्ष्ण घाव देखा था।

कर्नल हबीब–उर–रहमान ने स्वयं 1966 में हायाशिदा, रावलपिण्डी में एक टिप्पणी में त्रासदी का निम्नलिखित शब्दों में वर्णन किया था –

''श्री सुभाष चन्द्र बोस और मैं स्वयं अग्नि में से कूदे थे । जैसे ही मैं विमान से बाहर निकला, मैने उनको अपने कपड़ों पर अग्नि से संघर्ष करते देखा जैसे कुछ पेट्रोल उन पर छिड़क दिया गया हो। मैं तीव्रता से आगे बढ़ा और उनको अग्नि से निकाला तथा शीघ्र उनको भूमि पर लिटा दिया।

नेताजी को भूमि पर लिटाने के पश्चात रहमान उनके बगल में लेट गये और तभी नेताजी ने उनसे (रहमान) पूछा 'आपको अधिक चोट तो नहीं लगी'। नेताजी को सुनिश्चय हो गया था कि वो बच नहीं पायेंगे, उन्होंने रहमान को निर्देश दिये : ''जब तुम वापस जाओ, मेरे देशवासियों से कहना, कि मैं अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अंत तक लड़ा। और अब कोई शक्ति हमारे राष्ट्र को अधिक समय तक दासता में नहीं रख सकती। उन्हें इसके लिए संघर्ष करनाचाहिए। भारत शीघ्र स्वतंत्र होगा।

नेताजी ने ननमोन सैन्य चिकित्सालय, ताइपेह में अपने आदमियों के बारे में दुभाषिये श्री जुइची नाकामुरा से पूछा था । उन्होनें कहा,'' मेरे आदमी मेरा अनुगमन कर रहे हैं और जब वे फारमोसा आये तो उनकी देखभाल की जानी चाहिए।'' उनके अंतिम शब्द थे : ''मै सोना चाहता हूँ।'' अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अनवरत युद्ध के पश्चात, शिकायत या चीख के एक शब्द के बिना उन्होंने आराम किया। दूसरे छोर पर जापानी अधिकारी पीड़ा से तड़प और चिल्ला रहे थे।

जापानी चिकित्सक (कैप्टन योशिमी, टी0 तुरूता जिन्होनें नेताजी की सेवा की थी), दो धात्रियां, कर्नल हबीब–उर–रहमान, दुभाषिया नाकामुरा और चिकित्सकीय परिचर, श्री काजो मितसुई नेताजी की मृत्यु के समय उपस्थित थे। चिकित्सा अधिकारी, योशिमी ने मृत्यु प्रमाण पत्र पर जापानी में लिखा कि (चन्द्र बोस) 'तृतीय श्रेणी के झुलसन' के कारण मृत्यु को प्राप्त हुये। हबीब–उर–रहमान ने कहा :''मैने देखा कि उनके मस्तिष्क में एक गहरा घाव था जिसमें से प्रचुरता से रक्तस्त्राव हो रहा था। उनके शरीर गहरे रूप से झुलसा हुआ था ।'' कैप्टन याशिमी के अनुसार ''नेताजी संपूर्ण रूप से जल गये थे..... यहॉ तक की उनकी छाती भी जल गयी थी। उनका चेहरा सूज गया था.....जब वह लाये गये थे तब वो अपनी चेतनावस्था में थे। उनको उच्च ज्वर था.....39 सेन्टीग्रेड।

हबीब–उर–रहमान ने अग्रतर कहा :''जापानी चिकित्सकों ने उनका (नेताजी का) जितना अच्छा उपचार कर सकते थे, किया, परन्तु दुर्भाग्य से उसी दिन 18 अगस्त, 1945 को रात्रि 8.30 पर उनका देहावसान हो गया।''

नेताजी के मृत अवशेषों का दाहसंस्कार 20 अगस्त, 1945 को ताइपेह नगर शव दाहगृह में किया गया था। दाहसंस्कार के समय कर्नल हबीब–उर–रहमान, फारमोसा की सेना की ओर से मेजर नागाटोमो, दुभाषिया नाकामुरा, बुद्ध पुजारी और दाहसंस्कार केन्द्र के प्रबंधक उपस्थित थे।

नेताजी की राख को निशी (पश्चिम) होगानजी, मंदिर, ताईपेह को स्थानान्तरित किया गया था। हायाशिदा एक विमान द्वारा (5 सितम्बर, 1945 को अपराह्न 2.00 बजे) ताईपेह में आये थे और दो मंजूषाओं– एक में नेताजी की राख थी ओर दूसरे में नेताजी का कोष, स्वर्ण और आभूषण थे को अपनी अभिरक्षा में लिया था तथा आधे घंटे के पश्चात मेजर नाकामिया, लेफ्टिनेन्ट कर्नल साकाई, हबीब–उर–रहमान और तीन सैनिकों की गारद के साथ जापान के लिए चले गये थे। दल फुकुओका में सुरक्षा की दृष्टि से विभक्त हो गया था। कर्नल रहमान और मेजर नाकामिया को विमान द्वारा छोड़ागया था और शेष दल को मंजूषाओं के साथ (7 सितम्बर को अपराह्न 3 बजे) जनरल मैकआर्थर के जापान में ऐतिहासिक प्रवेश की संध्या को ट्रेन द्वारा छोड़ा गया था और उसी दिन रात्रि 11.00 बजे साम्राज्यिक सेनाध्यक्ष के मुख्यालय पर मंजूषायें(मेजर किनोशिता को) दी गयी थीं ।

अगले दिन (8 सितम्बर को) प्रातःकाल, कार्य अधिकारी लेफ्टिनेन्ट कर्नल ताकाकुरा ने भस्म कलश को श्री राम मूर्ति, अध्यक्ष, आई0आई0एल0 (टोकियो) और एस0ए0अय्यर, को हस्तान्तरित किया, जिन्होंने इसे व्यक्त न की जा सकने वाली संवेदनाओं के साथ ग्रहण किया था।

उसी रात्रि (8 सितम्बर, 1945)श्रीमती सहाय के आवास पर जहाँ अय्यर रूके थे, एस ए अय्यर और कर्नल हबीब–उर–रहमान के मध्य बातचीत ने समस्त शंकाओं को दूर कर दिया था जो श्री अय्यर ने अपने वक्तव्य में श्री मूर्ति को

कहाथा और श्री अय्यर अब आश्वस्त थे कि दुर्घटना एक निर्विवाद सत्यता है, और नेताजी इसके एक शिकार हैं। वक्तव्य से निष्कर्ष निकलता है,'' और हम सभी हमारे मस्तिष्क में बिना शंका की छाया के इस सत्यता को स्वीकार करते हैं।''

भस्मकलश को सुगेनामी वार्ड, टोकियो के रेनकोजी बुद्ध मंदिर में रखा गया था।

भस्मकलश को सौपने के लगभग तीन दिनों के पश्चात, नेताजी का स्वर्ण और आभूषणों का लगभग 11 किलोग्राम का कोष जिसका मूल्य एक लाख रूपये था, जिसका संग्रह ताईपेह बालिका माध्यमिक विद्यालय की लगभग 100 लड़कियों द्वारा ताईपेह सेना के निदेशन के अधीन, विमान दुर्घटना के पश्चात किया गया था, अन्य मंजूषा की अन्य मूल्यवान वस्तुओं को जापानी इम्पीरियल हेडक्वार्टर (जापानी साम्राज्यिक सेनाध्यक्ष मुख्यालय) द्वारा श्री मूर्ति को हस्तगत कराया गया था । मूल्यवान वस्तुओं की एक अपरिष्कृत सूची कर्नल हबीब–उर–रहमान के द्वारा विनिर्मित की गई थी और उस पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे । इस कोष(1945 से 1951 तक का) को 300 ग्राम स्वर्ण और 250 येनों के साथ श्री अय्यर द्वारा श्री मूर्ति कोदिया गया था। टोकियों स्थित भारतीय मिशन के प्रथम सचिव ने नेताजी के कोष को, 24 सितम्बर, 1945 को श्री मूर्ति से कर्नल रहमान द्वारा 1945 में तैयार की गई पावती की सूची पर हस्ताक्षर कर प्राप्त किया था। इस कोष का पता ठिकाना अभी तक पता नहीं चला है।

(3)सुगाता बोस (शरत चन्द्र बोस के बड़े पुत्र), हावर्ड विश्वविद्यालय में इतिहास के प्राध्यापक ने नेताजी का सर्वाधिक सुप्रसिद्ध जीवन चरित '' हिज मेजेस्टीज अपोनेन्ट'' लिखा है। नेताजी की मृत्यु के पश्चात जाँचों के संबंध में घटनाओं के तारतम्य का वर्णन सुगाता बोस द्वारा किया गया है, जिसका एतद्पश्चात सार्थक वर्णन किया जायेगा।

ताईपेई में मृत शरीर के दाहसंस्कार के पश्चात, नेताजी के पता–ठिकाने के संबंध में वहाँ मौन था । 23 अगस्त को पाँच दिन के विलंब के पश्चात, जापान की डोमेई अभिकरण ने नेताजी की मृत्यु के संबंध में समाचार का प्रसारण किया । कर्नल हबीब–उर–रहमान ने जापानियों से नेताजी के मृत शरीर को सिंगापुर या टोकियो ले जाने के लिए कहा था। उन्होंने प्रयास करने का वचन दिया था, परन्तु तत्पश्चात इसे करने में व्यावहारिक बाधा के बारे में सूचना दी । हबीब ने ताईपेई में दाहसंस्कार की सहमति दे दी थी, जो 20 अगस्त, 1945 को किया गया । भस्म को एक कलश में रख कर उसे निशी होंगानजी मंदिर में रखा गया था।

युद्ध के पश्चात, नई दिल्ली ने तत्काल गुप्तचर अधिकारियों के दो दल में फिन्नी और डेवीस के नेतृत्व में सुभाष चन्द्र बोस, यदि वह जीवित थे, तो उन्हें बन्दी बनाने और जाँच करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया भेजा था ।उसमे दो बंगाली पुलिस अधिकारी नामतः, एच0के0राय और के0पी0डेसम्मिलित थे । श्री डेवीस का

दल, जिसमें एच0के0 राय समाविष्ट थे, सर्वप्रथम सैगोन गया था और तत्पश्चात सितम्बर, 1945 में ताईपेई। उन्होनें सैगोन विमान पत्तन के प्रभारी जापानी सैनिक अधिकारी, ताईपेई विमान पत्तन के सैनिक अधिकारियों और ताईपेई चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का साक्षात्कार लिया था। बैंकाक में, इन्होंने सैगोन में जापानी दक्षिणी सेना के सेनापति द्वारा बैंकाक में हिकारी कीकान के प्रभारी अधिकारी को भेजे गये दिनांक 20 अगस्त के एक तार को अधिगृहीत किया था, जिसमें 18 अगस्त की अपराह्न की दुर्घटना और रात्रि में नेताजी की मृत्यु से संबंधित समाचार समाविष्ट था। फिन्नी की रिपोर्ट सुनिश्चित निष्कर्ष पर पहुॅचीं थी कि 18/08/1945 को विमान दुर्घटना के परिणामस्वरूप बोस की यथार्थतः मृत्यु हो गयी थी।

पुनः 1946 में, कैण्डी स्थित माउण्टबेटन के मुख्यालय ने सुभाष चन्द्र बोस के प्रारब्ध के बारे में एक अन्य जाँच की थी । माउंटबेटन की जाँच, क्या बोस तथ्यतः मर चुके है ? के संबंध में थी, जिसका संचालन कर्नल जे0जी0फिग्गिस द्वारा किया गया था, जो टोकियो मे जनरल मैकआर्थर के मुख्यालय में संबंद्ध थे और जिन पर मित्र राष्ट्रों की सर्वोच्च कमान के सामान्य मुख्यालयों के अधीन कार्यरत अमेरिकी गुप्तचर अधिकारी द्वारा दृष्टि रखी जाती थी । दिनांक 25/07/1946 को फिग्गिस ने सूचना दी थी कि उनका घातक शत्रु यथार्थतः दिनांक 18/08/1945 को दैहिक मृत्यु को प्राप्त हो चुका है।

अगस्त, 1946 में, भारतीय पत्रकार, हरीन शाह ने ताईवान की यात्रा की थी और सूचनाओं का संग्रहण किया था, जिसे उन्होंने नेताजी के साहसिक अंत का वर्णन किया था। घटना स्थल पर पत्रकारिता संबंधी जाँचों ने हरीन शाह को आश्वस्त किया था कि विमान दुर्घटना के परिणामस्वरूप नेताजी की मृत्यु की सूचना सही थी।

दिनांक 19/10/1946 को एक अन्य जाँच में, अल्फ्रेड रेमण्ड टर्नर नाम के एक ब्रिटिश कैप्टेन ने हांगकांग में स्टेनली गोल के अंदर ताईपेई चिकित्सालय के प्रभारी शल्य चिकित्सक कैप्टेन योशिमी टेनीयोशी द्वारा दिये गये वक्तव्य को अभिलिखित किया था। उन्होंने कहा था कि घायल को विमान पत्तन से चिकित्सालय लाया गया था, जहाँ जापानी सैन्य अधिकारियों ने उन्हें चन्द्र बोस के रूप में बताया था। रोगी गहन दाह से पीड़ित था। ''प्रथम चार घण्टों के मध्य'' डॉ0 योशिमी के अनुसार ''वह अर्द्ध चेतनावस्था में थे, व्यवहारिक रूप से सामान्य थे, भली भाँति बोल रहे थे''। चिकित्सकों का मानना है कि पानी मांगने के लिए प्रथम शब्द जो वह बोले थे जापानी में था, जिसे उन्हें चिकित्सालय के कप की टोंटी से पिलाया गया था। यह माना जाता है कि बोस प्रायः जल के लिए जापानी शब्द मेजू का प्रयोग किया करते थे और अपने बड़े भ्राता शरत, ''मेजदा'' के लिए कुछ कहा करते थे। चिकित्सकों ने बताया कि उनकी अधिकतर बातचीत अंग्रेजी में होती थी।

दुभाषियें के लिए प्रार्थना की गई थी, और नागरिक सरकारी कार्यालय से नाकामुरा नाम के एक दुभाषिये को भेजा गया था। नाकामुरा को कोई संशय नहीं था कि जिस व्यक्ति के साथ वह बोल रहे हैं वह चन्द्र बोस थे। चार घण्टों के पश्चात रोगी तन्द्रा में डूबने लगा था, और वह उस रात्रि के उत्तर काल में मृत्यु को प्राप्त हो गये थे। उनके सहायक एक भारतीय कर्नल, जो योशमीस की देखभाल के अधीन भी थे ने बोस के शरीर को टोकियो ले जाना चाहा था। अतः, चिकित्सकों ने शरीर में फार्मेलीन क्षेपित की थी और शवमंजूषा को आंशिक रूप से चूने से भर दिया था, जिसे 20 अगस्त को वारन्ट अधिकारी निशी द्वारा विमान पत्तन ले जाया गया था। वापस लौटे हुए अधिकारी ने कहा था कि मृत शरीर को किन्हीं अज्ञात कारणों से जापान नहीं ले जाया जा सकता है और ताईपेई में ही दाह संस्कार किया जाये। चिकित्सक ने एक दाह संस्कार केन्द्र के लिए एक मृत्यु प्रमाण पत्र लिखा था। बोस की भस्म को भारतीय कर्नल को हस्तगत करा दिया गया था ।

तथापि, रहस्य छुपा हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के संबंध में दिये गये संशय रखने वाले वक्तव्य के कारण ब्रिटिशों के मस्तिष्क में संभ्रम उत्पन्न हुआ था। लेखक सुगाता बोस ने यह टिप्पणी की है कि बाद में गांधी जी ने स्थिति को स्पष्ट किया था कि उनका वक्तव्य विश्वास पर आधारित था, जानकारी पर नहीं।

गांधी जी द्वारा दिये गये वक्तव्य के कारण उत्पन्न हुये विवाद के संबंध में सुगाता बोस द्वारा लिखी गयी पुस्तक ''हिज मैजेस्टीज अपोनेन्ट'' से सुसंगत अंश को उद्धृत करना उपयुक्त होगा :

> ''सन् 1946 की जनवरी के प्रांरभ में गांधी जी के इस अभिकथन द्वारा ब्रिटिश चिन्तितथे कि नेताजी जीवित थे और सही समय पर प्रकट होंगे। नौसैनिक क्रांति के एकसप्ताह पूर्व,गांधीजी ने बोस पर वर्तमान में बोलते हुए बल दिया था। कांग्रेस जनों नेगांधी जी के मन की बात की विवेचना को नेताजी से प्राप्त गुप्त सूचना बताया था।वहाँ अन्य अफवाहें चल रहीं थीं। एक के अनुसार, नेहरू को बोस से एक पत्र प्राप्तहुआ है जिसमें कहा गया था कि वह रूस में हैं और सुरक्षित निकल कर भारत आना चाहते हैं। वह चित्राल होते हुए आयेंगे, जहाँ शरद बोस का एक पुत्र उनकी आगवानी करेगा। गांधी जी और शरद बोस इन योजनाओं से कथित रूप से अवगत थे।संभाव्यतः इस कथा को गुप्तचर मूल्यांकन समझा जाये, परन्तु : भारत में एक बढ़ता हुआ विश्वास की बोस जीवित है'', प्रसंग एक चिंता का विषय था।30 मार्च, 1946 को गांधीजी ने इस प्रकरण पर अपने विचारों को अपनी पत्रिका''हरिजन'' में स्पष्ट किया था। उन्होंने बोस की मृत्यु की 1942 की रिपोर्ट का उल्लेखकिया था, जिस पर वे विश्वास करते थे परन्तु जो बाद में असत्य सिद्ध हो गई थी।तत्पश्चात, उनको ''एक अनुभूति होती थी कि नेताजी हमको तब तक

नहीं छोड़ सकतेजब तक उनके स्वराज्य का स्वप्न साकार नहीं हो जाता है।'' अपनी भावनाओं को बलदेने के लिए ''वह जोड़ते थे,''अपने शत्रुओं को चकमा देने की महान क्षमता का नेताजी को ज्ञान था और यहाँ तक की संसार उनके अभिलषित लक्ष्य के प्रयोजन का जानताथा।'' उन्होने स्पष्ट किया कि वे नहीं परन्तु उनकी ''अन्तःप्रेरणा'' ने उनसे कहा कि ''नेताजी जीवित थे।'' उन्होनें अब स्वीकार किया था कि ''इस प्रकार की असमर्थित भावनाओं'' पर विश्वास को स्थापित नहीं किया जा सकता है और वहाँ पर ''भावनाओं कोप्रभावहीन करने के लिए सुदृढ़ साक्ष्य है''। ब्रिटिश सरकार तक इन साक्ष्यों की पहुँच थी। उन्होनें हबीबुर रहमान और एस0ए0 अय्यर के साक्ष्यो के बारे में भी सुना था। ''इनसाक्ष्यों के आधार पर,'' महात्मा जी ने लिखा था, ''उनसे पहले में प्रत्येक से अपील करता हूँ, कि नेताजी हम सबको छोड़ गये हैं इस तथ्य को स्वयं स्वीकार करता हूँ।एक इश्वरीय शक्ति के समक्ष समस्त व्यक्तियों की प्रतिभा नगण्य है।''

घटनाओं की श्रृखंला और विमान दुर्घटना की परिघटना पर सामान्य भारतीयों द्वारा कभी विश्वास नहीं किया गया। विमान दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में शंका के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा समय–समय पर भिन्न–भिन्न आयोगों की नियुक्ति की गई थी, परन्तु परिघटना रहस्य में छुपी हुई है। सामान्य भारतीय अब तक विश्वास नहीं करते कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई, जैसा उपरोक्त वर्णित है। ये तथ्य और परिस्थितियां हैं जिनके अधीन भिन्न–भिन्न आयोगों की नियुक्ति की गई थी।

भारत सरकार द्वाराअधिसूचना दिनांक क्रमशः 05/04/1956, 16/10/1970 और 14/05/1999 द्वारा तीन आयोगों, अर्थात, शहनवाज आयोग, खोसला आयोग और मुखर्जी आयोग की नियुक्ति की गई थी।मैं उक्त आयोगों द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ की खण्डपीठ द्वारा लिखित मुख्य निष्कर्ष को संदर्भित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

लखनऊ खण्डपीठ धारित करती है कि, शहनवाज आयोग ने पाया था कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस दिनांक 17/08/1945 को मंचूरिया को जाने वाले एक विमान से रवाना हुये थे। विमान दिनांक 18 अगस्त, 1945 को फारमोसा में तैहोकू में दुर्घटना ग्रस्त हो कर आग की लपटों में घिर गया जाने के परिणामस्वरूप नेताजी गंभीर दाह के घाव से ग्रस्त हो गये थे और परिणामस्वरूप उसी रात्रि (18/08/1945 की रात्रि को) को तैहोकू चिकित्सालय में मृत्यु हो गई थी।लखनऊ पीठ यह भी धारित करती है कि, खोसला आयोग ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की दुर्घटना मृत्यु के संबंध में शहनवाज आयोग के निष्कर्षों को दोहराया है। मुखर्जी आयोग के संबंध में, लखनऊ पीठ धारित करती है कि, उपरोक्त आयोग की

अभिलिखित की गई निर्णयात्मक खोज, की नेताजी ताईपेई में विमान दुर्घटना में नहीं मरे थे और जापानी मंदिर में रखी भस्म नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की नही है। मुखर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 112 पर यह भी धारित किया था कि, वहाँ पर कोई कड़ी जोड़ने वाला साक्ष्य नहीं था जो सिद्ध करता कि भगवानजी उपाख्य गुमनामी बाबा नेताजी थे और इसलिए, इस प्रश्न पर कि क्या वह (नेताजी) दिनांक 16 सितम्बर, 1985 को फैजाबाद में मृत्यु को प्राप्त हुये थे, जैसा की कुछ अभिसाक्षियों द्वारा साक्ष्य दिया गया था, का उत्तर दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

यह वर्णन करना उचित है कि भारत सरकार ने दिनांक 18/08/1945 को फारमोसा के तैहोकू चिकित्सालय में विमान दुर्घटना में सुभाष चन्द्र बोस के नहीं मारे जाने के मुखर्जी आयोग के निष्कर्षों को नकार दिया था।

(4) खण्डपीठ के उपरोक्त निर्णय के साथ पृथक होने के पूर्व यह वर्णन करना उचित है कि खण्डपीठ ने परिस्थितिगत साक्ष्यों के आधार पर इस प्रचार पर कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से पृथक नहीं थे, कुछ विचार विमर्श किया था, परन्तु तदन्तर जब से खण्डपीठ के निर्णय के इस भाग के साथ मैने संव्यवहार का प्रस्ताव रखा है और पुनरावृत्ति से बचाव के लिए इस संबंध में खण्डपीठ के विमर्श से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ।

———

भाग–3

अभिसाक्षियों के साक्ष्य

(1) चूंकि जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित यह एक न्यायिक आयोग है, आयोग के लिए केवल विचारार्थ विषय का उत्तर देना ही उचित होगा, अर्थात, गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की पहचान को खोजना, जो रामभवन, फैजाबाद में रहते थे और जिनका अंतिम संस्कार उन अभिसाक्षियों के साक्ष्यों पर जिन्होंने आयोग के समक्ष गवाही दी थी, 18 सितम्बर, 1985 को कर दिया गया था।

(2) इस तथ्य के होते हुए भी (जैसा कि इस रिपोर्ट के प्रथम भाग के प्रस्तर–4 से भी प्रकट होता है) कि अधिसूचनायें स्थानीय समाचारपत्रों में हिन्दी और अंग्रेजी में तथा बंगला में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों में भी प्रकाशित की गई थीं, खेद है कि मात्र 45 अभिसाक्षियों ने आयोग के समक्ष गवाही दी (पैंतीस ने व्यक्तिशः और दस ने शपथपत्रों के माध्यम से, जिसका उन्होंने कारण दर्शाया था, को आयोग द्वारा विचार किया गया था जैसे उनके वक्तव्य इसके पूर्व हैं)। सत्य को प्रकाश में लाने के लिए आयोग द्वारा उनकी प्रतिपरीक्षा भी की गई थी। उनके अभिसाक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय, मेरे मस्तिष्क में सदैव यह रहता था कि वे उन घटनाओं के बारे में गवाही दे रहे हैं, जो उन्होंने कम से कम इकत्तीस वर्ष पूर्व देखी थी/घटित हुई थी (गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की मृत्यु 16 सितम्बर, 1985 को हुई थी)। तथ्यतः उनमें से कुछ घटनायें जो साठ से पैंसठ वर्ष पूर्व घटित हुई थी, की गवाहियाँ थीं।

(3) यह एक सामान्य जानकारी की बात है कि मानवीय स्मृति समय के अन्तराल के साथ धुंधला जाती है और जब अभिसाक्षियों को इकत्तीस से पैसठ वर्ष पूर्व घटित हुए तथ्यों/घटनाओं का प्रत्याहवान करने को कहा जाता है तो वे अंतरालों को अपनी कल्पनाओं से भरने को उद्यत होते हैं। परिणामतः मैनें अभिसाक्षियों के शपथपत्रों का मूल्यांकन अधिकतम सावधानी और अत्यधिक संवीक्षा के साथ किया है।

(4) यह इसके परिप्रेक्ष्य में है कि, मैनें समस्त अभिसाक्षी जो आयोग के समक्ष गवाही के लिए प्रस्तुत हुए, के शपथपत्रों के मूल्यांकन का प्रस्ताव किया था । उनका वर्णन सीडब्ल्यू (आयोग के अभिसाक्षी) के रूप में किया गया है।

(5.1) प्रथम दो अभिसाक्षी, जिनके साक्ष्यों के मूल्यांकन का मैने प्रस्ताव किया सीडब्ल्यू–1 जयन्ती रक्षित (जयन्ती बोस) और उनके पति सीडब्ल्यू–2 अमिय रक्षित हैं। चूंकि उनके साक्ष्य शब्दशः एक हैं, अतः मैने इन पर साथ–साथ विचार किया।

जयन्ती रक्षित और अमिय रक्षित के साक्ष्य निम्नवत् दर्शित हैं–

वे जी–4, डोवेलैण्ड कोर्ट, 29/13, बालीगंज पार्क, कोलकाता–70019 के निवासी हैं, जयंती रक्षित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (नेताजी) की बड़ी भतीजी हैं, क्योंकि उनके दादा स्वर्गीय शरद चन्द्र बोस नेताजी के वास्तविक भाई थे और अमिय रक्षित जयन्ती रक्षित के पति हैं, लगभग 60 वर्षों से वहाँ नेताजी सुभाष चन्द्र

बोस के बारे में कोई सूचना नहीं थी, सन् 2012 में अनुज धर की पुस्तक ''इण्डियाज बिगेस्ट कवर अप'' जिसमें अनुज धर ने उल्लेख किया था कि जो व्यक्ति रामभवन, फैजाबाद में रहता था, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, पढ़ने के पश्चातउन्होंने अनुभव किया कि नेताजी के गायब हो जाने की एक अधिक विस्तृत जाँच की जाये, तत्पश्चात, ताप्ती घोष के साथ (जयन्ती रक्षित की बहिन और अमिय रक्षित की भाभी) वे फैजाबाद आये और कई व्यक्तियों से मिले जिनकी धारणा थी कि गुमनामी बाबा स्वर्गीय सुभाष चन्द्र बोस से इतर अन्य कोई नहीं थे, तत्पश्चात वे कलकत्ता वापस लौट गये और बिजोय नाग तथा सुरोजित दासगुप्ता और कुछ व्यक्तियों का एक बड़ा समूह जो प्रायः प्रतिवर्ष 23 जनवरी, जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिवस था, को फैजाबाद की यात्रा करता था, से बातचीत की, जिन्होंने उन्हें बताया कि वे उनके अभिज्ञान को निर्धारित करने की किसी स्थिति में नहीं थे क्योंकि गुमनामी बाबा जिस कमरे का रूकने में प्रयोग करते थे और स्थान जहाँ से वे उनसे बातचीत करते थे, के मध्य एक परदा था, तथापि, सुरोजीत दासगुप्ता ने कहा कि एक दिन जब वे गुमनामी बाबा से बातचीत कर रहे थे, परदा एक ओर सरक गया था और उन्होंने पाया था कि कमरे में बैठे व्यक्ति सुभाष चन्द्र बोस थे, वे फैजाबाद में रीता बनर्जी (स्वर्गीय डा0 पी बनर्जी की बहु) से भी मिलेथे जिन्होंने उन्हें बताया था कि वे प्रायः गुमनामी बाबा से मिलती थीं और उन्हें देखती थी और विचार करती थी कि वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, वे बीथी चटर्जी, रीता बनर्जी की माँ से भी बातें करते थे, जिन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने गुमनामी बाबा की आवाज को सुनने के पूर्व और पश्चात सुभाष चन्द्र बोस को देखा था, उनका विचार है कि वे सुभाष चन्द्र बोस थे।

उन्हें कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी सुभाष चन्द्र बोस थे या नहीं, उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों द्वारा जो उनको बताया गया था के आधार पर, उनको प्रबल संदेह था कि वे सुभाष चन्द्र बोस थेऔर उन्होंने कोई पुस्तक/वस्तु जो तथाकथित गुमनामी बाबा द्वारा प्रयोग की जा चुकी हो और सुभाष चन्द्र बोस से सम्बन्धित कही जा सके (बल दिया गया) नही देखी थी।

मैने सीडब्ल्यू–1 जयन्ती रक्षित (जयन्ती बोस) और उनके पति सीडब्ल्यू–2 अमिय रक्षित के वक्तव्यों का ध्यानपूर्वक/विचारपूर्वक अवलोकन किया और उनके संपूर्ण वक्तव्यों पर अपना उत्कंठित विमर्श प्रदान करने के पश्चात, मेरा विचार है कि चूंकि उनको कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि क्या गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी सुभाष चन्द्र बोस थे या नहीं और लोगों द्वारा जो कहा गया था, के आधार पर उनको एक प्रबल संशय था कि वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, इस प्रकार से उनके साक्ष्य शुद्धतः किवदन्ती थे और आयोग उनके किवदन्तीय साक्ष्य, कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को विधिक रूप से स्वीकार नहीं करता है। मेरे विचार में, उनके साक्ष्य आयोग को गुमनामी बाबा की पहचान को निर्धारित करने में सहायक नहीं हैं।

(5.2) अब मैं सीडब्ल्यू–3 अनुज धर के साक्ष्यों को लेता हूँ। उनके साक्ष्य निम्नवत दर्शित हैं–

वे लगभग 46 वर्ष की आयु के हैं और वे 263, कांगड़ा निकेतन, विकासपुरी, नई दिल्ली के निवासी हैं, वे इस प्रकरण में एक पत्रकार के रूप में वर्ष 2002 से जाँच कर रहे हैं और जाँच की अवधि के मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लोगों से मिले, जो गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी से सम्बन्धित थे, उन्होंने भगवानजी द्वारा छोड़े गये प्रलेखी सामग्री का विश्लेषण भी किया था और हिन्दुस्तान टाइम्स की ओर से सुभाष चन्द्र बोस और भगवानजी दोनों के अंग्रेजी में हस्तलेखों के नमूनों कोश्री बी0लाल कपूर, हस्तलेखन पर एक मुख्य प्राधिकारीको प्रस्तुत किया था, जिस पर उन्होंने सकारात्मक रिपोर्ट दी कि नमूने एक ही व्यक्ति के हैं, तत्पश्चात, श्री बी0लाल कपूर एम0 के0 मुखर्जी आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुये थे, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गायब हो जाने की जाँच के लिए किया गया था और उन्होंने वही रिपोर्ट दी थी (मुखर्जी आयोग के समक्ष भगवानजी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के हस्तलेखन के नमूने अंग्रेजी और बंगला दोनों में दिये गये थे)।

सीडब्ल्यू–3 अनुज धर के साक्ष्य दर्शाते हैं कि उन्होंने गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के बारे में जानने वाले लोगों से बातचीत की थी और उनके संपूर्ण अन्वेषण का संक्षिप्त और ग्राह्य तात्पर्य है कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे जो अपने मृत्यु के दो वर्ष पूर्व से राम भवन, फैजाबाद में निवास कर रहे थे जहाँ 16 सितम्बर, 1985 को उनकी मृत्यु को हो गयी थी।

श्री अनुज धर के साक्ष्य अग्रतर दर्शाते हैं कि श्री चन्द्रचूण घोष (आयोग के समक्ष इनका परीक्षण सीडब्ल्यू–4 के रूप में किया गया था) के साथ उन्होनें इस प्रकरण में संयुक्त विशद अन्वेषण किया था और उन्होंने संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे उन्होंने आयोग के समक्ष इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया था कि इसे उनके वक्तव्य के अंश के रूप में लिया जाये।

यह उल्लेख करना उचित है कि आयोग ने उक्त रिपोर्ट को अभिलेख में लिया और निदेशित किया कि इसे अभिसाक्षी के वक्तव्य के अंश के रूप में पढ़ा जायेगा और इसे एक्स0सी–1 के रूप में चिन्हित किया गया था।

श्री अनुज धर का आयोग द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया था। दो प्रश्न उनके समक्ष प्रति परीक्षण में रखे गये थे जिसका उन्होंने उत्तर दिया था। मैं अनुज धर के समक्ष रखे गये प्रश्नों और उनके द्वारा दिये गये उत्तरों को शब्दशः उद्धरित कर रहा हूँ :

प्रश्न–1 –क्या आप इस तथ्य के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं कि, क्या गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एक और वही व्यक्ति थे?

उत्तर–1–वर्ष 2002 (गुमनामी बाबा की मृत्यु 16 सितम्बर, 1985 को हुई थी) के दौरान किसी समय मेरे द्वारा अन्वेषण किया गया और मैं कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं रखता हूँ । मेरी जानकारी का स्त्रोत जिसे मैनें प्रकट किया है जो मैं ऊपर कह चुका हूँ और अभिलेखात्मक साक्ष्यों में जिसे मैने दाखिल किया है ।

प्रश्न–2–गुमनामी बाबा और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के हस्तलेखन के नमूने आपने कहां से प्राप्त किये?

उत्तर–2–मैने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के केवल अंग्रेजी लेखन के नमूनों को राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली तथा कलकत्ता के नेताजी अनुसंधान ब्यूरो से प्राप्त किये थे ।

मैंने गुमनामी बाबाउपाख्य भगवानजी के अंग्रेजी के नमूने श्री अशोक टण्डन, निवासी–फैजाबाद, स्वर्गीय डा0 पी0 बनर्जी, निवासी–फैजाबाद, जो प्रायः उनसे मिला करते थे और स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद पाण्डेय, निवासी–बस्ती, जो गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी को अंतरंग रूप से जानते थे, से प्राप्त किये थे।

अनुज धर ने बताया कि भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे जो अपनी मृत्यु के दो वर्ष पूर्व से राम भवन, फैजाबाद में निवास कर रहे थे, जहाँ 16 सितम्बर, 1985 को उनकी मृत्यु हुई थी। उनके वक्तव्य का परिशीलन दर्शाता है कि वे उक्त निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए दो कारणों से प्रेरित थे, अर्थात :– (क) श्री बी0 लाल कपूर, हस्तलिपि विशेषज्ञ, जिनको सुभाष चन्द्र बोस और भगवानजी दोनों की अंग्रेजी में हस्तलिपियों के नमूनें दिये गये थे, ने सकारात्मक रिपोर्ट दी थी कि नमूनेंएक ही व्यक्ति के थे, और (ख) वे उन लोगों से मिले थे जो प्रायः गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी को जानते थे और उनके साथ बातचीत से यह ज्ञात हुआ किगुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस दोनों एक ही व्यक्ति थे ।

मैंने ऊपर उपरोक्त कारणों को दर्शाया था और मेरी दृष्टि में उक्त निष्कर्ष पर पहुॅचने का वे एक वैद्य आधार नहीं हो सकते हैं।

जहाँ तक कारण (क) का सम्बन्ध है, मुखर्जी आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 121 में प्रस्तर 4.15.9 पर निम्नलिखित शब्दों में कठोरतापूर्वक इसे अस्वीकृत किया गया है –

> ''विशेषज्ञों की रिपोर्टें जिनको रामभवन में प्राप्त कुछ पुस्तकों और पत्रिकाओं में प्रदर्शित हस्तलेखों को नेताजी के हस्तलेखों की सामग्री के साथ तुलना के लिए भेजा गया था, सेपृथक थीं ।तथापि उनमें से एक अर्थात श्री बी0लाल, संदेहास्पद अभिलेखों के पूर्वसरकारी परीक्षक, नई दिल्ली (सी डब्ल्यू–119) ने दृढ़ राय दी कि वे (बंगाली और अंग्रेजीदोनों) नेताजी के थे, शिमला स्थित, भारत सरकार के संदेहास्पद अभिलेखों के कार्यालय के सरकारी परीक्षक श्री अमर सिंह और श्री एम0एल0 शर्मा (सी डब्ल्यू–121), जिन्होनेंएक संयुक्त रिपोर्ट दायर की थी, तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता के डा0 एस0के0मण्डल ने

विरोधाभासीविचार दिये। इस प्रकार के विरोधाभासी विचार और नेताजी के हस्तलेखों से सुपरिचित किसी व्यक्ति से किन्हीं साक्ष्यों की अनुपस्थिति कि प्रश्नगत हस्तलेख नेताजी के थे, इस सम्बन्ध में दिये गये मौखिक पाठकथन की सुरक्षित स्वीकृति, अन्य विध्न है।''

अतः कारण (ख) के लिए, अर्थात, सूचना जो अभिसाक्षियों की बातचीत से व्युत्पन्न हुई कि वे उन लोगों के साथ थे जो गुमनामी बाबा उपाख्य भगवान जी को जानते थे और जिसने (अभिसाक्षियों को) विश्वास करने के लिए विवश किया कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, से संबंद्ध है, शुद्धतः किवदन्ती थी और परिणामस्वरूप मेरे द्वारा स्वीकार नहीं किये गये हैं।

यह उल्लेख करना उचित है कि श्री अनुज धर ने एक्स0 सी–1 के प्रस्तर–8 में कहा है कि वहाँ पर भगवानजी नेताजी थे, मानने में बाधायें थीं। मैं उक्त बाधाओं को संपूर्ण रूप में वर्णित कर रहा हूँ :

''8. भगवानजी, नेताजी थे,को मानने में बाधायें।

8.1. अभिसाक्षी माननीय आयोग के समक्ष सुनिश्चित तथ्यों और दृष्टांतों को जोभगवानजीको नेताजी स्वीकार करने के सिद्धांत के मार्ग में आये, को अभिलेख केरूप में भी प्रस्तुत करना चाहेगा।

8.2. यह विचार कि नेताजी गुप्तरूप से रहे थे, गुप्तावास में, अपने स्वयं के देश में इस तरह की अधम स्थितियों में लंबी अवधि के लिए रहना नितांत असंगत बात है। यहअकेला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है, कि क्यों अधिकतर लोग विस्तारमें गये बिनाभगवानजी के नेताजी होने के सम्बन्ध को प्रत्यक्षतः अस्वीकार करते हैं। दूसरी ओरविस्तार में जाने पर एक कथा सामने आती है जो इतनी असाधारण है कि यहप्रकरण को और अधिक अबोध्य बना देती है।

8.3. उपलब्ध सूचनाओं की संवीक्षा पर, भगवानजी का व्यक्तित्व तीन रूपांतरों को प्रकटकरता है, प्रत्येक रूप के अन्य के साथ सामंजस्य बैठाना कठिन है, क्योंकि विशेषकर भगवानजी ने उस पर हमें कार्य करने के लिए पर्याप्त आंकड़ें नहीं छोड़ें हैं औरअधिकतर व्यक्ति जो उन्हें भली–भांति जानते हैं या तो मर चुके हैं या वे सब जो गोपनीय हैं, को पूर्ण रूपेण प्रकट करने के इच्छुक नहीं हैं। उनके दावों से, उनकेअनुयायियों द्वारा धार्मिक रूप से विश्वास किया जाता है, कि भगवानजी किसी केसामने उच्च स्तरीय प्रच्छन्न अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, अनेकों बहुराष्ट्रीय वार्ताओं कोपरामर्श देते हैं, अमानुषी शक्तियों के साथ उच्च सिद्धी प्राप्त तांत्रिक हैं और उसी समय निर्धनता में रहने वाले, वर्ष 1960 के पश्चात से खराब स्वास्थ्य से पीड़ितव्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं।अभिसाक्षी यह नहीं बता सके कि कैसे एक व्यक्ति जोदावा करता है कि उसने विश्व के विभिन्न भागों मेंसाम्राज्य विरोधी

गुटों को प्रच्छन्नसैन्य और राजनयिक कार्यवाहियों में सहायता की थी, एक व्यक्ति जिसने 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में एक आधारभूत भूमिका का निर्वाह किया था, कादावाकरताथा, अपना यथोचित रूप से बचाव करने में सक्षम नहीं था। भगवानजीऔरउनके अनुयायी जो दावा करते थे कि वे विज्ञान के क्षेत्र के परे आध्यात्मिकशक्तियां रखते थे, कि सुनिश्चित रूप से व्याख्या करने में इन अंतर्विरोधों के अवरोधहैं।

8.4. यदि भगवानजी यथार्थ में नेताजी थे, तो वह अपने जीवन से संबंधित घटनाओं जिनकी किसी को जानकारी नही है, को बताने में सक्षम थे? उदाहरणार्थ, वो पूर्ण विवरण देते कि कैसे 1941 में वे भारत से बचकर भागे थे और विमान दुर्घटना कीसुनियोजित गल्प कथा के पश्चात 1945 में वे कैसे रूस को बचकर चले गए थे।अब तक अभिसाक्षियों कीजो कुछ पहुँच थी, पत्राचार की प्रतियां आदि सम्मिलितथी, जो राम भवन से प्राप्तहुई थीं और जिन्हें भगवानजी के अनुयायियों ने उपलब्धकराया था, ने केवल आंशिक सूचना प्रदान की और उनका संदेह के बिंदुओं कोसंतुष्टि में परिवर्तित करने में उपयोग नहीं किया जा सकता था। भगवानजी के प्रत्येक अनुयायी को संपूर्ण अभिलेखों के साथ बुलाना चाहिए, का यह मुख्य कारण है।

8.5. अग्रतर, जन क्षेत्र में स्थित भगवानजी के अनेकों दावे किसी के द्वारा समर्थित नहींहै। यह दावा कि नेताजी को द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध अपराधी घोषितकिया गया था और युद्ध अपराधियों की सूची में उनका नाम अपुष्ट है, यहाँ तक कियुद्ध अपराधियों की सूची में हिटलर और अन्यों के नाम सार्वजनिक हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य कि अमेरिका की केन्द्रीय गुप्तचर अभिकरण (सी.आई.ए.) और रक्षागुप्तचर अभिकरण (डी.आई.ए.) दोनों ने अभिसाक्षियों को देश के सूचना की स्वतंत्रताके अधिनियम के अधीन सूचित किया कि उनको नेताजी, जिन पर प्रथम दृष्टया भगवानजी होने के दावे का पर्याप्त संशय किया जाता है, के बारे में कोई सूचना नहीं है।''

एक्स0सी0–1 का अनुशीलन भी दर्शाता है कि गुमनामी बाबा के अभिज्ञान के संबंध में वहॉ पर संपूर्ण रूप से 06 दावें थे। उक्त दावों को एक्स0सी0–1 के प्रस्तर 4 में वर्णित किया गया है और जो निम्नवत् पढ़ा जाये–'

दावा क्रमांक 1 : भगवानजी हत्या के एक भगोड़े आरोपी कृष्ण दत्त उपाध्याय थे।

दावा क्रमांक 2 : भगवानजी आनन्द मार्गी थे।

दावा क्रमांक 3 : भगवानजी सी.आई.ए. के एक अभिकर्ता थे।

दावा क्रमांक 4 : भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अंध अनुयायी थे।

दावा क्रमांक 5 : भगवानजी अभिसूचना इकाई द्वारा नियत नेताजी के एक ढोंगी थे।

दावा क्रमांक 6 : भगवानजी भूमिगत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

एक्स0सी0–1 का अनुशीलन यह भी दर्शाता है कि प्रस्तर 6.3 के प्रस्तर 6.3.1 जिसका शीर्षक ''भौतिक साक्ष्य'' है में यह वर्णित है कि ''सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य जो न्यायालयी दृष्टि से परीक्षित पतिदर्शों से संबंधित बाबा के सामान से प्राप्त हुआ था। ये हैं उनके हस्तलिपियों, अंगुलांकों और उनके डी.एन.ए. जांच हेतु जैविक अवशेषों के प्रतिरूप।

अतः जैसा कि भगवानजी के हस्तलिपि के प्रतिदर्श संबंधित हैं, मैने पूर्व में ही वर्णित कर दिया था कि क्यों वे स्वीकृति के योग्य नहींहैं ।

प्रस्तर 6.3.11, 6.3.12 और 6.3.13 में श्री अनुज धर ने डीएनए विश्लेषण का संव्यवहार किया और कहा था कि मुखर्जी आयोग का निष्कर्ष, कि दॉत से प्राप्त डीएनए नेताजी के पितृ पक्ष और मातृ पक्ष के संबंधियों के साथ नहीं मेल खाता है, का उपरोक्त रिट याचिका में खण्डपीठ के जाँच परिणामों की दृष्टि से योग्यता की अभिस्वीकृति नहीं है, कि वहॉ कोई साक्ष्य नहीं था कि जो बताता कि पाँच दाँत जो राम भवन में पाये गये थे, जिनको गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के डी0एन0ए0 परीक्षण के लिये भेजा गया था, को दाह संस्कार के पश्चात संरक्षित करने वाला व्यक्ति कौन था।

खण्डपीठ के प्रति अगाध सम्मान के साथ, मेरी दृष्टि में, उपरोक्त कारण डी.एन.ए. परिणाम को श्रेय नहीं देने का अधार नही हो सकते हैं। इस संबंध में उक्त रिपोर्ट के पृष्ठों 121 और 122 पर क्रमशः मुखर्जी आयोग के प्रस्तर 4.15.10 और 4.15.11 के साथ मैं सर्वप्रथम संव्यवहृत करना चाहूँगा, जिसे निम्नवत् पढ़ा जाये :

> ''4.15.10. राम भवन में प्राप्त नौ में प्राप्त पाँच दाँतों को नेताजी के पितृ पक्ष और मातृपक्ष के वंशजों से प्राप्त रक्त के प्रतिदर्शों के साथ केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता को दाँत से संबंधित व्यक्ति के अभिज्ञान के सुनिश्चिय हेतु डी.एन.ए. प्रतिचित्रण परीक्षण हेतु भेजा गया था।पाँच में से तीन दाँतों के उपरोक्त परीक्षण के पश्चात डा0 वी0के0 कश्यप, डीएनए विशेषज्ञ और प्रयोगशाला के निदेशक ने विस्तृत रिपोर्ट निम्नलिखित अभिमत के साथ प्रस्तुत की :
>
> रूपांत्मक परीक्षण से और एस.आर.वाई. जीन, एमटी डी.एन.ए. (एचवीएस 1 और एचवीएस2), और अग्रतर प्रर्दशनीय 1–10 में वाई–एस.टी.आर. लोकई के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अग्रेशित–(1 से 4) एकल नर मानव व्यक्ति–(तथाकथित गुमनामी बाबा) से संबंधित हैं। उक्त व्यक्ति के दाँत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के मातृया पितृ पक्ष के डी.एन.ए.की वंशावली से संबंधित नही हैं, अतएव, नेताजी सुभाष चन्द्रबोस के नही हो सकते हैं।

''4.15.11 तत्पश्चात आयोग द्वारा उनका सी.डब्ल्यू.–126 के रूप में जिसमें उनकी रिपोर्ट (एक्स0 222क) प्रदर्शित की गई थी का परीक्षण किया गया था। कुछ अभिसाक्षियों द्वारा उनके बिन्दुओं पर लाने के लिए उनका विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया गया कि उनकेअभिमत में कोई विश्वास नहीं हो सकता, परन्तु उनका प्रयास विफल हो गया। चूंकि रिपोर्ट स्पष्टतया बताती है कि सभी दाँत एकल नर व्यक्ति से संबंधित है औरचूंकिगुमनामी बाबा के अतिरिक्त केवल अन्य व्यक्ति जो उनके साथ रूकते थे वो श्रीमतीसरस्वती देवी शुक्ला थी, पूर्व में उद्धृत डा0 कश्यप द्वारा अभिलिखित नकारात्मक निष्कर्ष प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण के भी प्रतिकूल थे।

इसलिए यहाँ कोई विवाद नहीं है कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की मृत्यु के समय पर केवल अन्य आयुवान व्यक्ति जो उनके साथ राम भवन, फैजाबाद में रहता था, वो श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला थीं, और जैसा की मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तर 4.15.11 के परिशीलन से निष्कर्षित होता है, ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है, मेरी दृष्टि में यह समस्त तथ्यपरक संदेहों से परे प्रमाणित है कि डी.एन.ए. विशेषज्ञ को भेजे गये दाँत गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के थे।

अंततः, यह उल्लेख करना उचित है कि एक अभिलेख (अनुलग्नक–27) जो एक्स0सी–1 का एक भाग है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद की भगवानजी, जो राम भवन, फैजाबाद में रहते थे, 16.09.1985 को अपराह्न 9.40 को मृत्यु को प्राप्त हुए, का गुप्तार घाट, फैजाबाद में 18/09/1985 को अंतिम संस्कार किया गया, जिनके बारे में अनेकों व्यक्ति नेताजी सुभाष चन्द्र बोस होने का विश्वास करते थे, के बारे में जाँच रिर्पोट है, और उक्त रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि समस्त तीन/चार व्यक्ति जो भगवानजी (अन्य नामों का भी वर्णन किया गया है) के साथ घनिष्टता से संबंधित थे, का पुलिस द्वारा गहनता से परीक्षण किया गया था और उनमें से कोई भी भगवानजी तथ्यतः नेताजी थे को लक्षित करने का कोई ठोस प्रमाण देने में सक्षम नहीं था।

जब उपरोक्त तथ्य मस्तिष्क में आते है, तो सी.डब्ल्यू.–3 अनुज धर के दावे, कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, जो अपनी मृत्यु से दो वर्ष पूर्व से राम भवन, फैजाबाद में रहते थे, जहाँ उनकी मृत्यु 16/09/1985 को हुई थी, को स्वीकार करना सुरक्षित नहीं माना जायेगा।

5.3 सी.डब्ल्यू.–4 चन्द्रचूड़ घोष, आयु लगभग 42 वर्ष, पुत्र एन0के0घोष, निवासी–डी–94, रिजवुड एस्टेट, डीएलएफ फेज–4, गुड़गाँव के साक्ष्य निम्नवत् दर्शित हैं :

वर्ष 2004 में जब वे इग्लैण्ड में थे, उनको गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के बारे में जानकारी हुई, कुछ समय पश्चात 2006 में वे अनुज धर सी.डब्ल्यू.–3 के साथ भारत लौटे, गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के अभिज्ञान के बारे में संयुक्त अन्वेषण प्रारंभ किया, मैनें और अनुज धर ने कलकत्ता और फैजाबाद (गुमनामी बाबा

उपाख्य भगवानजी राम भवन, फैजाबाद में 16/09/1985 को मृत्यु को प्राप्त हुए, जहाँ वे प्रायः निवास करते थे) दोनों स्थानों पर बड़ी संख्या में उन व्यक्तियों से संपर्क किया था जो गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के संपर्क में रहे थे, तत्पश्चात उन्होंने केन्द्र सरकार से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की भवितव्यता की जाँच के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एम0के0मुखर्जी आयोग के समस्त अभिलेखों को, जो उनके जाँच के भाग थे का प्रदर्शन करने को कहा था, प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुएं वर्गीकृत अभिलेख थे, उनकी इच्छा के सम्मान में भारत सरकार ने उनको वर्ष 2010 में वर्गीकृत किया, उन्होनें और अनुज धर ने कलकत्ता और फैजाबाद में निवास कर रहे लोगों से, जो उनके संपर्क में आये थे, से गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी से संबंधित अभिलेखों की प्रतियों को अपने अधिकार में लिया, वह और अनुज धर पृथक रूप से न्यायमूर्ति एम0के0मुखर्जी से उन परिस्थितियों के दृष्टिगत् मिले थे जिनमें स्वर्गीय सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु हुई थी।

चन्द्रचूड़ घोष के साक्ष्य अग्रतर दर्शाते हैं कि कलकत्ता और फैजाबाद में निवास कर रहे लोगों से जो गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के संपर्क में थे से और केन्द्र सरकार से प्राप्त अभिलेखों से निष्कर्षित सूचना के आधार पर, वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि **गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के रूप में ज्ञात किये जाने वाले व्यक्ति के सुभाष चन्द्र बोस होने की अत्यन्त प्रबल संभावना थी (प्रमुखता प्रदान की)।**

चन्द्रचूड़ घोष के साक्ष्य अग्रतर यह भी दर्शाते हैं कि उन्होंने और अनुज धर ने सामूहिक रूप से गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के अभिज्ञान के बारे में एक व्यापक अन्वेषण किया था, वह (चन्द्रचूड़ घोष) इच्छुक थे कि उनके और अनुज धर द्वारा विनिर्मित अन्वेषण पत्रों की प्रति को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाये और उक्त अन्वेषण पत्रों को उनके वक्तव्यों के एक भाग के रूप में संव्यवहृत किया जाये तथा आयोग द्वारा इसके साथ अध्ययन किया जाये।

आयोग ने चन्द्रचूड़ घोष के उपरोक्त निवेदन को स्वीकार करते हुए अन्वेषण पत्रों को अभिलेख में लेते हुए इसे एक्स0सी0–2 के रूप में अभिज्ञान हेतु चिन्हित किया था तथा निदेशित किया था कि इसे आयोग द्वारा उनके वक्तव्य के रूप में पढ़ा जायेगा।

अन्ततः, चन्द्रचूड़ घोष ने प्रकट किया था कि वह और अनुज धर अब भी प्रकरण में अन्वेषण कर रहे थे और इच्छुक थे कि यदि तत्पश्चात कुछ उपयोगी सामग्री प्रकाश में आती है तो आयोग को उन्हें उसे प्रस्तुत करने की अनुमति देनी चाहिए।

चन्द्रचूड़ घोष का आयोग द्वारा प्रति–परीक्षण किया गया था और उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये एकमात्र प्रश्न तथा उक्त प्रश्न का उनके द्वारा दिये गये उत्तर का वर्णन निम्नवत् किया गया है–

''प्रश्न– क्या आपको इस तथ्य की कोई व्यक्तिगत जानकारी है कि गुमनामी बाबा उपाख्यभगवानजी और सुभाष चन्द्र बोस एक ही व्यक्ति थे

उत्तर– मेरे को कोई व्यक्तिगत् जानकारी नहीं है कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजीऔर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एक और एक ही व्यक्ति थे परन्तु मेरे अन्वेषण पत्रों के आधार पर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी तथा नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के एक ही व्यक्ति होने की अत्यन्त प्रबल संभावना है।''

मैं सीधे तौर पर उल्लेख करना चाहूंगा कि चन्द्रचूड़ घोष द्वारा लोगों से प्राप्तसूचना कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी सुभाष चन्द्र बोस थे, एक किवदन्ती है, और इस निष्कर्ष को विधिक रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

मैंने सी०डब्ल्यू०–4 चन्द्रचूड़ घोष और उनके तथा सी०डब्ल्यू०–3 अनुज धर द्वारा संयुक्त रूप से तैयार और प्रस्तुत वक्तव्य का अत्यन्त विचारपूर्वक परीशीलन किया है– एक्स०सी०–2।

यद्यपि सी०डब्ल्यू०–3 अनुज धर के साक्ष्यों को संव्यवहृत करते हुए, चूंकि मैंने उनके और सी०डब्ल्यू०–3 अनुज धर द्वारा संयुक्त रूप से तैयार अन्वेषण पत्र पर पहले से ही विमर्श किया है, अतः मुझे इसे पुनः उल्लेखित करने की आवश्यकता अनुभव नही हो रही है।

अपने प्रमुख परीक्षण में चन्द्रचूड़ घोष ने निम्नवत् वर्णित किया है –

''कलकत्ता और फैजाबाद में रह रहे लोग, जो गुमनामी बाबा उपाख्यभगवानजी के संपर्क में थे, से मेरे द्वारा प्राप्त सूचना और केन्द्र सरकार से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, यहाँ पर गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजीके सुभाष चन्द्र बोस होने की अत्यन्त प्रबल संभावना है (बल प्रदान किया गया)।''

प्रति–परीक्षण मैं चन्द्रचूड़ घोष ने निम्नवत् स्वीकारोक्ति की –

''मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि गुमनामी बाबाउपाख्य भगवानजी और सुभाष चन्द्र बोस एक और एक ही व्यक्ति थे, परन्तु मेरे अन्वेषण पत्र के आधार पर मेरा विचार है कि **गुमनामी बाबा उपाख्यभगवानजी तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एक ही व्यक्ति होने की यहां प्रबल संभावना है।(बल प्रदान किया गया)।**

उपरोक्त का परिशीलन दर्शाता है कि चन्द्रचूड़ घोष को कोई व्यक्तिगत जानकारी नहींथी कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एक और एक ही व्यक्ति थे, परन्तु अन्वेषण कार्य के आधार पर उनका विचार था कि यहाँ पर गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस होने की अत्यन्त प्रबल संभावना थी।

चन्द्रचूड़ घोष के दावे कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एक और एक ही व्यक्ति थे, के होने की यहॉ अत्यन्त प्रबल संभावना थी, पर मैने स्वयं उत्कंठित होकरविचार–विमर्श किया था ।

यह ध्यान में आना चाहिये कि जाँच का न्यायिक आयोग (वर्तमान की भांति) अत्यन्त प्रबल संभावना के निष्कर्षों पर नहीं पहुँचा, वे तभी पहुँचते हैं जब कुछ सत्य होने की प्रायिकता की संभावना अत्यन्त उच्च होती है। इस संबंध में स्वर्ण सिंह रत्तन सिंह बनाम पंजाब राज्य (सर्वोच्च न्यायालय का एआईआर 1957 का पृष्ठ 637) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया जाना उपयुक्त होगा, जहॉ सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर 9 में धारित किया है कि संदिग्ध कितना ही प्रबल हो पर साक्ष्य के रूप में कभी नही रखा जा सकता है और प्रस्तर 11 में धारित किया है कि सत्य हो सकता और सत्य होना चाहिए के मध्य तय करने को एक लंबी दूरी होती है तथा अपराध के निष्कर्ष तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक इस पर यात्रा न की गई हो।

उक्त कारणों से, चन्द्रचूड़ घोष सी०डब्ल्यू०–4 के साक्ष्य की गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, तर्कसंगत शंकाओं से परे सिद्ध नहीं है।

5.4. अब मैं श्रीजीत पनिक्कर सी०डब्ल्यू०–5 के साक्ष्यों को ग्रहण करता हूँ। इसके परिशीलन को निम्नवत् दर्शाया गया है –

मिशन नेताजी, जो कि नई दिल्ली में एक अनुसंधान संगठन है, के संस्थापक सदस्य के रूप में उनकी स्थिति के कारण उनकी व्यक्तिगत अनुभूति है कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस होने की अत्यन्त प्रबल संभावना है, वे इस प्रकरण पर विगत् 10 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं और विभिन्न स्त्रोत जिसमें फैजाबाद के वे लोग जो व्यक्तिगत रूप से उनसे मिले और सरकारी स्त्रोतों से गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के बारे में सूचना एकत्र कर रहे हैं, फरवरी, 2016 में उन्होंने फैजाबाद की यात्रा की थी और श्रीमती रीता बनर्जी (स्वर्गीय डा0 टी0सी0बनर्जी जो कि स्वर्गीय गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के व्यक्तिगत चिकित्सक थे, की बहु से मिले थे) जिन्होंने गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी को व्यक्तिगत रूप से देखा था, के बारे में बताया, श्रीमती रीता बनर्जी ने उन्हें बताया कि गुमनामी बाबा ने उनको अभिकथित किया था कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन उन्होंने केन्द्रीय सरकार से गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी से संबंधित सूचनाओं की प्रार्थना अनेकों बार की थी, उनको केन्द्र सरकार से दो प्रतिउत्तर प्राप्त हुये थे, जिनको उन्होंने आयोग के समक्ष इस इच्छा के साथ प्रस्तुत किया था कि उसको उनके वक्तव्य के भाग के रूप में माना जाये।

श्रीजीत पनिक्कर साक्षी भी हुये थे, उनकी धारणा थी कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी से संबंधित कुछ सूचनाये केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य की

अभिसूचना विभाग के पास है और चूंकि उनकी इस तक पहुँच नहीं है, क्योंकि अभिसूचना विभाग सूचना के अधिकार से मुक्त है, आयोग को अभिसूचना विभाग से सूचना मांगनी चाहिए।

श्रीजीत पनिक्कर का प्रतिपरीक्षण आयोग द्वारा किया गया था और प्रतिपरीक्षण के दौरान इन्होंने स्वीकार किया था कि '' **मेरे पास कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, प्रत्युत उस सूचना के आधार पर जो मैने रीता बनर्जी और कुछ अन्यों से संकलित की है, मैने अनुभव किया है कि यहॉ पर गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के सुभाष चन्द्र बोस होने की अत्यन्त प्रबल संभावना है।''(बल प्रदान किया)**

मैने श्रीजीत पनिक्कर और एक्स0सी०–3 तथा सी०–4 के वक्तव्यों का अत्यन्त सावधानी पूर्वक परिशीलन किया। प्रकरण पर अपना उत्कंठित विमर्श देनेके पश्चात, मेरा दृष्टिकोण है कि यहॉ पर कोई वैध साक्ष्य नहीं है, जिसके आधार पर आयोग अभिसाक्षी के दावे के स्वीकार कर सके कि यहॉ पर अत्यन्त प्रबल संभावना थी कि, गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

श्रीजीत पनिक्कर के प्रति–परीक्षण का परिशीलन (मैने इसे पूर्व में उद्धरित किया है) यह दर्शाता है कि उनको कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी कि, गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी सुभाष चन्द्र बोस थे, परन्तु सूचना जो उन्होंने श्रीमती रीता बनजी और कुछ अन्यों से संकलित की थी, के आधार पर उन्होंने अनुभव किया था कि, यहॉ पर गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के सुभाष चन्द्र बोस होने की प्रबल संभावना थी।

चूंकि साक्ष्य जिनके आधार पर श्रीजीत पनिक्कर ने निष्कर्षित किया कि यहाँ पर गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के सुभाष चन्द्र बोस होने की प्रबल संभावना थी,प्रकृति की दृष्टि में किवदन्ती प्रकार के थे और विधि की दृष्टि से शून्य थी, उपरोक्त अनुमान के चित्रण के लिए यह एक वैध आधार नहीं हो सकता था ।

यह उल्लेख करना भी उचित है कि एक्स0 सी०–3 और सी०–4 के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तरों का परिशीलन दर्शाता है कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस होने से संबंधित कोई सूचना उनके पास नहीं थी।

मेरे दृष्टिकोण में, उपरोक्त कारणों से, श्रीजीत पनिक्कर का दावा कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवाजी के सुभाष चन्द्र बोस होने की प्रबल संभावना थी, को यहॉ स्वीकार नहीं किया जा सकता।

5.5 अब मैं अभिसाक्षी सीडब्ल्यू–6 श्यामा चरण पाण्डेय, आयु लगभग 72 वर्ष, पुत्र कृष्ण कांत पाण्डेय, निवासी गाँव और पोस्ट–कैथी, पुलिस थाना–चौबेपुर, जनपद–वाराणसी पर विमर्श का प्रस्ताव करता हूँ। उनके साक्ष्य निम्नवत् दर्शित हैं–

चूंकि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का देहावसान सन् 1977 में देहरादून में हो गया था, अतः गुमनामी बाबा, जो प्रायः राम भवन फैजाबाद में रहते थे और जिनका

अंतिम संस्कार 18/09/1985 को किया गया था, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे।

अभिसाक्षी ने आयोग को एक संकलन दिया, जिसमें बड़ी संख्या में साक्ष्य समाविष्ट थे, जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के साथ उनके साहचर्य को दर्शाते थे और उन्होंने प्रार्थना की थी कि, उक्त संकलन को उनके वक्तव्य के भाग के रूप में माना जाये। आयोग ने अभिसाक्षी की उपरोक्त प्रार्थना को स्वीकार किया था और उक्त संकलन को एक्स0 सी0–5 के रूप में चिन्हित किया था।

उक्त संकलन का अवलोकन दर्शाता है कि इसके सार में लेख्य प्रमाणक (नोटरी) के समक्ष शपथ लिया गया दिनांक 14/09/2016 का एक शपथ–पत्र समाविष्ट है। यह शपथपत्र संकलन का एक भाग है । उक्त शपथ पत्र का एक अवलोकन निम्नवत् दर्शित है–

02 अक्टूबर, 1951 को अकस्मात्, शारदानन्द नाम का एक व्यक्ति ग्राम कैथी में आये, जहाँ वह उनके पिता (स्वर्गीय कृष्ण कांत पाण्डेय) के संपर्क में आये थे, वह ग्राम कैथी में गंगा नदी के किनारे एक गुफा में लगभग ढ़ाई मास के लिए रुके थे, शारदानन्द जी के अनुरोध से, वर्ष 1954 में, उनके पिता ने प्रांतीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया था और अपना अधिकतर समय उनकी सेवा में व्यतीत करते थे, यदाकदा ग्राम कैथी में शारदानन्दजी के आगमन पर लोग कहना प्रारंभ कर देते थे कि शारदानन्दजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से इतर और कोई नहीं है और स्थानीय समाचारपत्रो में यह समाचार सहसा प्रकाशित हुआ था, अकस्मात् 17 फरवरी, 1952 को शारदानन्दजी ने कैथी को छोड़ दिया और अभिसाक्षी के चाचा राधा कांत पाण्डेय (स्वर्गीय) सहित पंजाब को गमन कर गये थे, सन् 1959 में शारदानन्दजी ने कस्बा फलाकाटा, जो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जनपद में स्थित था, में मानवता की उन्नति और देश के उत्थान के उद्देश्य के साथ शोउलमारी आश्रम स्थापित किया था, आश्रम पर लोग बातचीत करते थे कि शारदानन्दजी सुभाष चन्द्र बोस थे, अकस्मात् वर्ष 1966 में शारदानन्दजी ने शोउलमारी आश्रम को छोड़ दिया और डा0 सुरेश चन्द्र पाण्डेय (सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य) निवासी–अमरावती, महाराष्ट्र के साथ उत्तर प्रदेश को गमन कर गये थे, 17 अप्रैल , 1977 को शारदानन्द जी का देहावसान 194, राजपुर रोड, देहरादून में हो गया था, उनके पिता की अनेकों दैनन्दिनियों में समाविष्ट प्रविष्टियाँ प्रबल संशय का कारण है कि शारदानन्दजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, श्री निहारेन्दु दत्त मजूमदार, पश्चिम बंगाल के पूर्व विधि मंत्री, जिन्होंने नेताजी के साथ कार्य किया था, शारदानन्दजी से शोउलमारी आश्रम में मिले थे, उन्होंने उनको बताया था कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अभी तक मृत्यु नहीं हुई थी और जब रचयिता ने उनसे पूछा कि उनके मुक्त रूप से बाहर नहीं आने में क्या बाधा थी, शारदानन्दजी ने उनको बताया कि वह नेहरू और उनके परिवार के सदस्यों के अभिप्रायों को लेकर शंकित रहते थे, सन् 1972 में उनके वाराणसी प्रवास के मध्य, शारदानन्दजी ने अभिसाक्षी द्वारा किये गये प्रश्न के उत्तर में कहा कि सुभाष चन्द्र बोस विमान दुर्घटना में नहीं मरे थे, परन्तु उसके

पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो गये थे, वर्ष 1962–63 में शारदानन्दजी के साथ बैठक के पश्चात, उत्तम चन्द मल्होत्रा, जिनके काबुल के आवास में वर्ष 1941 में नेताजी 46 दिनों तक रहे थे, ने कहा कि शारदानन्दजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, वर्ष 1972–73 में शिव नाथ सिंह मौर्य और डा0 भगवान दास अरोड़ा शारदानन्दजी से वाराणसी में मिले थे और घोषित किया था कि वह सुभाष चन्द्र बोस थे, वर्ष 1962 से 1965 की अवधि के मध्य शिव नाथ सिंह मौर्य ने भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखा थाजिसमें वर्णन किया गया था कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस शोउलमारी आश्रम में रूके थे, राम शंकर सिंह, आयु लगभग 92 वर्ष और विश्राम सिंह आयु 90 वर्ष, जिन्होंने शारदानन्दजी की अनेको वर्षों तक सेवा की थी, का सुनिश्चित विचार था कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, शोउलमारी आश्रम में आजाद हिन्द फौज के एक ब्रिगेडियर शारदानन्दजी से मिलने आये थे, परन्तु वे उनसे मिल नहीं पाये थे, यद्यपि वापस लौटने पर ब्रिगेडियर ने कहा था कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते तो वह उनसे मिलने नहीं आते, यद्यपि शारदानन्दजी प्रायः देहरादून में रूकते थे, कर्नल प्रीतम सिंह, लेफ्टिनेन्ट कर्नल दामोदर भट्ट, उदय सिंह डांगी और उत्तम चन्द्र मल्होत्रा (सभी आजाद हिन्द फौज के) उनकी प्रायः सतत् सहायता करते रहते थे, हस्तलिपि विशेषज्ञ विकास श्रीवास्तव ने शारदानन्दजी और सुभाष चन्द्र बोस की हस्तलिपि की तुलना की थी और मत दिया था कि वे एक ही व्यक्ति थे, और उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभिसाक्षी के शपथपत्र के प्रस्तर 11 में साक्षी हुआ है कि शारदानन्दजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे और गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे।

मैंने शपथपत्र और अन्य अभिलेख जो संकलन का एक भाग हैं मैं उपरोक्त दृढ़कथनों का परिशीलन किया था। उसके परिशीलन से दर्शित होता है कि, प्राथमिक रूप से अभिसाक्षी की धारणा कि, शारदानन्दजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, राम शंकर सिंह, विश्राम सिंह, निहारेन्दू दत्त मजूमदार, उत्तम चन्द्र मल्होत्रा, डा0 भगवान दास अरोड़ा, शिव नाथ सिंह मौर्य और आजाद हिन्द फौज के एक पूर्व ब्रिगेडियर द्वारा प्रस्तुत सूचना से गृहीत की गई थी। मेरी दृष्टि में, उपरोक्त सूचना प्रकृति की दृष्टि से किवदन्ती और विधि की दृष्टि से व्यर्थ है और अभिसाक्षी का निष्कर्ष कि शारदानन्दजी सुभाष चन्द्र बोस थे वैध रूप से अप्रतिरक्षणीय हैं । यह सत्य है कि शपथपत्र का परिशीलन दर्शाता है कि वाराणसी (सन् 1972 में) में प्रवास के मध्य शारदानन्दजी ने अभिसाक्षी से कहा था कि सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी, परन्तु उत्तरकाल में उनकी मृत्यु हो गयी हो सकती है, परन्तु उक्त वक्तव्य नहीं बताता/दर्शाता कि शारदानन्दजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

यह उल्लिखित किया जा सकता है कि यद्यपि हस्तलिपि विशेषज्ञ (उनका अभिमत् संकलन का भाग है) ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और शारदानन्दजी के लेखन में समानता के पर्याप्त आधार पाये हैं और, इस आधार पर, मान लेना कि

शारदानन्दजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का एक गुप्त व्यक्तित्व हो सकता है परन्तुएम0के0मुखर्जी आयोग(इसका गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की तथाकथित अन्तर्धान हो जाने की जाँच के लिए किया गया था) की रिपोर्ट के रूप में अखण्डनीय प्रमाण के रूप में चूंकि उसके पर्यवेक्षण में मैने कोई प्रमाण नहीं पाया है, हस्तलिपि विशेषज्ञों की राय को महत्व न दिया जाये तो शारदानन्दजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे। न्यायमूर्ति एम0के0मुखर्जी ने पृष्ठ संख्या 108, 109, 110 और 111 पर निम्न शीर्षक (तीन) 'देहरादून में मृत्यु', के अधीन संव्यवहृत किया है। मैं विचार–विमर्श को संपूर्ण रूप में उद्धरित कर रहा हूँ :–

''(तीन) देहरादून में मृत्यु''

4.13. यह कथन जिसमें कि दावा किया गया है कि नेताजी की मृत्यु 1977 में देहरादून में हुई थी, उन्होंने एक आश्रम स्थापित किया था जो नाम और कार्यपद्धति से ''शाउलमारी आश्रम''था, जो फलाकाटा में कूचबिहार जनपद में था, जिसकी सीमा बांगलादेश, भूटान और नेपाल से मिलती थी। आयोग के समक्ष उपलब्ध कराई गई सामग्री के अनुसार, इस आश्रम की स्थापना 1959 में या उसके आस–पास एक साधु जिन्हें लोग और उनके शिष्य शारदानन्दजी(एतद्पश्चात उन्हें साधु संदर्भित किया गया है) के नाम से जानते थे। प्रारंभ में किसी ने भी आश्रम और साधु के प्रकरण पर ध्यान नहीं दिया था परन्तु जब इसे भोगौलिक दृष्टि से 100 एकड़ भूमि से ऊपर विस्तृत किया गया, इसके निवासियों की संख्या लगभग 1500 से अधिक बढ़ी और सशस्त्र सुरक्षाकर्मीयों की नियुक्ति की गई थी, तो इस स्थान के आसपास रहने वाले बाह्य लोग साधु के साथ–साथ आश्रम में जाने वालों के वास्तविक अभिज्ञान के बारे में जिज्ञासु हो गये थे।तत्पश्चात कुछ मास के भीतर कूचबिहार जनपद में किवदन्ती प्रसारित हो गयी कि नेताजी आश्रम में साधु के वेश में रह रहे हैं। तथापि इस किवदन्ती ने लोगों के मध्य भारी हलचल उत्पन्न की थी, सामान्य बुद्धिजीवी वर्ग ने बिना किसी प्राधिकृत आधार की पुष्टि के, कि साधु नेताजी थे, किवदन्ती की उपेक्षा की थी । तब भी किवदन्ती दृढ़ रही थी और 1961 में यह संपूर्ण देश में प्रसारित हो गयी थी।

4.13.1किवदन्ती से आकर्षित होकर, नेताजी के एक निकटस्थ सहयोगी मेजर सत्या गुप्ता ने फरवरी, 1962 में साधु से आश्रम में भेंट की थी और कलकत्ता वापस लौटने के पश्चात उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन आहूत किया, जिसमे उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि साधु और कोई नहीं बल्कि नेताजी थे। 13 फरवरी, 1962 के विभिन्न राष्ट्रीय समाचारपत्रों में उनके द्वारा किया गया दृढ़ कथन प्रकाशित हुआ था। तत्पश्चात, कुछ प्रतिष्ठित जनों ने आश्रम की यात्रा की और यह सुनिश्चय के लिए कि वह नेताजी थे या नहीं साधु से मिले थे। वापसी पर उनके (साधु/नेताजी) के अभिज्ञान के संबंध में बिलकुल विपरीत विचारों को उनके द्वारा व्यक्त किया गया था। प्रकरण को भारतीय संसद में भी उठाया गया था और यह चर्चा की विषय वस्तु हो गई थी। साधु आश्रम में कथित रूप से लगभग 6/7 वर्ष तक रूके थे,

तत्पश्चात उन्होंने भारत में अनेकों स्थानों की यात्रा की थी और अंतिम रूप से 1973 में देहरादून में बस गये थे। वहाँ पर सन् 1977 में उनकी मृत्यु हो गयी थी।

4.13.2 प्रश्न कि क्या साधु नेताजी थे या नहीं? क्याप्रकरण खोसला आयोग के समक्ष विचार–विमर्श के लिए आया था? तथापि कुछ व्यक्तियों का दावा था कि साधु और कोई नहीं बल्कि नेताजी थे, अन्य इसे नकारते थे।अभिसाक्षी जिनका आयोग के समक्ष इस प्रकरण पर परीक्षण किया गया था, भी उसी प्रकार अपने विचारों में पृथक–पृथक थे। पूर्ववर्ती आयोग द्वारा प्रासंगिक अभिसाक्षीयों के साक्ष्यों के परीक्षणों के विचार के पूर्व, इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों को भी देखा जाय।

4.13.3 इन ग्यारह अभिसाक्षीयों के परीक्षण की गणना में आठ ने इस कथा को प्रस्तुत किया कि साधु सुभाष चन्द्र बोस से इतर नहीं थे, जबकि तीन अन्य ने दावे को विवादित बताया। आठ अभिसाक्षी जो प्रथम श्रेणी में आते हैं वे हैं– सुधांशु कुमार पोद्दार (सीडब्ल्यू 76), सुधीर कुमार पोद्दार (सीडब्ल्यू 77), ललित मोहन चौधरी (सीडब्ल्यू 78), बिकास चन्द्र गुहा (सीडब्ल्यू 79), सुजीत कुमार विश्वास (सीडब्ल्यू 80), सुभाष रंजन दासगुप्ता (सीडब्ल्यू 85),एस0एस0पाधेय (सीडब्ल्यू 102) और विश्वजीत दत्ता (सीडब्ल्यू 113)। जब उनके साक्ष्यों को अन्य श्रेणी के अभिसाक्षियों के विरूद्ध रखा गया, अर्थात रजत कांति भद्रा (सीडब्ल्यू 81), दीनबंधु दत्ता (सीडब्ल्यू 82) और निखिल चन्द्रा घटक (सीडब्ल्यू 83), पूर्ववर्तियों के साक्ष्यों को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता :–

(एक) अभिसाक्षी जिन्होंने दावा किया था कि साधु नेताजी थे, आश्रम के मात्र सामयिक आंगतुक थे और उन्होंने उनके इस प्रकार के दावे के समर्थन में कोई विश्वसनीय अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया था सिवाय सीडब्ल्यू 79 के जिन्होंने एक पत्र प्रस्तुत किया था जो उनके अनुसार 15 अक्टुबर, 1967 को आश्रम की ओर से उनको चंदा एकत्र/लेने के लिए प्राधिकृत करते हुए साधु द्वारा सौंपा गया था और जब आयोग के अनुरोध पर हस्तलिपि विशेषज्ञों द्वारा नेताजी की प्रविष्ट की गई हस्तलिपि, जो उनके द्वारा पत्र में लिखी गयी थी, का परीक्षण किया गया तो वह नहीं मिली थी, तथा

(दो) सीडब्ल्यू 81, जो प्रायः आश्रम की कथाओं में 1961–1967 के पश्चात दर्शित होते हैं, सीडब्ल्यू 82, जो आश्रम की 1959 में स्थापना के पश्चात से जुड़े हुये थेऔर अभी भी इसके साथ हैं, और सीडब्ल्यू 83, जो जलपाईगुड़ी न्यायालय में एक वरिष्ठ वृत्तिशील अधिवक्ता है तथा जलपाईगुड़ी विधि महाविद्यालय में व्याख्याता भी है और आश्रम से जुड़े/संबंधित वादों को देखते थे, ने स्पष्टतया वर्णित किया कि साधु ने बिना किसी अनिश्चित उपबंधों के मना किया था कि वे नेताजी थे, वह जानकी नाथ बोस और बीवाबाटी बोस के विवाह से उत्पन्न हुये थे, ने स्वीकार किया था कि वह पूर्वी बंगाल (अब बंगलादेश)के एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुये थे और आश्रम में हुई बहुत सारी बैठकों के साथ–साथ बाहरी बैठकों में भी उपरोक्त अस्वीकृति/स्वीकृति को बारम्बार दोहराया था। अन्य अभिसाक्षी द्वारा इसकी संपुष्टि

की गई थी, अर्थात, सीडब्ल्यू 102 एस0एस0पाधेय। निसंदेह, नेताजी का जन्म उड़ीसा राज्य के कटक में एक कायस्थ परिवार में हुआ था।

4.13.4 खोसला आयोग के समक्ष भी कुछ अभिसाक्षियों ने इसी प्रकार का वक्तव्य दिया थाजैसा डा0 पवित्र मोहन राय (केडब्ल्यू 176) और श्री सुरेन्द्र मोहन घोष (केडब्ल्यू 154) के साक्ष्यों से दर्शित होता है, जिनके समक्ष साधु ने कहा था कि वह नेताजी नहीं थे और जानकी नाथ बोस के पुत्र नहीं थे। साधु की नेताजी से आकार, उच्चारण और बोलने की रीति पृथक थी, निहारेन्दु दत्त मजूमदार, जो खोसला आयोग के समक्षअभिसाक्षीक्रमांककेडब्ल्यू 174 के रूप में प्रस्तुत हुए थे, ने कहा था कि साधु नेताजी के सदृश्य नहीं थे और वह पूर्वी बंगाल में सिलहट सीमा की बोली बोलते थे, जबकि नेताजी 24 परगना (पश्चिम बंगाल) के अपने पैतृक आवास के साथ कटक (उड़ीसा) के आदमी थे।''

उपरोक्त के परिशीलन से नितांत स्पष्ट होगा कि मुखर्जी आयोग के समक्ष जब रजत कांति भद्रा (सीडब्ल्यू–81), दीन बंधु दत्ता (सीडब्ल्यू–82) और निखिल चन्द्रा घटक (सीडब्ल्यू–83) ने तथा डा0 पवित्र मोहन राय (केडब्ल्यू–176) और श्री सुरेन्द्र मोहन घोष (केडब्ल्यू –154) ने खोसला आयोग के समक्ष बताया कि साधु ने स्वंय बताया था कि वह नेताजी और जानकी नाथ बोस के पुत्र नहीं थे, यह दर्पण की भांति स्पष्ट है कि श्यामा चरण पाण्डेय (सीडब्ल्यू–6) का दावा कि शारदानन्दजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे का प्रतिपादन तर्कसंगत नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त कारण से, मेरी दृष्टि में श्यामा चरण पाण्डेय के साक्ष्य आत्मविश्वास को जाग्रत नहीं करते हैं।

5.6 अब मैं सीडब्ल्यू–7 श्रीमती रीता बनर्जी, आयु 64 वर्ष, पत्नी स्वर्गीय डा0 प्रिय ब्रत बनर्जी, निवासी 1/13/1, सिविल लाइन, फैजाबाद के साक्ष्यों को लेता हूँ।

प्रमुख तथ्य जो उनके साक्ष्यों से प्रकट होते है निम्नवत् हैं–

सन् 1975 में श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला, जो प्रायः गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की देखभाल करती थी, अपने ससुर स्वर्गीय डा0 टी0सी0बनर्जी के पास आई और उनसे एक सन्यासी (संत) जो अस्वस्थ्य थे, से मिलने हेतु अयोध्या साथ चलने की प्रार्थना की। कुछ मनुहार के पश्चात, डा0 बनर्जी ने अंततोगत्वा उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उनके साथ उस स्थान पर भेंट की। उन्होंने श्रीमती सरस्वती देवी, जिन्हें वे प्रायः जगदम्बा के नाम से पुकारते थे, से एक चटाई लाने को कहा और उन चारों अर्थात अभिसाक्षी, उनके ससुर, उनके पति और उनकी सास को उस पर बैठने को कहा। इनके ससुर को उनका परिचय संत के रूप में दिया गया। तत्पश्चात संत ने अपना चश्मा निकाला और उन्हें बताया 'ठीक से देखो

कहीं में सुभाष चन्द्र बोस तो नहीं'। तत्पश्चात, जब उन्होंने संत की ओर संशय से देखा कि वह सुभाष चन्द्र बोस वास्तविकता में परिवर्तित हो रहे थे। उसके पश्चात उन्होंने बारम्बार संत के पास जाना प्रारंभ कर दिया था। वह (अभिसाक्षी) प्रायः उनके लिए भोजन ले जाती थीं। तथापि, एक वर्ष में दो बार वे संत से नहीं मिल पाते थे उदाहरणार्थ 23 जनवरी (उनके जन्म दिवस) और दुर्गा पूजा के आसपास, क्योंकि उक्त अवसरों पर कलकत्ता के लोग प्रायः उनसे मिलने आते थे। एक दिन उसने (अभिसाक्षी) सुना कि संत ने अयोध्या में लखनऊवा हाता को छोड़ दिया था, जहाँ वे प्रायः रुका करते थे और राम भवन, फैजाबाद में स्थानान्तरित हो गये थे, क्योंकि किसी ने उन्हें बताया था कि बनर्जी परिवार के सदस्यों ने लोगों को बताया था कि वह (गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। लगभग एक से डेढ़ वर्ष के लिए गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी उनसे इतने क्रोधित रहे कि वो उनसे नहीं मिले थे। 29 नवम्बर, 1983 को उनके ससुर की मृत्यु हो गई तब गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी ने श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला (जगदम्बा) के माध्यम से परिवार के सदस्यों को सांत्वना का पत्र भेजा था और स्वर्गीय डा0 बनर्जी से सम्बन्धित मृत्यु के पश्चात के समस्त अनुष्ठानों की पूर्ति के पश्चात मिलने के लिए कहा था। तत्पश्चात वे गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी से राम भवन, फैजाबाद जहाँ उनकी मृत्यु 16/09/1985 को हुई, से नियमित रूप से मिलने आते थे।

अभिसाक्षी ने एक लिखित वक्तव्य प्रस्तुत किया था, जिसे आयोग ने अभिलेख के रूप में लेते हुए इसे एक्स0 सी–6 अंकित किया था और निदेशित किया था कि इसे उनके वक्तव्य के रूप में पढ़ा जायेगा। (लिखित वक्तव्य का अध्ययन दर्शाता है कि इसमें से अभिसाक्षी के प्रतिशब्द को आयोग के समक्ष सेनिकाल दिया गया था)।

श्रीमती रीता बनर्जी की विश्वसनीयता और उनके दावे की गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे,के आंकलन के क्रम में आयोग ने उनका प्रतिपरीक्षण किया था।

प्रश्न कि, 16 सितम्बर, 1985 (गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की मृत्यु की तिथि) और आयोग द्वारा उनके वक्तव्य के अभिलेखन (15/10/2016 को) कि तिथि के मध्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को सिद्ध/संस्थापित करने का उन्होंने क्या प्रयास किया? के प्रतिउत्तर में उन्होंने बताया कि चूंकि भगवानजी नहीं चाहते थे कि उनका अभिज्ञान का उद्घाटन किसी के समक्ष किया जाये, अतः दिनांक 15/10/2016 तक उन्होंने किसी के समक्ष उद्घाटित नहीं किया कि भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

उनके समक्ष आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया अगला प्रश्न था–क्यों वे अब कह रही हैं कि भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे? उन्होंने प्रतिउत्तर दिया कि चूंकि मिशन नेताजी द्वारा गुमनामी बाबा के अभिज्ञान की खोज का गंभीर प्रयास किया जा रहा था और कुछ लोग कह रहे थे कि वह एक ढ़ोंगी थे, अतः उन्होंने आयोग को बताया था कि भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

प्रश्न कि क्या उन्होंने शहनवाज आयोग, खोसला आयोग और मुखर्जी आयोग के समक्ष प्रकटीकरण किया था? उन्होने उत्तर दिया कि मुखर्जी आयोग के समक्ष उन्होंने प्रकटीकरण नहीं किया था परन्तु उनके पति ने किया था।

इस प्रश्न पर कि यदि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी वास्तव में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, तो वे क्यों अपने अभिज्ञान को छुपाते थे? उन्होंने कहा कि यह कुछ प्रकार के दवाब के कारण था।

मैंने श्रीमती रीता बनर्जी के वक्तव्य का अवलोकन किया और उनके द्वारा प्रस्तुत एक्स0सी0–6 के लिखित वक्तव्य के अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन से तथा मैं तीन मुख्य कारणों के अनुपालन से गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, के उनके दावे को स्वीकार नहीं कर सकने के लिए विवश था। प्रथमतः, मेरी दृष्टि में, यदि श्रीमती रीता बनर्जी वास्तव में आश्वस्त थी कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, उन्हें इकत्तीस वर्षों की अवधि का अशुभ मौन को पोषित नहीं करना चाहिए था अर्थात 16/09/1985 (गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की मृत्यु की तिथि) और 15/10/2016(आयोग द्वारा उनके वक्तव्य के अभिलेखन की तिथि) के मध्य इस सम्बन्ध में लोगों को कहना/सूचित करना चाहिए था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। मैं उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि वह इस लिए मौन रहीं थीं, क्योंकि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी अपने अभिज्ञान को गुप्त रखना चाहते थे। मेरी दृष्टि में, यदि यह कारण था, तो उन्हें आयोग के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

द्वितीयतः, उनका अस्वीकार कि पूर्व में स्थापित तीन आयोगों, अर्थात, शाहनवाज आयोग, खोसला आयोग और मुखर्जी आयोगके समक्ष उन्होंने प्रकट नहीं किया (यद्यपि उनके पति ने मुखर्जी आयोग के समक्ष प्रकट किया था),उनकी विश्वसनीयता/सत्यवादिता/भरोसे को आघात पहुँचाता है। मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ 117 के प्रस्तर 4.15.4 के अवलोकन से दर्शित होता है कि श्रीमती रीता बनर्जी का इसके समक्ष सीडब्ल्यू–65 के रूप में परीक्षण किया गया था और उनका दावा इस अवधारणा पर आधारित है कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। मुखर्जी आयोग के अनुसार उनके साक्ष्य, कि क्या गुमनामी बाबा सुभाष चन्द्र बोस थे? के प्रकरण में आयोग की सहायता नहीं करते हैं। मुखर्जी आयोग के समक्ष गवाही में उनका अस्वीकार दर्शाता है कि या तो उनकी स्मृति दुर्बल है या वह विचारपूर्वक इस तथ्य को जो मुखर्जी आयोग के समक्ष प्रकट कर चुकी थीं, को शमित कर रही हैं, क्योंकि वह यह बता चुकी हैं कि इनका विश्वास था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे जबकि वर्तमान आयोग के समक्ष उन्होंने बिना किसी अनिश्चित उपबंधों के प्रकट किया था कि अनेकों अवसरों पर उन्होंने गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी को देखा था/मिली थी और उन्हें पक्का विश्वास था कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। मेरी दृष्टि में, उपरोक्त निष्कर्षों में से कोई भी निष्कर्ष नहीं दर्शाता है कि गुमनामी

बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, अतः उनके दावे को स्वीकार करना असुरक्षित होगा।

तृतीयतः, उनका दावा कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ 121 और 122 के प्रस्तरों 4.15.10 तथा 4.15.11 में उल्लिखित डी0एन0ए0 परीक्षण से मिथ्या सिद्ध हो रहा है।

उपरोक्त दुर्बलताओं के दृष्टिगत, श्रीमती रीता बनर्जी का दावा कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को बिना किसी संशय के अस्वीकृत कर दिया जाये।

5.7 अगले अभिसाक्षी जिनके साक्ष्यों को मैं विचार हेतु प्रस्तावित कर रहा हूँ सीडब्ल्यू–8 प्रोफेसर डा0 दर्शन सिंह तोमर, आयु लगभग 65 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय श्री राम प्रसाद सिंह, निवासी– 9/2/18, टेढ़ी बाजार, अयोध्या, जनपद– फैजाबाद हैं। मुख्य विशेषताएं जो उनके प्रमाण से लक्षित हो रही हैं, निम्नवत् हैं :

सन् 1977–78 में वह अयोध्या में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में वृत्तिशील थे। उस समय पर एक सामयिक पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ, जो बम्बई से प्रकाशित किया गया था, मैं वर्णन किया गया था कि क्या वह व्यक्ति जो अयोध्या में रह रहा था और अपने अभिज्ञान को छुपा रहा था, एक सीआईए का अभिकर्ता था, या एक संत या सुभाष चन्द्र बोस थे। उक्त लेख को पढ़ने पर उनके मस्तिष्क में आया कि उनको उक्त व्यक्ति से मिलना चाहिए। संयोगवश महात्मा सरन, जो अयोध्या में रहते थे और लकड़ी के फर्नीचर के व्यवसाय में लगे थे, एक दिन उनके पास आये और उनसे कहा कि उनको एक रोगी को देखना था। जब उन्होंने महात्मा सरन से कहा कि उनको रोगी को उनके चिकित्सालय में लाना चाहिए, महात्मा सरन ने कहा कि रोगी कहीं भी नहीं जाता और उनको उसका परीक्षण उसके निवास स्थान पर करना होगा। उन्होंने उनसे कहा कि वह उनके शुल्क का भुगतान करेंगे। अपराह्न 9 बजे चिकित्सालय को बंद करने के पश्चात, वे उक्त रोगी के परीक्षण हेतु उसके घर पर गये थे। जब वे वहाँ पहुँचे (लखनऊवा हाता, अयोध्या), उन्होंने महात्मा सरन को पाया। जब उन्होंने घर के द्वार को खटखटाया, एक महिला बाहर आई (उसका नाम जगदम्बा था)। महिला ने उनको बताया कि उस व्यक्ति को बुला रहीं हैं जिसका उनको भगवानजी के रूप में परीक्षण करने जाना था। जब वह द्वार के भीतर प्रविष्ट हुये, उन्होंने पाया कि कक्ष जिसमें भगवानजी बैठे थे, की खिड़की पर एक परदा था। यद्यपि वे कक्ष के बाहर खड़े थे, भगवानजी ने गर्जन वाली ध्वनि में उनसे उनका नाम पूछा। उन्हें बताते हुए उन्होनें कहा कि, वह एक क्षत्रिय थे और उन्होंने किसी अन्याय के विरूद्ध कार्य किया था तथा अन्याय करने वाले व्यक्ति को मार दिया था। तत्पश्चात उन्होंने आदर्शों पर आधे घंटे तक सम्भाषण दिया और लगभग एक घंटे का संसद और विधि तथा व्यवस्था की स्थिति पर भाषण दिया था। भगवानजी से बातचीत के पश्चात वे आश्वस्त थे कि भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। तब वह कक्ष में भगवानजी के परीक्षण हेतु अग्रसर हुए थे। भगवानजी ने नितम्बास्थि में अस्थिभंग

और बवासीर की शिकायत की थी। प्रथमतः उन्होंने सिम्फिटेम और बाद में एसिड नाईट्रिक 200 औषध का निर्देशन किया था। तत्पश्चात, तीन वर्षों तक वह उनके और जगदम्बा की रूग्णता के संबंध में प्रायः भगवानजी से मिलते रहे थे। ऐसे अवसरों पर भगवानजी प्रायः उनसे राजनीतिक और भू–राजनीतिक विषयों पर बातचीत करते थे। भगवानजी अपने देश में आदर्शों के अभाव पर प्रायः शोक भी प्रकट किया करते थे। भगवानजी से समय-समय पर उनके राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभवों पर बातचीत और उनकी गर्जन वाली ध्वनि को सुनने के पश्चात वे आश्वस्त थे कि भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। भगवानजी वर्ष की 23 जनवरी को किसी से भी नहीं मिलते थे।

आयोग द्वारा अभिसाक्षी का प्रति–परीक्षण किया गया था। प्रथम प्रश्न जो उनके समक्ष किया था कि 1977–78 में वो भगवानजी के परीक्षण हेतु गये थेऔर उनका वक्तव्य 15/10/2016 को अभिलिखित किया गया था, 37 वर्षों की अवधि के मध्य आपने भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को सिद्ध करने के लिए क्या किया? उक्त प्रश्न पर अभिसाक्षी ने उत्तर दिया कि 16/09/1985 को भगवानजी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने फैजाबाद के तत्कालीन जनपद मजिस्ट्रेट श्री पाण्डेय सम्पर्क किया थाऔर उनको अपनी जाँच के बारे में बताया था, कि भगवानजी सुभाष चन्द्र बोस थे, के बारे में वह 100 प्रतिशत आश्वस्त थे।

अभिसाक्षी के समक्ष किया गया द्वितीय प्रश्न था कि 1977–78 और जनपद मजिस्ट्रेट के साथ उनकी बैठक के मध्य उन्होंने कौनसे उपाय भगवानजी को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस सिद्ध करने के किये। उक्त प्रश्न पर अभिसाक्षी ने उत्तर दिया कि समाचार माध्यमों को साक्षात्कार देने के अतिरिक्त उन्होंने भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को सिद्ध करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया था।

तृतीय प्रश्न कि क्या उन्होंने सुभाष चन्द्र बोस को देखा था?उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया था। मैं उनके उत्तर को संपूर्ण रूप से उद्धृत कर रहा हूँ :

> ''जी नहीं। मैने पहले कभी सुभाष चन्द्र बोस को नहीं देखा था। मैं उनके चित्र, उनकी आवाज, उनके सामान और उनके आदर्शों की बातों के आधार पर कहता हूँ कि भगवानजी ही सुभाष चन्द्र बोस थे।''

प्रति–परीक्षण में उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया चतुर्थ प्रश्न था कि, क्या यह समझ लिया जाना चाहिए कि 1985–2000 के मध्य उन्होने भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को सिद्ध करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया था। उन्होंने सकारात्मक रूप से निम्न शब्दों में उत्तर दिया था :

> ''जी हाँ। मैनें विशेष प्रयास नहीं किया, लेकिन जो लोग मुझसे पूछते थे, मैं उनकोउपरोक्त बातें बताता रहता था।''

पाँचवां प्रश्न था कि, क्या भगवानजी ने उनको कहा था कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, उन्होंने उत्तर दिया कि प्रत्यक्षतः उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा

था परन्तु वह कहते थे कि नेताजी किसी विमान दुर्घटना में नहीं मरे थे और सरकार उनकी राख का डी0एन0ए0 परीक्षण क्यों नहीं कराती है।

मैंने डा0 दशरथ सिंह के वक्तव्य का सावधानीपूर्वक और विचारपूर्वक परिशीलन किया और मैं उनके दावे कि भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को तीन मुख्य कारणों से स्वीकार करने को तैयार नहीं था।

प्रथमतः, अभिसाक्षी ने निष्कपटता से स्वीकार किया था कि पूर्व में उसने न तो कभी सुभाष चन्द्र बोस को देखा था ना ही भगवानजी ने स्वयं उसे बताया था कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। अभिसाक्षी (प्रश्न क्रमांक–3 के दौरान उनके द्वारा दिये गये उत्तर से जैसा की स्पष्ट है) को उनके चित्र, स्वर, आदर्शो, उनके साथ हुये वार्तालाप और उनके पास पाई गई वस्तुओं से विश्वास था कि भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। मेरी दृष्टि में, उपरोक्त सामग्री से यह निष्कर्ष निकालना खतरनाक/असुरक्षित होगा कि भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

द्वितीयतः, अभिसाक्षी का दावा कि भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, मुखर्जी आयोग के पृष्ठों 121 और 122 के प्रस्तरों 4.15.10 तथा 4.15.11 पर उल्लिखित डी0एन0ए0 परीक्षण द्वारा असत्य सिद्ध हो गया है।

चूंकि मैने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के उक्त प्रस्तर को प्रस्तर 5.2 में अनुज धर (सीडब्ल्यू–3) के साक्ष्यों के साथ संव्यवहार करते हुए उद्धरित किया है, मेरे दृष्टिकोण में उक्त प्रस्तर का पुनः उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

तृतीयतः, अभिसाक्षी का आचरण किसी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। उनके प्रति–परीक्षण का एक अवलोकन और उनके समक्ष रखे गये प्रश्नो का उनके द्वारा दिया गया उत्तर (जिसे में पूर्व में ही निर्दिष्ट कर चुका हूँ) दर्शातें है कि 1977–78 से 16 सितम्बर, 1985(तिथि जब नेताजी की मृत्यु हुई थी) और 1985 से 2000 तक जनपद मजिस्ट्रेट श्री पाण्डेय और अनुज धर से कहने के अतिरिक्त कि, भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, उन्होने भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को स्थापित/सिद्ध करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया था। मेरे दृष्टिकोण में, अभिसाक्षी का यह आचरण अत्यन्त अप्राकृतिक है और उनकी यथार्थता पर संशय उत्पन्न करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनेकों बार माना है कि अभिसाक्षी का आचरण उसकी सत्यनिष्ठा के निर्धारण में और निष्कर्ष पर पहुँचने में, कि क्या उसके साक्ष्य विश्वास को जाग्रत करते हैं या नहीं, मैं अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। मेरे दृष्टिकोण में, यदि अभिसाक्षी आश्वस्त था कि भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, उसे सभी और विभिन्न लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए था तथा इस तरह का मौन धारण नहीं करना चाहिए था।

अभिसाक्षी के आचरण के साथ संयोजित करने पर जब मस्तिष्क में यह आया कि अभिसाक्षी की धारणा कि भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, तथ्यों पर आधारित थी जो उसने वर्ष 1977/1978 में उनके साथ संपर्क में एकत्र की थी और तिथि 16.10.2016 को अर्थात 38–35 वर्षों पश्चात जब उसका परीक्षण आयोग द्वारा

किया गया था, अभिसाक्षी की स्मृति के धुंधलाने की प्रायिकता और कुछ वस्तुओं के बारे में उसकी कल्पना जो उसने भगवानजी के बारे में की हैं को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त कारणों से, मेरे दृष्टिकोण में, प्रोफेसर डा0 दर्शन सिंह की धारणा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को स्वीकार करना असुरक्षित होगा।

5.8 मैं अब सी०डब्ल्यू०—9 रवीन्द्र नाथ शुक्ला, पुत्र स्वर्गीय जगदीश प्रसाद शुक्ला, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी— 867,आवास विकास कालोनी, अमानीगंज, फैजाबाद के साक्ष्य को लेता हूँ। संक्षेप में, उनका साक्ष्य निम्नवत् पढ़ा जाय :

वर्ष 1976—77 में वह प्रायः गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी से मिला करते थे, जो उस समय लखनऊवां हाता, अयोध्या में निवास करते थे। प्रथम बार वह उनसे डा0 वीरेन्द्र राय के साथ मिले थे। जब वे गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी से मिले, उनके द्वारा उनकी जाँच की गई कि वे यहाँ क्यों आये हैं? और उनसे कहा गया कि लोग मुझे सी०आई०ए० का एक अभिकर्ता/नेताजी सुभाष चन्द्र बोस/एक गुप्तचर कहते हैं, जो किसी अन्य देश से भाग गया था। भगवानजी ने उनसे पूछा कि उनके अभिज्ञान के बारे में उनके क्या विचार हैं। इस पर, उन्होंने भगवानजी को बताया कि चूंकि वह एक परदे के पीछे रहते हैं और किसी से भी नहीं मिलते हैं, तो लोगों के लिए यह सोचना स्वभाविक है कि वह या तो एक सी०आई०ए० अभिकर्ता थे या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस या एक गुप्तचर जो किसी अन्य देश से भाग गया था। तत्पश्चात, उन्होंने भगवानजी से मिलना प्रारंभ कर दिया था और उनकी मृत्यु की तिथि 16/09/1985 तक अनवरत् उनसे मिलते रहे थे। अभिसाक्षी ने एक विस्तृत लिखित वक्तव्य इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था, कि इसे अभिलेख में लिया जाय और इसे मेरे वक्तव्य के भाग के रूप में पढ़ा जाये। आयोग ने उक्त लिखित वक्तव्य को अभिलेख में लेकर, उसके अभिज्ञान के लिए उसे एक्स0सी०—7 के रूप में चिन्हित किया था तथा निदेशित किया था कि इसे उनके वक्तव्य के रूप में पढ़ा जायेगा।

रवीन्द्र नाथ शुक्ला का साक्ष्य अग्रतर दर्शाता है कि प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को, जो भगवानजी का जन्म दिवस था और दुर्गा पूजा दोनों में कलकत्ता से लोग प्रायः भगवानजी से मिलने आते थे और वह प्रायः अन्यों के साथ उनके रूकने की व्यवस्था किया करते थे। व्यक्तियों में से एक जो उनसे मिलने आते थे श्री प्रणव मुखर्जी थे, जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। फैजाबाद के 12/13 परिवारों के लोग प्रायः भगवानजी से मिलने आते थे ओर उनमें से एक थे डा0 आर0पी0मिश्रा और उनकी पत्नी। उनकी मृत्यु के 7/8 मास पूर्व, भगवानजी के लिए भोजन प्रायः डा0 आर0पी0 मिश्रा के आवास से आता था। इसके पूर्व माताजी (सरस्वती देवी शुक्ला) प्रायः उनका भोजन पकाती थीं ।

रवीन्द्र नाथ शुक्ला के साक्ष्य अग्रतर दर्शाते हैं कि 16/09/1985 को भोजन ग्रहण करने के पश्चात भगवानजी अकस्मात् अस्वस्थ हो गये और डा0 आर0पी0मिश्रा तथा डा0 बनर्जी द्वारा दी गई चिकित्सीय सहायता के बाद भी उसी रात्रि 9.25 बजे मृत्यु को प्राप्त हो गये थे। भगवानजी की मृत्यु के पश्चात डा0 आर0पी0मिश्रा और श्री अरविन्द सिंह ने कहा कि वे उनकी मृत्यु की सूचना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वायरलैस भेजने की कहकर कलकत्ता भेजना चाहते थे परन्तु यह भाप बनकर उड़ गया जब वे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तक नहीं पहुँच सके। चूंकि यह गर्मी की ऋतु थी और वहाँ पर एक भय था कि भगवानजी का शव सड़ सकता था, 18 सितम्बर, 1985 को भगवानजी का अंतिम संस्कार गुप्तार घाट, फैजाबाद में किया गया था। तत्पश्चात, डा0 आर0पी0 मिश्रा ने गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी की वस्तुओं को उनके मकान से लेना प्रारंभ कर दिया था। इस पर अभिसाक्षी और अन्यों ने आपत्ति की थी और कहा कि जब तक कलकत्ता से लोग नहीं आ जाते (डा0 पवित्र मोहन राय और संतोष भट्टाचार्य प्रायः भगवानजी से मिलने आते थे) भगवानजी की वस्तुओं को नहीं हटाना चाहिए और राम भवन के एक कक्ष में तालाबंद कर दिया जाये। तब राम भवन के एक कक्ष में भगवानजी की वस्तुओं को तालाबंद कर दिया गया था। दिनांक 19/09/1985 को वे डा0 वीरेन्द्र राय के साथ डा0 पवित्र मोहन राय के घर गये, उनसे और उनकी पत्नी से मिले और तत्पश्चात नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के एक चित्र को उनको दिखाया था और उनसे पूछा, क्या यह वह व्यक्ति थे, जो मर गये थे। इस पर उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया। डा0 पवित्र मोहन राय और उनकी पत्नी ने उनको बताया कि वे उनको तब से जानते थे जब वे रंगून में थे। उन्होंने उनसे उनकी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा और कहा कि वे शीघ्र आयेगें। तथापि, जब वे नहीं आये, दूसरी बार वे और डा0 वीरेन्द्र राय, डा0 बनर्जी के साथ कलकत्ता गये और डा0 पवित्र मोहन राय और संतोष भट्टाचार्य से मिले थे, जिन्होंने कहा कि वे आयेंगे परन्तु वे नहीं आये थे। तत्पश्चात उनकी भतीजी लीला राय आई और भगवानजी के वस्तुओं की एक वस्तुसूची बनाई गई थी।

आयोग द्वारा अभिसाक्षी का प्रति–परीक्षण किया गया था। उनके समक्ष यहाँ समस्त 08 प्रश्न रखे गये थे।

उनसे प्रश्न क्रमांक–1 यह था, उनके विचार में भगवानजी कौन थे? उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी दृष्टि में वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

उनसे प्रश्न क्रमांक–2 था, उनके विचार का आधार क्या था? उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी धारणा बातचीत पर आधारित थी, जो वह और अन्य भगवानजी के साथ वर्षों से कर रहे थे और उस चित्र पर भी जो डा0 पवित्र मोहन राय की पत्नी ने उन्हें कलकत्ता में दिखाया था।

उनसे प्रश्न क्रमांक–3 था, आज के पूर्व उन्होनें किसी अधिकारी को अवगत कराया था कि भगवानजी सुभाष चन्द्र बोस थे? साक्षी ने उत्तर दिया कि उन्होंने इस तथ्य को वर्ष 2002–2003 में न्यायमूर्ति एम0के0मुखर्जी आयोग को बताया था।

उनसे प्रश्न क्रमांक–4 था, क्या 16/09/1985 (जिस तिथि को भगवानजी की मृत्यु हुई थी) और वर्ष 2002–2003 के मध्य जब मुखर्जी आयोग ने उनका वक्तव्य अभिलिखित किया था, उन्होंने किसी अधिकारी या किसी अन्य को बताया कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे? उन्होंने उत्तर दिया कि उक्त अवधि के मध्य इस तथ्य को उन्होने किसी को नहीं बताया था।

मैंने रवीन्द्र नाथ शुक्ला के वक्तव्य और उनके द्वारा प्रस्तुत एक्स0सी०–7 के लिखित वक्तव्य का परिशीलन किया था। मैं तीन मुख्य कारणो से समीक्षा करने के लिए विवश था, कि मैने उनकी धारणा कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, में कोई गुण नहीं पाया था।

प्रथमतः प्रश्न क्रमांक–2 में अभिसाक्षी द्वारा दिये गये उत्तर का परिशीलन दर्शाता है कि उनकी धारणा विगत् वर्षों में भगवानजी के साथ हुई बातचीत और चित्र जो डा0 पवित्र मोहन राय की पत्नी ने उनको कलकत्ता में दिखाया था (उन्होंने उनको नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का चित्र दिखाया था) पर आधारित थी। अभिसाक्षी का मुखर्जी जाँच आयोग के समक्ष सी०डब्ल्यू०–61 के रूप में परीक्षण किया गया था और उक्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 115 के प्रस्तर 4.15.2 में पर्यवेक्षित किया है कि वह और कुछ अन्यों ने उसके समक्ष स्वीकार किया था कि उन्होंने गुमनामी बाबा को नहीं देखा था।

मेरी दृष्टि में, चूंकि मुखर्जी आयोग के समक्ष अभिसाक्षी ने स्वीकार किया था कि उन्होंने गुमनामी बाबा को नहीं देखा था, मैं समझने में विफल रहा कि कैसे कलकत्ता में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का चित्र देखकर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

द्वितीयतः, अभिसाक्षी का दावा कि भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ 121 और 122 के प्रस्तर 4.15.10 और 4.15.11 पर उल्लिखित डी0एन0ए0 परीक्षण द्वारा असत्य सिद्ध होता है।

चूंकि, मैंने एम0 के0 मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के उक्त प्रस्तरों को प्रस्तर 5. 2 में उल्लिखित किया था, तथापि अनुज धर (सी०डब्ल्यू०–3) के साक्ष्यों को संव्यवहृत करते हुए, मेरी दृष्टि में, यह आवश्यक नहीं है कि उक्त प्रस्तर का पुनः उल्लेख किया जाये।

तृतीयतः, उसका दावा कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को स्वीकार करने में अभिसाक्षी का आचरण एक गंभीर बाधा है। प्रश्न क्रमांक–4 के उत्तर में जैसा कि पहले देखा गया था कि अभिसाक्षी ने स्वीकार किया था कि गुमनामी बाबा की मृत्यु (यह 16/09/1985 को हुई थी) और मुखर्जी आयोग के समक्ष उनके वक्तव्य(इसका अभिलेखन वर्ष 2002–2003 में हुआ था) के मध्य उन्होंने किसी अधिकारी को कोई वक्तव्य नहीं दिया या किसी को नहीं बताया कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। अभिसाक्षी के रूप में सोलह वर्ष से अधिक का यह मौन अमंगलकारी है और उनके दावे की

प्रमाणिकता,कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, पर गंभीर संशय निक्षेपित करता है।

मेरी दृष्टि में, यदिअभिसाक्षी वास्तव में विश्वास करता था कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, तो उसे इस विश्वास को सबके और विभिन्न लोगों के साथ साझा करना चाहिए था।

यह उल्लिखित किया जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय ने किसी अभिसाक्षी द्वारा अन्य व्यक्तियों को घटना/तथ्य को प्रकट न किये जाने के कारण मात्र क्रमांकित करने हेतु कालातीत हो जाने पर उस अभिसाक्षी पर अविश्वास व्यक्त कियाथा।

मेरी दृष्टि में, उपरोक्त कारणों से, रवीन्द्र नाथ शुक्ला का विश्वास कि, भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को स्वीकार करना सुरक्षित नहीं होगा।

5.9 अगले अभिसाक्षी जिनके साक्ष्य के मूल्यांकन का मैं प्रस्ताव करता हूँ सीडब्ल्यू–10 अशोक टण्डन, आयु लगभग 65 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय नानक चन्द टण्डन, निवासी– 9, एमआईजी, लक्ष्मणपुरी कॉलोनी, फैजाबाद हैं। मुख्य विशेषताएं जो उनके साक्ष्य से प्रकट हो रही हैं वे दुहरे रूप में हैं :–

(क) वह गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी से कभी नहीं मिले थे (प्रति–परीक्षण के मध्य प्रश्न क्रमांक–4 का उत्तर जो उन्होंने दिया से यह स्पष्ट है), और

(ख) परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर, उनका निष्कर्ष है कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

संक्षेप में, अशोक टण्डन के साक्ष्य निम्नवत् दर्शाये गये हैं –

सन् 1985 में वह एक स्थानीय समाचारपत्र के संपादक थे। दिनांक 18/09/1985 को उन्हें समाचार प्राप्त होता है कि एक अज्ञात संत जो राम भवन में रहते थे, की मृत्यु हो गई है और गुप्तार घाट पर उनका गुप्त रूप से दाह संस्कार कर दिया गया है तथा उनके दाह संस्कार तक लोगों को उनका चेहरा देखने की अनुमति नहीं दी गई थी। उनका विचार था कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। उनका समाचार पर विश्वास नहीं था और उन्होंने अपने संवाददाता से इसको प्रकाशित नहीं करने के बारे में पूछा, परन्तु जो सूचना उन्होंने प्राप्त की थी, की दृष्टि में अज्ञात संत के अभिज्ञान के बारे में जाँच प्रारंभ की और निर्धारित क्रम में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। उन्होंने अपने निष्कर्ष को दिनांक 28/10/1985 को एक विस्तृत आलेख में प्रकाशित किया था। उक्त तिथि को नगर मजिस्ट्रेट ने कुछ लोगों (उन समेत) की उपस्थिति में राम भवन के उस कक्ष को, जिसमें अज्ञात संत की वस्तुएं रखी हुई थीं, का ताला खोला था। उन्होंने वहां पाया कि वहाँ साहित्य का विशद् संग्रह था और कुछ अन्य वस्तुएं थी। कुछ दिन पश्चात, 28 अक्टूबर, 1985 को उप–निरीक्षक हरीश चन्द्र सिंह ने गुमनामी बाबा की वस्तुओं की एक वस्तुसूची तैयार की थी जिसमें अंग्रेजी, हिन्दी और बंगला में विशद् साहित्य तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित कागज प्रचुर संख्या में

समाविष्ट थे। तत्पश्चात, ललिता बोस (सुभाष चन्द्र बोस की भतीजी) द्वारा अधिमानित रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों के अनुवर्तन में सत्य नारायण सिंह सत्या, अधिवक्ता को आयुक्त नियुक्त किया गया था और गुमनामी बाबा की वस्तुओं की एक विस्तृत वस्तुसूची उनके 13 महीनों की अनवरत् उपस्थिति में तैयार की गई थी। चूंकि वह (अभिसाक्षी) श्री सिंह से उस समय कनिष्ठ थे, वह श्री सिंह के साथ संपूर्ण समय उपस्थित थे, जिसमें वस्तुसूची तैयार की गई थी। उनके द्वारा देखी गई सामग्री के आधार पर, वह निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुँचे थे :

(1) भगवानजी उर्फ गुमनामी बाबा एक बंगाली थे,

(2) भगवानजी एक उच्च अध्ययन वाले व्यक्ति थे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा युद्ध रणनीति का अच्छा ज्ञान रखते थे,

(3) पाये गये अधिकतर पत्र बंगला और अंग्रेजी में थे। उनमें से पत्र भेजने वाले–प्रोफेसरसमर गुहा, डा0 पवित्र मोहन राय, विश्वनाथ राय, अमल राय, जगजीत दास, आशुतोषकाली, श्रीमती बसन्ती देवी, कौशल किशोर, अमलेन्दु घोष, सुनील कृष्ण गुप्ता, अतुलकृष्ण गुप्ता, त्रिलोक नाथ चक्रवर्ती, साधन चन्द्र दास, शैलेन्द्र कुमार, नन्द लाल चक्रवर्ती, संतोष कुमार भट्टाचार्य, जगत जितेन्द्र, भूप बहादुर, सुरजीत, तरूण कुमार मुखर्जी, मिहिर दास और शैला सेन थे। उनके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त व्यक्तिया तो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा सृजित भारतीय राष्ट्रीय सेना के सदस्य थे या किन्हीं क्रांतिकारी समूहों से संबंधित थे या स्वयंसेवक थे,

(4) उक्त व्यक्तियों और श्रीमती लीला राय (नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की एक प्रबलअनुयायी) के पत्रों के अध्ययन से उनके (अभिसाक्षी) को यह प्रकट हुआ था कि गुमनामीबाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, परन्तु पत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट थाकि उक्तव्यक्तियों द्वारा यहाँ कोई संकेत नहीं था कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

(5) 23 जनवरी को जो गुमनामी बाबा का जन्मदिवस था कलकत्ता से लोग प्रायः मिठाइयों इत्यादि के साथ आते थे और उक्त तिथि को स्थानीय व्यक्तियों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी।

(6) गुमनामी बाबा की वस्तुओं में चीन के साथ युद्ध पर पुस्तकें समाविष्ट थीं तथा उनमेंसे कुछ पर उनकी टिप्पणियां भी सम्मिलित थीं।

(7) पत्राचार और व्यक्तिगत बातचीत दोनों में गुमनामी बाबा को कभी नेताजी सुभाष चन्द्रबोस के रूप में निवेदित नहीं किया गया था। उनको ''श्री चरणेषु'', ''श्रद्धा स्पदेषु'' तथा ''स्वामीजी'' के रूप में संबोधित किया गया था।

(8) लीला राय का गुमनामी बाबा के साथ प्रथम बार संपर्क 1963 में हुआ था जब वेनीमसार, सीतापुर में थे। वे प्रायः उनको आवश्यक समस्त

वस्तुएं उपलब्ध कराया करती थी। एक सूची उनको भेजी गई थी और सूचीयों में से एक में, ''माता और पिता के चित्र'' का वर्णन था(यह वर्णित नहीं था कि किसके माता और पिता), लीला राय ने उनको जानकी नाथ बोस और श्रीमती प्रभावती देवी जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के माता और पिता थे, का चित्र भेजा था। खोसला आयोग के प्रतिवाद के रूप में सुरेश चन्द्र बोस (नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाई) ने ''मृत रिपोर्ट'' के नाम से एक पुस्तकलिखी थी। उक्त पुस्तक की एक प्रति गुमनामी बाबा को भेजी गई थी और प्रति के प्रथम पृष्ठ पर लिखा गया था '' परम् कलनीया देवर चिरंजीवेषु–प्राणाधिक स्नेहआशीर्वाद'' परन्तु ना तो उस व्यक्ति का नाम जिसे यह संदेश भेजा गया था और न हीभेजने वाले व्यक्ति के नाम का वर्णन था। तथापि, जब वस्तुसूची तैयार की जा रही थी, ललिता बोस (सुभाष चन्द्र बोस की भतीजी) ने कहा कि बंगाली में लेखउनकी माता का था,

(9) डा0 पवित्र मोहन राय, जो आजाद हिन्द फौज में एक अधिकारी थे, ने गुमनामी बाबाको लिखा था ''आप बिना किसी भय या अनुग्रह के..... मेरे अभिसूचना अधिकारी हैं,''

(10) विश्वनाथ राय ने गुमनामी बाबा को लिखे एक पत्र में वर्णित किया था ''1923 में उस दिन देशबंधु के साथ वे आये थे और गुमनामी बाबा ने विधान सभा निर्वाचनों के संबंध में एक भाषण दिया था, तब उन्होंने निर्णय किया था कि वे उनके गुरू थे।''

(11) एक छोटी पर्ची पाई गई थी जिसमें बंगला में यह वर्णित था ''हरीरपुरार थीकेवेलिंगअन स्क्वायर पोरजोन्टो जा छोटे चिल्लो ता जोड़ी ना घोट्टो ताहोनो जीबान्ताहायतो आनयोडिके मोर नितो'' (अंग्रेजी में इसका तात्पर्य था कि हरीपुरा और वेलिंगटन के मध्य जो घटित हुआ था यदि वह घटित नहीं होता तो जीवन एक भिन्न दिशा मेंचला गया होता)। हरीपुरा में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप मेंचुने गये थे और वेलिंगटन में उन्होंने उक्त पद से इस्तीफा दे दिया था।

अशोक टण्डन के साक्ष्य दर्शाते हैं कि उपरोक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के दृष्टिगत् उनका विश्वास था कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे ।

श्री अशोक टण्डन ने एक लिखित संकलन, गुमनामी बाबा पर एक पुस्तक और एक पुस्तक जिसे गंगा पत्रिका कहा जाता है को इस निवेदन के साथ कि उनको अभिलेख में लिया जाय तथा उसके घटकों को यहाँ उसके वक्तव्य के रूप में पढ़ा जाये, को भी प्रस्तुत किया था। आयोग ने अभिसाक्षी की प्रार्थना को स्वीकार किया था, उपरोक्त अभिलेखों को अभिलिखित कर उनको अभिज्ञान हेतु एक्स0सी–8, सी–9 और सी–10 के रूप में चिन्हित किया था, और निदेशित किया था कि इसके घटकों को अभिसाक्षी के वक्तव्य के भाग के रूप में पढ़ा जायेगा।

आयोग द्वारा श्री अशोक टण्डन का प्रति–परीक्षण किया गया था।

प्रथम प्रश्न में उनसे पूछा गयाकि, गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी उनके विचार में कौन थे? उन्होंने उत्तर दिया कि उनका विवेचन दर्शाता है कि जो सभी लोग गुमनामी बाबा के संपर्क में आये का उन्होंने उनके सुभाष चन्द्र बोस होने के बारे में सोचा था और समस्त पत्रों और साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि वो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

दूसरे प्रश्न कि उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए वहाँ कोई अतिरिक्त आधार था? उन्होंने उत्तर दिया कि समाज में वहाँ पर एक सामान्य विश्वास था कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, और उनके अनुयायियों का आचरण पहले गोपनीयता बनाये रखना और बाद में यह कहना कि वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि गुमनामी बाबा सुभाष चन्द्र बोस थे।

प्रश्न क्रमांक–3 जो इस प्रकार था कि क्या किसी ने उनको सूचित किया था कि गुमनामी बाबा सुभाष चन्द्र बोस थे। उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक पत्रकार थे और उन्होनें पत्रकारिता की नीति का पालन किया और उन्होंने समय–समय पर अपने लेखों और पुस्तकों में इस निष्कर्ष का उल्लेख किया था। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने मुखर्जी आयोग के समक्ष गवाही दी थी, गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी के अभिज्ञान की खोज के संबंध में उसके पास आने वालों की सहायता की थी तथा गुमनामी बाबा के लेखन के प्रतिदर्श एक नवोदित पत्रकार अनुज धर को दिये थे, जो हस्तलिपि विशेषज्ञ श्री लाल को भेजे गये थे, जिन्होंने सकारात्मक रिपोर्ट दी थी और इसकी एक प्रति उन्हें भेजी थी ।

उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रश्न क्रमांक–4 इस प्रकार था कि क्या वह कभी गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी से मिले थे? इसके प्रतिउत्तर में उन्होंने दृढ़तापूर्वक उनसे मिलने को अस्वीकार किया था।

मैनें श्री अशोक टण्डन के वक्तव्य और उनके (एक्स0सी–8,सी–9 और सी–10) द्वारा प्रस्तुत प्रलेखी साक्ष्यों का परिशीलन किया था और मेरे दृष्टिकोण में उनका यह निष्कर्ष कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे को स्वीकार करना असुरक्षित होगा। जैसा कि पूर्व में देखा गया था, उन्होनें निष्कपटता से स्वीकार किया था कि वो उनसे कभी नहीं मिले थे और उनका निष्कर्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। तीन कारणों से मैं उनके निष्कर्ष को स्वीकार करने को प्रवृत्त नहीं हूँ।

प्रथमतः, उनका दावा कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ 121 और 122 के प्रस्तर 4.15.10 और 4.15.11 में उल्लिखित डी0एन0ए0 परीक्षण द्वारा असत्य सिद्ध होता है।

चूंकि, मैनें मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के उक्त प्रस्तर 5.2 को अनुज धर (सीडब्ल्यू–3) के साक्ष्यों के साथ संव्यवहार में संपूर्ण रूप में उद्धरित किया है, मेरी दृष्टि में, उक्त प्रस्तरों को पुनः दर्शाना आवश्यक नही है।

द्वितीयतः, श्री अशोक टण्डन के वक्तव्य का अवलोकन यह दर्शाता है, कि उनकी धारणा कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, व्यापक रूप से उनके द्वारा अन्यों से निष्कर्षित सूचना पर आधारित है। मेरी दृष्टि में, इस प्रकार की सूचना 'किवदन्ती साक्ष्य' की श्रेणी में आती है, जो विधि की दृष्टि में शून्य है, और यह कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, का निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं हो सकती है।

तृतीयतः, अभिसाक्षी का यह दावा कि, राम भवन, फैजाबाद से प्राप्त कुछ पत्रों और पुस्तकों का संबंध नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से था, यह तार्किक अनिवार्यता के रूप में आता है कि राम भवन, फैजाबाद में जो व्यक्ति रहता था वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे को, पूर्व में उल्लिखित डी0एन0ए0 रिपोर्ट की दृष्टिगत् स्वीकार नहीं किया जा सकता। अन्यथा भी, राम भवन, फैजाबाद से प्राप्त कुछ पत्र और पुस्तकें ही केवल सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित हैं, इसका यह तात्पर्य नही कि वे सुभाष चन्द्र बोस थे जो वहॉ रहते थे। उनका पुनरूज्जीवन वहॉ निवास कर रहे अन्य व्यक्ति के अवनिश्चय के सुसंगत भी है। विधि में यह सुस्थापित है कि कोई सुसंगतता केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर विस्तारित हो सकती है, यदि चार अवश्यकताओं को पूरा किया गया हैः

(एक) परिस्थितियां दृढ़ता से सुस्थापित हैं,

(दो) वे बिलकुल सही रूप से निकाले जाने वाले निष्कर्ष का मार्गदर्शन करें,

(तीन) वे किसी अन्य निष्कर्ष के साथ, पूर्णतः असंगत नहीं हैं,

(चार) वे किसी अन्य तर्कसंगत परिकल्पना पर व्याख्यायित नहीं किये जा सकते हैं।

मैंने पर्यवेक्षण में कोई विश्वास निर्मित नहीं किया कि, यदि उपरोक्त चार आवश्यकतायें हैं, कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य जिस पर अभिसाक्षी अपने निष्कर्ष कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे पर आधारित है, स्पष्टतया अपर्याप्त है।

अभिसाक्षी के साक्ष्यों से पृथक होने के पूर्व, मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि यद्यपि हस्तलिपि विशेषज्ञ श्री लाल ने गुमनामी बाबा के हस्तलिपि के प्रतिदर्शो पर एक सकारात्मक रिपोर्ट दी थी, जो अभिसाक्षी ने श्री अनुज धर को दिये थे, जिन्होंने बदले में उन्हें श्री लाल को भेजा, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट की एक प्रति अभिसाक्षी को भी भेजी थी, उक्त रिपोर्ट के तथ्य कि हस्तलिपि के प्रतिदर्श नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के थे, को निर्णयात्मक साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि तीन अन्य विशेषज्ञ, अर्थात, श्री अमर सिंह, श्री एम0एल0 शर्मा और श्री एस0के0 मण्डल, जिनका मुखर्जी जाँच आयोग द्वारा परीक्षण किया गया था, के विचार विरोधाभासी थे। इस पक्ष का संव्यवहार न्यायमूर्ति एम0के0 मुखर्जी जाँच आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 121 के प्रस्तर 4.15.9 पर किया है। मैं संपूर्ण रूप से उक्त प्रस्तर को उल्लिखित कर रहा हूँ :

''विशेषज्ञों की रिपोर्टें जिसमें 'राम भवन' में पाई गयी कुछ पुस्तकों और पत्रिकाओं मेंप्राप्त हस्तलिपियों को नेताजी की स्वीकृत हस्तलिपि के साथ तुलना के लिए भेजा गयाथा, तत्वतः भिन्न थीं। उनमें से एक अर्थात, श्री बी0 लाल, संदेहास्पद अभिलेखों के पूर्व सरकारी परीक्षक, नई दिल्ली (सीडब्ल्यू–119) ने दृढ़ अभिमत व्यक्त किया है दोनोंहस्तलिपियां (बंगाली और अंग्रेजी) नेताजी की थी, श्री अमर सिंह और श्री एम0एल0शर्मा (सीडब्ल्यू121) संदेहास्पद अभिलेखों के सरकारी परीक्षक कार्यालय, भारतसरकार, शिमला,जिन्होंने संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तथा विधि विज्ञानप्रयोगशाला, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता केडा0 एस0के0मण्डल (सीडब्ल्यू–120) ने एक प्रतिकूल रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस प्रकार के विरोधाभासी विचार और नेताजी कीहस्तलिपि से सुपरिचित किसी व्यक्ति से कोई साक्ष्य कि प्रश्नगत हस्तलिपियां नेताजी की थीं, इस संबंध में दिये गये मौखिक पाठकथन की सुरक्षित स्वीकृति में एक अन्य बाधा है।''

मेरी दृष्टि में, उपरोक्त कारणों से, अशोक टण्डन की धारणा कि भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को स्वीकार करना सुरक्षित नही होगा।

5.10 अगले अभिसाक्षी जिनके साक्ष्य के विश्लेषण का मैं प्रस्ताव करता हूँ,सीडब्ल्यू–11 अयोध्या प्रसाद गुप्ता, आयु लगभग 90 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय सूरज लाल, निवासी ग्राम–जैनाग्रा, डाक घर–बरगॉव, जनपद–गोण्डा हैं। संक्षेप में उनके साक्ष्य को निम्नवत् दर्शाया गया है –

वह सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज (भारतीय राष्ट्रीय सेना) में एक सैनिक थे, फारमोसा में उनके विमान दुर्घटना की कहानी असत्यता का एक जाल है और वर्ष 1945 में जापानीयों ने नेताजी को उनके सामान के साथ सुरक्षित रूप से रूस में छोड़ दिया था। पण्डित नेहरू दो बार उनसे रूस में मिले थे और भारत आने को कहा था। वर्ष 1965–1970 के मध्य, नेहरू के आदेश पर नेताजी भारत आये थे, वह (नेताजी) शोउलमारी आश्रम में रूके थे, जहॉ 1966 में साक्षी उनसे मिला था। वर्ष 1970–1972 के मध्य वह नैमिषारण्य में रूके थे, जहाँ अभिसाक्षी उनसे दूसरी बार मिला था।वर्ष 1972–1979 के मध्य वह बस्ती में राजा साहब के बंगला परिसर में रूके थे। वर्ष 1980–1982 के मध्य वह लखनऊवा कोठी, अयोध्या में रूके थे। वर्ष 1982–1985 के मध्य वह राम भवन, सिविल लाइन, फैजाबाद में रूके थे, जहॉ 16/09/1985 को अपराह्न 6.00 बजे उनका निधन हो गया था। प्रति वर्ष 23 जनवरी को उनका जन्म दिन मनाया जाता था, उस तिथि को वे प्रायः आजाद हिन्द फौज के गणवेश को धारण करते थे और ध्वजारोहण करते थे, उक्त तिथि को उनके परिवार के सदस्य प्रायः उनसे मिलने कलकत्ता से आते थे तथा निर्धनों में मिठाइयां और कपड़ें वितरित करते थे। मात्र सरस्वती देवी शुक्ला जिन्हें गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी जगदम्बा कहते थे, प्रायः उनके साथ रूकती थीं, वे समस्त घरेलू कार्य करती थीं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थीं।

अभिसाक्षी के साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस उर्फ गुमनामी बाबा से राम भवन में मिला थे, जिन्होंने तत्क्षण उन्हें पहचान लिया था। उनके साक्ष्य अग्रतर दर्शाते हैं कि नेताजी राजनीति को नीच कृत्य मानते थे और किसी राजनीतिक पद को लेने के उनके सुझाव को उन्होनें अस्वीकार कर दिया था।

अभिसाक्षी का आयोग द्वारा प्रति–परीक्षण किया गया था।

प्रश्न क्रमांक–1 के उत्तर में जब उनसे यह पूछा गया कि जब वे प्रायः नेताजी से मिलते थे तो क्या बातचीत वे उनसे करते थे, उन्होंने उत्तर दिया कि वे प्रायः उनसे राजनीति में सम्मिलित होने को कहते थे, परन्तु नेताजी प्रायः उनसे कहते थे ''अब मुझे योग करना है और भगवत भजन करना है''।

प्रश्न क्रमांक–2 की प्रतिक्रिया में दिया गया उत्तर, पूर्व में मुखर्जी आयोग के समक्ष दिया गया था, उसमें उनसे पूछा गया था कि क्या उन्होनें किसी अधिकारी/संगठन को बताया था कि भगवानजी उर्फ गुमनामी बाबा सुभाष चन्द्र बोस थे, उन्होंने उत्तर दिया कि अनेको बार उन्होंने जनपद मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को इसके बारे में बताया था, परन्तु उनके दावे के पक्ष में उनके पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंनेइन तथ्यों का वर्णन किया था।

प्रश्न क्रमांक–3 के उत्तर में उनसे पूछा गया था कि किस वर्ष में उन्होंने पुस्तक लिखी थी, उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने इसे 1986 में लिखी थी, क्योंकि नेताजी ने उन्हें उनके बारे में पुस्तक लिखने को निर्देशित किया था (जिसका वृहद स्तर पर वितरण किया जाना चाहिए था)। उन्होंने यह भी बताया कि नेताजी ने उनसे, यदि संभव हो, उन(नेताजी) पर एक चलचित्र बनाने के लिए भी कहा था।

उनसे जब अंतिम प्रश्न यह पूछा गया कि चूंकि नेताजी निडर व्यक्ति थे, तो उन्होंने भारत लौटने पर अपने अभिज्ञान को क्यो छुपाया, तो उन्होंने बताया कि पंडित नेहरू और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक अनुबंध था (जो 2002 तक वैध था) कि मृत या जीवित नेताजी को ब्रिटिश सरकार को सौप दिया जाना चाहिए।

मैनें अयोध्या प्रसाद गुप्त के वक्तव्य का उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनांकः 28/06/2016 द्वारा सृजित किये गये आयोग की पृष्ठभूमि के विचारार्थ विषय का परिशीलन किया था। उपरोक्त अधिसूचना का परिशीलन, जैसा कि पूर्व में देखा गया था, यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आयोग को गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी जो अपनी मृत्यु के पूर्व राम भवन, फैजाबाद में रहते थे, जिनका दाह संस्कार 18/09/1985 को किया गया था, कि मृत्यु के पूर्व की पहचान की खोज का निर्देश दिया था। अभिसाक्षी का दावा कि, गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी जो राम भवन, फैजाबाद में 1982–1985 के मध्य रहे थे (जहाँ उनकी मृत्यु 16/09/1985 को हुई थी), नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को स्वीकार किये जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि यह मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ 121 और 122

के प्रस्तरों 4.15.10 तथा 4.15.11 में डी0एन0ए0 परीक्षण द्वारा असत्य सिद्ध हो चुका है।

चूंकि मैनें अनुज धर (सीडब्ल्यू–3) के साक्ष्य पर विचार के साथ मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के उक्त प्रस्तरों को प्रस्तर 5.2 में उल्लिखित किया है, अतः मेरी दृष्टि में, उक्त प्रस्तरों को पुनः उद्धृत करना आवश्यक नही है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अयोध्या प्रसाद गुप्ता एक सत्यवादी अभिसाक्षी नहीं है। उनके बारे में इस टिप्पणी का मुझे कोई खेद नहीं है। वक्तव्य में, उन्होंने निष्कपटता से कहा कि उन्होंने मुखर्जी आयोग के समक्ष कलकत्ता में साक्ष्य दिये थे। मैनें मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट का अवलोकन किया और पाया कि उसमें उनके साक्ष्य के बारे में कोई वर्णन/चर्चा नहीं है। मैनें मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के परिशिष्ट क्रमांक–1 का भी अवलोकन किया, जिसमें आयोग द्वारा परीक्षण किये गये अभिसाक्षियों की एक सूची समाविष्ट है। इसका अवलोकन दर्शाता है कि, आयोग द्वारा 131 अभिसाक्षियों का परीक्षण किया गया था तथा अयोध्या प्रसाद गुप्ता का नाम सूची में अंकित नहीं है।

एक बार यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है कि, अयोध्या प्रसाद गुप्ता का मुखर्जी आयोग के समक्ष परीक्षण नहीं किया गया था, तब यह स्पष्ट है कि 16/09/1985 (गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी की मृत्यु की तिथि) और 25/10/2016 (तिथि जब इस आयोग द्वारा परीक्षण किया गया था) के मध्य उन्होंने किसी प्राधिकारी को कोई वक्तव्य नहीं दिया था कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। चूंकि अभिसाक्षी का सत्य के प्रति कोई सम्मान नहीं है, अतः मैं इस उनके दावे को स्वीकार करने को प्रवृत्त नहीं हूँ कि, उन्होंने मौखिक रूप से इस तथ्य को जनपद मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को बताया था तथा इसके बारे पुस्तक में वर्णन किया था। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने आयोग के समक्ष अपनी पुस्तक की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की।

सर्वोच्च न्यायालय ने अनेकों अवसरों पर कहा है कि, किसी अभिसाक्षी द्वारा किसी घटना/तथ्य का यथेष्ट समय तक प्रकटीकरण न करने से किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। मेरी दृष्टि में, यदि अभिसाक्षी वास्तव में आश्वस्त था कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, तो उसे इस तथ्य के बारे में सभी और विविध को बताना चाहिए था। मैने अयोध्या प्रसाद गुप्ता के वक्तव्य में संभाव्यताओं के साथ अनुरूपता नहीं पाई, जो किसी अभिसाक्षी की विश्वसनीयता को मापने के लिए चिरप्रचलित मापदण्ड है। प्रति–परीक्षण में एक स्थान पर अभिसाक्षी ने कहा कि जब उन्होंने नेताजी से कोई पद ग्रहण करने को कहा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि ''अब मुझे योग करना है और भगवत् भजन करना है''। अगर यह सत्य था तब मेरी दृष्टि में नेताजी को उनसे उन(नेताजी) पर चलचित्र बनाने को कदापि नहीं कहना चाहिए था। नेताजी स्वयं पर चलचित्र बनाने को कहने के आरोपी हैं, क्या संभव है?

पुनः, अभिसाक्षी का दावा कि प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी प्रायः आजाद हिन्द फौज का गणवेश धारण करते थे और ध्वजारोहण करते थे, स्वीकार करने के योग्य नही है, क्योंकि न केवल किसी अन्य अभिसाक्षी ने इसके बारे में कहा है, परन्तु अधिकतर सुसंगत साक्ष्य जो आयोग के समक्ष आये वह यह हैं कि, गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी प्रायः लोगों से आमने–सामने बात नहीं करते थे। वे प्रायः कक्ष के अंदर से बात करते थे, जिसमें एक खिड़की होती थी, जिसमें एक परदा होता था और व्यक्ति जिनसे उनको बात करनी होती थी,खिड़की के दूसरी ओर होते थे। यदि इस प्रकार का पूर्वोपाय जो गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी अपने अभिज्ञान को गुप्त रखने में करते थे। मेरी दृष्टि में, यह हास्यास्पद प्रतीत होता है कि, वह अपने जन्म दिन पर आजाद हिन्द फौज के कपड़ों को धारण करते थेऔर तब ध्वजारोहण करते थे।

सम्पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूँ कि अयोध्या प्रसाद गुप्ताऐसे अभिसाक्षी हैं, जो सत्य का तनिक भी सम्मान नहीं करते हैं। वे उर्वर कल्पना के धनी है, और उनके वक्तव्य में सत्य से असत्य को तथा वास्तविकता से कपोल–कल्पना को छानना असंभव है। मेरी दृष्टि में, इस प्रकार के अभिसाक्षियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

मेरी दृष्टि में उपरोक्त कारणों से, अयोध्या प्रसाद गुप्ता की इस धारणा को कि, भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को स्वीकार करना सुरक्षित नहीं होगा।

5.11 आयोग के समक्ष उपस्थित होने वाले अगले अभिसाक्षी सीडब्ल्यू–12 कृष्णा कुमार, आयु लगभग 33 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय ननकू राम यादव, निवासी एएच 3/7, आम्रपाली योजना, दुबग्गा पावर हाउस के समीप, लखनऊ थे। उनके साक्ष्य निम्नवत् हैं–

मेरी समझ में गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे परन्तु दिनांक 18/09/1985 को जो शव जलाया गया था वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का नहीं था। उन्होंने कहा कि उक्त चीजों का लिखित संकलन में उल्लेख किया था और अभिलेख में लिये जाने की तथा उनके साक्ष्य के भाग के रूप में उन्हें पढ़े जाने की प्रार्थना की थी।

आयोग ने अभिसाक्षी की प्रार्थना को स्वीकार कर, उक्त संकलन को अभिलेख में लेकर, अभिज्ञान के लिए एक्स0सी–11 के रूप में चिन्हित किया था, तथा निदेशित किया था कि इसे वक्तव्य के भाग के रूप में पढ़ा जायेगा।

एक्स0सी–11 का परिशीलन दर्शाता है कि अभिसाक्षी ने राम भवन में उस कक्ष से जिसमें गुमनामी बाबा अपनी मृत्यु के पूर्व प्रायः रहा करते थे, से विशद् संख्या में प्राप्त पुस्तकों और वस्तुओं आदि के विवरण से निष्कर्ष निकाला था कि, गुमनामी बाबा सुभाष चन्द्र बोस थे।

मैं भयभीत हूँ कि केवल इन परिस्थितियों से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकताकि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस उस कक्ष में रहते थे जिससे उक्त वस्तुएं प्राप्त

की गई थीं। उक्त प्राप्तियां इस अनुमान के साथ समान रूप से संगत है कि कोई और कक्ष में रहता था, जिससे उपरोक्त वस्तुओं की प्राप्ति की गई थी।

अभिसाक्षी का यह दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी, जो 1982–1985 के मध्य (जहाँ उनकी मृत्यु 16/09/1985 को हुई थी) राम भवन, फैजाबाद में रहते थे, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। क्योंकि मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ 121 तथा 122 के प्रस्तरों 4.15.10 और 4.15.11 में निर्दिष्ट डी0एन0ए0 परीक्षण द्वारा यह असत्य सिद्ध हुआ है।

चूंकि मैंने अनुज धर (सी०डब्ल्यू०–3) के साक्ष्यों पर विचार करते समय मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के उक्त प्रस्तर को प्रस्तर 5.2 में उल्लिखित किया है, मेरी दृष्टि में उक्त प्रस्तर को पुनः दर्शाना आवश्यक नहीं है।

मैं अभिसाक्षी के वक्तव्य पर विश्वास करने को प्रवृत्त भी नहीं हूँ कि जो शव 18/09/1985 को जलाया गया था वह गुमनामी बाबा का नहीं था, जिनको अभिसाक्षी सुभाष चन्द्र बोस मानता था, क्योंकि प्रचुर साक्ष्य जो आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये वह बताते है कि जिस शव का दाह संस्कार 18/09/1985 को किया गया था वह गुमनामी बाबा का था।

वास्तव में, कृष्ण कुमार के साक्ष्य पर इसलिए विचार नहीं किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की दिनांक 28/06/2016 की अधिसूचना, जिसके द्वारा आयोग का गठन किया गया था बताती है कि यह गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी, जो अपनी मृत्यु के पूर्व राम भवन, फैजाबाद में रहते थे और जिनके मृत शरीर का दाह संस्कार 18/09/1985 को किया गया था, के अभिज्ञान की गवेषणा करेगी, परन्तु उनके वक्तव्य से निष्कर्ष निकलता है कि जिस शव को दिनांक 18/09/1985 को जलाया गया था, वह गुमनामी बाबा का नहीं था। उपरोक्त कारणों से, मैं कृष्ण कुमार का दावा, कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को स्वीकार नहीं करता हूँ।

5.12 अगले अभिसाक्षी जिनके साक्ष्य के आकलन का मैं प्रस्ताव करता हूँ सीडब्ल्यू–13 राकेश श्रीवास्तव, आयु लगभग 43 वर्ष, पुत्र कैलाश बिहारी, पौत्र महान देशभक्त राम स्वार्थ लाल, निवासी मकान संख्या–14/60,यमन सहारा एस्टेट, जानकीपुरम, लखनऊ हैं। उनका साक्ष्य निम्नवत् दर्शाया गया हैं–

उनके दादा राम स्वार्थ लाल आजाद हिन्द फौज में लेफ्टिनेन्ट थे और बस्ती जनपद में पाथखौली गाँव के निवासी थे, जहाँ तक उनकी स्मृति जाती है, जब वह लगभग 10/12 वर्ष की आयु के थे, वे प्रायः पाथखौली जाते थे, पाथखौली में कभी–कभी उनके दादा के स्थान पर, वे प्रायः 4/5 लोगों को देखा करते थे, जो अयोध्या से आते थे और संतों जैसे दिखाई देते थे, वे शांत स्वभाव के होते थे और किसी से बात नहीं करते थे। उनका उनके दादा राम स्वार्थ लाल से संपर्क था। उनके दादा राम स्वार्थ लाल प्रायः कभी–कभी अयोध्या जाते थे और उनके साथ रूकते थे। जब उन्होंने उनके बारे में अपने दादा से पूछताछ करनी चाही तो उन्होंने

कोई सूचना नहीं दी, जब वह और परिवार के सदस्य दादा से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में पूछताछ करते तो वे कहा करते थे कि वह जीवित हैं, परन्तु वह कहाँ हैं, के बारे में नहीं बता सकते।

उपरोक्त तथ्यों से, अभिसाक्षी ने निष्कर्ष निकाला कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

अभिसाक्षी ने यह भी कहा कि, चूंकि सुभाष चन्द्र बोस के परिवार के सदस्य, जो प्रायः कलकत्ता में रहते थे, नेहरू के निकटस्थ थे, किन्तु सुभाष चन्द्र बोस प्रायः उत्तर प्रदेश में निवास करने को वरीयता देते थे।

मैंने अभिसाक्षी के वक्तव्य का अवलोकन किया था और मेरी दृष्टि में अभिसाक्षी के निष्कर्ष के लिए यहाँ कोई विधिक आधार नहीं है कि, गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, क्योंकि अभिसाक्षी के अनुसार उसने अपने दादा से जो सूचना प्राप्त की थी, कि गुमनामी बाबा सुभाष चन्द्र बोस थे। चूँकि यह सूचना किवदन्ती साक्ष्य की श्रेणी में आती है, अतः यह विधिक रूप से ग्राह्य नहीं है।

परिणामतः, मुझे राकेश श्रीवास्तव के इस दावे कोकि, गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे को अस्वीकृत करने में कोई दुविधा नही है।

5.13 आयोग द्वारा परीक्षण के क्रम में अगले अभिसाक्षी सी०डब्ल्यू०—14 उमा चरन पाण्डेय, आयु लगभग 73 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय राधा कान्त पाण्डेय, जो ग्राम कैथी, डाक घर कैथी, जनपद वाराणसी के निवासी थे। संक्षेप में, उनके साक्ष्य निम्नवत् दर्शाये गए हैं—

उनका विश्वास है कि गुमनामी बाबा, जो अपनी मृत्यु से पूर्व प्रायः राम भवन, फैजाबाद में रहते थे और जिनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 को फैजाबाद में किया गया था, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे और स्वामी शारदानन्द जो प्रायः पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जनपद के फालाकाता के एक आश्रम में रहते थे, वे वास्तव में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। सन् 1965 में उनकी उपस्थिति में दो घटनायें घटित हुई। प्रथम घटना नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भतीजे द्विजेन्द्र बोस की आश्रम में स्वामी शारदानन्द से बैठक से संबंधित थी। प्रारंभ में स्वामी शारदानंद उनसे मिलने को तैयार नहीं थे, परन्तु तीन दिन पश्चात उनकी उपस्थिति में (अभिसाक्षी की उपस्थिति में) आश्रम के प्रार्थना कक्ष में वह उनसे मिले थे परन्तु वहाँ पर स्वामी शारदानन्द और द्विजेन्द्र बोस के मध्य एक परदा था जिसके कारण दोनों एक दूसरे को देख नही सकते थे। स्वामी शारदानन्द ने द्विजेन्द्र से पूछा कि क्या वह सुभाष चन्द्र बोस हैं? जिस पर द्विजेन्द्र ने उत्तर दिया यदि वह नही है तो दोनों के मध्य परदा क्यों है? जब द्विजेन्द्र ने स्वामी शारदानन्द से कहा कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हैं? स्वामी शारदानन्द ने उनको फटकार लगाई और कहा कि वह (द्विजेन्द्र) एक अच्छे परिवार से संबंधित है और यह उनको यह पता लगाना शोभा नहीं देता कि क्या वह सुभाष चन्द्र बोस है या नही और तत्पश्चात कहा कि उनका

(स्वामी शारदानंद) जानकी नाथ बोस (जानकी नाथ बोस नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के पिता थे) के परिवार के साथ कोई संबंध नहीं था।

उमा चरण पाण्डेय के साक्ष्य दर्शाते हैं कि वह एक अन्य घटना के अभिसाक्षी हैं जो वर्ष 1965 में घटित हुई थी। इसके बारे में अभिसाक्षी होते हुए उन्होंने बताया कि उनकी उपस्थिति में आश्रम के विधिक सलाहकार श्री एन0डी0 मजूमदार ने स्वामी शारदानन्द से पूछा कि क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जीवित थे? जिस पर स्वामी शारदानन्द ने उत्तर दिया कि वह जीवित थे। जब एन0डी0 मजूमदार ने स्वामी शारदानन्द से पूछा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस कहा थे? उन्होने उत्तर दिया कि वह कहीं हो सकते हैं। स्वामी शारदानन्द ने विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु का भी दृढ़तापूर्वक खण्डन किया और कहा कि वास्तविकता में वहाँ कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी।

मैंने उमा चरन पाण्डेय के वक्तव्य का अवलोकन किया और मैं उनके इस दावे को कि स्वामी शारदानन्द नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे को स्वीकार करने को प्रवृत्त नहीं हूँ, क्योंकि उनकी उपस्थिति में स्वामी शारदानन्द ने द्विजेन्द्र बोस को बताया कि उनका जानकी नाथ बोस (जानकी नाथ बोस नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के पिता थे) के परिवार के साथ कोई संबंध नहीं था, और कौन इस बात पर संदेह कर सकता है कि क्या स्वामी शारदानन्द नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे इसका सर्वोत्तम साक्ष्य स्वामी शारदानन्द स्वयं थे।

एक बार यह सुस्थापित हो जाता है कि स्वामी शारदानन्द नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे, यह तार्किक अनिवार्यता के रूप में अनुसरण किया जाना चाहिए कि अभिसाक्षी की उपस्थिति में जो सूचना स्वामी शारदानन्द ने एन0डी0 मजूमदार को दी थी, कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जीवित थे और विमान दुर्घटना में नहीं मारे गये थे, किवदन्ती साक्ष्य की श्रेणी में आ जायेगी और विधिक दृष्टि से यह शून्य है।

उपरोक्त कारणों से, मैं उमा चरण पाण्डेय के इस दावे को कि स्वामी शारदानन्द नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ।

5.14 अब मैं सीडब्ल्यू–15 आदित्य नाथ पाण्डेय, आयु लगभग 70 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय शोभ नाथ पाण्डेय, निवासी ग्राम–कैथी, डाकघर–कैथी, जनपद– वाराणसी के साक्ष्यों को लेता हूँ। उन्होंने बताया कि वह गुमनामी बाबा को नहीं जानते, जो अपनी मृत्यु के पूर्व राम भवन, फैजाबाद में रहते थे और जिनका अंतिम संस्कार दिनांक 18/09/1985 को फैजाबाद में किया गया था। यद्यपि उनका विश्वास था (जैसा कि उनके द्वारा आयोग के प्रमुख परीक्षण में वर्णित किया गया) कि कोई बाबा (उन्हें बाद में ज्ञात हुआ कि वह स्वामी शारदानन्द थे) जिन्होंने उनके गाँव कैथी की 1953–1954 में अनेकों बार यात्रा की थी और तत्पश्चात कूचबिहार में शोउलमारी आश्रम में स्थानान्तरित हो गये थे, वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

मैंने अभिसाक्षी की उपरोक्त धारणा पर अपनी उत्कंण्ठित मीमांसा दी है और उसे अस्वीकार करने में कोई संकोच नही है, क्योंकि प्रमुख परीक्षण में उसने स्वयं बताया कि जब 1977 में देहरादून में स्वामी शारदानन्द की मृत्यु के बारे में ज्ञात हुआ, वह अन्यों के साथ देहरादून गये थे, उन्हें ज्ञात हुआ कि बाबा तथ्यतः स्वामी शारदानन्द थे और स्वामी शारदानन्द नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। इससे यह प्रकट होता है कि अभिसाक्षी का यह दावा कि स्वामी शारदानन्द नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, उस सूचना पर आधारित था जो उन्होंने और अन्यों ने देहरादून में प्राप्त की थी। चूंकि उक्त सूचना किवदन्ती साक्ष्य की श्रेणी में आती है, अतः मुझे इसे अस्वीकार करने में कोई दुविधा नहीं है।

5.15 अब मैं सी०डब्ल्यू०–16 श्याम लाल सिंह, आयु लगभग 77 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय झिल्लू सिंह, निवासी ग्राम–कैथी, डाकघर–कैथी, जनपद–वाराणसी के साक्ष्यों को लेता हूँ। उनके साक्ष्य निम्नवत् हैं –

वह गुमनामी बाबा को नहीं जानते जो मृत्यु के पूर्व राम भवन, फैजाबाद में रहते थे और जिनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 को किया गया था। सन् 1951 में एक संत जो कृष्ण कांत पाण्डेय को जानते थे, कैथी गांव में आये थे और गंगा नदी के किनारे किसी गुफा में लगभग 02 माह तक रूके थे। प्रायः अनेकों व्यक्ति उनसे मिलने आते थे और शीघ्र ही एक किवदन्ती प्रसारित हो गई कि वे संत सुभाष चन्द्र बोस थे। गुफा में दो माह तक निवास करने के पश्चात, उनको (अभिसाक्षी) को ज्ञात हुआ कि संत पश्चिम बंगाल के शोउलमारी आश्रम को चले गये थे। उक्त सूचना की प्राप्ति पर कैथी गाँव से लोग प्रायः संत से मिलने शोउलमारी आश्रम जाया करते थे। सन् 1958 में वह (अभिसाक्षी) बाम्बे चले गये थे और तत्पश्चात उक्त संत से संबंधित कोई सूचना नहीं मिली थी। उनकी धारणा थी कि संत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

प्रति परीक्षण के दौरान अभिसाक्षी के समक्ष एक एकल प्रश्न किया गया था, कि क्या 1958 (जब वे बम्बई गये थे) और 07/11/2016 (वह दिनांक जब उनका आयोग द्वारा परीक्षण किया गया) के मध्य उन्होंने किसी के सामने प्रकट किया था कि संत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। उक्त प्रश्न पर उन्होने उत्तर दिया कि 59 वर्ष के इस अंतराल में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि संत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

मैंने श्याम लाल के वक्तव्य का अवलोकन किया और उनकी यह धारणा कि संत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे पर उत्कण्ठित मीमांसा प्रदान करने के पश्चात, मैं प्रेक्षण के लिए विवश था कि मैने उनकी उक्त धारणा में दो कारणों से कोई श्रेष्ठता नहीं पाई थी। प्रथमतः, चूंकि संत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे कि किवदन्ती से पृथक वहॉ कोई वास्तविक साक्ष्य नहीं था जिस पर अभिसाक्षी की धारणा आधारित थी और द्वितीयतः, अभिसाक्षी यदि वास्तव में आश्वस्त था कि संत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, उसे 59 वर्षों तक अशुभ मौन नहीं धारण करना चाहिए था, अर्थात 1958 (जब उन्होंने बाम्बे के लिए प्रस्थान किया) और 07/11/2016 (जब उनका

वक्तव्य आयोग द्वारा अभिलिखित किया गया) के मध्य संत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, के तथ्य के बारे में। इस अवधि में उन्हें सभी और विविध लोगों को बताना चाहिए था कि संत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

उपरोक्त कारणों से मैं श्याम लाल सिंह के इस दावे को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ कि जो संत कैथी में रहते थे और तत्पश्चात शोउलमारी आश्रम चले गये थे, वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

5.16 अब मैं विश्राम सिंह, आयु लगभग 91 वर्ष, और राम शंकर सिंह उर्फ लल्लन सिंह, आयु लगभग 93 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम कैथी, डाक घर कैथी, जनपद वाराणसी के साक्ष्यों को लेता हूँ। दोनों ने आयोग को शपथ-पत्र भेजे जिसमें वर्णित था कि उनकी आयु और शारीरिक अक्षमता के कारण वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने की स्थिति में नहीं है और उनके शपथपत्रों का लेख्य प्रमाणक (नोटरी) के समक्ष शपथीकरण किया जा चुका है, को उनके वक्तव्य के रूप में माना जाये।

चूंकि मैंने विश्राम सिंह और राम शंकर सिंह की प्रार्थना को तर्कसंगत पाया, मैनें विश्राम सिंह के शपथपत्र को सीडब्ल्यू–17 और राम शंकर सिंह को सीडब्ल्यू–18 के रूप में चिन्हित किया था। मैं उनके वक्तव्य के अनुसार उनके शपथपत्रों में वर्णित तथ्यों को संव्यवहृत कर रहा हूँ।

चूंकि सीडब्ल्यू–17 विश्राम सिंह और सीडब्ल्यू–18 राम शंकर सिंह ने अपने शपथपत्र में लगभग एक जैसे तथ्यों को वर्णित किया है, मैनें इन दोनों अभिसाक्षियों के वक्तव्यों पर साथ–साथ विचार किया। ये दोनों अभिसाक्षी, जो ग्राम कैथी के निवासी है, ने बताया कि वर्ष 1951 में गंगा नदी के किनारे किसी गुफा में किन्हीं शारदानन्द जी ने रूकना प्रारंभ किया था। उनके लिए व्यवस्थायें किन्हीं कृष्ण कांत पाण्डेय जी द्वारा की जाती थीं। निकटवर्ती बस्तियों के प्रभावशाली व्यक्तियों ने शारदानन्द जी से मिलना प्रारंभ किया। जब नियत समयावधि में यह किवदन्ती कि शारदानन्दजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे प्रसारित हो गई थी, तो उन्होंने कैथी को त्याग दिया, परन्तु पुनः 1952 में कुछ समय के लिए कैथी वापस आये थे। तत्पश्चात, वे शोउलमारी आश्रम चले गये थे और वहां से वे देहरादून चले गए थे जहाँ1977 में उनकी मृत्यु हो गयी थी। अपने शपथपत्रों में, विश्राम सिंह और राम शंकर सिंह दोनों ने कहा है कि उनका सुनिश्चित विश्वास था कि शारदानन्द जी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

मैने उपरोक्त अभिसाक्षियों (जिनके वक्तव्यों को मैं संव्यवहृत कर रहा हूँ, के शपथपत्रों का अवलोकन किया था और विश्राम सिंह तथा राम शंकर सिंह के दावे कि शारदानन्द जी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे की स्वीकृति के अनुपालन को मैं विवश नहीं हूँ। मैने सीडब्ल्यू–14 उमा चरन पाण्डेय, जिनकी उपस्थिति में स्वामी शारदानन्दजी ने द्विजेन्द्र बोस, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भतीजे को बताया था कि उनका (स्वामी शारदानन्दजी) जानकी नाथ बोस (जानकी नाथ बोस नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के पिता थे) के परिवार के साथ कोई संबंध नही है, के वक्तव्य का

संव्यवहार किया था। और स्वामी शारदानन्द नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, के विवाद का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य स्वयं स्वामी शारदानन्द ही हो सकते हैं।

दूसरा कारण जिसके कारण मैं विश्राम सिंह और राम शंकर सिंह के दावे कि स्वामी शारदानन्द नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को स्वीकार करने को प्रवृत्त नहीं हुआ, क्योंकि मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट में पृष्ठ 109 और 110 में प्रस्तर 4.13.3 में यह वर्णित है कि सीडब्ल्यू–81 रजत कांति भद्रा, सीडब्ल्यू–82 दीन बन्धु दत्ता और सीडब्ल्यू–83 निखिल चन्द्रा घटक, साधु जो शोउलमारी आश्रम, पश्चिम बंगाल में रहे थे, की उपस्थिति में यह वर्णित किया गया था और जो शारदानन्दजी के रूप में जाने जाते थे, ने स्पष्टतया बताया कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, जानकी नाथ बोस और विभावती बोस के विवाह से उत्पन्न हुये थे तथा वे पूर्वी बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुये थे।

यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तर 4.13.4 का अवलोकन दर्शाता है कि खोसला आयोग के समक्ष डा0 पवित्र मोहन राय (केडब्ल्यू–176) और सुरेन्द्र मोहन घोष (केडब्ल्यू–154) ने वक्तव्य दिया था कि साधु ने उन्हें बताया था कि वे नेताजी और जानकी नाथ बोस के पुत्र नहीं थे।

उपरोक्त कारणों से, मैं विश्राम सिंह सीडब्ल्यू–17 और राम शंकर सिंह सीडब्ल्यू–18 के दावे कि, स्वामी शारदानन्द नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, पर विश्वास करने को प्रवृत्त नहीं हूँ।

5.17 अब मैं सीडब्ल्यू–19 श्रीमती अमिता सिंह, आयु लगभग 47 वर्ष, पत्नी राजीव सिंह, निवासी 34/702, एनआरआई काम्प्लेक्स, निरूल, नवी मुम्बई–400706 के साक्ष्य को लेने का प्रस्ताव करता हूँ। संक्षिप्त में उनके साक्ष्य निम्नवत् हैं –

वर्ष 1978 के अंतिम भाग या 1979 के प्रारंभ के दौरान जब उनके पिता रामकोला चीनी मिल, देवरिया में मुख्य रसायनज्ञ के रूप में पदस्थापित थे, भगवानजी एक बार उनके घर आये थे; उस समय उनकी आयु लगभग 8–9 वर्ष थी; जब वो विद्यालय से वापस लौटी थीं तो उन्होंने भगवानजी को 15/20 लोगों को प्रवचन देते हुये पाया था; जब वे लोग चले गये, उन्होंने अपने भाई और बहन के साथ उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया; भगवानजी ने उनसे पूछा कि क्या वो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को जानती हैं, इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने नारा दिया था ''तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूंगा''। भगवानजी ने उनके घर पर भोजन किया था; उनके अतिथि कक्ष में रात व्यतीत की थी और अगली प्रातः चले गये थे।

अमिता सिंह के साक्ष्य दर्शाते हैं कि इस वर्ष (2016) को उन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का एक पुराना चित्र देखा था जिसमें वह टोपी, धोती, कुर्ता पहने हुऐ थे और शाल डाल रखी थी तथा उसे देख कर आश्वस्त हो गयी थी कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी, जो वर्ष 1978 के अंत या 1979 के प्रारंभ में उनके देवरिया स्थित घर आये थे, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

आयोग द्वारा अमिता सिंह का प्रति–परीक्षण किया गया। उनके समक्ष तीन प्रश्न रखे गये थे। प्रथम था कि उन्होंने बताया था कि वर्ष 1978 के अंत या 1979 के प्रारंभ में गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी उनके घर आये थे और इस वर्ष (2016) में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की पुराना चित्र देखने के पश्चात वह आश्वस्त हो गईं कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। उक्त प्रश्न का उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया था।

उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया द्वितीय प्रश्न था कि क्या उनके उपरोक्त उत्तर से आयोग को यह अर्थ लगाना चाहिए कि वर्ष 2016 में प्रथम बार उनको यह अनुभव हुआ था कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे? उपरोक्त प्रश्न पर भी उन्होंने सकारात्मक में उत्तर दिया था।

उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया तीसरा प्रश्न था कि उनके उपरोक्त उत्तर से निष्कर्ष निकलता था लगभग 37 वर्षों के पश्चात भगवानजी की मुखाकृति उनको याद थी। इस पर भी उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया।

मैंने विचारपूर्वक अमिता सिंह के वक्तव्य का परिशीलन किया और मेरे दृष्टिकोण में उनका यह दावा कि भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को स्वीकार किया जाना सुरक्षित नहीं होगा। उनके वक्तव्य का परिशीलन यह दर्शाता है कि जब वह लगभग 8–9 वर्ष की थीं, भगवानजी उनके घर आये थे और 37 वर्ष पश्चात अर्थात वर्ष 2016 में उनके चित्र को देखने के पश्चात वह आश्वस्त हो गईं कि भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। मेरे विचार में, 37 वर्षों के पश्चात वह भगवानजी उर्फ गुमनामी बाबा (जिन्हें उन्होंने लगभग 8–9 वर्ष की बचपन की आयु में देखा था) की मुखाकृति को याद नहीं रख सकती हैं, वर्ष 2016 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चित्र के वीक्षण के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

5.18 अब मैं अभिसाक्षी सीडब्ल्यू–20 मदन मोहन त्रिपाठी, आयु लगभग 65 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय हृदय राम त्रिपाठी, निवासी शिव नगर कॉलोनी, पहाड़गंज, फैजाबाद के साक्ष्यों के परीक्षण का प्रस्ताव करता हूँ।

वह बाल विद्या मंदिर के नाम से एक विद्यालय चलाते हैं; लंबे समय तक राम सेवक मालवीय ने पूर्व सहायक अध्यापक के रूप में उनके विद्यालय में कार्य किया था, एक दिन राम सेवक मालवीय ने उन्हें बताया कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अयोध्या में रहते हैं और उनसे (नेताजी सुभाष चन्द्र बोस) मिलने के लिए उन्हें उनके (राम सेवक मालवीय) के साथ चलना चाहिए; उन्होंने राम सेवक मालवीय से कहा कि चूंकि एक बार बाबा जय गुरूदेव ने वचन दिया था कि वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को प्रस्तुत करेंगे परन्तु वे असफल रहे थे। वह(राम सेवक मालवीय) जो कुछ कह रहे थे उसमें उन्हें कोई आस्था नहीं थी और परिणामतः अयोध्या नहीं गये थे।उसके पश्चात भी अनेकों अवसरों पर राम सेवक मालवीय ने उनसे अपने (राम सेवक मालवीय) साथ अयोध्या चलने को कहा परन्तु उन्होंने अस्वीकार कर दिया

था। राम सेवक मालवीय ने उन्हें यह भी बताया कि उसने अपनी पुस्तक 'बहुभामिनी विभाराम्' को अज्ञात संत को दिया था, जिन्होंने उन्हें बताया था कि उन्होंने (मालवीय जी) इसमें जवाहर लाल नेहरू की प्रशंसा की थी, इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने नेउनकी (सुभाष चन्द्र बोस) प्रशंसा की थी; इस पर सुभाष चन्द्र बोस ने मुस्कुराना प्रारंभ किया था।

जब उनकी मृत्यु के पश्चात गुमनामी बाबा का प्रकरण चर्चा के लिए आया था और उन्होंने (अभिसाक्षी)मालवीय जी से पूछा कि क्या यह वही संत थे जिसे वे (मालवीयजी) अयोध्या में उनसे मिलाना चाहते थे, मालवीयजी ने उनको 'गुमनामी महात्मा से मेरा संपर्क' शीर्षक वाले लिखे हुये दो पृष्ठ दिये जिसे वह (अभिसाक्षी) आयोग के समक्ष इस इच्छा से प्रस्तुत कर रहा है कि इसे अभिलेख में लिया जाये और उनके वक्तव्य के भाग के रूप में व्यवहृत किया जाये। आयोग ने उपरोक्त आलेख्य को अभिलेख में लेते हुए अभिज्ञान हेतु इसे एक्स0सी–12के रूप में चिन्हित किया; और निदेशित किया कि इसे उनके वक्तव्य के भाग के रूप में पढ़ा जाये। अभिसाक्षी ने यह भी बताया कि मालवीयजी जीवित नहीं हैं।

एक्स0सी–12 का परिशीलन दर्शाता है कि वर्ष 1976–1978 के मध्य अयोध्या में राम सेवक मालवीय और गुमनामी बाबा के मध्य हुई अनेकों बैठकों से संबंधित विवरण इसमें समाविष्ट हैं। परिशीलन यह भी दर्शाता है कि इसके कारण राम सेवक मालवीय आश्वस्त थे कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। इसका परिशीलन अग्रतर दर्शाता है कि 1978 के पश्चात मालवीयजी गुमनामी बाबा से नहीं मिले थे और 8 वर्ष पश्चात, सितम्बर मास में, उनके पुत्र ने उनको बताया कि कोई संत जो राम भवन, अयोध्या में रहते थे की मृत्यु हो गयी थी और उनसे पूछा कि क्या वह नेताजी थे; इस पर उनकी आँखों में आँसू आ गये और जब वो राम भवन पहुँचे, उन्होंने पाया कि सब समाप्त हो गया था।

प्रति–परीक्षण के दौरान, दो प्रश्न उनसे किये गये थे; प्रथम था किस वर्ष मालवीयजी ने उन्हें बताया कि वह (मालवीयजी) संत जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे से मिलने उन्हें साथ ले जाना चाहते थे।

उक्त प्रश्न पर अभिसाक्षी ने उत्तर दिया यह लगभग वर्ष 1980–81 था।

द्वितीय प्रश्न था कि क्या 1980–81 और 01/12/2016 (आयोग द्वारा उनके परीक्षण का दिनांक) के मध्य उन्होंने किसी अधिकारी/व्यक्ति को बताया कि मालवीयजी ने उन्हें बताया था कि सुभाष चन्द्र बोस जीवित थे।

उक्त प्रश्न पर उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें याद नहीं है कि 1980–81 के मध्य और आज के दिन तक उन्होंने किसी अधिकारी/व्यक्ति को बताया हो कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जीवित थे।

मैंने मदन मोहन त्रिपाठी और उनके साथ एक्स0सी–12 द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य का परिशीलन किया। चूंकि उनका परिशीलन दर्शाता है कि अभिसाक्षी की यह जानकारी कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जीवित थे, राम सेवक मालवीय से प्राप्त

हुईथी, जो उनके विद्यालय में एक सहायक अध्यापक थे, उनके साक्ष्य किवदन्ती साक्ष्य की श्रेणी में आयेंगे और विधिक दृष्टि से अस्वीकार्य होंगे।

मैंने भी मदन मोहन त्रिपाठी को सत्यवादी अभिसाक्षी नहीं पाया, क्योंकि प्रति–परीक्षण की अवधि में जब उनसे स्पष्ट रूप से पूछा गया कि 1980–81 (जब मालवीयजी ने उनसे कहा था कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जीवित थे और उन्हें उनसे मिलना चाहिए था) और 01/12/2016 (आयोग द्वारा उनका वक्तव्य के अभिलेखन की तिथि) की अवधि में उन्होंने किसी अधिकारी/व्यक्ति को बताया कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जीवित थे, उन्होंने इन शब्दों में यह कुटिल उत्तर दिया कि ''मुझे इतना ध्यान नहीं है कि वर्ष 1980–81 से आज के बीच यह बात मैंने किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति को बताई अथवा नहीं।''

मैंने अभिसाक्षी के उपरोक्त उत्तर पर पुनः विचार किया और मैं इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ। मेरी दृष्टि में यह इस प्रकार का तुच्छ तथ्य नहीं है जिसे भुला दिया जाये। मेरा विचार है कि उपरोक्त उत्तर सुविचारित है और अभिसाक्षी की सत्यवादिता पर गंभीर शंका उत्पन्न करता है।

उपरोक्त कारणों से, मदन मोहन त्रिपाठी का साक्ष्य गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी के अभिज्ञान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 28/06/2016 द्वारा सृजित किया गया आयोग जिसे गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की पहिचान सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया था,आयोग के किसी उपयोग का नहीं है।

5.19 अब मैं सीडब्ल्यू–21 अतुल कुमार सिंह, आयु लगभग 53 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय हरी नारायण सिंह, निवासी आशापुर, दर्शन नगर, फैजाबाद के वक्तव्य को लेता हूँ उनका साक्ष्य निम्नवत् दर्शित है–

झारखण्ड़ी मोहल्ला, फैजाबाद में रहने वाले रणविजय सिंह और अरविन्द सिंह के साथ उनके निकटस्थ संबंध थे और उनके पड़ोसी डा0 आर0पी0 मिश्रा थे, जिनको वे उनके माध्यम से जानते थे; वे डा0 आर0पी0मिश्रा की पत्नी को चाची कहा करते थे; सन् 1984 में चाची (डा0 आर0पी0मिश्रा की पत्नी) उनको राम भवन, फैजाबाद ले गयीं जहाँ गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी निवास करते थे; चूंकि यह गर्मियों का समय था और वहॉ छत के नीचे एस्बेस्टॉस शीट थी जिसके नीचे गुमनामी बाबा बैठे थे, वह स्थान बहुत गर्म था; चाची ने उनसे कुछ पुयाल या काशीहरी भेजने की प्रार्थना की जिससे वहाँ गुमनामी बाबा को उस गर्मी में कुछ राहत मिल सके; उस समय भगवानजी, जो पर्दे के पीछे बैठते थे और जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से नहीं देख रहे थे, ने पूछा ये कौन व्यक्ति था, जिसे डा0 मिश्रा की पत्नी पुयाल या काशीहरी भेज रही थी; वहाँ पर उनकी वाणी में बहुत वजन था और उनके बोलने का तरीका बंगाली प्रभाव दर्शा रहा था। तत्पश्चात एक या दो बार ही वो गुमनामी बाबा से मिले थे क्योंकि उनके बारे में कहा जाता था कि केवल वे ही, जिन्हें वे जानते हैं उनसे मिल सकते हैं।

अतुल कुमार सिंह के साक्ष्य अग्रतर दर्शाते हैं कि कुछ समय पश्चात उन्होंने रेडियो पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की वाणी सुनी थी और आश्वस्त थे कि उस वाणी और भगवानजी की वाणी में बहुत समानता थी जिसे उन्होंने राम भवन, फैजाबाद में सुना था, जो बंगाली प्रभाव वाली थी।

आयोग द्वारा अतुल कुमार सिंह का प्रति परीक्षण किया गया। उनके समक्ष दो प्रश्न किये गये थे। प्रथम प्रश्न यह था कि क्या आज से पूर्व (आयोग द्वारा उनका परीक्षण 01/12/2016 को किया गया था) और श्रीमती आर० पी० मिश्रा के साथ वे भगवानजी से जब मिलने गये थे (यह वर्ष 1984 का कोई समय था) तो उन्होंने किसी को बताया कि जब वे भगवानजी से मिले थे तो उनकी वाणी और वो वाणी जो उन्होंने रेडियो पर सुनी थी में बहुत समानता थी।

उक्त प्रश्न पर उन्होंने उत्तर दिया ''मैने यह बात आज से पूर्व और किसी को नहीं बताई।''

उनके समक्ष द्वितीय प्रश्न यह किया गया था कि क्या वह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो आवाज उन्होंने रेडियो पर सुनी थी और जो बंगाली प्रभाव वाली आवाजकि क्या एक ही व्यक्ति की थी।

उक्त प्रश्न पर उन्होंने उत्तर दिया ''मैंने यह अनुभव किया था कि वह आवाज एक ही व्यक्ति की थी, लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह नहीं कह सकता कि वह आवाज एक ही आदमी की थी।''

मैंने अतुल कुमार सिंह के वक्तव्य का अत्यन्त गहनता से परिशीलन किया और मेरी दृष्टि में उनके दावे के आधार पर कि चूंकि गुमनामी बाबा की ध्वनि जो उन्होंने राम भवन में सुनी थी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की बंगाली प्रभाव वाली वाणी जिसे उन्होंने रेडियो पर सुना था के मध्य बहुत समानता थी। यह दो कारणों से निष्कर्षित नहीं हो सकता; प्रथमतः, चूंकि उनके प्रति परीक्षण में अतुल कुमार सिंह ने स्वयं स्वीकार किया था कि वह पूर्ण आत्मविश्वास के साथ नहीं कह सकते कि दोनों ध्वनियां एक ही व्यक्ति की थी।

द्वितीयतः, मेरी दृष्टि में अभिसाक्षी का आचरण अति अप्राकृतिक है, यद्यपि अपने प्रति परीक्षण में उन्होंने स्वीकार किया था कि आयोग द्वारा उनके वक्तव्य के अभिलेखन के पूर्व (यह 01/12/2016 को अभिलिखित किया गया था) उन्होंने किसी के सामने यह प्रकट नहीं किया था कि गुमनामी बाबा की आवाज जिसे उन्होंने राम भवन में सुना था और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की आवाज जिसे उन्होंने रेडियो पर सुना था (दोनों को वर्ष 1984 में) एक ही व्यक्ति की थीं। मेरे विचार में, दो ध्वनियों की समरूपता के आधार पर , अभिसाक्षी वास्तव में आश्वस्त था कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, तो उन्हें 31–32 वर्षों अर्थात वर्ष 1984 से 01/12/2016 की अवधि के मध्य इस तथ्य के बारे में एक अशुभ मौनधारण नहीं करना चाहिए था।

उपरोक्त कारणों के लिए, मेरी दृष्टि में, अतुल कुमार सिंह के साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

5.20 अब मैं सीडब्ल्यू–22 विशम्भर नाथ अरोड़ा, आयु लगभग 66 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय ए0एन0 अरोड़ा, निवासी 12, लक्ष्मणपुरी कॉलोनी, अमानीगंज, फैजाबाद के साक्ष्यों को लेता हूँ। उनके वक्तव्य निम्नवत् अंकित हैं–

वह साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फैजाबाद के एक पूर्व प्रधानाचार्य हैं, 42 वर्षों तक उन्होंने विभिन्न पदों(प्रधानाचार्य समेत) पर महाविद्यालय में सेवा की है। 1983 तक वह अयोध्या में रूके; गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी की मृत्यु के समय, जो राम भवन, फैजाबाद में 16/09/1985 को हुई थी, वह फैजाबाद में निवास कर रहे थे। वर्ष 1978 में जब वह साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रक्षा अध्ययन के प्रोफेसर थे तो श्री एस0सी0 श्रीवास्तव, प्रोफेसर, रक्षा अध्ययन,बाह्य परीक्षक के रूप में आये थे; परीक्षा जिसमें वह बाह्य परीक्षक थे के पश्चात डा0 श्रीवास्तव ने अयोध्या में किसी अध्यात्मिक व्यक्तित्व से मिलने की इच्छा प्रकट की। सर्वप्रथम उन्होंने उनसे कहा कि उनकी जानकारी में यहाँ कोई नहीं है, परन्तु तब तत्काल उनके मस्तिष्क में कौंधा कि यहाँ पर एक साधु हैं जो लखनऊवा कोठी, अयोध्या में रहते थे और जो परदे के पीछे से उपदेश देते थे तथाजिन व्यक्तियों को उपदेश देते थे उनको दृष्टिगत् वे नहीं होते थे। तत्पश्चात वह डा0 श्रीवास्तव को उक्त साधु से मिलाने लखनऊवा कोठी ले गये। जहाँ उक्त साधु रहते थे के द्वार को खटखटाने के पश्चात, कोई श्रीमती सरस्वती देवी, जो उक्त साधु की देखभाल करती थी और उनके लिए भोजन बनाती थी, ने कमरे की खिड़की को खोला जिसमें साधु रहते थे; उन्होंने उनके परिचय पत्रों के बारे में जानकारी की और उनसे साधु से मिलने के कारणों को लिखित में पूछा; तद्नुरूप एक कागज के टुकड़े पर उन्होंने (अभिसाक्षी ने) साधु से मिलने हेतु कारण लिखा; श्रीमती सरस्वती देवी ने उक्त कागज के टुकड़े को खिड़की के पीछे से उठाया, अंदर गईं और 10 मिनटों के पश्चात वापस आयीं और खिड़की के पीछे से उन्हें बताया कि साधु (भगवानजी) ध्यानमग्न थे और उनसे अगले दिन 4 बजे मिलने के लिए आने को कहा। चूंकि डा0 श्रीवास्तव का वापसी का आरक्षण था, अतः वे उसी रात निकल गये परन्तु उन्होंने (अभिसाक्षी) अगले दिन 4.00 बजे साधु उर्फ भगवानजी से मिलने का निश्चय किया।

विशम्भर नाथ अरोड़ा के साक्ष्य अग्रतर दर्शाते हैं कि अगले दिन जब लगभग 2 बजे वह महाविद्यालय से वापस लौटे, तो उन्होंने अपने घर के द्वार पर एक जीप को खड़ा पाया। उनकी पत्नी ने बताया कि एक अभिसूचना ब्यूरो (आई0बी0) के कोई अधिकारी बैठक कक्ष में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह तत्काल अभिसूचना ब्यूरो के अधिकारी से मिले, जिनका नाम एन0पी0तिवारी था। वह अभिसूचना इकाई में उपाधीक्षक थे। उन्होनें श्री तिवारी से पूछताछ कि वह क्यों आये थे। तत्पश्चात उन्होंने बताया कि वह एक सामाजिक कॉल पर यहाँ आये थे, चूंकि वह (अभिसाक्षी)

अयोध्या के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। लगभग 3.45 बजे उन्होंने श्री तिवारी को कहा कि वो जा रहे हैं, क्योंकि 4.00 बजे उनके पास मिलने का एक कार्यक्रम है, जिस पर उन्होंने टिप्पणी की, क्या उनका मिलने का कार्यक्रम परदे वाले बाबा के साथ था। जब श्री तिवारी द्वारा उनकी जाँच पड़ताल की गई कि कैसे वह (अभिसाक्षी) उनको जानते हैं कि वह परदे वाले बाबा से मिलने जा रहे हैं, तत्पश्चात उन्होंने प्रतिउत्तर दिया कि चूंकि उन्होंने उनका स्कूटर लखनऊवा कोठी के बाहर खड़ा पाया था, उन्होंने सोचा कि वह (अभिसाक्षी) परदे वाले बाबा से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने श्री तिवारी से पूछा कि क्या वह या परदे वाले बाबा या दोनों निगरानी में थे जिस पर श्री तिवारी ने गोलमाल उत्तर दिया। श्री तिवारी ने उन्हें बताया कि परदे वाले बाबा मात्र एक सामान्य बाबा हैं, जो कपटभेष में रहते हैं और यदि वह इस प्रभाव में हैं कि परदे वाले बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हैं, तो वह एक बड़े भ्रम में हैं। श्री तिवारी ने उन्हें यह विश्वास दिलाने में सफल हुये कि परदे वाले बाबा कपटवेश में रह रहे एक सामान्य साधु थे और सुनिश्चित रूप से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे। परिणामतः वह परदे वाले बाबा उर्फ भगवानजी से मिलने कभी नहीं गये। अभिसाक्षी के साक्ष्य अग्रतर दर्शाते हैं कि जिस कागज के टुकड़े पर उन्होंने अपना और प्रोफेसर श्रीवास्तव की भगवानजी से मिलने की इच्छा लिखित में उन्हें दी थी वह उनकी मृत्यु के पश्चात भगवानजी के सामानों में पाया गया था।

मैंने विशम्भरनाथ अरोड़ा के वक्तव्य का परिशीलन किया और मेरे दृष्टिकोण में यह दर्शाता है कि यद्यपि लोग सोचते हैं कि परदे वाले बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, परन्तु श्री एन0पी0तिवारी, सहायक उपाधीक्षक, आई0बी0 का निष्कपट विचार था कि वह कपटवेश में रहने वाले एक सामान्य साधु थेऔर सुनिश्चित रूप से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे। विशम्भर नाथ अरोड़ा के साक्ष्य अग्रतर दर्शाते हैं कि उपाधीक्षक एन0पी0तिवारी के साथ उनकी हुई बातचीत के परिणामस्वरूप वह विश्वास करने को तैयार हो गये थे कि भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे और परिणामतः वह उनसे मिलने नहीं गये थे। मेरे दृष्टिकोण में यदि उनको विश्वास होता कि परदे वाले बाबा/भगवानजी सुभाष चन्द्र बोस थे, तो निश्चय ही वह उनसे मिलते।

5.21 अब मैं सीडब्ल्यू–23 मनीष जोशी, आयु लगभग 35 वर्ष, पुत्र श्री सुभाष कुमार जोशी, निवासी 2 सी–14, अशीर्वाद, सेक्टर 2, वैशाली, गाजियाबाद के साक्ष्य को लेता हूँ। उनके वक्तव्य का परिशीलन यह दर्शाता है कि :

उन्होंने (मनीष जोशी) ने सुना था कि 1952 से संबंधित किसी मंगोलियन व्यापार संघ के चित्र को शाहनवाज आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उनके मित्र अनुज धर ने कहा कि भगवानजी कहा करते थे कि उक्त चित्र उलन बटोर, मंगोलिया में लिया गया था, जिसमें यह कहा गयाथा कि नेताजी उपस्थित थे। परिणामतः, उन्होंने इंटरनेट पर वर्ष 1952 से संबंधित मंगोलिया के चित्रों को खोजना प्रारंभ किया और एक ऑनलाइन संग्रह पर मार्शल खोरो लॉगिन चॉयवालसन की अंतिम संस्कार से संबंधित दिनांक 28/01/1952 के एक चित्र को पाया जिसमें

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। जब उन्होंने इस चित्र के बारे में फैजाबाद निवासी डा0 विशम्भर नाथ अरोड़ा, निवासी फैजाबाद से जाँच पड़ताल की और उनसे पूछा कि क्या भगवानजी मंगोलिया के बारे में बात करते थे, उन्होंने प्रत्युत्तर दिया कि उनके कारण मंगोलिया और चीन के मध्य संबंध मैत्रीपूर्ण हो गए थे।

अपने वक्तव्य में मनीष जोशी ने यह भी बताया कि मुखर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी वर्णित किया था कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विमान दुर्घटना के परिणामस्वरूप नहीं मरे थे। उन्होंने अग्रतर बताया कि वह व्यक्ति जो राम भवन, फैजाबाद में गुमनामी बाबा उपनाम भगवानजी के रूप में निवास कर रहे थे उनके नेताजी सुभाष चन्द्र बोस होने की संभावना थी।

अभिसाक्षी ने एक लिखित संकलन को प्रस्तुत किया था जिसमें उक्त चित्र की प्रति उसका भाग थी और इच्छा प्रकट की गयी थी कि इसे अभिलेख में लिया जाये और उसके साक्ष्य के भाग के रूप में पढ़ा जाये। आयोग ने अभिसाक्षी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था; उनके संकलन और चित्र को अभिलेख में लिया। संकलन को एक्स0 सी–13 तथा चित्र को एक्स0 सी–13ए के रूप में चिन्हित किया और निदेशित किया कि उक्त प्रदर्शों को अभिसाक्षी के वक्तव्य के एक भाग के रूप में पढ़ा जायेगा।

मैंने मनीष जोशी के वक्तव्य और सी–13 तथा सी–13ए के प्रदर्शों का परिशीलन किया। मेरे विचार में, यदि तर्कों के प्रयोजनार्थ यह मान लिया जाय कि दिनांक 28/01/1952 (एक्स0सी–13ए) के चित्र में (खड़े हुए दाहिने से तीसरे स्थान पर जैसा कि अभिसाक्षी द्वारा निश्चयपूर्वक कहा गया) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जीवित दृष्टिगत् हो रहे हैं, इससे अभिसाक्षी का यह दावा सिद्ध नहीं होता कि वह गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी थे, जिनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 को फैजाबाद में किया गया था और जो मृत्यु के पूर्व राम भवन, फैजाबाद में रहते थे।

ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनांक 28/06/2016 द्वारा आयोग को गुमनामी बाबा उपनाम भगवानजी, जो अपनी मृत्यु के पूर्व राम भवन, फैजाबाद में रहते थे और जिनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 को किया गया था के अभिज्ञान की खोज हेतु निदेशित किया था। अभिसाक्षी ने दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि चित्र में दृष्टिगत् हो रहे व्यक्ति गुमनामी बाबा उपनाम भगवानजी थे और अपनी मृत्यु के पूर्व राम भवन, फैजाबाद में रहते थे और उक्त व्यक्ति का अंतिम संस्कार 18/09/1985 को किया गया था।

इसके विपरीत अभिसाक्षी का दावा कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी जो राम भवन, फैजाबाद में रहते थे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, स्वीकृति के योग्य नहीं है, क्योंकि मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठों 121 तथा 122 के प्रस्तरों 4.15.10 और 4.15.11 में संदर्भित डी0एन0ए0 परीक्षणों द्वारा यह असत्य सिद्ध हो चुका है।

चूंकि मुखर्जी आयोग के कथित प्रस्तरों को जब मैंने अनुज धर के साक्ष्य (सीडब्ल्यू 3) पर विचार कर रहा था तब मैंने उन्हें प्रस्तर 5.2 में उद्धृत किया था इसलिए मेरी दृष्टि में उक्त प्रस्तरों का पुनः उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। डी0एन0ए0 विशेषज्ञ की उपर्युक्त खोज अभिसाक्षी के इस दावे को कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस होने की संभावना थी को असत्य सिद्ध करते हैं।

5.22 अगले अभिसाक्षी सीडब्ल्यू–24 नेतराम सिंह, आयु लगभग 60 वर्ष, पुत्र साधु सरन सिंह, निवासी ग्राम और पोस्ट सेमरी खान कोट, जनपद सिद्धार्थनगर के साक्ष्य पर मैं विचार करने का प्रस्ताव करता हूँ। उनके अभिसाक्ष्य को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, अर्थात;

(क) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में तथ्यों को उन्होंने अपने पिता से एकत्र किया था, जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में एक सैनिक थे; और

(ख) उनकी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से व्यक्तिगत भेंटें, जो, वर्ष 1980 में अयोध्या–फैजाबाद की सीमा पर गुमनामी बाबा के कपटवेश में रहते थे पर आधारित हैं।

चूंकि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में तथ्य जो उन्होंने (अभिसाक्षी ने) अपने पिता से एकत्र किये थे, किवदन्ती तथ्य की श्रेणी में आयेंगे और विधिक दृष्टि से स्वीकार्य नहीं हो सकते अतः मैं उनको उद्धृत नहीं कर रहा हूँ।

मैं अभिसाक्षी द्वारा गुमनामी बाबा के साथ की गई व्यक्तिगत भेंटों में किए गए विचार–विमर्शों को सीमित करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो उनके अनुसार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से इतर और कोई नहीं थे।

अभिसाक्षी के साक्ष्य दर्शाते हैं कि वे वर्ष 1980 में अपने पिता के साथ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से मिलने गये थे, जो उस समय अयोध्या–फैजाबाद की सीमा पर निवास कर रहे थे और वे उनसे मिले थे। उनके साक्ष्य अग्रतर दर्शाते हैं कि लगभग एक से डेढ़ साल के पश्चात वे अकेले नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से मिलने गये थे, जो उसी स्थान पर रहते थे जहाँ वह 1980 में उनसे मिले थे; नेताजी सुभाष चन्द्र बोस उनसे मिले और उनसे कहा ''मैं गुमनाम रहना चाहता हूँ'' तथा उनसे जाने के लिए कहा। उनके साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि वह आश्वस्त थे कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे और गुमनामी बाबा के रूप में निवास कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने नेहरू जी से कहा था ''मैं गुमनाम जिंदगी ही अब व्यतीत करूंगा''।

मैंने नेतराम सिंह के वक्तव्य का परिशीलन किया और मैं उनके दावे कि गुमनामी बाबा तथ्यतः नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे को मानने को प्रवृत्त नहीं था। मेरे मस्तिष्क में यह आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की अधिसूचना पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 28/06/2016 द्वारा आयोग को गुमनामी बाबा उपनाम भगवानजी, जो राम भवन, फैजाबाद में अपनी मृत्यु के पूर्व रहते थे और

जिनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 को किया गया था की पहिचान की खोज हेतु निदेशित किया गया है। अभिसाक्षी ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि 1980 में जिनसे वह अपने पिता के साथ 1980 में मिले थे और एक–डेढ़ वर्ष पश्चात अयोध्या–फैजाबाद सीमा पर अकेले मिले थे तथा जो गुमनामी बाबा के रूप में राम भवन, फैजाबाद में अपनी मृत्यु के पूर्व रहते थे और जिनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 को किया गया था, वे दानों एक ही व्यक्ति सुभाष चन्द्र बोस थे।

इसके विपरीत, अभिसाक्षी का यह दावा कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से इतर नहीं थे, स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठों 121 और 122 के प्रस्तरों 4.15.10 तथा 4.15.11 पर उल्लिखित डी0एन0ए0 परीक्षणों द्वारा यह असत्य सिद्ध हो चुका है।

चूंकि मैंने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के उक्त प्रस्तरों को अनुज धर (सीडब्ल्यू–3) के साक्ष्य पर विचार करते हुए प्रस्तर 5.2 में उद्धरित किया है, मेरी दृष्टि में उक्त प्रस्तरों को पुनः दर्शाना आवश्यक नहीं है।

डी0एन0ए0 विशेषज्ञों की उपरोक्त रिपोर्टअभिसाक्षी के इस दावे को कि गुमनामी बाबा उपनाम भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को असत्य सिद्ध करते हैं।

5.23 अब मैं सीडब्ल्यू–25 डा0 शंकर कुमार चटर्जी, आयु लगभग 54 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय सुशील कुमार चटर्जी, निवासी फ्लेट संख्या–2ए, ब्लॉक एन, शौर्य निलोय हाउसिंग कॉम्पलेक्स, 1, कैलाश घोष रोड, कोलकाता–700008 के वक्तव्य को लेता हूँ। इसका परिशीलन निम्नवत् दर्शित है–

उनको कोई शंका नहीं थी कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी जो अपनी मृत्यु के पूर्व राम भवन, फैजाबाद में रहते थे और जिनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 को फैजाबाद में किया गया था, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, प्राथमिक रूप से क्योंकि लीला रॉय, जो विगत् 20 वर्षों से अधिक समय से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की निकटस्थ विश्वासपात्र रह चुकी थीं और तद्न्तर 1963 से 1968 तक विश्वास करती थीं कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एक और एक ही व्यक्ति थे (लीला राय की मृत्यु 1970 में हुई)।

अभिसाक्षी ने यह भी बताया कि उनके विश्वास का यह आधार कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे कोलकाता में लेख्या प्रमाणक के समक्ष शपथयुक्त उनके शपथपत्र दिनांक 21/11/2016 में समाविष्ट है और जो उनके संकलन का भाग है, जिसे उन्होंने आयोग को भेजा था।

अभिसाक्षी ने आयोग के समक्ष प्रार्थना की थी कि उक्त शपथपत्र को अभिलेख में लिया जाये और उनके वक्तव्य के भाग के रूप में माना जाये। आयोग ने अभिसाक्षी कीप्रार्थना को स्वीकार कर उक्त शपथपत्र को अभिलेख के संकलन के साथ लिया तथा अभिज्ञान के लिए इसे एक्स0सी–14 के रूप में चिन्हित किया।

प्रति–परीक्षण के मध्य एक विशेष प्रश्न आयोग द्वारा अभिसाक्षी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, अर्थात, क्या वह कोई व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। इस पर अभिसाक्षी ने प्रतिउत्तर दिया कि उनके पास कोई व्यक्तिगत/प्रत्यक्ष सूचना नहीं है कि गुमनामी बाबा उपनाम भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे और उनकी सूचना का स्त्रोत एक्स0सी–14 में समाविष्ट है।

एक्स0सी–14 के अवलोकन करने पर मैंने पाया कि अभिसाक्षी की बात का आधार ताशकंद वार्ता में था जो 06 जनवरी से 10 जनवरी 1966 तक भारत (श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा प्रतिनिधित्व) और पाकिस्तान (श्री अयूब खान द्वारा प्रतिनिधित्व)के मध्य संपन्न हुई थी, जिसमें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस उपस्थित थे (संवाददाता के छद्मवेश के रूप में), जैसा कि अभिसाक्षी को उसके मित्र सिद्धार्थ सथाबाई द्वारा प्रेषित चित्र के अवलोकन से प्रकट हुआ, जिसने अभिसाक्षी को गवेषणा से आश्वस्त किया था कि चलचित्र में एक चित्र नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का था (चेहरा प्रतिचित्रण विशेषज्ञ श्री नील मिलर ने अभिसाक्षी की इस धारणा को अग्रतर दृढ़ता प्रदान की थी)।

मैंने डा0 शंकर कुमार चटर्जी और एक्स0सी–14 के वक्तव्य का अवलोकन किया। यदि तर्कों के प्रयोजनार्थ यह मान लिया जाये कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ताशकंद वार्ता में उपस्थित थे (संवाददाता के कपट वेश में), तो भी यह अभिसाक्षी के दावे को सिद्ध नहीं करता कि वे गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी थे, जिनका अंतिम संस्कार 18/9/1985 को किया गया था और जो मृत्यु के पूर्व राम भवन, फैजाबाद में निवास करते थे। यह ध्यान में आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनांक 28/06/2016 में आयोग को गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी जो राम भवन, फैजाबाद में मृत्यु के पूर्व रहते थे और जिनका अंतिम संस्कार फैजाबाद में 18/09/1985 को किया गया था की पहचान हेतु निदेशित किया गया था। अभिसाक्षी ने कोई साक्ष्य यह दर्शाने हेतु प्रस्तुत नहीं किया था कि सिद्धार्थ सथाबाई द्वारा उसे भेजे गये चित्र में दर्शित व्यक्ति वही व्यक्ति था जो गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के रूप में राम भवन, फैजाबाद में, अपनी मृत्यु के पूर्व रहता था और उक्त व्यक्ति का अंतिम संस्कार 18/09/1985 को किया गया था।

इसके विपरीत, अभिसाक्षी का दावा कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी जो राम भवन, फैजाबाद में रहते थे के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस होने की संभावना थी, स्वीकृति के अयोग्य है, क्योंकि मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठों 121 और 122 के प्रस्तरों 4.15.10 तथा 4.15.11 में उल्लिखित डी0एन0ए0 परीक्षण द्वारा यह असत्य हो चुका है।

चूंकि मैंने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के उक्त प्रस्तरों को प्रस्तर 5.2 में अनुज धर (सीडब्ल्यू–3) के साक्ष्यों के साथ विचार करते समय उद्धरित किया है, अतः मेरी दृष्टि में यह आवश्यक नहीं है कि उक्त प्रस्तरों का पुनः उल्लेख किया जाये।

अभिसाक्षी का वक्तव्य यह दर्शाता है कि उसे मौलिक रूप से यह विश्वास था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, क्योंकि यह श्रीमती लीला राय की धारणा थी, जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के साथ निकटस्थ संबद्ध रह चुकी थीं। यह वर्णित करना महत्वपूर्ण है कि उनके शपथपत्र (ऊपर उल्लिखित) के प्रस्तर 1 और 2 में भी अभिसाक्षी ने बड़ी संख्या में बहुत से अन्य व्यक्तियों के नामों का भी उल्लेख किया है जिनकी भी धारणा थी कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। मुझे भय है कि अभिसाक्षी की यह धारणा कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, लीला राय की धारणा पर आधारित थी और जिनका वर्णन अभिसाक्षी के शपथपत्र के प्रस्तरों 1 और 2 में किया गया है तथा किंवदन्ती साक्ष्यों की श्रेणी में आयेंगे, इस कारण से आयोग द्वारा गुमनामी बाबा के अभिज्ञान के अभिनिर्धारण हेतु विचार नहीं किया जा सकता।

मैंने पूर्व में ही उल्लेख किया था कि प्रति–परीक्षण के मध्य अभिसाक्षी ने स्वीकार किया था कि उनके पास कोई व्यक्तिगत/प्रत्यक्ष जानकारी नहीं थी कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

उपरोक्त कारणों से मैं डा0 शंकर कुमार चटर्जी के इस दावे पर विश्वास करने को प्रवृत्त नहीं हूँ कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी जो अपनी सूचित मृत्यु के पूर्व राम भवन, फैजाबाद में रहते थे और जिनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 को फैजाबाद में किया गया था, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

5.24 अब मैं सीडब्ल्यू–26 राम प्रकाश त्रिपाठी, आयु लगभग 49 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय राजपति त्रिपाठी, निवासी 966, दिव्या भवन, फतेहगंज, फैजाबाद के साक्ष्यों को लेने का प्रस्ताव करता हूँ। संक्षिप्त में इसका परिशीलन निम्नवत् है–

वह (राम प्रकाश त्रिपाठी) कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव के शिष्य थे, जो गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के निकटस्थ थे। वर्ष 1985 में वह साकेत कला केन्द्र, फैजाबाद में आईजीडी बाम्बे (बाम्बे कला पाठ्यक्रम) में अध्ययनरत् थे, जिसका संचालन कृष्णा गोपाल श्रीवास्तव द्वारा किया जा रहा था। सितम्बर, 1985 में विद्यार्थी आगामी परीक्षाओं की तैयारी जोर–शोर से कर रहे थे। 11 सितम्बर से 15 सितम्बर, 1985 के मध्य कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव (स्वर्गीय) मुश्किल से साकेत कला केन्द्र, फैजाबाद पर उपस्थित हुये थे। जब उन्होंने और अन्य लोगों ने उनकी बहू श्रीमती सुकृत श्रीवास्तव से पूछा कि क्या प्रकरण था, तो उन्होंने उत्तर दिया कि कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव की अनुपस्थिति का कारण उनके गुरू गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की बीमारी थी। 17 सितम्बर, 1985 को कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव बुरी मनःस्थिति में आये और उनको तथा अन्य लोगों को बताया कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की मृत्यु हो गयी है; उनका चेहरा विकृत हो गया था तथा प्रशासन उनके अनुयायियों को उत्पीड़ित कर रहा था। तत्पश्चात, कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव अवसाद में बने रहे।

अभिसाक्षी के साक्ष्य अग्रतर दर्शाते हैं कि इस बीच समाचार माध्यमों की रिपोर्टें गुमनामी बाबा उपनाम भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे के संबंध में प्रकाशित हो रही थी। वर्ष 1992 में वह (अभिसाक्षी) दैनिक जागरण की फैजाबाद शाखा में संवाददाता के रूप में नियुक्त हो गया था। उन्होंने कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव से पूछा कि क्या गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे जिस पर उन्होंने बाद में उत्तर दिया, कि क्या लोग उन पर विश्वास करेंगे यदि वे कहते हैं कि वह सुभाष चन्द्र बोस थे और उन्हें यह सलाह दी कि इससे दूरी बनाये रखें क्योंकि उन लोगों के जीवन में समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं जो गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, के तथ्य को सम्मुख लाने का प्रयास करेंगे।

अभिसाक्षी के साक्ष्य अग्रतर दर्शाते हैं कि 17 सितम्बर, 1985 के पूर्व नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्मदिन साकेत कला केन्द्र में मनाया जाता था; 1986 से 1991 तक यह कंपनी बाग जो गुप्तार घाट के निकट स्थित है जहाँ गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी का अंतिम संस्कार किया गया था, के निकट मनाया गया था; समारोह के मध्य सरस्वती देवी शुक्ला, जो गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के बहुत निकट थीं औरबड़ी संख्या में अन्य लोगों के साथ उपस्थित रहती थीं, तथा वह और अन्य जो कहते थे, उससे निष्कर्ष निकलता था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

अभिसाक्षी के साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि 1992 से (जब वह दैनिक जागरण की फैजाबाद शाखा में संवाददाता के रूप में जुड़े थे) वह गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी और सुभाष चन्द्र बोस तथा उस स्थान से जहाँ गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी निवास करते थे से प्राप्त लेखों से संबंधित साहित्य का उन्होंने अध्ययन किया था। उक्त अध्ययन ने उन्हें विवश किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य स्पष्टतया इंगित करते हैं कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

आयोग द्वारा अभिसाक्षी का प्रति–परीक्षण किया गया था। वहाँ उनके समक्ष दो प्रश्न रखे गये थे। प्रथम था कि क्या वह गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी से व्यक्तिशः मिले थे, जिस पर उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया था। द्वितीय प्रश्न था कि क्या 16 सितम्बर, 1985 और 31 जनवरी, 2017 (आयोग द्वारा उनके वक्तव्य के अभिलेखन की तिथि) के मध्य उन्होंने किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को बताया कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, जिस पर उन्होंने उत्तर दिया वर्ष 2011 में जब वह नई दिल्ली में हिन्दुस्तान में संवाददाता थे उन्होंने लिखा था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

मैंने राम प्रकाश त्रिपाठी के वक्तव्यों का परिशीलन किया और अधिकतम सतर्कता के साथ विचार करने के पश्चात उनके इस दावे को कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे को स्वीकार करना कठिन था। मेरी दृष्टि में, यदि वह आश्वस्त थे कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, तो उन्हें 16 सितम्बर, 1985 (गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की

मृत्यु की तिथि) और 2011 जब उन्होंने प्रथमबार हिन्दुस्तान (नई दिल्ली) में प्रकाशित किया था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, के मध्य अशुभ मौन नहीं रखना चाहिए था।अभिसाक्षी के स्तर पर 26 वर्षों के दौरान मौन (16 सितम्बर, 1985 और 2011 की अवधि के मध्य) कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे को किसी के समक्ष उद्घाटित नहीं करना, इस तथ्य का सूचक है कि वह स्वयं आश्वस्त नहीं थे कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। यदि वह वास्तव में आश्वस्त थे कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, उन्हें सभी और विभिन्न लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए था तथा बहुत पहले इसके बारे में लिखना भी चाहिए था। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह 1992 से प्रेस संवाददाता थे।

कंपनी बाग, फैजाबाद(गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे के आधार पर अनुभूत) पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन के उत्सव के दौरान श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला और अन्यों से अभिसाक्षी ने जहाँ तक इस संबंध में जानकारी प्राप्त की है, के किवदन्ती साक्ष्य की श्रेणी में आयेंगे और विधि की दृष्टि में शून्य होंगे।

अभिसाक्षी का दावा कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे भी स्वीकृति के योग्य नही हैं, क्योंकि मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठों 121 और 122 के प्रस्तरों 4.15.10 तथा 4.15.11 में उल्लिखित डी0एन0ए0 परीक्षण द्वारा यह असत्य सिद्ध हो गया है।

चूंकि मैं मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के उक्त प्रस्तरों को प्रस्तर 5.2 में उद्धरित कर चुका हूँ। तथापि मेरी दृष्टि में अनुज धर (सीडब्ल्यू–3) के साक्ष्यों पर विचार करते समय, उक्त प्रस्तरों को पुनः उद्धरित करना आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त से अतिरिक्त, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रति–परीक्षण के दौरान प्रश्न क्रमांक–1के उत्तर में अभिसाक्षी ने स्वीकार किया था कि वह गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी से नहीं मिला था।

उपरोक्त कारणों से, मैं अभिसाक्षी के इस दावे को कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को स्वीकार नहीं करता हूँ।

5.25 अगले अभिसाक्षी जिनके साक्ष्य के परीक्षण का मैं प्रस्ताव करता हूँ सी०डब्ल्यू०–27 राम प्रताप यादव, आयु लगभग 55 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय राम गोपाल यादव, निवासी ग्राम पलियागाँव, तहसील सोहावल, जनपद फैजाबाद हैं। संक्षिप्त में उनके साक्ष्य को निम्नवत् दर्शाया गया है–

सन् 1980 में वह साकेत महाविद्यालय में बी0एससी0 में अध्ययन कर रहे थे तथा फैजाबाद नगर में अवस्थित डा0 आर0पी0मिश्रा के परिचर्या गृह (नर्सिंग होम) में कंपाउण्डर के रूप में काम भी करते थे। डा0 आर0पी0 मिश्रा के साथ वह अयोध्या में छोटी देवकाली मंदिर जाते थे जहाँ भगवानजी के पैर के एक पुराने घाव काउपचार किया गया था जो ठीक नहीं हो रहा था। वहाँ देवकाली मंदिर में जहाँ

भगवानजी निवास किया करते थे अत्यधिक आर्द्रता थी। डा0 आर0पी0 मिश्रा ने अनुभव किया कि उन्हें ऐसे मकान में रहना चाहिए जहाँ आर्द्रता न हो, पर्याप्त प्रकाश हो तथा समीप में रहने वाले लोगों की पहुँच न हो। अंततः इस प्रकार का एक मकान जिसका नाम राम भवन था, फैजाबाद नगर में पाया गया था, जिसमें किसी मध्यरात्रि को भगवानजी अपने सामान के साथ स्थानान्तरित हो गये थे।

अभिसाक्षी के साक्ष्य दर्शाते हैं कि जब भगवानजी अयोध्या में रहते थे, तो वह निरन्तर उनसे मिलते थे और उनको दूध तथा पीली सरसों (भगवानजी को ये वस्तुएं बहुत प्रिय थीं) की आपूर्ति भी किया करते थे। भगवानजी उनके समीप में निवास करने वाले लोगों के बारे में उनसे जाँच पड़ताल करते थे। प्रति वर्ष 23 जनवरी को भगवानजी का जन्मदिन राम भवन में भव्यता से मनाया जाता था जिसमें कलकत्ता से आये लोग सम्मिलित होते थे। उनमें से एक श्री पी0एम0राय थे। भगवानजी की मृत्यु पर कलकत्ता में श्री पी0एम0राय और अन्यों को तार के माध्यम से सूचित किया था और जब 2/3 दिनों तक कलकत्ता से कोई नहीं आया तो डा0 आर0पी0मिश्रा ने अपने सहयोगियों के साथ गुप्तार घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया। 20/25 दिनों के पश्चात, डा0 टी0सी0बनर्जी, डा0 बी0राय और कुछ अन्यों ने डा0 आर0पी0 मिश्रा के साथ बातचीत करना प्रारंभ किया कि भगवानजी के बैठक कक्ष में रखे कुछ बहुत मूल्यवान वस्तुओं का क्या हुआ। तत्पश्चात डा0 टी0सी0 बनर्जी, डा0 बी0 राय और कुछ अन्यों ने दावा करना प्रारंभ किया कि भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे और इस तथ्य को **'नये लोग'** नाम से जाने वाले समाचार पत्र मे प्रमुखता से प्रक्षेपित भी किया गया था।

अभिसाक्षी के साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि लगभग उसी समय पर ललिता बोस, नेताजी की भतीजी डा0 आर0पी0 मिश्रा के निवास पर आई थी और भगवानजी का एलबम (चित्रावली) और कुछ वस्तुओं को देखकर कहा था कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। उन्होंने (अभिसाक्षी) ने अनुभव किया कि भगवानजी के समान, ललिता बोस की ध्वनि में वजन था और उनके मस्तिष्क में आया था कि व्यक्ति जिसकी वह सेवा करते थे संभवतया वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

अभिसाक्षी का आयोग द्वारा प्रति–परीक्षण भी किया गया था। वहाँ उनके समक्ष दो प्रश्न रखे गये थे। प्रथम प्रश्न था कि क्या 16/09/1985 (भगवानजी की मृत्यु की तिथि) और 31 जनवरी, 2017(आयोग द्वारा उनके वक्तव्य के अभिलेखन की तिथि) के मध्यउन्होंने किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को बताया कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। इस पर उनका उत्तर था कि 1985 के पश्चात वह और उनके सहयोगी राम प्रसाद रसिक, नुसरत कुद्दसी और अन्य बहुतों ने इसके बारे में बात की थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने किसी प्राधिकारी को इसके बारे में नहीं बताया था क्योंकि उन्हें यह करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ तथा वह दुविधा में भी रहे क्योंकि बाबा किसी के समक्ष कभी नहीं आये थे। अभिसाक्षी से किया गया द्वितीय प्रश्न था कि क्या भगवानजी जो उनसे मिलने आते थे, उनसे आमने–सामने बात किया करते थे। उन्होंने उत्तर दिया कि

भगवानजी किसी के साथ आमने–सामने बातचीत नहीं करते थे। वे परदे के पीछे से बात करते थे। वह (अभिसाक्षी) भी उनसे परदे के पीछे से मिलता और बात करता था। भगवानजी एक पहिये वाली कुर्सी पर बैठते थे और अपना चेहरा छुपा लिया करते थे।

मैंने राम प्रताप यादव के वक्तव्य का परिशीलन किया और मेरी दृष्टि में इससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। मस्तिष्क में यह आया कि अभिसाक्षी ने स्वयं अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि यहाँ गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस होने की संभावना थी। उनके मुख्य परीक्षण का परिशीलन दर्शाता है कि उनके निष्कर्ष ललिता बोस ने भगवानजी की चित्रावली को देखने तथा भगवानजी की वस्तुओं और उनकी तथा भगवानजी की ध्वनि के मध्य समानता के कथनों पर आधारित था। मुझे भय है कि चूंकि अभिसाक्षी के साक्ष्य दर्शाते हैं कि वह किसी स्वतंत्र निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे और उसका निष्कर्ष ललिता बोस के विचार पर प्राथमिक रूप से आधारित था, यह मानना संकटमय होगा कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। किसी भी मूल्य पर एक मात्र संभावना कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे को आयोग मान नहीं सकता कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

मेरी दृष्टि में वास्तव में, गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस होने की यहाँ पर कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि पूर्व में उल्लिखित मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठों 121 तथा 122 के प्रस्तरों पर वर्णित डी0एन0ए0 परीक्षण द्वारा यह असत्य सिद्ध हो चुका है।

चूंकि मैंने अनुज धर सीडब्ल्यू–3 के साक्ष्य पर विचार करते समय मुखर्जी आयोग के उक्त प्रस्तरों को प्रस्तर 5.2 में उद्धरित किया है इसलिए उक्त प्रस्तरों को पुनः उद्धरित करना मेरी दृष्टि में आवश्यक नहीं है।

यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रति–परीक्षण में अभिसाक्षी ने स्पष्टतया स्वीकार किया था कि भगवानजी ने कभी किसी से आमने–सामने बातचीत नहीं की। उस (अभिसाक्षी) ने भी उनसे परदे के पीछे से बातचीत की तथा यहाँ तक कि जब भगवानजी अपनी पहिये वाली कुर्सी पर चलते थे, उनका चेहरा ढका हुआ होता था।

मैंनेअभिसाक्षी के आचरण को भी बहुत अप्राकृतिक पाया क्योकि प्रति–परीक्षण के दौरान उन्होंने स्वीकार किया था कि 16/09/1985 (भगवानजी की मृत्यु की तिथि) और 31 जनवरी, 2017 (आयोग द्वारा उनके वक्तव्य के अभिलेखन की तिथि) के मध्य उन्होंने किसी प्राधिकारी को नहीं बताया कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, क्योंकि ऐसा करने का उन्हें कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। मैं उनके इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ।

उपरोक्त कारणों से, मैं अभिसाक्षी के इस दावे को स्वीकार करने को इच्छुक नहीं हूँ, कि यहाँ कोई संभावना थी कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। किसी भी मूल्य पर, इस प्रकार की संभावना के आधार पर, आयोग मान नहीं सकता कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

5.26 अब मैं सीडब्ल्यू–28 मनजीत सिंह, आयु लगभग 62 वर्ष, पुत्र गुरू बक्श सिंह, निवासी 530/1 ब्रह्म कुण्ड, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या, जनपद फैजाबाद के वक्तव्य को लेता हूँ। संक्षिप्त में उनका वक्तव्य निम्नवत् है–

गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी उनके पिता के आवास क्रमांक 530/1, ब्रह्म कुण्ड पर स्थित, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या, में किरायेदार के रूप में 150/– मासिक किराये पर दिनांक 15/01/1975 से 15/05/1978 तक रुके थे। प्रति वर्ष उनका जन्मदिन 23 जनवरी को मनाया जाता था और कलकत्ता से 4–5 व्यक्ति जन्मदिन के उत्सव में सम्मिलित होने आते थे। उपरोक्त मकान में गुमनामी बाबा अपनी सेविका श्रीमती सरस्वती देवी के साथ रहते थे, जिन्हें वह जगदम्बे के नाम से संबोधित करते थे। डॉ0 टी0सी0बनर्जी और डॉ0 पी0 बनर्जी जो उनका उपचार करते थे से भिन्न व्यक्ति श्रीमती सरस्वती देवी से पूर्व अनुमति के पश्चात ही केवल उनसे मिल सकते थे। वे मकान के बाह्य कक्ष में एक दरी पर बैठा दिये जाते थे और गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी समीपस्थ कक्ष से उनसे बात करते थे, जिसके द्वार पर एक मोटा परदा होता था जिसके कारण से वे उनको देखने की स्थिति में नहीं होते थे। गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की गर्जना वाली ध्वनि थी तथा उनकी वार्ता से यह प्रकट होता था कि उनको लगभग सभी विषयों का ज्ञान था।

अभिसाक्षी के साक्ष्य दर्शाते हैं कि वह उन्हें देखने का उत्सुक था। अतः जब वह साइकिल पर उनके घर के सामने से निकलता था, वो वह उनके घर की ओर देखना प्रारंभ कर देता था। एक बार जब वह उनके घर के सामने से निकल रहा था, उसने देखा कि एक खिड़की (जिसमें कॉच लगा था) से गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी बाहर की ओर देख रहे थे। समय 3–4 बजे सांय का था। गुमनामी बाबा का चेहरा देखकर वो व्यग्र हो गया था तथा गुमनामी बाबा ने अनुभव किया कि उन्होंने उन्हें देख लिया था, उन्होंने तत्काल खिड़की छोड़ दी थी। उन्होंने (अभिसाक्षी) ने पाया कि गुमनामी बाबा के चेहरे पर वहाँ गोल चश्मा था, जिसमें वह चित्र में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के समान दिखाई दे रहे थे।

अभिसाक्षी के साक्ष्य अग्रतर दर्शाते हैं कि श्रीमती सरस्वती देवी ने मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया था; नगर पालिका के अभिलेखों में उनका नाम किरायेदार के रूप में प्रविष्ट पाया गया है; और मकान को उनके नाम पर आवंटित किये जाने का प्रयास किया गया था। इसका परिणाम एक वाद के रूप में हुआ था, जिसमें वहाँ 23/11/1977 को एक समझौता हुआ था।

अभिसाक्षी के साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि चूंकि लोग रात में गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी से मिलने आते थे, उनके पिता ने अनुभव किया कि कदाचित कोई अवांछित व्यक्ति मकान में रहता था और परिणामतः जनपद मजिस्ट्रेट, फैजाबाद को एक प्रार्थना पत्र दिया था। स्थानीय अभिसूचना इकाई के निरीक्षक तिवारी जाँच पड़ताल के लिए आये थे परन्तु श्रीमती सरस्वती देवी ने डांट कर उन्हें भगा दिया था। उस समय, अयोध्या पुलिस थाने के कोतवाल श्री ह्रदय नारायण सिंह उपाख्य जालिम सिंह थे, जिन्होंने उनके पिता को कहा था और उन्हें बताया कि इस प्रकरण में गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी को उन्हें मकान में रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, उन्होनें उनको मीसा के अधीन हिरासत में लिया और अयोध्या कोतवाली में बंद कर दिया था। इस पर अभिसाक्षी की माता जनपद मजिस्ट्रेट,फैजाबाद से मिली थीं, उनके तत्काल हस्तक्षेप से, उनके पिता उसी दिन मुक्त कर दिये गये थे।

अभिसाक्षी के साक्ष्य अग्रतर दर्शाते हैं कि एक रात लगभग 9.00 बजे एक नीली अम्बेसेडर कार जिसका नंबर यूटीसी 3817, में श्री श्याम लाल, उपमहानिरीक्षक, फैजाबाद परिक्षेत्र गुमनामी बाबा उपनाम भगवानजी से मिले थे।

अभिसाक्षी के साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि वर्ष 1978 में गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी ने उनके पिता के आवास को छोड़ दिया था और छोटी देवकली के समीप स्थित लखनऊवां मंदिर, अयोध्या चले गये थे। उनके पिता ने कुछ पत्र श्री वी0एन0अरोड़ा को भी दिये थे, जो एन0आई0पी0 के एक संवाददाता थे, जिन्होंने उन्हें बताया था कि उन्होंने अपने समाचार पत्र में कुछ समाचार प्रकाशित किये थे (एन0आई0पी0 जो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था)।

मैंने मंजीत सिंह के वक्तव्य का अवलोकन किया और मेरी दृष्टि में किसी प्रकार यह आयोग को गुमनामी बाबा उपनाम भगवानजी, जो अपनी मृत्यु के पूर्व राम भवन, फैजाबाद में रहते थे और जिनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 को किया गया था की पहिचान में सहायक नही हैं (उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनांक 28/06/2016 द्वारा आयोग को उनके अभिज्ञान हेतु निदेशित किया गया)। यह सत्य है कि अभिसाक्षी ने यह कहा है कि एक दिन लगभग 3–4 बजे अपराह्न जब वह उनके घर के सामने से निकल रहा था उसने देखा गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी एक कॉच की खिड़की के निकट गोल फ्रेम के चश्में को पहने हुए खड़े हैं, उन्होंने चित्र में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को जिस प्रकार का देखा था, वे उसी भॉति के थे। मेरी दृष्टि में, केवल इस परिस्थिति से, यह निष्कर्ष निकालना खतरनाक होगा कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, क्योंकि प्रायः लोग गोल फ्रेम का चश्मा पहनते हैं। पूर्ण निष्पक्षता से , मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभिसाक्षी ने अपने वक्तव्य में कहीं पर भी नहीं कहा कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

पुनरावृत्ति के मूल्य पर, मैं यह दर्शाना पसंद करूंगा कि सीडब्ल्यू–28 मंजीत सिंह के साक्ष्य ने गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की पहिचान की खोज में आयोग की सहायता नहीं की।

5.27. अगले अभिसाक्षी, जिनके साक्ष्य के परीक्षण/मूल्यांकन का मैं प्रस्ताव करता हूँ, वे प्रोफेसर द्वारका नाथ बोस, जिनकी आयु लगभग 79 वर्ष, पुत्र डा0 सुनील चन्द्र बोस, 7/2, शार्ट स्ट्रीट कोलकाता–700017 के निवासी हैं। संक्षेप में उनके साक्ष्य का परिशीलन निम्नवत् दर्शाया गया है–

उनके पिता डा0 सुनील चन्द्र बोस नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बड़े भाई थे। न्यायमूर्ति एम0के0मुखर्जी जाँच आयोग ने गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, के प्रकरण पर विचार किया था और इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि वहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं था कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। न्यायमूर्ति एम0के0 मुखर्जी जाँच आयोग के अनुरोध पर डी0एन0ए0 परीक्षण के लिए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के स्वजन तथा परिजन के रक्त प्रदर्शों को एकत्रित किया गया था। मैं (अभिसाक्षी) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भतीजों में से एक हूँ, ने डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु रक्त का प्रतिदर्श दिया था।

राम भवन, सिविल लाइन, फैजाबाद जहाँ गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी (जिनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 को किया था) रहते थे, से नौ दाँत एकत्र किये गये थे; उनमें से पाँच को केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कलकत्ता भेजा गया था, उनमें से तीन का परीक्षण करने के पश्चात (एक्सट0 2 से 4) विशेषज्ञ डा0 वी0के0कश्यप ने अभिमत दिया कि वे मध्यम आयु के एकल पुरूष व्यक्ति से संबंधित हैं और दाँतों का व्यष्टिक स्त्रोत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के मातृ या पितृ डी0एन0ए0 वंशावली से संबंधितनहीं है, अतः ये नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नहीं हो सकते। चूंकि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के साथ वृद्ध आयु के मात्र सदस्य जो उनके साथ रहती थीं श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला थीं, डा0 कश्यप की डी0एन0ए0 रिपोर्ट के आधार पर न्यायमूर्ति एम0के0 मुखर्जी जाँच आयोग ने सिद्ध किया था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं हो सकते। अभिसाक्षी ने बताया था कि उसकी व्यक्तिगत विचार भी थे कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे।

अभिसाक्षी के वक्तव्य का अवलोकन यह भी दर्शाता है कि उसके द्वारा प्रस्तुत द्वितीय कारण, कि क्यों गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं हो सकते क्योंकि ब्रिटिश कारागारों में लगभग 11 वर्षों तक कारावास के कारण नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का स्वास्थ्य पूर्णतः नष्ट हो गया था और इसलिए वर्ष 1985 में उनके जीवित होने की संभाव्यता नहीं थी (16 सितम्बर, 1985 को गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की कथित रूप से मृत्यु हो थी)।

अभिसाक्षी के वक्तव्य का अवलोकन यह भी दर्शाता है कि जहाँ तक राम भवन, फैजाबाद से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चित्र इत्यादि की प्राप्ति का संबंद्ध

हैं, उनकी आपूर्ति बिजोय नाग द्वारा की गयी थी, जैसा टाइम्स ऑफ इण्डिया, कोलकाता की कतरनों (कटिंगों) से प्रकट होता है, जिन्हें अभिसाक्षी ने आयोग के समक्ष इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया था कि आयोग उनको अभिलेख में ले; इसे उनके वक्तव्य के भाग के रूप में संव्यवहृत करे। उक्त अनुरोध को आयोग ने स्वीकार किया था; उक्त कतरनों (कटिंगों) को अभिलेख में लिया था तथा इसे एक्स0सी–16 के रूप में चिन्हांकित किया था। उक्त कतरनों (कटिंग) का अवलोकन यह दर्शाता है कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी ने संतोष कुमार भट्टाचार्य उपाख्य तृप्ति और सुनील दास उपाख्य मुकुल से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के माता–पिता और पारिवारिक सदस्यों के चित्र लाने का अनुरोध किया था तथा उक्त व्यक्ति बिजॉय नाग के संपर्क में थे, जिन्होंने उक्त चित्रों को गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी को भेजा था, जिनमें से पाँच को उन्होंने चुना था। प्रथम प्रभावती देवी का था, द्वितीय जानकी नाथ बोस का था, तृतीय में दोनों एक ही फ्रेम में थे, चतुर्थ जानकी नाथ बोस की मृत्यु के पश्चात बाल मुंडाये स्वयं सुभाष चन्द्र बोस का था और पंचम सुभाष चन्द्र बोस के परिवार के अनेकों पारिवारिक सदस्यों का चित्र था। उक्त आलेख में जैसा दर्शाया जा चुका है कि प्रभावती देवी और जानकी नाथ बोस नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के क्रमशः माता और पिता थे।

अभिसाक्षी ने इस बात पर बल दिया है कि उक्त चित्रों की प्राप्ति से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी, जो 18/09/1985 को अपने अंतिम संस्कार से पूर्व राम भवन, फैजाबाद में रहते थे, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

अपने प्रमुख परीक्षण के अंतिम प्रस्तर में, अभिसाक्षी ने यह भी बताया है कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के रूप में मुक्ति पाने के क्रम में, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चित्र पर दाड़ी लगाने के पश्चात एक परिवर्तित चित्र तैयार किया गया था, जैसा कि दिनांक 08/09/2011 के टाइम्स ऑफ इण्डिया, कोलकाता से प्रकट होता है, जिसे उसने आयोग के समक्ष अभिलिखित करने और उसके वक्तव्य के भाग के रूप में पढ़ने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। आयोग ने उक्त समाचार पत्र की कतरन (कटिंग) को पहिचान हेतु एक्स0सी–17 के रूप में चिन्हित करते हुए अभिलिखित किया और निदेशित किया कि इसे अभिसाक्षी के वक्तव्य के रूप में पढ़ा जायेगा।

यह वर्णन करना उचित है कि अभिसाक्षी ने जानकी नाथ बोस, जिनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ था (जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के माता–पिता थे) की वंशावली को भी प्रस्तुत किया था और प्रार्थना की थी कि उक्त वंशावली को अभिलेख में लिया जाये। आयोग ने अभिसाक्षी के अनुरोध को स्वीकार किया था; उक्त वंशावली को अभिलेख में लिया गया था तथा इसे पहिचान हेतु एक्स0सी–15 के रूप में चिन्हित किया गया था।

अभिसाक्षी अपने साथ शपथपूर्वक तीन अभिसाक्ष्य भी लाया था, (अपने शपथपत्र के वक्तव्यों में अनुचित रूप से साक्ष्य के रूप में वर्णित), अर्थात प्रोफेसर चित्रा घोष,

आयु लगभग 87 वर्ष, और कृष्णा घोष, आयु लगभग 77 वर्ष और नीता घोष, आयु लगभग 75 वर्ष, जो सभी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की वास्तविक भतीजी थीं (जैसा उनके द्वारा प्रस्तुत वंशावली से प्रकट होता है) ने कोलकाता के किसी लेख्य प्रमाणक (नोटरी) के समक्ष शपथ युक्त वक्तव्यों को स्वीकार करने का आग्रह किया था, क्योंकि न्यायसंगत कारण उसमें समाविष्ट थे, और वे आयोग के समक्ष उपस्थित होने और अभिसाक्ष्य देने की स्थिति में नहीं थे। आयोग ने उक्त अभिसाक्ष्यों का परिशीलन किया; व्यक्तियों के अनुरोध को उचित पाया तथा निदेशित किया कि उनको उनके वक्तव्य के अनुसार संव्यवहृत किया जायेगा। चित्रा घोष के अभिसाक्ष्य को सीडब्ल्यू–30, कृष्णा घोष को सीडब्ल्यू–31 और नीता घोष को सीडब्ल्यू–32 के रूप में चिन्हित किया गया।

अभिसाक्षी का आयोग द्वारा प्रति–परीक्षण किया गया। वहाँ उनके समक्ष एकमात्र यह प्रश्न रखा गया, अर्थात, क्या वे गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी, जो अपनी मृत्यु के पूर्व राम भवन, फैजाबाद में रहते थे और जिनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 को किया गया था, से व्यक्तिगत रूप से मिले थे? इस का उत्तर उन्होंने नकारात्मक रूप में दिया था।

मैंने प्रोफेसर द्वारका नाथ बोस के वक्तव्य का अवलोकन किया था। उसमें समाविष्ट दृढ़कथनों पर अपना उत्कंण्ठित विमर्श प्रदान करने के पश्चात, मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत हूँ कि मुखर्जी आयोग की जाँच रिपोर्ट ने उक्त रिपोर्ट के पृष्ठों 121 तथा 122 के प्रस्तरों 4.15.10 और 4.15.11 में उल्लिखित डी0एन0ए0 परीक्षण की दृष्टि में गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे असत्य सिद्ध हो चुका है।

चूंकि मैंने मुखर्जी आयोग रिपोर्ट के उक्त प्रस्तरों को अनुज धर (सीडब्ल्यू–3) के साक्ष्य के साथ विचार करते समय प्रस्तर 5.2 में उद्धरित किया है, अतः मेरी दृष्टि में उक्त प्रस्तरों को पुनः उद्धरित करना आवश्यक नहीं है।

मेरी दृष्टि में यदि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस होते, तो डी0एन0ए0 रिपोर्ट ये नहीं होती ''वैयक्तिक– दांतों का स्त्रोत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मातृ या पितृ वंशावली के डी0एन0ए0 से संबंध नहीं रखता है, इसलिए, वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं हो सकते।

अभिसाक्षी का यह प्राक्कथन कि राम भवन, फैजाबाद से नेताजी के चित्रों की प्राप्ति को इस तथ्य का प्रमाण नहीं माना जा सकता कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वहाँ रहते थे, एक्स0सी–16 (दिनांक 17/03/2016 के टाइम्स ऑफ इण्डिया, कोलकाता की कतरन) के अवलोकन से सिद्ध होता है कि उक्त चित्रों को बिजॉय नाग द्वारा उनके अनुरोध पर गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी को भेजा गया था।

उपरोक्त कारणों से, मैंनेप्रोफेसर द्वारका नाथ बोस के इस अभिकथन को कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे को उचित पाया।

5.28 अब मैं सीडब्ल्यू–30 प्रोफेसर चित्रा घोष, पुत्री शरत चन्द्र बोस के अभिकथन को लेता हूँ, वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के वास्तविक भाई थे। कोलकाता के किसी लेख्य प्रमाणक (नोटरी) द्वारा सत्यापित, उक्त अभिकथन में प्रोफेसर चित्रा घोष ने आरंभ में अपनी अनिच्छा प्रकट की और अभिकथित किया कि, उनके लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होना संभव नही होगा और इसे आयोग के समक्ष उनके अभिकथन के रूप में संव्यवहृत किया जाये। उक्त अभिकथन को सीडब्ल्यू–29 प्रोफेसर द्वारका नाथ बोस, पुत्र डा0 सुनील चन्द्रा बोस द्वारा मुझे हस्तगत कराया गया था, जो शरत चन्द्र बोस(प्रोफेसर चित्रा घोष के पिता) के वास्तविक भाई थे, जिसे दिनांक 22/2/2017 को उन्होंने आयोग के समक्ष अभिकथित किया। अपने वक्तव्य में प्रोफेसर ने कहा था कि प्रोफेसर चित्रा घोष की आयु लगभग 87 वर्ष है ।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत्, प्रोफेसर चित्रा घोष के उपरोक्त अभिकथन को जैसा उनका वक्तव्य आयोग के समक्ष है, मैं संव्यवहृत कर रहा हूँ।

बहुत प्रारंभ में उन्होंने यह वक्तव्य दिया था कि फैजाबाद के गुमनामी बाबा एतद्पश्चात वर्णित कारणों से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे, और नहीं हो सकते हैं :

1. मुखर्जी आयोग ने स्पष्टतः बल दिया था कि गुमनामी बाबा के संबंध में डी0एन0ए0 परीक्षण की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता द्वारा संचालित की गयी थी,जिसने सिद्ध किया कि प्रयोगशाला को गुमनामी बाबा के संदर्भित दाँत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नहीं हो सकते।
2. मुखर्जी आयोग ने माना कि यद्यपि एक हस्तलिपि विशेषज्ञ की दृढ राय थी कि गुमनामी बाबा से प्राप्त हस्तलिपि का प्रतिदर्श, अर्थात जो कुछ पुस्तकों और पत्रिकाओं में पाये गये थे, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के थे, परन्तु तीन अन्य समान रूप से लब्ध प्रतिष्ठित हस्तलिपि विशेषज्ञों ने प्रतिकूल राय दी थी। बहुमत के राय के आलोक में मुखर्जी आयोग ने प्रकरण को अग्रतर आगे बढ़ानें की आवश्यकता नहीं समझी।
3. गंभीर वेदनायें और रूग्णता जिन से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ग्रसित थे और उनके बारम्बार कारावास के कारण, यह कदाचित अकल्पनीय है कि अस्सी के दशक के अंत तक एक नश्वर मनुष्य के रूप में वह जीवित रह सकते थे, ऐसा ही गुमनामी बाबा का प्रकरण था (सुभाष चन्द्र बोस का जन्म 1897 में हुआ था और गुमनामी बाबा की मृत्यु 16/09/1985 को हुई थी)।
4. सुभाष चन्द्र बोस अदम्य साहस और असीमित ऊर्जा के व्यक्ति थे तथा यह विश्वास करना असंभव है कि वह फैजाबाद में किसी के मकान में परदे के पीछे रहते थे।

5. सुभाष चन्द्र बोस अपने माता–पिता, सहादरों, भतीजों, अपनी पत्नी और नवजात पुत्री से बहुत अधिक प्रेम करते थे तथा यदि वह जीवित होते और भारत लौटे होतेतो यह अविश्वसनीय है, कि वह अपने परिवार, जिसे वह अत्यन्त प्रेम करते थे, से दूर रहते।
6. गुमनामी बाबा की पहिचान को सिद्ध करने के प्रसंग में, वह किसी प्रकार से, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस होने के दावों के साथ प्रथम पवित्र आदमी नहीं हैं। यहाँ पर अनेकों दावे हैं, सभी अंत में असत्य सिद्ध हुए। कुछ कहते हैं कि एक दिन वह भारत में जीवित अवतरित होंगे जबकि अन्यों का तर्क है कि रूस में उनकी मृत्यु हो गयी और वे गुमनामी बाबा नहीं हो सकते।
7. साक्ष्य जिनके आधार पर लोग दावा करते हैं कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, प्रकृति से किवदन्ती थी। उनके अधिकार में पायी गयी वस्तुयें, जो बोस परिवार और विशेषतः सुभाष चन्द्र बोस की व्यक्तिगत प्रकृति की थी, से बहुत कुछ निर्मित है। उदाहरणार्थ, परिवार के चित्र, गोल काँचों का चश्मा तथा सुभाष चन्द्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस से संबंधित छाता इत्यादि। गुमनामी बाबा के अनुयायी उक्त वस्तुओं को (समय–समय पर उनके विशिष्ट अनुरोध पर) कलकत्ता से लाये थे।
8. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की हस्तलिपि यह दर्शाती है कि वह क्रियाशील व्यक्ति थे। वह वे व्यक्ति थे जिन्होंने अत्यन्त लघु अवधि में यूरोप और एशिया दोनों में भारतीय युद्धक बल कानिर्माण किया था और निःसंदेह निर्वासन में भारतीय अंतरिम सरकार का गठन किया था।
9. यह धारणा बनाना अनुचित है कि उनके पिता शरत चन्द्र बोस को ज्ञात था कि सुभाष चन्द्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई थी। उनके संवाददाता ने स्पष्ट किया कि उनको एक अनुभूति से अधिक कुछ नहीं था कि उनके भाई 1945 के पश्चात अभी भी जीवित थे, परन्तु कोई ठोस साक्ष्य नहीं था।

अंतिम प्रस्तर में, अभिसाक्षी ने निम्नवत् बयान दिया है :

''संक्षेप में, यह असंभव है कि नेताजी जैसा व्यक्ति 1945 से एकान्तता में गायब हो गया, 40 वर्षों पश्चात 88 वर्ष की आयु तक–दशकों तक जिसमें उनका प्रिय भारत संकटों में लड़खड़ाया, जिसका प्रारंभ भयंकर धार्मिक आधार पर विभाजन की त्रासदी से हुआथा। क्या सुभाष चन्द्र बोस मूर्खता से खड़े रहते जब साम्प्रदायिकता की यंत्रणायें, व्यापक निर्धनता और अनैतिक सरकार भारत के लोगों पर आक्रमण कर रहे हों। मैं पूर्णतया स्पष्ट कहूँगा कि यह असंभव है।''

मैंने प्रोफेसर चित्रा घोष के वक्तव्य का परिशीलन किया और उसमें समाविष्ट प्रक्कथनों पर अपना उत्कण्ठित विचार देने के पश्चात, मैं गुमनामी बाबा, जिनका अंतिम संस्कार 18/9/1985 को किया गया था, जो अपनी मृत्यु के पूर्व राम भवन, फैजाबाद में रहते थे वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे को मानने को प्रवृत्त था। अन्य वृद्ध सदस्य जो उनके साथ रहीं, वह श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला थीं। यह उल्लेख करना उचित है कि नौ दाँत जो राम भवन,फैजाबाद में पाये गये थे में से पाँच दाँत के साथ सुभाष चन्द्र बोस के पितृ पक्ष के दो वंशजों और मातृ पक्ष के तीन वंशजों के रक्त के प्रदर्शों को डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता को भेजा गया था तथा डी0एन0ए0 विशेषज्ञ डा0 वी0के0 कश्यप ने पाँच में से तीन दाँतों का डी0एन0ए0 परीक्षण किया और निष्कर्ष निकाला कि प्रेषित दाँत (एक्स 2 से 4) किसी एकल वृद्ध मानव पुरूष से संबंधित है (कथित रूप से गुमनामी बाबा के) और दाँतों का व्यक्तिगत स्त्रोत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मातृ या पितृ डी0एन0ए0 वंशावली से संबंधित नहीं हैं, अतः, वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नहीं हो सकते।

चूंकि श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला के अतिरिक्त गुमनामी बाबा ही मात्र वृद्ध सदस्य थे जो राम भवन, फैजाबाद में रहते थे, क्या वह सुभाष चन्द्र बोस थे? डी0एन0ए0 विशेषज्ञों ने ऐसी रिपोर्ट नहीं दी कि ''दाँतों का व्यक्तिगत स्त्रोत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के मातृ या पितृ डी0एन0ए0 वंशावली से मेल नहीं खाता, अतः वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं हो सकते''।

मैंने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठों 121 तथा 122 के प्रस्तरों 4.15.10 और 4.15.11 से उपरोक्त तथ्यों को उद्धरित किया और मेरी दृष्टि में प्रोफेसर चित्रा घोष का यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि न्यायमूर्ति एम0के0 मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट ने गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को अस्वीकार कर दिया था।

गुमनामी बाबा सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे को दर्शाने हेतु प्रोफेसर चित्रा घोष द्वारा प्रस्तुत किया गया द्वितीय कारण था कि मात्र एक ही हस्तलिपि विशेषज्ञ का अभिमत था कि गुमनामी बाबा की प्रदर्श हस्तलिपि, अर्थात, जो कुछ पुस्तकों और पत्रिकाओं में पाई गई, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की थी और चूंकि तीन अन्य समान रूप से प्रख्यात हस्तलिपि विशेषज्ञों ने प्रतिकूल विचार व्यक्त किये थे, मुखर्जी आयोग को (बहुमत के विचारों के आलोक में) प्रकरण को आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा था। मुखर्जी आयोग द्वारा रिपोर्ट के पृष्ठ 121 के प्रस्तर 4.15.9 में इस पक्ष पर विचार किया था। चूंकि मैनें सीडब्ल्यू–3 अनुज धर के साक्ष्य के प्रस्तर 5.2 में संव्यवहार के साथ उक्त प्रस्तर को उद्धरित किया था, अतः मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता।

मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तर 4.15.9 में समाविष्ट कारणों के अवलोकन के पश्चात, मेरा यह विचार है कि प्रोफेसर चित्रा घोष ने निष्कर्ष में यह औचित्य प्रमाणित किया था कि, हस्तलिपि विशेषज्ञों के साक्ष्य नहीं दर्शाते कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

मैंने भी प्रोफेसर चित्रा घोष के तर्क में गुण पाया कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जैसे साहसी और निडर व्यक्ति अपनी पत्नी, पुत्री और अपने विस्तारित परिवार के सदस्य जो उन्हें अत्यन्त प्रिय थे, से दूर राम भवन, फैजाबाद में परदे के पीछेरहेंगे।

सीडब्ल्यू–11 अयोध्या प्रसाद गुप्ता द्वारा प्रस्तुत इस व्याख्या को मैं अस्वीकार करता हूँ और सीडब्ल्यू–36 शीतला प्रसाद के मस्तिष्क में जो शंका जागृत हुई कि चूँकि शक्ति के हस्तांतरण अधिनियम में (जिसके माध्यम से भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी) एक उपबंध था कि यदि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भारत में पाये गये, तो उन्हें ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दिया जायेगा, इसलिए वह एक गुमनामी अस्तित्व बिता रहे थे, उदाहरणार्थ परदे के पीछे जीवन। क्योंकि, जब से खोसला और शाहनवाज जाँच आयोगों ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो इस आयोग द्वारा उक्त अभिसाक्षियों के साक्ष्यों के 40 वर्ष पूर्व की थीं, भारत सरकार की सुसंगत राय थी कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस 1945 में फारमोसा में विमान दुर्घटना में मारे गये थे और चूँकि इस आयोग द्वारा अभिलिखित साक्ष्य दर्शाते हैं कि गुमनामी बाबा बहुत उच्च शिक्षित, राजनीतिक प्रकरणों में पूर्ण जानकार (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मामलों में) व्यक्ति थे, यह सुरक्षित रूप से परिकल्पित किया जा सकता है कि वह भारत सरकार की इस राय से पूर्ण परिचित थे और इसलिए ब्रिटिश प्राधिकारियों को हस्तांतरित किये जाने के डर से उन्हें गुमनामी बने रहने को कहीं प्रेरित तो नहीं किया? उक्त कारणों से, सीडब्ल्यू–11 अयोध्या प्रसाद गुप्ता की उपरोक्त व्याख्या और आशंका जो सीडब्ल्यू–36 शीतला प्रसाद के मस्तिष्क में जागृत हुई थी, आधार रहित है।

प्रोफेसर चित्रा घोष ने राम भवन, फैजाबाद से परिवार के चित्रों, गोल काँच के चश्मों, सुभाष चन्द्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस से संबंधित छाता आदि की प्राप्ति का भी कारण बताया है कि यह स्थापित नहीं करते कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वहाँ रहते थे, क्यों कि उक्त वस्तुएं गुमनामी बाबा ने अपने अनुयायियों द्वारा अपने अनुरोध पर कलकत्ता से मंगवाई थीं।

प्रोफेसर चित्रा घोष ने यह भी उल्लेख किया है कि वहाँ पर गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे के दावे के अवलंब में वास्तविक साक्ष्य की कोई झलक नहीं है तथा साक्ष्य किवदन्ती और तीसरे पक्ष के स्त्रोत के हैं। मैनें आयोग के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों को पढ़ा और मैनें पाया कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत साक्ष्य किवदन्ती श्रेणी के हैं।

उपरोक्त कारणों से, मैनें प्रोफेसर चित्रा घोष के तर्क में गुण पाये कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे और उनके अंतिम निष्कर्ष के सार कोइस रिपोर्ट के पृष्ठों 213 और 214 पर उनके स्वयं के शब्दों में शब्दशः उल्लिखित किया गया है।

5.29 सीडब्ल्यू–31 कृष्णा घोष का कोलकाता के लेख्य प्रमाणक (नोटरी) द्वारा सत्यापित शपथपूर्ण अभिसाक्ष्य 22.02.2017 को मुझे उनके पिता के वास्तविक भाई के

पुत्र सीडब्ल्यू–29 प्रोफेसर द्वारका नाथ बोस द्वारा आयोग के समक्ष उनके अभिसाक्ष्य के दौरान हस्तांतरित किया गया था। उन्होंने आग्रह किया था कि इसे उनके वक्तव्य के रूप में आयोग के समक्ष संव्यवहृत किया जाये, क्योंकि इसमें स्वीकार्य तर्क समाविष्ट हैं।और यह तथ्य भी सम्मिलित है कि वह लगभग 77 वर्ष आयु की थीं, वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होने में अक्षम थीं। प्रोफेसर द्वारका नाथ बोस के अनुरोध को विचारने के पश्चात और कृष्णा घोष के शपथपूर्ण वक्तव्य को पढ़ने पर, जिन्होंने उसमें बताया था कि इन दिनों उनके लिए यात्रा करना सरल नहीं है, मैने उनके अनुरोध को उचित पाया और इसे सीडब्ल्यू–31 के रूप में चिन्हित किया। इसका परिशीलन निम्नवत् दर्शित है–

उनके पिता शैलेष बोस नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अनुज थे। कुछ संगठन और व्यक्ति गुमनामी बाबा को छुपे या बदले हुए भेस में उनके चाचा सुभाष चन्द्र बोस के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह एक झूठ का जाल है और सुभाष चन्द्र बोस जो भारत के प्रतिष्ठित नायक थे की गरिमा और सम्मान का निरादर है। सुभाष चन्द्र बोस प्रथम राष्ट्रीय, स्वतंत्र भारत सरकार (निर्वासन में) की स्थापना के लिए उत्तरदायी थे और उन्होंने एक वास्तविक राष्ट्रीय सेना का गठन किया था। वह वो व्यक्ति नहीं थे, जो छुप कर भारत वापस लौटे और दशकों तक स्वयं को कपटवेश में गुप्त रखे रहे, जबकि उनकी भारत माता विभाजन की यंत्रणाओं तथा स्वतंत्रता पश्चात् के घावों से ग्रस्त थी।

मैनें कृष्णा घोष के अभिसाक्ष्यों का परिशीलन किया और उनके तर्क में गुण पाया कि गुमनामी बाबा सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे। मेरी दृष्टि में वे क्रियात्मक व्यक्ति थे और ऐसा व्यक्ति गुमनामी बाबा के समान दशकों तक अपने को छुपाये नहीं रखेगा तथा व्यक्तियों से अपने चेहरे को छुपाने के लिए परदे के पीछे से बात करेगा, जबकि भारत विभाजन की यंत्रणाओं और स्वतंत्रता पश्चात् के घावों से ग्रस्त था।

5.30 सीडब्ल्यू–32 नीता घोष का कोलकाता के लेख्य प्रमाणक (नोटरी) द्वारा सत्यापित शपथयुक्त वक्तव्य उनके वास्तविक भाई सीडब्ल्यू–29 प्रोफेसर द्वारका नाथ बोस द्वारा 22/02/2017(आयोग के समक्ष शपथ युक्त वक्तव्य के दौरान) को मुझे इस अनुरोध के साथ इसमें समाविष्ट संभाव्य कारणों से हस्तांतरित किया गया था कि नीता घोष व्यैक्तिक रूप से उपस्थित होने में अक्षम थीं और उनके शपथ युक्त वक्तव्य को आयोग के समक्ष उनके वक्तव्य के रूप में संव्यवहृत किया जाये। उनके शपथ युक्त अभिसाक्ष्य के अवलोकन के पश्चात्, जिसमें उन्होंने बताया था, कि चूंकि उनके पति अस्थिभंग के कारण बिस्तर पर लेटे हैं, वह आयोग के समक्ष उपस्थित होने में अक्षम हैं, मैंने उनके अनुरोध को उचित पाया और उनके अभिसाक्ष्य को सीडब्ल्यू–32 के रूप में चिन्हित किया।

नीता घोष ने अपने अभिसाक्ष्य में बताया कि गुमनामी बाबा एतद्पश्चात् वर्णित कारणों से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं हो सकते :

(1) चूँकि न तो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के माता–पिता न ही सहोदर अस्सी के अंतिम दशक तक जीवित रहे, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने जो संकटपूर्ण जीवन

व्यतीत किया, को ध्यान में रखते हुए, यह अधिक संभावना नहीं है, कि वे 88 वर्ष की आयु तक जीवित रहे होंगे (नेताजी का जन्म 1897 में हुआ था तथा गुमनामी बाबा की मृत्यु 16/09/1985 को हुई थी)।

(2) मुखर्जी जाँच आयोग की रिपोर्ट, जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के पितृ और मातृ पक्ष से एकत्रित किये गये तथा अभिकथित गुमनामी बाबा के दाँतों से एकत्रित डी0एन0ए0 प्रतिदर्शों पर आधारित थी, जो दर्शाती थी कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं हो सकते थे।

(3) वर्ष 1960 के प्रारंभ में, कुछ अफवाहें उड़ी थी कि शोउलमारी साधु, जो उत्तरी बंगाल में रहते थे, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। नेताजी के अनेकों प्रशंसक और अनुयायी जो उनसे मिलते थे उनकी पहचान से आश्वस्त नहीं थे और परिणामतः अफवाहें शांत हो गयी थीं। इसी भांति, गुमनामी बाबा के सुभाष चन्द्र बोस होने की अफवाहें कुछ वर्ष पूर्व से घूमनी प्रारंभ हो गयी थी तथा किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के पूर्व उनकी सांगोंपांग जाँच की जानी चाहिए।

(4) नेताजी जैसा कोई क्रियाशील और वास्तविक राष्ट्रभक्त व्यक्ति इस प्रकार की लंबी अवधि के लिए भारत में एकांत में नहीं रह सकता, जब उनकी मातृ भूमि अशांति से गुजर रही थी।

मैंने नीता घोष के अभिसाक्ष्य का परिशीलन किया और उनके इस विश्वास में गुण पाया कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे, क्योंकि मुखर्जी आयोग के पृष्ठों 121 और 122 पर प्रस्तरों 4.15.10 तथा 4.15.11 में उल्लखित डी0एन0ए0 परीक्षण द्वारा उक्त दावा असत्य सिद्ध हो चुका है।

चूँकि मैंने मुखर्जी आयोग के उक्त प्रस्तरों को इस रिपोर्ट के प्रस्तर 5.2 में अनुज धर (सीडब्ल्यू–3) के साक्ष्य को संव्यवहृत करते समय उद्धरित किया है, अतः मेरी दृष्टि में उक्त प्रस्तरों को पुनः उद्धरित करना आवश्यक नहीं है।

चूँकि श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला के अलावा, गुमनामी बाबा ही एक मात्र वृद्ध व्यक्ति थे जो राम भवन, फैजाबाद में रहते थे, यदि वह सुभाष चन्द्र बोस होते तो, डी0एन0ए0 विशेषज्ञों की यह रिपोर्ट नहीं होती कि ''दाँतों का व्यक्तिगत स्त्रोत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के मातृ या पितृ डी0एन0ए0 वंशावली से संबंधित नहीं थे, अतएव वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नही हो सकते।''

मैंने उनके कथन में गुण पाया कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जैसा एक क्रियाशील और वास्तविक राष्ट्रभक्त व्यक्ति इस प्रकार की लंबी अवधि के लिए एकांत में नहीं रह सकता जब भारत अशांति से गुजर रहा था।

यह ध्यान में आना चाहिए कि अभिसाक्षियों के दृढ़ साक्ष्य, जो आयोग के समक्ष रखे गये है, कि वहाँ गुमनामी बाबा और व्यक्ति/व्यक्तियों जिनसे वह बात करते थे के मध्य एक परदा होता था जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। मैं इस विश्वास को नकारता हूँ कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जैसा व्यक्ति, कायरों के समान, इस प्रकार अपनी पहचान को छुपायेगा।

5.31 अब मैं अर्धेन्दु बोस सीडब्ल्यू–33, आयु लगभग 70 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय श्री शैलेष चन्द्र बोस, निवासी 6, साउथलैण्ड, 177, शहीद भगत सिंह मार्ग, कोलाबा, मुम्बई के वक्तव्य को लेता हूँ। संक्षिप्त रूप में इसका परिशीलन निम्नवत् है–

उनके स्वर्गीय पिता श्री शैलेष चन्द्र बोस नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के छोटे भाइयों में से एक थे। उन्होंने बलपूर्वक बताया कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे, एतद्पश्चात् इसके निम्न कारण हैं–

(1) तथापि उनके पिता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के वास्तविक भाई थे और उनकी मृत्यु मार्च, 1984 में हुई थी, तथा उन्होंने (उनके पिता ने) गुमनामी बाबा के बारे में सुना था और बाम्बेमें उनके पिता के आवास पर बहुत शीघ्रता से गुमनामी बाबा की पहचान संबंधी ढेर सारी चर्चाओं ने स्थान ले लिया था, यदि उनके पिता ने अनुभव किया होता कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, तो उन्हें निश्चित रूप से मिलने/देखने जाना चाहिए था, क्योंकि यह उनको निर्धारण में सहायता करता कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे या नही। एक बार भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि उनके पिता ने गुमनामी बाबा से मिलने/देखने की इच्छा प्रकट की हो, जो यह दर्शाता है कि वह सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे।

(2) गुमनामी बाबा की मृत्यु के बारे में तत्काल कोई सूचना नेताजी के परिवार के सदस्यों जैसे श्री अमिय नाथ बोस, श्री शिशिर कुमार बोस, श्री द्विजेन्द्र नाथ बोस और कुछ अन्यों को कलकत्ता में नहीं भेजी गयी थी। वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के न केवल अत्यन्त निकटस्थ थे वरन् उनके साथ बहुत घनिष्ठता से काम भी किया था। यदि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे तो उनकी मृत्यु की सूचना कलकत्ता स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के परिवार के सदस्यों को निश्चित रूप से तत्काल भेजी जानी चाहिए थी।

(3) गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार 18/09/1985 को गुप्तार घाट, फैजाबाद में अत्यन्त गुप्त रीति से मात्र 13 व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया था और गुमनामी बाबा का लोग चेहरा न देखें इसका हर संभव प्रयास किया गया था। यह दर्शाता है कि गुमनामी बाबा वास्तव में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे।

(4) मैनें अपने कार्य के संबंध में (अभिसाक्षियों के कार्य) नियमानुसार 1974 से 1975 तक बारंबार कानपुर की यात्रा की। मेरी अनुभूति है यदि मेरे पिता को तनिक भी संशय होता कि गुमनामी बाबा गुप्त रूप में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, तो वह निश्चय ही उनसे मिलने को मुझसे कहते, जिससे कि गुमनामी बाबा के रहस्य को सुलझाया जा सके, जो उनसे मिलने जाता था उसको वे अपना चेहरा नहीं दिखाते थे और जिस व्यक्ति से बात करते थे उससे एक परदा उनको पृथक करता था।

(5) केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता की डी0एन0ए0 रिपोर्ट संस्थापित करती है कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे। गुमनामी बाबा की मृत्यु के समय उनके साथ राम भवन, सिविल लाइन्स, फैजाबाद में रहने वाली एक मात्र वृद्ध सदस्य श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला थी, जो उनकी देखभाल

करती थी। मुखर्जी आयोग की जाँच रिपोर्ट के पृष्ठों 121 तथा 122 के प्रस्तरों 4.15.10 और 4.15.11 से निम्न तथ्य प्रकट होते हैं–

राम भवन में प्राप्त 09 में से पाँच दाँतों के साथ–साथ नेताजी के पितृ पक्ष के दो वंशजों और मातृ पक्ष के तीन वंशजों से एकत्रित रक्त के प्रतिदर्शों को केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता को डी0एन0ए0 परीक्षण द्वारा दाँतों से संबंधित व्यक्ति की अभिज्ञातता के निर्धारण हेतु भेजा गया था। पाँच में से तीन दाँतों (एक्स 2 से 4) के डी0एन0ए0 परीक्षण के पश्चात, डी0एन0ए0 विशेषज्ञ डा0 वी0के0 कश्यप, निदेशक, प्रयोगशाला ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की ''कि अग्रतर दाँत–(एक्स 2 से 4) किसी वृद्ध आयु एकल मानव से संबंधित हैं–(अभिकथित गुमनामी बाबा)। दाँतों का व्यक्तिगत स्त्रोत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के मातृ या पितृ वंशावली से संबंधित नहीं है, अतएव वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नहीं हो सकते।

जैसा कि मुखर्जी आयोग ने निष्कर्षित किया कि गुमनामी बाबा के साथ रहने वाली अन्य एक मात्र वृद्ध आयु की सदस्य श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला थीं, डा0 कश्यप की रिपोर्ट इस धारणा को ध्वस्त कर देती है कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

(6) राम भवन, फैजाबाद से प्राप्त कुछ वस्तुओं जैसे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के माता–पिता के चित्र, गोल काँच के चश्में का एक जोड़ा तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से संगत कुछ पुस्तकों के आधार पर एक सिद्धांत परिकल्पित किया गया कि गुमनामी बाबा गुप्त रूप में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से इतर कुछ नहीं हैं। इस प्रकार का सिद्धांत विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उपरोक्त वस्तुओं में कुछ को गुमनामी बाबा के अनुरोध पर श्री बिजोय नाग ने भेजा था। किसी भी प्रकार, इन वस्तुओं की प्राप्ति से, यह अंतिम रूप से नहीं कहा जा सकता कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस गुमनामी बाबा थे। जैसा कि मैनें पूर्व में बताया, डी0एन0ए0 साक्ष्य इस दावे को ध्वस्त कर रहे हैं कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

(7) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एक साहसिक व्यक्ति थे। वह एक क्रियाशील व्यक्ति थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का सृजन किया तथा भारत के बाहर आजाद हिन्द की प्रांतीय सरकार की स्थापना की थी। मेरी दृष्टि में, यदि वह जीवित होते तो वह सिंह के समान गर्जन कर रहे होते और गुमनामी बाबा के समान भूमिगत अवस्था में, लोगों से मात्र परदे के पीछे से मिलते हुए; उनसे अपने चेहरे को छिपाते हुए कायर के समान जीवन नहीं व्यतीत कर रहे होते।

मैंने सीडब्ल्यू–33 अर्धेन्दू बोस के वक्तव्य का परिशीलन किया और उपरोक्त कारणों में इस आधार पर गुण पाया जो उन्होंने निष्कर्षित किया था कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे। अर्धेन्दू बोस का वक्तव्य निष्पादित करता है कि गुमनामी बाबा की मृत्यु की सूचना नेताजी के परिवार के सदस्यों को कलकत्ता नहीं भेजी गयी थी और उनका अंतिम संस्कार गुप्त रूप से 18/09/1985 को गुप्तार घाट, फैजाबाद में कर दिया गया था, सीडब्ल्यू–9 रवीन्द्र नाथ शुक्ला,

जिन्होंने अपने प्रमुख परीक्षण में बताया था कि गुमनामी बाबा की मृत्यु पर (16/09/1985 को) उनके चिकित्सक और सच्चे अनुयायी डा0 आर0पी0 मिश्रा ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद से कलकत्ता बेतार संदेश भेजने को कहा था, परन्तु इस प्रकार का कोई बेतार संदेश वास्तव में नहीं भेजा गया था तथा जब उन्होनें डा0 आर0पी0मिश्रा से इस बारे में प्रश्न किया तो वह उत्तर नहीं दे सके, के साक्ष्य से स्वीकृति प्रदान करता है। मैने अर्धेन्दू बोस के संकथन में सार भी पाया कि गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार 18/09/1985 को गुप्तार घाट में मात्र 13 व्यक्तियों की उपस्थिति में चोरी की रीति में किया गया और यह तथ्य कि लोगों को गुमनामी बाबा के चेहरे को देखने की अनुमति नहीं दी गई, भी, दर्शाता है कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे।

मैनें अर्धेन्दू बोस के इस दृढ़कथन में भी गुण पाया कि उनके पिता शैलेष चन्द्र बोस गुमनामी बाबा के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस होने के संबंध में बिना शंका के वह या तो व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने जाते या उनसे (अर्धेन्दू बोस) से मिलने को कहते। यह ध्यान में रखा जाना चाहिये कि शैलेष चन्द्र बोस नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के वास्तविक भाई थे तथा अर्धेन्दू बोस उनके पुत्र होने के नाते नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के वास्तविक भतीजे थे।

अर्धेन्दू बोस का यह दृढ़कथन कि केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता की डी0एन0ए0 रिपोर्ट सुस्थापित करती है कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे, सही है, क्योंकि यदि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, तो डी0एन0ए0 विशेषज्ञ डा0 वी0के0कश्यप, निदेशक, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता सूचित नहीं करते ''कि अग्रतर दाँत– (एक्स0 2 से 4) एक वृद्ध पुरूष मानव व्यक्ति से संबंधित हैं– (अभिकथित गुमनामी बाबा)। दाँतों का व्यक्तिगत स्त्रोत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के या तो मातृ या पितृ वंशावली से संबंधित नहीं था, अतः, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं हो सकते।

चूँकि साक्ष्य जो इस आयोग के समक्ष रखे गये दर्शाते हैं कि वृद्ध आयु की एक मात्र सदस्य जो गुमनामी बाबा के साथ रहतीं थीं वे श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला थीं और उक्त साक्ष्य भी मुखर्जी आयोग के समक्ष रखे गये थे, यह दृढ़कथन न्यायोचित है कि डा0 कश्यप की रिपोर्ट गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, की धारणा को ध्वस्त करती है। मैने भी अर्धेन्दू बोस के अभिकथन में गुण पाया कि यदि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, तो डी0एन0ए0 विशेषज्ञ को यह मत नहीं देना चाहिए था कि उक्त दाँत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नहीं थे।

मैंने अभिसाक्षी के इस अभिकथन में भी वजन पाया कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एक साहसी व्यक्ति थे; एक क्रियाशील व्यक्ति थे, जिन्होंने इण्डियन नेशनल आर्मी (भारतीय राष्ट्रीय सेना) का सृजन किया और भारत के बाहर प्रांतीय आजाद हिन्द सरकार का गठन किया था तथा यदि वह जीवित होते तो वह सिंह के समान गर्जना कर रहे होते न कि गुमनामी बाबा के समान लोगों से परदे के पीछे से मिलते, अपना चेहरा छिपाते और भूमिगत जीवन व्यतीत करते।

यह सत्य है कि राम भवन, फैजाबाद से कुछ वस्तुओं की प्राप्ति जैसे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चित्रों, गोल काँच के एक जोड़ी चश्में और नेताजी से प्रासंगिकता रखने वाली कुछ पुस्तकों के आधार पर एक सिद्धांत प्रसारित किया गया कि गुमनामी बाबा भूमिगत रूप से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अलावा और कोई नहीं थे, परन्तु मेरी दृष्टि में(जैसा कि अभिसाक्षी ने अभिकथित भी किया) इसमें गहनता नहीं है, क्योंकि कुछ वस्तुएं श्री बिजोय नाग द्वारा गुमनामी बाबा के अनुरोध पर उनको भेजी गयी थी। मैनें यह भी अनुभव किया (जैसा कि अभिसाक्षी द्वारा दृढ़तापूर्वक कहा गया है) कि इन वस्तुओं की प्राप्ति मात्र से निर्णायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, क्योंकि (जैसा कि अभिसाक्षी ने भी अभिकथित किया है) डी0एन0ए0 साक्ष्य गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, के दावे को ध्वस्त करता है।

मेरी दृष्टि में, सीडब्ल्यू–33 अर्धेन्दू बोस का साक्ष्य, जिन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे, आत्मविश्वास को जाग्रत करता है।

5.32 अगले अभिसाक्षी सीडब्ल्यू–34 शिबाशीष नाग, पुत्र स्वर्गीय समरेन्द्र नाथ नाग और स्वर्गीय मंजुला नाग, निवासी 23 ए, सरदार शंकर मार्ग, पोस्ट आफिस सरत बोस मार्ग, कोलकाता–700029 के साक्ष्य को मैं विमर्श हेतु प्रस्तुत करता हूँ। उन्होंने कोलकाता में एक लेख्य प्रमाणक (नोटरी) के समक्ष शपथयुक्त एक शपथपत्र दिनांक 08/03/2017 को भेजा था,जिसमें वर्णित था कि चूंकि उनकी पत्नी पैरों में तीक्ष्ण पीड़ा से ग्रस्त थी, वह चलने में लगभग अक्षम हैं और वह एक मात्र व्यक्ति हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, वह कोलकाता को छोड़ने में असमर्थ हैं, अतः उनके शपथपत्र को उनके अभिकथन के रूप में संव्यवहृत किया जाये। उपरोक्त शपथपत्र आयोग को 15/03/2017 को प्राप्त हुआ था और चूँकि आयोग ने उनके उपस्थित नहीं हो पाने के कारण को महत्वपूर्ण पाया, अतः यह निदेशित किया गया कि उक्त शपथपत्र को सीडब्ल्यू–34 शिबाशीष नाग के वक्तव्य के रूप में पढ़ा जायेगा। उपरोक्त शपथपत्र का परिशीलन निम्नवत् दर्शित है–

(1) वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के परिवार के एक सदस्य हैं, सुधीर चन्द्र बोस (नेताजी के चतुर्थ भाई) के नाती होने के नाते, जिनकी एक मात्र उत्तरजीवी पुत्री उनकी माता (अभिसाक्षी की माता) स्वर्गीय मंजूला नाग थीं।

(2) उन्होनें उनकी चाची प्रोफेसर चित्रा घोष, उनके चाचा द्वारका नाथ बोस समेत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के परिवार के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा अभिकथित अभिकथनों का अनुसरण किया और उनके दावे से पूर्ण सहमत हैं कि गुमनामी बाबा उनके श्रद्धेय नाना नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे और नहीं हो सकते।

(3) उनके विचार के साथ भी वह पूर्ण सहमत हैं कि यह कल्पना से परे है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महान नेता जिसने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया स्वतंत्रता के पश्चात् जब देश में बहुत कुछ करने की आवश्यकता थी, लगभग 40 वर्षों तक फैजाबाद में एक साधु के रूप में अपने आप को रखेगा।

मैंने शिबाशीष नाग के वक्तव्य का परिशीलन किया और चूँकि उन्होंने निष्कपटता से कहा था कि प्रोफेसर द्वारका नाथ बोस (उनके चाचा) और प्रोफेसर चित्रा घोष (उनकी चाची) द्वारा पूर्ण सहमति से इसमें कहा गया है, जो अनिश्चित शर्तों के बिना अभिसाक्षी हुए कि गुमनामी बाबा सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे, जैसा कि उनके वक्तव्य के अवलोकन से प्रकट हुआ है,जिस पर इस रिपोर्ट के प्रस्तरों क्रमशः 5.27 और 5.28 में चर्चा की गई है। क्यों गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे? उनके द्वारा वर्णित कारणों की पुनरावृत्ति करके मैं अपनी रिपोर्ट को भारोत्थित नहीं करना चाहता।

उपरोक्त कारणों से, मैं शिबाशीष नाग के इस दावे को स्वीकार करता हूँ कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे।

5.33 अगले अभिसाक्षी सीडब्ल्यू–35 अरूप कुमार मित्रा जिनके वक्तव्य पर विचार का मैं प्रस्ताव करता हूँ। जिन्होंने कोलकाता के लेख्य प्रमाणक (नोटरी) द्वारा सत्यापित अपने वक्तव्य दिनांक 10/03/2017 को भेजा था, जिसमें वर्णित था कि अपने निर्बल स्वास्थ्य के कारण वह व्यक्तिगत रूप में आयोग के समक्ष उपस्थित होने में अक्षम हैं, अतः उक्त वक्तव्य को आयोग के समक्ष उनके वक्तव्य के रूप में संव्यवहृत किया जाये।

अरूप कुमार मित्रा का उपरोक्त वक्तव्य आयोग द्वारा 15/03/17 को प्राप्त हुआ था और आयोग के समक्ष सशरीर उपस्थित न हो पाने के उनके द्वारा प्रस्तुत कारण स्वीकार्य होने से मैनें निदेशित किया कि उक्त वक्तव्य को सीडब्ल्यू–35 अरूप कुमार मित्रा के वक्तव्य के रूप में पढ़ा जायेगा। अरूप कुमार मित्रा के उपरोक्त वक्तव्य का परिशीलन निम्नवत् दर्शित है–

(1) वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बड़े भाई डा0 सुनील चन्द्र बोस के पौत्र होने के कारण नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के परिवार के एक सदस्य हैं। उन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के परिवार के बड़ों अर्थात प्रोफेसर द्वारका नाथ बोस और प्रोफेसर चित्रा घोष तथा अन्यों द्वारा की गई अभिशपथों कि, गुमनामी बाबा उनके बड़े चाचा सुभाष चन्द्र बोस नहीं हो सकते, का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया।

(2) न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग के तत्वावधान के अधीन संपादित डी0एन0ए0 परीक्षणों से पुष्टि हुई कि गुमनामी बाबा और बोस परिवार के लोगों के डी0एन0ए0 परीक्षणों के मध्य कोई मिलान नहीं है।

(3) नेताजी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के एक क्रियाशील नेता थे, जो भारत से भारतीय राष्ट्रीय सेना को नेतृत्व करने हेतु निष्क्रमित हुए तथा यह कल्पनातीत है कि वह स्वतंत्रता के पश्चात् फैजाबाद में दो दशकों तक पार्थक्य में रहे होगें।

मैंने अरूप कुमार मित्रा के वक्तव्य का अवलोकन किया और चूँकि वह यहाँ निष्कपटता से बताते हैं कि प्रोफेसर द्वारका नाथ बोस (उनके चाचा) और प्रोफेसर चित्रा घोष (उनकी चाची),जिन्होंने बिना किन्हीं अनिश्चित उपबंधों के अभिकथित किया गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे, जैसा कि उनके अभिकथन

जिन पर इस रिपोर्ट के प्रस्तरों क्रमशः 5.27 और 5.28 पर विचार किया गया है, मैं उनके द्वारा वर्णित कारणों को कि, क्यों गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे कि, पुनरावृति करके मैं अपनी रिपोर्ट को भारोत्थित नहीं करना चाहता। यह वर्णित करना उचित है कि अपने वक्तव्य में उन्होंने जो दृढ़ कथन किये हैं वे प्रोफेसर चित्रा घोष के वक्तव्य में समग्र रूप में प्राप्य हैं।

उपरोक्त कारणों से, मैं अरूप कुमार मित्रा के दावे कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे, को स्वीकार करता हूँ।

5.34 अगले अभिसाक्षी जो आयोग के समक्ष अभिसाक्षी हुए सीडब्ल्यू–36 शीतला सिंह, आयु लगभग 85 वर्ष, पुत्र राजबहादुर सिंह, निवासी खरमारिया, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद, वर्तमान निवास 8/9/97, बहु बेगम मकबरा, फैजाबाद हैं। उनके साक्ष्य संक्षिप्त में निम्नवत् दर्शित हैं–

दिनांक : 05/12/1958 से वह 'जन मोरचा' नामक एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन कर रहे हैं और 14/04/1963 से वह इसके संपादक हैं। वह गुमनामी बाबा से कभी नहीं मिले थे न ही गुमनामी बाबा से संबंधित कोई सूचना प्राप्त की थी। जब गुमनामी बाबा का प्रकरण उभर कर सामने आया, तो कुछ समाचार पत्रों ने प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया था कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, जो छुप कर रह रहे थे, क्योंकि शक्ति के स्थानान्तरण अधिनियम, जिसके अधीन भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उसमें एक उपबंध था कि यदि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भारत में पाये जाते है तो वह ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दिये जायेंगे। उन्होंने अनुभव किया कि गुमनामी बाबा के पहचान के बारे में अपने पाठकों को सूचना देना उनका कर्तव्य था। इसने मुझे उत्तेजित किया कि क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जैसा भयहीन व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक सेवा (इण्डियन सिविल सर्विस) को स्वीकार नहीं कर सका, जिसने भारतीय राष्ट्रीय सेना का सृजन किया था और भारत की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक गुमनामी अस्तित्व को स्वीकार करेगा। वह अपने जनपद की मानवती देवी से मिले थे, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना में कैप्टन थीं और जिन्होंने उन्हें बताया कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे।

उपरोक्त कारणों से, उन्होनें विचार किया कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के कलकत्ता के साथी जो नेताजी सुभाष जयन्ती पर फैजाबाद आते थे और उनसे मिलते थे, से मिलना आवश्यक है।

परिणामतः उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद की सहायता चाही और निरीक्षक श्रेणी के एक अधिकारी (संभवतया हरीश चन्द्र सिंह) के साथ कलकत्ता गये। कलकत्ता में वह पवित्र मोहन राय से मिले, जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के एक निकटस्थ साथी थे और 06/11/1985 के जन मोरचा में गुमनामी बाबा के बारे में पवित्र मोहन राय के साथ हुई उनकी बातचीत प्रकाशित हुई थी। उन्होंने उपरोक्त बातचीत की प्रति को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया था; आयोग से इसे

अभिलेख में लेने एवं इसे उनके वक्तव्य के रूप में संव्यवहृत करने की प्रार्थना की थी। आयोग ने इसे अभिलेख में लिया और इसे एक्स0सी–18 के रूप में चिन्हित किया था। एक्स0सी–18 का परिशीलन दर्शाता है कि पवित्र मोहन राय ने दृढ़तापूर्वक अस्वीकार किया था कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। यह भी दर्शाता है कि डा0 आर0पी0मिश्रा के पुत्र ने एक अन्य चिकित्सक के साथ गुमनामी बाबा की मृत्यु के बारे में उनको सूचित किया था परन्तु उक्त सूचना पर कार्यवाही किया जाना उन्होनें आवश्यक नहीं समझा। आयोग के समक्ष उनके शपथपूर्ण साक्ष्य में वह बताते हैं कि यदि पवित्र मोहन राय और अन्य का विचार होता कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, तो वे उनकी मृत्यु की सूचना प्राप्ति पर निश्चित रूप से फैजाबाद आते ।

शीतला सिंह के वक्तव्य का परिशीलन अग्रतर दर्शाता है कि दिनांक 03/11/1985 के जन मोरचा का मुख्य पृष्ठ, जिसकी एक प्रति उन्होंने प्रस्तुत की थी, जिसका आलेख था ''वो कौन था''। उन्होनें प्रार्थना की थी कि उक्त आलेख को अभिलेख में लिया जाय और उनके वक्तव्य के रूप में पढ़ा जाय। आयोग ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था; उक्त आलेख को अभिलेख में लेते हुए इसे एक्स0सी–19 के रूप में चिन्हित किया था। एक्स0सी–19 का परिशीलन दर्शाता है कि कोई अज्ञात पत्र इसमें प्रकाशित हुआ था जो दर्शाता था कि गुमनामी बाबा कोई के0डी0उपाध्याय से इतर और कोई नहीं थे, जिन्होंने किन्हीं ब्रह्म देव मिश्रा, जो गायत्री भवन में किसी बैठक में प्रतिभाग कर रहे थे, को गोली मार दी थीऔर गोली मारने के पश्चात् अपनी बन्दूक समेत भाग गये थे। उक्त पत्र में यह वर्णित था कि पुलिस हत्यारे ब्रह्म देव मिश्रा को पता लगाने में विफल रही थी। शीतला सिंह के वक्तव्य का एक अवलोकन अग्रतर दर्शाता है कि लगभग दो वर्ष पूर्व, उन्होंने तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को दूरभाष किया था और उनसे उसके हस्ताक्षर, चित्र इत्यादि वाली के0डी0उपाध्याय की पत्रावली को पता लगाने और गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के हस्ताक्षरों, चित्रों इत्यादि की इसके साथ तुलना करने के लिए प्रार्थना की थी परन्तु इस प्रकरण में कुछ भी नहीं हुआ ।

अभिसाक्षी शीतला सिंह के वक्तव्य का परिशीलन अग्रतर दर्शाता है कि दिनांक 03/11/1985 के जन मोरचा का पृष्ठ 4 में ''नेताजी को अपमानित मत कीजिए'' के अनुशीर्षक के अधीन प्रकाशित था।अभिसाक्षी ने उक्त प्रकाशन की एक प्रति को प्रस्तुत किया था ;आयोग से इसे अभिलेख में लेने और उसके वक्तव्य के रूप में संव्यवहृत करने की प्रार्थना की थी। आयोग ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया था; उक्त प्रकाशन को अभिलेख में लेते हुए इसे एक्स0सी–20 के रूप में चिन्हित किया था। एक्स0सी–20 का अवलोकन दर्शाता है कि इस तथ्य से पृथक कि शाहनवाज आयोग और खोसला आयोग ने सूचित किया था कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी, यह नितान्त असंभव है कि नेताजी जैसा दुर्दम्य साहसी व्यक्ति, जिसने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा था, कदाचित नेहरू और अन्यों के कारण जो उन्हें गलत

ढंग से ब्रिटिश सरकार को हस्तगत करना चाहते थे के कारण किसी गुमनामी जीवन को चुना होगा।

अभिसाक्षी का आयोग द्वारा प्रति–परीक्षण किया गया था।

प्रश्न क्रमांक–1 आपके विचार में गुमनामी बाबा उपाख्य गुमनामी बाबा कौन थे? उन्होंने बताया कि उनके विचार में वह के0डी0उपाध्याय थे। उन्होंने अग्रतर बताया कि उनका विचार इस तथ्य द्वारा परिपुष्ट है कि उनकी मृत्यु के पश्चात गुमनामी बाबा का चेहरा विरूपित था, अतः यह पहचाना नहीं जा सका। उनकी दृष्टि में, गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी का अंतिम संस्कार अत्यधिक तीव्रता से उस स्थान पर किया गया जहाँ सामान्य रूप से लोगों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है और वे परिस्थितियां जिनमें कि मात्र 13 लोगों ने अंतिम संस्कार में प्रतिभाग किया, इसी निष्कर्ष को बताता है।

प्रति परीक्षण के दौरान प्रश्न क्रमांक–2 कि क्या यह सत्य था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी लोगों से आमने–सामने कभी नहीं मिलते थे और लोगों से एक कक्ष के भीतर खिड़की से, जिस पर परदा होता था, बात करते थे और जिस व्यक्ति/व्यक्तियों से वह बात करते थे खिड़की के दूसरी ओर होता था? उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने भी ऐसा ही सुना था।

मैंने शीतला सिंह और एक्स0सी–18, सी–19 एवं सी–20 के वक्तव्यों का परिशीलन किया और मैं उनके विचार कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे को स्वीकार करने को प्रवृत्त हूँ। मैंने उनकी धारणा में आधार पाया कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जैसा भयहीन व्यक्ति, जिसने भारतीय नागरिक सेवा (इण्डियन सिविल सर्विस) छोड़ दी हो, भारतीय राष्ट्रीय सेना का सृजन किया हो और विदेश से भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा हो, नेहरू उसे ब्रिटेन को हस्तगत कर देंगे के भय के कारण गुमनामी अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा। मेरे विचार में, भय सुभाष चन्द्र बोस का शत्रु था; उदाहरणार्थ साहस उनके व्यक्तित्व का प्रतीक था।

मैंने शीतला सिंह के अभिकथन में भी आधार पाया कि यदि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, तो गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की मृत्यु की सूचना प्राप्ति पर, पवित्र मोहन राय और अन्यों को, जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के निकटस्थ सहयोगी थे, को शीघ्रता से कलकत्ता से फैजाबाद पहुँचते एवं गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के अंतिम संस्कार के समय उपस्थित रहते। सी–18 का परिशीलन दर्शाता है कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की मृत्यु पर पवित्र मोहन राय ने तत्काल उनकी मृत्यु के बारे में सूचना प्राप्त की थी।

शीतला सिंह की धारणा की गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठों 121 और 122 के प्रस्तरों 4.15.10 एव 4.15.11 में उल्लिखित डी0एन0ए0 परीक्षण द्वारा परिपुष्ट है। चूंकि पूर्व में अनेकों स्थानों पर मैंने विशद रूप में वर्णित किया था कि कैसे डी0एन0ए0

परीक्षण इस तथ्य को असत्य सिद्ध करता है कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, मैं पुनरावृत्ति की त्रुटि को नहीं करना चाहता।

शीतला सिंह के साक्ष्य से विलग होने के पूर्व, मैं यह स्पष्ट करने का इच्छुक हूँ कि मैं उनके दावे को स्वीकार करने को प्रवृत्त नहीं हूँ कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवाजी वास्तव में के0डी0 उपाध्याय थे। मेरी दृष्टि में, ना तो शीतला सिंह के वक्तव्य का परिशीलन न ही सी–19 दर्शाता है कि इस प्रकार के किसी निष्कर्ष को निकालने का वहॉ कोई वास्तविक साक्ष्य/पदार्थ था। मैंने अनुभव किया कि यह मात्र शीतला सिंह का संदेह/संशय है कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के0डी0उपाध्याय से इतर और कोई नहीं थे। मैं यह स्पष्ट करने का इच्छुक हूँ कि जाँच का न्यायिक आयोग, जैसा कि वर्तमान का, अपने निष्कर्ष/जाँच परिणामों को संदेह/संशय पर आधारित नहीं करता है। वे उन्हीं साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो विधिक दृष्टि से ग्राह्य हैं ।

उपरोक्त कारणों से, मेरा यह विचार है कि जहाँ तक शीतला सिंह यह दर्शानें में सक्षम थे कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे परन्तु वह यह स्थापित करने में विफल रहे कि वह (गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी) के0डी0 उपाध्याय थे।

5.35 अगले अभिसाक्षी जिनके साक्ष्य के आंकलन का मैं प्रस्ताव करता हूँ सीडब्ल्यू–37 नन्द कुमार मिश्रा, आयु लगभग 62 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय राम किशोर मिश्रा, निवासी स्वर्ग द्वार, अयोध्या, जनपद फैजाबाद हैं। उनके साक्ष्य, संक्षिप्त में, निम्नवत् दर्शित हैं–

1974 से 1981 के मध्य उन्होंने गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की सेवा की, जो उक्त अवधि के दौरान अयोध्या में तीन स्थानों पर रहे, अर्थात, उर्दू बाजार क्रासिंग, ब्रह्म कुण्ड गुरूद्वारा के निकट और लखनऊवा हाता। लखनऊवा हाता से गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी शक्ति सिंह के मकान जो सिविल लाइन्स, फैजाबाद में राम भवन कहलाता था मैं स्थानान्तरित हुए थे, जहाँ वह अपनी मृत्यु तक रहे थे एवं जहाँ से उनके मृत शरीर को गुप्तार घाट, फैजाबाद ले जाया गया था, जहाँ उनका अंतिम संस्कार सम्पन्न किया गया था, जिसमें उनके परिवार के सदस्य (अभिसाक्षी का परिवार) सम्मिलित हुये थे।

नन्द कुमार मिश्रा के साक्ष्य दर्शाते हैं कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी ने कभी किसी से आमने–सामने बात नहीं की और लोगों से परदे के पीछे से बात किया करते थे। दुर्गा प्रसाद पाण्डेय, अधिवक्ता के अनुरोध पर उनके पिता (अभिसाक्षी के पिता) ने गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी को उर्दू बाजार चौराहा में अपने मकान में किरायेदार के रूप में रखा था, उन्होंने उनके पिता को बताया था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे तथा उनके पिता ने बदले में उन्हें और परिवार के सदस्यों को इस तथ्य के बारे में बताया था। वह (अभिसाक्षी) भी पता लगाने को उत्सुक थे कि गुमनामी बाबा कौन थे और जब उन्होंने उस कक्ष में जिसमें गुमनामी बाबा रहते थे के द्वार के दो भागों के मध्य के

स्थान से झांका, तो उन्हें यह दिखाई दिया कि वह सुभाष चन्द्र बोस थे और उनकी धारणा तब और प्रबलित हुए जब उन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चित्र को देखा। 18 जनवरी के आस–पास गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी से कुछ अतिथि मिलने आते थे। वह (अभिसाक्षी) बिस्तरों को जो किसी लौह फलक पर रखे थे को नीचे उतारने के लिए स्टूल पर खड़ा था। यकायक वह असन्तुलित होकर गिर गया। तत्काल गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी बाहर आये और उनसे पूछताछ की क्या उन्होनें उनको देख लिया है। तथ्यतः, वह थे और उन्होंने खोज लिया कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। उन्होनें बताया कि वह 100 प्रतिशत आश्वस्त थे कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

आयोग द्वारा अभिसाक्षी का प्रति–परीक्षण किया गया था।

यहाँ उनके समक्ष रखा गया प्रथम प्रश्न, अर्थात, कि क्या आज से पूर्व उन्होंने किसी व्यक्ति/किसी संगठन/किसी अधिकारी को द्वार के दो भागों के मध्य के स्थान से गुमनामी बाबा को देखने, असन्तुलित होकर स्टूल से गिर जाने के बारे में बताया था? उन्होंने उत्तर दिया कि चूंकि उनके पिता ने कठोरता से इस तथ्य को नहीं बताने को कहा था, उन्होंने किसी को नहीं बताया कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

यहाँ उनके समक्ष रखा गया द्वितीय प्रश्न, अर्थात, वह आज क्यों कह रहे हैं कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे? उन्होंने उत्तर दिया कि चूंकि वह जीवित नहीं हैं, अतः उन्होंने इसका उल्लेख किया।

मैंने नन्द कुमार मिश्रा के वक्तव्य का परिशीलन किया और मैं यह अनुपालित करने के लिए विवश था कि मैं उनके दावे कि, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी को देखा था एवं वह एक सौ प्रतिशत आश्वस्त थे कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को स्वीकार करने को दो कारणों से तैयार नहीं था :

प्रथमतः, 21 अप्रैल, 2017 (जब उनका वक्तव्य आयोग द्वारा अभिलिखित किया गया) को प्रथम बार इस तथ्य के प्रकटन में उनका आचरण, यद्यपि उनके साक्ष्य की स्वीकृति को मेरे लिए बहुत असुरक्षित बनाता है कि वह गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की सेवा में 1974 से 1981तक थे। मेरी दृष्टि में, यदि वह वास्तव में आश्वस्त थे कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, तो उन्हें 1981 से 21 अप्रैल, 2017 (36 वर्षों तक) के मध्य इस तथ्य कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे के बारे में एक अमंगलसूचक मौन नहीं धारण करना चाहिए था। चूंकि उनके पिता ने उनसे इसे प्रकट न करने को कहा था, वह इसे प्रकट करने से विरत् रहे, मैं उनके इस उत्तर को स्वीकार करने को तैयार नही हूँ। यदि यह कारण वास्तविक था, तो वह 21 अप्रैल, 2017 को आयोग को इसे प्रकट नहीं करते जब उनका वक्तव्य आयोग द्वारा अभिलिखित किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने अनेकों बार यह धारित किया है कि अभिसाक्षी का आचरण उसकी विश्वसनीयता के आंकलन के लिए एक बहुत ठोस आधार हैं एवं अगणित अवसरों पर किसी अभिसाक्षी के शपथपत्र को निरस्त कर दिया गया क्योंकि

यह किसी व्यक्ति के प्राकृतिक आचरण के साथ सुसंगत नहीं था (जैसा यहाँ इस प्रकरण में हैं)।

द्वितीय कारण, कि नन्द कुमार मिश्रा ने अपने प्रमुख परीक्षक को सरलता से बताया कि लखनऊवा हाता, अयोध्या से गुमनामी बाबा शक्ति सिंह के मकान में स्थानान्तरित हुए थे, अर्थात, राम भवन, सिविल लाइन्स, फैजाबाद में, जहाँ वह अपनी मृत्यु तक रहे थे एवं वहाँ से उनके मृत शरीर को अंतिम संस्कार हेतु गुप्तार घाट, फैजाबाद ले जाया गया था (साक्ष्य जो आयोग के समक्ष रखे गये हैं बताते हैं कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की मृत्यु 16/09/1985 को राम भवन, फैजाबाद में हुई एवं उनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 को हुआ था)। यदि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कलकत्ता के डी0एन0ए0 विशेषज्ञ डा0 वी0के0कश्यप जिन्होंने गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के तीन दाँत (एक्स0 2 से 4) जो राम भवन में प्राप्त हुये थे का डी0एन0ए0 अभिचित्रण किया था, जिसके लिए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के पितृ पक्ष के दो वंशजों और मातृ पक्ष के तीन वंशजों के रक्त प्रदर्शों को एकत्रित कर भी भेजे गये थे, की रिपोर्ट दर्शाती है कि ''अग्रतर दाँत–(प्रदर्शन 2 से 4) किसी एकल वृद्ध आयु पुरूष से संबंधित– (उपाख्य गुमनामी बाबा)। दाँत का व्यक्तिगत स्रोत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के या तो मातृ या पितृ वंशावली से संबंधित नहीं था, इसलिए, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नहीं हो सकते।''

यह वर्णन करना उचित है कि अन्य वृद्ध आयु का सदस्य जो गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के साथ रहा वह श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला थीं।

मैंने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठों 121 एवं 122 के प्रस्तरों 4.15.10 एवं 4.15.11 से संबंधित उपरोक्त तथ्यों को उद्धरित किया है।

उपरोक्त कारणों से, मैं सीडब्ल्यू–37 नन्द कुमार मिश्रा के दावे को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

5.36 अगले अभिसाक्षी जिनके साक्ष्य के आंकलन के लिए बुलाया गया सीडब्ल्यू–38 कृष्ण कुमार मिश्रा, आयु लगभग 60 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय राम किशोर मिश्रा, निवासी स्वर्ग द्वार, अयोध्या, जनपद फैजाबाद हैं। संक्षिप्त में यह निम्नवत् दर्शित है –

1974 में अयोध्या में उर्दू बाजार में उनके मकान में एक किरायेदार के रूप में गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी आये थे, जहाँ वह 1976 तक रहे थे। जहाँ से वह अयोध्या में ब्रह्म कुण्डको गये थे, तत्पश्चात अयोध्या के लखनऊवा हाता को, और अंत में राम भवन, सिविल लाइन, फैजाबाद गये, जहाँ उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के तीसरे दिन उनका अंतिम संस्कार फैजाबाद में गुप्तार घाट पर किया गया था।

कृष्ण कुमार मिश्रा ने गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की जब वह उर्दू बाजार, ब्रह्म कुण्ड और लखनऊवा हाता में रहते थे, तब सेवा की थी।

उनकामछली, तेल, सब्जियां, ब्रेड मक्खन आदि को पहुँचाने का काम था। उन्होंने राम भवन, फैजाबाद में उनकी सेवा नहीं की परन्तु अपने पिता के साथ बहुधा रात्रि लगभग 9.00 बजे उनसे मिलने जाते थे।

कृष्ण कुमार मिश्रा के साक्ष्य दर्शाते हैं कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी एक परदे के पीछे रहते थे और किसी से भी कभी आमने–सामने बातचीत नहीं करते थे। कभी–कभी जब वायु प्रवाह के प्रभाव से परदा हट गया, उन्होंने उन्हें देखा और आश्वस्त हुये कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। उनके पिता और परिवार के सदस्यों ने भी उन्हें बताया था कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, परन्तु उनसे किसी को भी बताने के लिए नहीं कहा गया था।

कृष्ण कुमार मिश्रा के साक्ष्य अग्रतर दर्शाते हैं कि जब गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी का शव अंतिम संस्कार के लिए गुप्तार घाट ले जाया गया था, उनके पिता ने महात्मा सरन को बताया कि उन्होंने उनका चेहरा नहीं देखा था और उनसे दिखाने का अनुरोध किया था। उस समय वह (अभिसाक्षी) भी उपस्थित था। महात्मा सरन ने गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के चेहरे को ढके हुए कपड़े को हटाया था और वह और उनके पिता पूर्णतः आश्वस्त हो गये कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। उनके अंतिम संस्कार में 13 व्यक्ति सम्मिलित हुये थे।

कृष्ण कुमार मिश्रा का आयोग द्वारा प्रति–परीक्षण किया गया था।

यहाँ उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रथम प्रश्न था कि क्या 1974–1976 के मध्य जब वायु के प्रभाव से परदा हटने के कारण उन्होंने गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी का चेहरा देखा था और आज (21/04/2017) तक उन्होंने किसी व्यक्ति/संगठन/अधिकारी को इस तथ्य को बताया था? उक्त प्रश्न पर , उन्होंने उत्तर दिया कि चूंकि उनके पिता ने उनसे इस तथ्य को किसी को भी बताने से मना किया था, अतः उन्होंने किसी को भी नहीं बताया।

यहाँ उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रश्न क्रमांक–2 था कि क्यों इस तथ्य को वह आज बता रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुमनामी बाबा की पहचान के सुनिश्चय हेतु एक आयोग गठित किया है, अतः वह यह बता रहे हैं।

प्रश्न संख्या–3 जो उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया वह यह था कि चूंकि जब गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी का दाह संस्कार 18/09/1985 (उनकी मृत्यु के तीसरे दिन) किया गया था, उनका चेहरा विकृत हो गया होगा और पहचाना नहीं जा सकता होगा? तो आप कैसे कह सकते हैं कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी सुभाष चन्द्र बोस थे? इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी दाढ़ी और बालों से वह ऐसा कह रहे हैं।

मैंने कृष्ण कुमार मिश्रा के वक्तव्य का परिशीलन किया और मैं उनके दावे कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे को स्वीकार करने को

विवश नहीं हूँ। गुमनामी बाबा ने किसी व्यक्ति से कभी आमने–सामने बात नहीं की और वह लोगों से सदैव परदे के पीछे से बात करते थे। उनके साक्ष्य दर्शाते हैं कि जब वायु के प्रभाव से परदा हटा, उन्हें पता चला कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे एवं अंतिम संस्कार के समय उनकी दाढ़ी और बाल से उन्होंने यह ज्ञात कर लिया कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

मैं भयभीत हूँ,कि इस प्रकार के साक्ष्य के आधार पर सुनिश्चितता के साथ यह निष्कर्षित करना असुरक्षित होगा कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। जाँच के न्यायिक आयोग (जैसा की वर्तमान आयोग) मात्र निष्कर्ष पर पहुँच सकते है जब समस्त यथोचित शंका से परे उनके समक्ष रखे गये साक्ष्य किसी तथ्य को सिद्ध करें। मैं भयभीत हूँ, कि यहाँ यह स्थिति नहीं है।

अभिसाक्षी का यह दावा कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को स्वीकार करने में अन्य गंभीर बाधा उनका अशुभ मौन है, जो उन्होंने गुमनामी बाबा की पहचान के संबंध में 1974–1976 (जब वायु के प्रभाव से परदा हटा और उन्होंने गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी का चेहरा देखा) और आज (21/04/2017)के मध्य अनुरक्षित किया। उनके वक्तव्य का अवलोकन दर्शाता है कि उक्त अवधि में, उन्होंने किसी व्यक्ति/संगठन/अधिकारी को प्रकट नहीं किया कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। मैं उनके उत्तर को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ कि उनका अप्रकटन उनके पिता के निर्देशों के कारण था। मेरी दृष्टि में, यदि यह कारण था, उन्हें आज आयोग को भी नहीं बताना चाहिए था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने अनेकों बार कहा है कि लोगों को किसी घटना के यथेष्ट समय के भीतर अप्रकटन में अभिसाक्षी का आचरण अविश्वास योग्य माना जाय। मैं भयभीत हूँ, यहाँ अप्रकटन दिनों में नहीं वरन् वर्षों तक चला उदाहरणार्थ 1974–1976 से 2017 तक (मोटे रूप से 41 वर्षों तक)। मेरी दृष्टि में, जब इस प्रकार की लंबी अवधि के पश्चात अभिसाक्षी दृढ़तापूर्वक कहता है कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, तो उसके दावे को स्वीकार करना सुरक्षित नहीं होगा।

अंततः, मैं अभिसाक्षी के उपरोक्त दावे को स्वीकार करने को प्रवृत्त नहीं हूँ,क्योंकि उनके अनुसार अपनी मृत्यु के पूर्व गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी राम भवन, फैजाबाद में रहते थे और डा0 वी0के0कश्यप, निदेशक, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कलकत्ता की गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के तीन दांत जो राम भवन, फैजाबाद से प्राप्त हुये थे, की डी0एन0ए0 रूपरेखा की रिपोर्ट इस तथ्य को असत्य सिद्ध करती है, कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। चूंकि सीडब्ल्यू–37 नन्द कुमार मिश्रा (अभिसाक्षी के वास्तविक भाई) के साक्ष्य पर चर्चा करते समय, मैंने कुछ अंश में डी0एन0ए0 रिपोर्ट को संव्यवहृत किया था, अतः मैं पुनरावृत्ति की त्रुटि को नहीं करना चाहता।

उपरोक्त कारणों से, कृष्ण कुमार मिश्रा के साक्ष्य कि, गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे,के विश्वास को पुष्ट नहीं करते।

5.37 अभिसाक्षियों के मध्य पंक्ति में से अगला अभिसाक्षी जो आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ सीडब्ल्यू–39 शिव प्रसाद, आयु लगभग 72 वर्ष, पुत्र बसंत लाल यादव, निवासी रानोपाली, डाकघर अयोध्या, जनपद फैजाबाद हैं। उनका शपथपूर्ण साक्ष्य संक्षिप्त में निम्नवत् दर्शित है–

सन् 1974 में गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी अयोध्या में ब्रह्म कुण्ड में रहते थे। उस समय वह अयोध्या डाकघर में तार वाहक के रूप में नियोजित था। उस वर्ष गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के नाम से एक तार आया और वह इसे पहुँचाने के लिए प्रवृत्त हुआ था। जब वह इसे पहुँचा रहा था, गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी बरामदे के पीछे एक कक्ष में थे। जब उसने उनसे द्वार खोलने और तार लेने को कहा, गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी ने उसे कठोरता से डांटा। गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी ने द्वार के दो पल्लों के मध्य के स्थान से तार ले लिया परन्तु वह उनका चेहरा नहीं देख सका था।

शिव प्रसाद का साक्ष्य अग्रतर दर्शाता है कि प्रायः वह गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी को तार पहुँचाता था परन्तु उन्होंने कभी आमने–सामने तार नहीं लिया और उससे कक्ष के द्वार के दो पल्लों के मध्य से उससे लेते थे।

शिव प्रसाद के साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि एक दिन जब गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी लखनऊवा हाता में थे और उनकी सेविका सरस्वती देवी शुक्ला उपस्थित नहीं थीं, वह उनको एक तार देने गया था। गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी ने उससे उन्हें देखने को कहा और उससे (शिव प्रसाद) भी कहा कि वह उसे देखेंगे। वह (शिव प्रसाद) कक्ष के भीतर प्रविष्ट हुए और पैर छुए। उस समय उनका चेहरा अनावृत्त था। यह पूर्ण अनावृत्त था। उन्हें देखने के पश्चात वह पूर्णतः आश्वस्त हो गया कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। उस दिन गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी ने उससे यह भी कहा कि वह राम भवन, सिविल लाइन, फैजाबाद जा रहे हैं और उससे निरन्तर मिलने के लिए कहा। उनके अनुरोध पर वह उनसे एक बार राम भवन में मिला परन्तु मिलन आमने–सामने नहीं हुआ था। तथापि उन्होंने बातचीत की थी। गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी एक कक्ष के भीतर थे जिसकी खिड़की पर एक परदा था और वह परदे के दूसरी ओर थे।

अपने वक्तव्य में शिव प्रसाद ने स्पष्टता से वर्णित किया कि वह पूर्णतः आश्वस्त था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

आयोग द्वारा शिव प्रसाद का प्रति–परीक्षण किया गया था।

यहाँ उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रथम प्रश्न था कि क्या उसने किसी अधिकारी/व्यक्ति/संगठन को बताया था कि उसने एक बार गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी को आमने–सामने देखा था और पूर्णतः आश्वस्त था कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। उक्त प्रश्न पर उसका उत्तर नकारात्मक था।

यहाँ उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया द्वितीय प्रश्न था कि इसका उन्होंने वर्णन क्यों नहीं किया? उन्होंने उत्तर दिया कि उसने इसे आवश्यक नहीं माना, क्योंकि उसका कर्तव्य तार पहुॅचाना था और इसको पहुँचाने के पश्चात वह वापस लौट आया।

मैंने शिव प्रसाद के वक्तव्य का परिशीलन किया और मैं गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे के उनके दावे में कोई आधार न होने से स्वीकार करने को प्रवृत्त नहीं था। उनके वक्तव्य का अवलोकन दर्शाता है कि उनका दावा आमने–सामने बातचीत पर आधारित था जो सरस्वती देवी शुक्ला की अनुपस्थिति में लखनऊवा हाता, अयोध्या में उनके साथ हुई थी। चूंकि व्यवहारतः समस्त अभिसाक्षी जो आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे,ने स्पष्टतया बताया था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी कभी किसी व्यक्ति से आमने–सामने नहीं मिले थे और एक कक्ष से जिसकी खिड़की पर एक परदा था, वह प्रायः व्यक्तियों से बात करते थे, जो परदे के दूसरी ओर होते थे, मुझे अभिसाक्षी के उपरोक्त दावे को अस्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अभिसाक्षी के उपरोक्त दावे को स्वीकार करने में अन्य गंभीर बाधा है कि, प्रायः 36 वर्षों के पश्चात, अभिसाक्षी प्रथम बार बता रहा है कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि अभिलेख के साक्ष्य दर्शा रहे हैं कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी लखनऊवा हाता में लगभग वर्ष 1980–81 में रहे और जहाँ अभिसाक्षी ने उन्हें आमने–सामने देखा था। यह वर्णन करना उचित है कि अभिसाक्षी के वक्तव्य का अभिलेखन आयोग द्वारा 21/04/2017 को किया गया था, जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसने किसी व्यक्ति/अधिकारी/संगठन को नहीं बताया था कि, गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी को आमने–सामने देखने पर वह आश्वस्त था कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। चूंकि 1980–81 और 2017 के मध्य लगभग 36 वर्षों का लंबा अंतराल है, मैंअभिसाक्षी के इस दावे कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे को स्वीकार करने को प्रवृत्त नहीं हूँ।

अभिसाक्षी के शपथपत्र पर विश्वास नहीं करने का तृतीय कारण है, क्योंकि उसका साक्ष्य दर्शाता है कि लखनऊवा हाता, अयोध्या से गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी राम भवन, सिविल लाइन, फैजाबाद गये थे, जहाँ उनकी मृत्यु हो गयी थी। राम भवन, फैजाबाद से प्राप्त गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के तीन दांतों की डी0एन0ए0 रूपरेखा जिसकी जाँच केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कलकत्ता के डा0 वी0के0कश्यप ने किया था, इस तथ्य को नकारता है कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। चूंकि सीडब्ल्यू–37 नंद कुमार मिश्रा के साक्ष्य को संव्यवहृत करते हुए मैंने कुछ विस्तार में डी0एन0ए0 रिपोर्ट को संव्यवहृत किया था, मैं पुनरावृत्ति की त्रुटि को नहीं दोहराना चाहता हूँ।

उपरोक्त कारणों से, सीडब्ल्यू–39 शिव प्रसाद का यह दावा कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे को अस्वीकार करने में मुझे कोई पश्चाताप नहीं है।

5.38 अब मैं सीडब्ल्यू–40 डा0 आर0पी0मिश्रा, आयु लगभग 94 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद मिश्रा, निवासी मोहल्ला झारखण्डी, फैजाबाद के वक्तव्य को लेता हूँ।उनका वक्तव्य (उनकी वृद्ध आयु के कारण) आयोग द्वारा प्रश्न–उत्तर के रूप में अभिलिखित किया गया था। वहाँ से जो प्राप्त होता है वह निम्नवत् है :–

गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी उनके दादा के समान थे। वह लोगों से परदे के पीछे से बात करते थे। वह उनसे आमने–सामने बात कभी नहीं करते थे। वह (अभिसाक्षी) गुमनामी बाबा की मृत्यु के समय राम भवन में उपस्थित थे। उन्होंने उनकी मृत्यु की सूचना कलकत्ता में गुमनामी बाबा के निकटस्थ सहयोगियों को भेजी थी, जैसे कि डा0 पवित्र मोहन राय और अन्य को। दिनांक 18/09/1985 को गुप्तार घाट, फैजाबाद में गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार सम्पन्न किया गया था,उसमें कलकत्ता से कोई नहीं आया और न किसी ने प्रतिभाग किया था। उनका गुमनामी बाबा से साहचर्य उस समय से प्रारंभ होता है जब गुमनामी बाबा अयोध्या में राम किशोर पंडा के मकान में रहते थे, परन्तु वह वहाँ कभी उनसे मिलने नहीं गये थे। वह प्रथमतः गुमनामी बाबा के संपर्क में एक चिकित्सक के रूप में आये थे, परन्तु तत्पश्चात उनका उपचार पितामह की भांति करने लगे थे। गुमनामी बाबा के साथ उनकी प्रथम बैठक से और उनकी मृत्यु तक वह निरन्तर उनसे मिलते रहे थे। 12–13 लोगों ने गुमनामी बाबा के अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुये थे। यह कहना असत्य है कि मृत्यु के पश्चात गुमनामी बाबा का चेहरा विकृत हो गया था और लोगों को उनके मृत शरीर को देखने की अनुमति नहीं दी गयी थी। श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला गुमनामी बाबा के साथ रहती थीं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थीं। वह नहीं जानते कि गुमनामी बाबा के अभिज्ञातता के संबंध में जन सामान्य में क्या अनुभूति थी। इससे पृथक राजा साहेब इटावा राम भवन में गुमनामी बाबा से मिलने आते थे। उन्हें स्मृति नहीं है कि क्या उनका गुमनामी बाबा से प्रथम मिलन इस तथ्य से सांयोगिक था कि उनके पैर का घाव जिस परिसर में वह निवास कर रहे थे की नमी के कारण ठीक नहीं हो रहा था और उनकी सलाह पर गुमनामी बाबा राम भवन में स्थानान्तरित हुये थे। इससे पृथक, स्वर्गीय डा0 बनर्जी (रीता बनर्जी के ससुर) भी गुमनामी बाबा से मिलते थे। गुमनामी बाबा के जन्मदिन पर, कलकत्ता से लोग आते थे, परन्तु उन्हें याद नहीं है कि कभीकोई छोटा कार्यक्रम आयोजित किया गया हो। वह नहीं जानते कि क्या कलकत्ता से आने वाले लोग गुमनामी बाबा के साथ आमने–सामने बात करते थे, जैसा कि वह इससे सम्बद्ध नहीं थे। उन्हें स्मृति नहीं है कि क्या आज से पूर्व उनका वक्तव्य किसी प्राधिकरण द्वारा अभिलिखित किया गया था। उन्हें स्मृति नहीं है कि क्या गुमनामी बाबा कलकत्ता के लोगों से सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित साहित्य और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के व्यक्तिगत उपयोग के वस्तुओं के बारे में भी पूछा करते थे। उन्हें स्मृति नहीं है कि क्या कलकत्ता के लोग उपरोक्त वस्तुओं के साथ गुमनामी बाबा के जन्मदिन पर आते थे।

अभिसाक्षी के वक्तव्य के अंत पर, मै निम्नांकित टिप्पणी करता हूँ :–

''मैनें अभिसाक्षी के आचरण का पर्यवेक्षण किया। उन्होंने मेरे द्वारा उनके समक्ष रखे जाने वाले प्रश्नों को समझा और स्पष्ट उत्तर दिया।''

मैंने डा0 आर0पी0मिश्रा के समक्ष मेरे द्वारा रखे गये प्रश्नों, उनके द्वारा इस संबंध में दिये गये उत्तरोंका अवलोकन किया और गुमनामी बाबा जो राम भवन, सिविल लाइन, फैजाबाद में अपनी मृत्यु के पूर्व रहा करते थे एवं जिनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 को गुप्तार घाट, फैजाबाद में किया गया था की अभिज्ञातता के सुनिश्चय में उनके वक्तव्य के पर्यवेक्षण में कोई सहायता नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनांक 28/06/2016 जिसके द्वारा उपरोक्त गुमनामी बाबा की अभिज्ञातता की खोज हेतु आयोग का गठन किया गया था। यह वर्णन करना संगत है कि गुमनामी बाबा की अभिज्ञातता के संबंध में उन्होंने जो कुछ कहा था कि वह उनके पितामह के समान थे और उन्होंने इससे अधिक उनके बारे में कुछ नहीं कहा।

यद्यपि, डा0 आर0पी0मिश्रा का वक्तव्य अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह गुमनामी बाबा से उस समय से जब से वह अयोध्या में राम किशोर पंडा के मकान में निवास कर रहे थे और राम भवन, सिविल लाइन, फैजाबाद में 16/09/1985 तक उनकी मृत्यु तक सतत् संपर्क में थे। उपरोक्त अवधि के दौरान, उनका उनके साथ संपर्क एक चिकित्सक के और एक श्रद्धेय पितामह दोनों के रूप में था। डा0 आर0पी0मिश्रा के वक्तव्य के अवलोकन से एतद्पश्चात प्रकटित प्रगणित तथ्य हैं–

(क) गुमनामी बाबा कभी किसी से आमने–सामने नहीं मिले (उन सहित)। वह लोगों से परदे के पीछे से बात करते थे।

(ख) श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला एक मात्र महिला थीं जो उनकी देखभाल करतीं थीं और जो उनके साथ रहती थीं।

(ग) प्रति वर्ष उनके जन्मदिन पर कलकत्ता से लोग आते थे।

(घ) गुमनामी बाबा की मृत्यु के समय पर राम भवन में वह उपस्थित थे और मृत्यु की सूचना को डा0 पवित्र मोहन राय और अन्यों को कलकत्ता भेजी गयी थी परन्तु 18/09/1985 को गुप्तार घाट पर उनके अंतिम संस्कार में उनमें से कोई सम्मिलित नहीं हुआ था।

(ङ) यह कहना अनुचित है कि गुमनामी बाबा की मृत्यु के पश्चात, उनका चेहरा विकृत हो गया था और लोगों को उनके मृत शरीर को नहीं देखने दिया गया था।

(च) वह नहीं जानते कि गुमनामी बाबा की अभिज्ञातता के बारे में सामान्य जनता में क्या अनुभूति थी।

(छ) वह और स्वर्गीय डा0 बनर्जी (रीता बनर्जी के ससुर) मात्र दो ही चिकित्सक थे जो गुमनामी बाबा के अंतिम संस्कार में उपस्थित थे।

(ज) वह नहीं जानते कि क्या गुमनामी बाबा सुभाष चन्द्र बोस की व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं और सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित साहित्य के लिए कलकत्ता में लोगों से पूछते थे।

यद्यपि, डा0 आर0पी0 मिश्रा के वक्तव्य से पृथक होने के पूर्व, मैं यह वर्णन करना आवश्यक अनुभव कर रहा हूँ कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि डा0 आर0पी0 मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों का गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के साथ लंबा और अंतरंग संबंध था। मेरी धारणा है कि डा0 आर0पी0मिश्रा को अच्छी तरह ज्ञात कारणों से, वह इसके बारे में बोलने को अनिच्छुक थे और इसलिए बल दे रहे थे कि वह उन्हें मात्र पितामह के रूप में जानते थे एवं उनके बारे में बताने के लिए कुछ अधिक नहीं था। गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के साथ उनकी लंबे संबंध को ध्यान में रखते हुए, मस्तिष्क में इस तथ्य को धारण करते हुए कि वह उनके चिकित्सक थे और उनकी देखरेख का उत्तरदायित्व उनका था, मैं उनके दावे कि गुमनामी बाबा ने कभी उनसे आमने–सामने बातचीत नहीं कि, को स्वीकार करना मुझे कठिन है। मेरी दृष्टि में, श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला के साथ (गुमनामी बाबा की सेविका), जो जीवित नहीं है, गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की अभिज्ञातता पर प्रकाश डालने के लिए सर्वाधिक उचित व्यक्ति हो सकते थे, परन्तु खेद है कि वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। यह दुःखद प्रसंग है।

5.39 अगले अभिसाक्षी जिनके साक्ष्य को मैं विचारण हेतु प्रस्ताव कर रहा हूँ सीडब्ल्यू–41 अरविन्द शर्मा, आयु लगभग 36 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम शर्मा, निवासी डी–106, महानगर विस्तार, लखनऊ हैं। उन्होंने आयोग को सूचित किया कि उन्होंने एक लिखित संकलन को डाक के माध्यम से आयोग के सचिव को भेजा था, उक्त संकलन को अभिलेख में ले लिया जाय और उनके वक्तव्य के रूप में संव्यवहृत किया जाय। आयोग के सचिव ने उक्त संकलन को अभिसाक्षी के समक्ष रखा था, जिसने स्वीकार किया था कि यह वही संकलन है जिसे उन्होंने भेजा था।

आयोग ने अभिसाक्षी की प्रार्थना को स्वीकार कर, उक्त संकलन को अभिलेख में लेकर, एक्स–ए दिनांक 09/05/2017 के रूप में चिन्हित किया और इसे निदेशित किया कि इसे उनके वक्तव्य के भाग के रूप में पढ़ा जायेगा।

संकलन का अवलोकन दर्शाता है कि अभिसाक्षी का संकथन है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु वर्ष 1945 में ताईहोकू (वर्तमान में ताईवान) में विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी, जैसा कि शाहनवाज आयोग (1956) और खोसला आयोग (1970) ने प्रतिवेदित किया है। उनका अग्रतर संकथन है कि मुखर्जी आयोग (2006) ने विमान दुर्घटना के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था और तर्कशास्त्री, स्तम्भकार और शोधकर्ता अधीर सोम द्वारा किया गया शोध भी इसी निष्कर्ष की ओर इंगित करता है। संकलन का अवलोकन यह भी दर्शाता है कि अधीर सोम का निष्कर्ष फ्रेन्च अभिसूचना के प्रतिवेदन पर आधारित है जो दर्शाता है कि नवम्बर 1946 के अंत में हनोई में एक सम्मेलन में, जिसमें छह राष्ट्रों ने प्रतिभाग किया था, चन्द्र बोस

उपस्थित थे। उनके और अभिसाक्षी के अनुसार, चन्द्र बोस नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से इतर नहीं थे।

अभिसाक्षी (सीडब्ल्यू–41 अरविन्द शर्मा) द्वारा प्रस्तुत संकलन और उसके साथ संलग्न संलग्नकों का मैंने अवलोकन किया। मेरी दृष्टि में, चूँकि फ्रेन्च अभिसूचना प्रतिवेदन में मात्र यही वर्णित था कि चन्द्र बोस उपस्थित थे, आयोग के लिए यह निष्कर्षित करना असुरक्षित होगा कि चन्द्र बोस जो हनोई के सम्मेलन में उपस्थित थे, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से इतर नहीं थे। मै अनुभव कर रहा हूँ कि आयोग के लिए अभिसाक्षी द्वारा संस्तुत निष्कर्ष को निकालना उचित नहीं होगा।

यद्यपि, चूंकि मुखर्जी जाँचआयोग ने धारित किया था कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी, वर्ष 1945 के पश्चात उनके जीवित होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। परन्तु मुझे पर्यवेक्षण में कोई आधार नहीं मिल रहा है कि केवल इस प्रकार की संभाव्यता की दृष्टि में, यह धारित नहीं किया जा सकता कि गुमनामी बाबा सुभाष चन्द्र बोस थे।

इस आयोग का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 28/06/2016 की अधिसूचना द्वारा गुमनामी बाबा, जो मृत्यु के पूर्व राम भवन, सिविल लाइन, फैजाबाद में रहते थे और जिनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 को (16/09/1985 को हुई उनकी मृत्यु के दो दिन पश्चात) फैजाबाद में किया गया था, कि अभिज्ञातता की खोज की आवश्यकता के दृष्टिगत् किया गया था। यद्यपि, राम भवन, फैजाबाद से बड़ी संख्या में वस्तुएं जैसे नेताजी के माता–पिता के चित्र, गोल लेन्सों के चश्में और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित साहित्य प्राप्त किया गया था, मुखर्जी आयोग की रिर्पोट, जिसमें कारण निहित हैं, ने निष्कर्षित किया कि गुमनामी बाबा तथ्यतः नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे को लक्षित करने वाले वहॉ पर कोई ठोस साक्ष्य नहीं थे। बड़ी संख्या में परिस्थितियां दर्शाती है कि तथ्यतः गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे। सीडब्ल्यू–29 प्रोफेसर द्वारका नाथ बोस समेत कुछ अभिसाक्षियों ने बताया है कि राम भवन से प्राप्त कुछ वस्तुओं को गुमनामी बाबा के विशिष्ट अनुरोध पर भेजा गया था। मेरी दृष्टि में, किसी भी मूल्य पर, केवल उपरोक्त वस्तुओं की प्राप्ति के आधार पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, जो राम भवन, फैजाबाद में निवास करते थे।

अभिसाक्षी ने जो साक्ष्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये, वे दर्शाते है कि डा0 पवित्र मोहन राय समेत बड़ी संख्या में व्यक्ति गुमनामी बाबा से मिलने आते थे। डा0 आर0पी0मिश्रा (सीडब्ल्यू–40) जो गुमनामी बाबा के चिकित्सक और निकटस्थ सहयोगी दोनों थे, के साक्ष्य दर्शाते हैं कि उनकी मृत्यु की सूचना डा0 पवित्र मोहन राय और अन्यों को कलकत्ता भेजी गयी थी। सीडब्ल्यू–36 शीतला सिंह (जन मोर्चा के संपादक) के साक्ष्य दर्शाते हैं कि उन्होंने डा0 पवित्र मोहन राय का साक्षात्कार लिया था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि उनको गुमनामी बाबा की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी और उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि उनमें से कोई उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने नहीं आया था। मेरी दृष्टि में, यह परिस्थितियां दर्शाती हैं

कि डा0 पवित्र मोहन राय और अन्य विश्वास नहीं करते थे कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। मैं अनुभव करता हूँ, यदि वे ऐसा मानते, वे उन्हें श्रद्धांजली अर्पित करने निश्चित रूप से आते।

बड़ी संख्या में अभिसाक्षियों ने आयोग के समक्ष स्वीकार किया था कि गुमनामी बाबा के अंतिम संस्कार के पूर्व उनका चेहरा विकृत हो गया था; उनके मृत शरीर को देखने की लोगों को अनुमति नहीं दी गई थी और मात्र 13 व्यक्ति उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए थे, जो फैजाबाद के गुप्तार घाट पर, जहाँ प्रायः अंतिम संस्कार नहीं किया जाते हैं, संध्याकाल में शीघ्रता के साथ किया गया था। मैंने अनुभव किया कि ये समस्त तथ्य भी दर्शाते हैं कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे।

मैंने अग्रतर पाया कि अभिसाक्षी जो आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे,ने बताया कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने भारतीय नागरिक सेवा (इण्डियन सिविल सर्विस) को भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में सम्मिलित होने के लिए त्याग दिया था; उन्होंने भारत को त्यागा और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था; भारत के बाहर एक प्रांतीय सरकार स्थापित की; और विदेश से निडर होकर भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया था। मेरी दृष्टि में,अभिसाक्षियों द्वारा आयोग के समक्ष रखे गये जो सुसंगत साक्ष्य हैं, उनके अनुसार इस प्रकार का कोई व्यक्ति चार दशकों तक गुमनामी अस्तित्व (अज्ञात अस्तित्व)को धारण कर,लोगों से आमने–सामने बात नहीं करना और परदे के पीछे से बातचीत करने को स्वीकार नहीं करेगा। यह वर्णित करना उचित है कि नेताजी के परिवार के सदस्य, जो आयोग के समक्ष अभिसाक्षी हुये, जैसे सीडब्ल्यू–30 प्रोफेसर चित्रा घोष, सीडब्ल्यू–31 कृष्णा घोष, सीडब्ल्यू–32 नीता घोष एवं सी०डब्ल्यू०–33 अर्धेन्दू बोस, के अनुसार परदे के पीछे जीवन व्यतीत करने को मानना उनका एक महान अपमान के रूप में होगा। वे इस विचार पर कुद्ध थे और इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। मैं उनके साक्ष्य को स्वीकार करने को तत्पर हूँ। मेरी दृष्टि में, यदि वह जीवित होते, तो वह एक सिंह की भांति दहाड़ते।

जो दावा करते है कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे की इस धारणा की शवपेटिका पर अंतिम कील केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता के डी0एन0ए0 विशेषज्ञ डा0 वी0के0कश्यप द्वारा प्रदत्त साक्ष्य से लग गई है। मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठों 121 और 122 के प्रस्तरों 4.15.10 एवं 4.15.11 का अवलोकन दर्शाता है कि राम भवन, फैजाबाद में पाये गये नौ में से पॉच दॉतों को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के पितृ पक्ष के दो वंशजों और मातृ पक्ष के तीन वंशजों से एकत्रित रक्त प्रदर्शों के साथ केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता को दांतों से संबंधित व्यक्ति की अभिज्ञातता के निर्धारण हेतु डी0एन0ए0 रूपरेखा परीक्षण हेतु भेजा गया था। डी0एन0ए0 रूपरेखा हेतु पाँच में से तीन दाँतों (एक्स 2 से 4) के परीक्षण के पश्चातडा0 वी0के0कश्यप, डी0एन0ए0 विशेषज्ञ और प्रयोगशाला के निदेशक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की ''कि अग्रेषित दॉत (एक्स 2 से 4) एक एकल वृद्ध

आयु पुरूष मानव व्यक्ति से संबंधित है–(अभिकथित गुमनामी बाबा)। दाँतों का व्यक्तिगत स्त्रोत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के मातृ या पितृ डी0एन0ए0 वंशावली से संबंधित नही है, इसलिए, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नहीं हो सकते।'' मुखर्जी आयोग ने धारित किया कि चूँकि वृद्ध आयु के अन्य सदस्य जो गुमनामी बाबा के साथ रहते थे वह केवल श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला थीं, डा0 वी0के0कश्यप द्वारा अभिलिखित किये गये नकारात्मक जाँच–परिणाम भी प्रत्यक्षदर्शियों के विवरणों के विरूद्ध हैं।

मेरी दृष्टि में, यदि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, तो डी0एन0ए0 विशेषज्ञ डा0 वी0के0कश्यप की रिपोर्ट में यह नहीं होता। मैं यह वर्णन करना उचित अनुभव करता हूँ कि आयोग के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य भी दर्शाते हैं कि गुमनामी बाबा के साथ केवल अन्य वृद्ध आयु का व्यक्ति जो निवास करता था वह श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला थीं।

यह सत्य है कि राम भवन में प्राप्त कुछ पुस्तकों और पत्रिकाओं में प्रकट हस्तलिपियों को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की हस्तलिपियों के साथ तुलना के लिए हस्तलिपि विशेषज्ञों के पास भेजा गया था, परन्तु जैसा कि मुखर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 121 के प्रस्तर 5.15.9 में वर्णित किया है कि यद्यपि एक विशेषज्ञ श्री बी0 लाल ने कहा था कि हस्तलिपियां (बंगाली और अंग्रेजी दोनों में) नेताजी की थीं, तीन अन्य विशेषज्ञ, अर्थात, अमर सिंह, एम0एल0शर्मा और डा0 एस0के0मण्डल ने प्रतिकूल रिपोर्ट दी। इस प्रकार के विभाजित अभिमत के मध्य मुखर्जी आयोग के हस्तलिपि विशेषज्ञों ने श्री बी0लाल के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया।

उपरोक्त कारणों के दृष्टिगत्, मैं सीडब्ल्यू–41 श्री अरविन्द शर्मा के साक्ष्य, कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को स्वीकार करने को प्रवृत्त नहीं हूँ।

यह ध्यान में आना चाहिए कि न्यायिक आयोग (जैसा की वर्तमान का) केवल निष्कर्षों पर पहुँच सकते हैं, जब कोई तथ्य सभी उचित संदेहों से परे सिद्ध हो गया हो और केवल इतना ही नहीं क्योंकि यह सच हो सकता है। इस संबंध में मैं स्वर्ण सिंह रत्तन सिंह बनाम पंजाब राज्य (ए0आई0आर0 1957 सर्वोच्च न्यायालय का पृष्ठ 637) के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिपादित चिरप्रचलित न्यायनिर्णय का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसके प्रस्तर 11 में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि 'सत्य हो सकता है' और 'सत्य होना चाहिए' के मध्य दीर्घ अंतराल है एवं दोष का निष्कर्ष तभी रेखांकित किया जा सकता है जब उक्त अंतराल की पूर्ति की गई हो। मुझे खेद है कि उक्त अंतराल की पूर्ति न तो सीडब्ल्यू–41 अरविन्द शर्मा न ही अन्य अभिसाक्षियों जिन्होंने आयोग के समक्ष बताया कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, द्वारा की गई। परिणामतः, सीडब्ल्यू–41 अरविन्द शर्मा के साक्ष्य कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सीडब्ल्यू–41 अरविन्द शर्मा के साक्ष्य से पृथक होने के पूर्व मै यह वर्णित करना चाहूँगा कि संकलन के पृष्ठ 6 पर उन्होंने सात प्रार्थनायें की है जिसमें से

गुमनामी बाबा के अवशेषों के डी0एन0ए0 परीक्षण से संबंधित प्रार्थना क्रमांक 5 क्रम संख्या 2250 पर सूचीबद्ध है, जिसमें उनके निवास के अंतिम स्थान से प्राप्त सामग्रियों की मूल अधिकारिक वस्तुसूची है एवं प्रार्थना क्रमांक 6 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की तुलना में गुमनामी बाबा के ताजा हस्तलेखन के विश्लेषण के संबंध में है।

मैंने उपरोक्त प्रार्थनाओं पर विचारण किया था और पूर्व में वर्णित किया था कि मुखर्जी जाँच आयोग ने गुमनामी बाबा के दाँत की डी0एन0ए0 रूपरेखा एवं गुमनामी बाबा और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की हस्तलिपियों की विशेषज्ञों द्वारा की गई तुलना को प्राप्त किया था।ऊपर मेरे द्वारा डी0एन0ए0 विशेषज्ञों और हस्तलिपि विशेषज्ञों द्वारा निष्कर्षित प्रतिवेदनो को वर्णित किया जा चुका है। मेरी दृष्टि में, डी0एन0ए0 रूपरेखण और हस्तलिपियों की तुलना का यह श्रम अंतहीन रूप से नहीं चल सकता है।

उसी प्रकार, मैनें अन्य प्रार्थनाओं को योग्य नहीं पाया।

जहाँ तक प्रार्थना क्रमांक 1 कि, आयोग को कठोरता पूर्वक परीक्षण करना चाहिए कि क्या गुमनामी बाबा और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एक ही व्यक्ति थे? या संबंधित नहीं हैं? मैं अपने कर्तव्यो के प्रति सचेत हूँ एवं मैनें प्रकरण का अतिसावधानी से परीक्षण किया है।

जहाँ तक प्रार्थना क्रमांक 2, जो फ्रांसिसी अभिसूचना प्रतिवेदन से संबंधित है, मैनें अभिसाक्षी के वक्तव्य के मूल्यांकन के समय इसका संव्यहृवरण किया था।

जहाँ तक प्रार्थना क्रमांक 3 का संबंध है, मेरी दृष्टि में, यहाँ इसमें वर्णित अभिलेखों को मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उक्त अभिलेख मात्र यही स्थापित करेगें कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। यह वर्णन करना उचित है कि उक्त निष्कर्ष पर मुखर्जी आयोग भी पहुँच चुका है। मुखर्जी आयोग के उक्त निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद भी, मेरे द्वारा पूर्व में कारण बताये जा चुके हैं कि क्या इसके आधार पर यह निष्कर्षित नहीं किया जा सकता कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

इसी कारण से, मैं प्रार्थना क्रमांक 4 को मान लेने को तैयार नहीं हूँ।

जहाँ तक प्रार्थना क्रमांक 7 का संबंध है, यह एक अनुरोध है कि इस प्रकार समस्त कार्य जो न्याय के हित में आवश्यक और वांछनीय हैं किये जाये। मेरी दृष्टि में गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी, जो अपनी मृत्यु के पूर्व राम भवन, सिविल लाइन, फैजाबाद में रहते थे एवं जिनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 (उनकी मृत्यु के दो दिन पश्चात–उनकी मृत्यु 16/09/1985को हुई) की अभिज्ञातता की खोज हेतु न्याय के हित में जो कुछ आवश्यक और वांछनीय था, मैंने किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा आयोग को यह कार्य समनुदेशित किया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 28/06/2016 द्वारा आयोग का गठन किया गया था।

5.40 अगले अभिसाक्षी सीडब्ल्यू–42 गुरू शक्ति सिंह उपाख्य शक्ति सिंह, पुत्र ठाकुर गुरू बसन्त सिंह, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी राम भवन, सिविल लाइन, फैजाबाद हैं, जिनके साक्ष्य पर विचारण का मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ। संक्षेप में, उनके साक्ष्य दर्शाते है कि :– किसी समय सितम्बर/अक्टूबर, 1982 में डा0 आर0पी0मिश्रा, जो राजकीय चिकित्सालय, फैजाबाद में एक चिकित्सक के रूप में सेवायोजित थे, उनके निवास पर आये और उन्हें बताया कि उनके पितामह अयोध्या में रहते हैं; उनकी देखभाल का उत्तरदायित्व उनका था; और चूंकि इसके निर्वहन हेतु वह निरन्तर अयोध्या की यात्रा करते थे, उन्होंने उनसे पूछताछ की कि उनके मकान में कोई स्थान रिक्त है और यदि है, तो क्या वह उनके पितामह को किराए पर देना चाहेगें। वह सहमत हो गये थे। दो माह पश्चात, एक रात्रि, एक पहिये वाली कुर्सी पर भगवानजी, डा0 आर0पी0 मिश्रा और कुछ अन्यों के साथ जिस भाग को उन्हें किराये पर दिया गया था में स्थानान्तरित हो गये थे। डा0 आर0पी0मिश्रा के परिवार के सदस्यों ने भगवानजी से सतत् मिलना प्रारंभ कर दिया था। एक दिन उन्होनें (अभिसाक्षी) डा0 मिश्रा की पत्नी से भगवानजी से मिलने की अपनी इच्छा प्रकट की, जिन्हें वह मौसी कहते थे। उन्होंने उत्तर दिया कि पूजा के उपरान्त वह उनके साथ उनकी बैठक की व्यवस्था करेंगी। कुछ दिनों उपरान्त श्रीमती मिश्रा ने उनसे कहा कि आज शाम को भगवानजी ने उन्हें बुलाया है। संध्या 7.00 बजे के आसपास वह श्रीमती मिश्रा के साथ उनसे मिलने गये। वे एक कक्ष में प्रविष्टि हुये जिसमें वहॉ एक बेन्च, दो कुर्सियां और एक स्टूल था। भगवानजी संलग्न वाले कक्ष में थे, जिसकी खिड़की पर वहॉ एक परदा था। भगवानजी ने उनसे परदे के पीछे से बात की। वह बाह्य कक्ष में एक बेन्च पर बैठे थे और उनके बोलने की रीति और उनके अधिकार युक्त स्वर से प्रभावित थे। तत्पश्चात, प्रत्येक मंगलवार को, जब कभी वह फैजाबाद में होते थे, वह प्रायः भगवानजी से सांध्य 8 बजे के पश्चात मिलते थे।

अभिसाक्षी के साक्ष्य दर्शाते हैं कि 15/09/1985 को उनको ज्ञात हुआ कि भगवानजी अस्वस्थ हैं। डा0 आर0पी0मिश्रा, डा0 पी0बनर्जी और कुछ अन्य उनकी सेवा कर रहे थे। जब उन्होंने डा0 मिश्रा से भगवानजी की स्थिति के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने एक बहुत पीड़ादायक स्वर में चिंतित न होने को कहा क्योंकि वे उनकी देखभाल कर रहे थे। दिनांक 16/09/1985 को भगवानजी की मृत्यु हो गयी। अगले दिन जब उन्होंने डा0 आर0पी0मिश्रा से पूछा कि उनका अंतिम संस्कार कब किया जायेगा, उन्होंने उसी स्वर में कहा कि वे कलकत्ता से लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब दिनांक 18/09/1985 को संध्याकाल तक कलकत्ता से लोग नहीं आये, डा0आर0पी0मिश्रा ने कहा कि वे भगवानजी को अंतिम संस्कार के लिए अयोध्या ले जायेंगे। तथापि, जब वे अंतिम संस्कार के लिए रास्ते में थे, अकस्मात् जिस वाहन में भगवानजी का मृत शरीर ले जाया जा रहा था, गुप्तार घाट, फैजाबाद की ओर मुड़ गया और पुलिस एवं प्रशासन की उपस्थिति में भगवानजी का अंतिम संस्कार उस स्थान पर किया गया जहॉ अंतिम संस्कार नहीं किये जाते हैं।

दिनांक 30/10/1985 को स्थानीय समाचार पत्र 'नये लोग' के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित हुआ था कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। उनको भी इसी प्रकार की शंका थी जिसकी पुष्टि उक्त समाचार के पढ़ने के पश्चात हुई थी।

दिनांक 29/09/1985 को ललिता बोस उनके फैजाबाद के आवास पर आई और कक्ष जिसमें भगवानजी रहते थे को देखने की इच्छा प्रकट की। चूंकि उक्त कक्ष पर जनपद प्रशासन द्वारा एक ताला लगा दिया गया था, वह ललिता बोस के साथ जनपद मजिस्ट्रेट, फैजाबाद के कक्ष में गये, जिन्होंने निरीक्षक कोतवाली और उपजिलाधिकारी को कक्ष का ताला खोलने के लिए निर्देशित किया था। जब कक्ष का ताला खोला गया था, उन्होंने वस्तुओं के मध्य में उनके पिता की असहमति की रिपोर्ट और एक पत्र जिसके बारे में उन्होंने बताया कि यह उनके चाचा सुभाष चन्द्र बोस द्वारा लिखा गया था, को देखा। वह उनके साथ जनपद मजिस्ट्रेट, फैजाबाद के पास गये; उनसे एक जाँच के आदेश; और कक्ष के भीतर जो वस्तुएं थी को सुरक्षित रखने के लिए कहा। इस पर जनपद मजिस्ट्रेट ने उनसे कहा कि उनको न्यायालय में जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि विगत् दो महीनें से समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हो रहा था कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, वह पहले क्यों नहीं आई थीं, जिस पर उन्होनें उत्तर दिया कि इससे पूर्व भी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस होने के दावे किये गये थे और जब वे जाँचे गए, वे फर्जी पाए गए। उन्होनें उन्हें अग्रतर बताया कि परिवार के कुछ सदस्यों के आग्रह पर वे सत्य की खोज में फैजाबाद आयी थीं।

राम प्रकाश सिंह, एक सामाजिक कार्यकर्ता, जो श्री चन्द्रशेखर (भारत के पूर्व प्रधानमंत्री) के निकटस्थ थे, ने जनवरी, 1986 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह की ललिता बोस के साथ बैठक की व्यवस्था की थी और बाद में उनसे कहा था कि वह विवश हैं एवं उनसे न्यायालय जाने को कहा था।

तत्पश्चात, ललिता बोस विश्वबंधु तिवारी और कौसर हुसैन के साथ लखनऊ आई थीं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में एक याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसके अनुसरण में गुमनामी बाबा की वस्तुओं के संबंध में एक वस्तुसूची निर्मित की गई थी।

शक्ति सिंह के साक्ष्य अग्रतर दर्शाते हैं कि वर्ष 2010 में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में एक रिट याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें न्यायालय ने आदेश दिया था ''उत्तर प्रदेश सरकार को स्वर्गीय गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी जो राम भवन, फैजाबाद में रहते थे एवं जिनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 (supra) को किया गया था, की अभिज्ञातता के संबंध में जाँच को धारित करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञों और उच्चाधिकारियों के एक दल को समाविष्ट करते हुए एक समिति की नियुक्ति हेतु विचारण को उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रतर निदेशित किया गया है। तीन महीने की अवधि के भीतर अविलम्ब निर्णय लेने को कहा जाय।''

अपने प्रमुख परीक्षण के अंतिम प्रस्तर में अभिसाक्षी ने बताया कि उसकी धारणा है कि मात्र कुछ वस्तुओं की प्राप्ति से यह निष्कर्षित नहीं किया जा सकता कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, परन्तु यदि गुमनामी बाबा और सुभाष चन्द्र बोस की हस्तलिपियों की विशेषज्ञों द्वारा की गई तुलना एवं गुमनामी बाबा के गद्दों, चादरों, तकियों ओर कपड़ों के साथ नेताजी के परिवार के सदस्यों के डी0एन0ए0 का डी0एन0ए0 परीक्षण किया जाय तो इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

यह वर्णन करना उचित है कि अभिसाक्षी का आयोग द्वारा सघन प्रति–परीक्षण किया गया था। जिसमें उसने स्वीकार किया था कि गुमनामी बाबा उसके सहित कभी किसी से आमने–सामने नहीं मिले थे। वह सदैव लोगों से परदे के पीछे से मिलते थे। उसने यहाँ यह भी स्वीकार किया था कि गुमनामी बाबा की मृत्यु के समय और जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं कर दिया गया था, वह पूरे समय उनके मृत शरीर के बगल में रहा और गुप्तार घाट पर अंतिम संस्कार का निर्णय डा0 आर0पी0 मिश्रा का था।

प्रति–परीक्षण में, उनसे यह भी पूछा गया था कि गुमनामी बाबा की मृत्यु (16/09/1985 को) के पूर्व अर्धेन्दु बोस (जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के वास्तविक छोटे भाई थे) समेत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के परिवार के बड़ी संख्या में लोग जीवित थे और यदि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस होते, तो वे उनसे मिले होते। उन्होंने उत्तर दिया कि वह इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकते।

अभिसाक्षी ने प्रति–परीक्षण में स्वीकार किया था कि उसनेमुखर्जी आयोग के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया था, परन्तु उसने यह बताया था कि उसे स्मृति नहींहै कि उसने उसके समक्ष कहा था कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, क्योंकि मुखर्जी आयोग के समक्ष दी गई गवाही की उसके पास कोई प्रति नहीं है।

प्रति–परीक्षण के मध्य उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया अंतिम प्रश्न था कि क्या गुमनामी बाबा को अपने परिसर को किराये पर देने (यह लगभग दिसम्बर, 1982 था) और आज (16/05/2017) के मध्य के समय में उन्होंने किसी व्यक्ति/संगठन/अधिकारी को बताया था कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे? इस पर उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया था।

मैंने शक्ति सिंह के वक्तव्य का अवलोकन किया। उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने गुमनामी बाबा को कभी आमने–सामने नहीं देखा था और उनसे सदैव परदे के पीछे से बात की थी। मेरी दृष्टि में, उनका दावा कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे को नकारने के लिए यह स्वयं में पर्याप्त है। यह वर्णित करना उचित है कि गुमनामी बाबा की अभिज्ञातता के संबंध में इस तथ्य के आधार पर, मुखर्जी आयोग (देखें मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ 115 का अंतिम प्रस्तर) ने उनके साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया था।

यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण कारण हैं कि क्यों मैंउनकी धारणा कि, गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे को स्वीकार करने में अक्षम हूँ। मैं उनके उत्तर कि,

उन्हें स्मृति नही है कि क्या मुखर्जी आयोग के समक्ष उन्होंने बताया था कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे? क्योंकि उनके पास आयोग के समक्ष दिये गये वक्तव्य की प्रति नही है, को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। शक्ति सिंह ने अपने वक्तव्य में अपनी आयु 57 वर्ष बताई है। इसका तात्पर्य है कि मुखर्जी आयोग के समक्ष जब उनका अभिसाक्ष्य अभिलिखित किया गया था तब उनकी आयु लगभग 47 वर्ष थी। वह एक शिक्षित व्यक्ति हैं। उनका वक्तव्य दर्शाता है कि उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त की है। मेरी दृष्टि में, यदि उन्होंने मुखर्जी आयोग के समक्ष बताया थाकि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, उन्हें यह तथ्य इस आयोग को स्पष्टरूप से वर्णित करना चाहिए था। मैं स्मृति ह्रास के आधार पर उनके उत्तर पर ध्यान न देने को तैयार नहीं हूँ। मेरी दृष्टि में, गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे के उनके दावे को अस्वीकार करने का यह दूसरा कारण है।

तृतीयतः, उनके प्रति–परीक्षण में, प्रश्न क्रमांक 29 के उत्तर में, शक्ति सिंह ने स्वीकार किया था कि गुमनामी बाबा के उनके मकान में स्थानान्तरण के एक वर्ष के भीतर उन्हें अनुभव हो गया था कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे और यहाँ प्रश्न क्रमांक 34 के उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया था कि आज से पूर्व अर्थात 16/05/2017 के पूर्व उन्होंने किसी व्यक्ति/संगठन/अधिकारी को नहीं बताया था कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

चूंकि शक्ति सिंह ने अपने प्रमुख परीक्षण में बताया था कि डा0 आर0पी0मिश्रा ने उनसे गुमनामी बाबा को उनका परिसर किराये पर देने का सितम्बर/अक्टुबर, 1982 में अनुरोध किया था तथा लगभग डेढ़ माह पश्चात वे इसमें स्थानान्तरित हुए थे, यह स्पष्ट है कि गुमनामी बाबा शक्ति सिंह के परिसर में लगभग दिसम्बर, 1982 में स्थानान्तरित हुये थे।

यह तथ्य है कि दिसम्बर, 1982 से 16/05/2017 के मध्य अर्थात लगभग 34 वर्षों के तक शक्ति सिंह ने किसी को नहीं बताया कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, उनके इस दावे की स्वीकृति आयोग के लिए अत्यन्त असुरक्षित है। मेरी दृष्टि में, यदि वह आश्वस्त थे कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, उन्हें उक्त चौतीस वर्षों के दौरान इसके बारे में समस्त और विविध को बताना चाहिए था। अभिसाक्षी का मौन अमंगल सूचक है और यह स्वयं में उनके दावे कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, की अस्वीकृति हेतु पर्याप्त आधार है ।

यह ध्यान में आना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनेकों बार घोषित किया है कि लंबी अवधि के लिए किसी महत्वपूर्ण तथ्य के अप्रकटीकरण को अभिसाक्षी का न मानना समझा जायेगा।

चतुर्थतः, राम भवन, फैजाबाद में प्राप्त दाँत के संबंध में डी0एन0ए0 विशेषज्ञ डा0 वी0के0कश्यप की रिपोर्ट (मैनें इसे सीडब्ल्यू–41 अरविन्द शर्मा के साक्ष्य के साथ संव्यवहार के समय कुछ विवरण में इसे संदर्भित किया है) भी अभिसाक्षी के

दावे को नकारती है कि, गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। उक्त विवरणों की पुनरावृत्ति द्वारा मै अपनी रिपोर्ट को भारित नहीं करना चाहता।

पंचमतः, यह विश्वास करना असंभव है कि नेताजी जैसा साहसी आदमी जिसने भारतीय नागरिक सेवा (इण्डियन सिविल सर्विस) से इस्तीफा दे दिया, भारतीय राष्ट्रीय सेना (आई0एन0ए0) का गठन किया, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा, निर्वासित सरकार का गठन किया, एक परदे के पीछे छिपकर चार दशकों तक किसी कायर का जीवन व्यतीत करेगा; यह वह तथ्य है जिसे श्री शक्ति सिंह चाहते है कि आयोग विश्वास करे।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के निकटतम पारिवारिक सदस्यों, अर्थात प्रो0 द्वारका नाथ बोस (सीडब्ल्यू–29), अर्द्धेन्दु बोस (सीडब्ल्यू–33), प्रो0 चित्रा घोष (सीडब्ल्यू–30), कृष्णा घोष (सीडब्ल्यू–31), इनमें प्रथम दो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के वास्तविक भतीजे हैं (उनके वास्तविक भाइयों के पुत्र) और अंतिम तीन उनकी वास्तविक भतीजियां हैं (उनके वास्तविक भाइयों की पुत्रियां) के साक्ष्य इस विचार पर कि, उनके चाचा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एक परदे के पीछे छुपकर एक कायर का जीवन व्यतीत करेगें; पर उनके आक्रोश को दर्शाते हैं।

षष्टतः, सीडब्ल्यू–33 अर्द्धेन्दू बोस के साक्ष्य दर्शाते हैं कि जब गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई (यह 16/09/1985 का दिन था), तब उनके पिता (अर्द्धेन्दू बोस के पिता) जीवित थे और यदि उनको एक अणु मात्र भी संदेह होता कि गुमनामी बाबा उनके स्वयं के भाई नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हैं, वह उनसे मिलते या उनसे (अर्द्धेन्दू बोस) से फैजाबाद में मिलने को कहते क्योंकि अपने व्यापार के संबंध में वह समय–समय पर कानपुर जाते थे (कानपुर फैजाबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर है)। मैनें उक्त कारण को प्रतीतिकारक पाया।

अंततः, डा0 आर0पी0 मिश्रा (सीडब्ल्यू–39) और शीतला सिंह के साक्ष्यदर्शाते हैं कि गुमनामी बाबा की मृत्यु की सूचना डा0 पवित्र मोहन राय और अन्यों को जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के निकटस्थ सहयोगी थे को कलकत्ता भेजी गयी थी, और गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार प्रतिभाग की प्रत्याशा में विलंबित हुआ था। डा0 आर0पी0मिश्रा के साक्ष्य दर्शाते हैं कि जब 18/09/1985 की संध्या तक कलकत्ता से कोई नहीं आया, तो गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार करने का निश्चय किया गया था। शीतला सिंह के साक्ष्य दर्शाते हैं कि एक साक्षात्कार में डा0 पवित्र मोहन राय ने स्वीकार किया था कि उन्होंने गुमनामी बाबा की मृत्यु की सूचना प्राप्त की थी परन्तु न तो उन्होने न ही उनके किसी सहयोगी ने उनके अंतिम संस्कार में प्रतिभाग किया था। डा0 पवित्र मोहन राय और अन्यों का यह आचरण दर्शाता है कि वे विश्वास नहीं करते थे कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे क्योंकि यदि विश्वास करते होते तो वे निश्चित रूप से उनके अंतिम संस्कार में प्रतिभाग करते जो उनकी मृत्यु के दो दिन पश्चात अर्थात 18/09/1985(उनकी मृत्यु 16/09/1985 को हुई थी) गुप्तार घाट, फैजाबाद में हुआ था। यह

परिस्थितियां दर्शाती है कि शक्ति सिंह का दावा कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, अपुष्ट है।

उपरोक्त कारणों से, शक्ति सिंह के साक्ष्य किसी विश्वास को जाग्रत नहीं करते हैं।

मैं अपनी निष्पक्षता में दोषी होऊँगा यदि शक्ति सिंह के वक्तव्य से पृथक होने के पूर्व मैं वर्णित नहीं करता कि शक्ति सिंह ने कहा था कि यदि गुमनामी बाबा और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की हस्तलिपियों को तुलना के लिए हस्तलिपि विशेषज्ञों को भेजा जाता है एवं गुमनामी बाबा के गद्दों, चादरों, तकियों और कपड़ों को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के परिवार के सदस्यों के डी0एन0ए0 प्रतिदर्शों के साथ तुलना के लिए भेजा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि क्या गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे?मैं भयभीत हूँ कि इस प्रकार के कार्य नहीं किये जाते हैं। अरविन्द शर्मा (सीडब्ल्यू–41) के साक्ष्य को संव्यवहृत करते हुए, मैने कुछ परिमाण में बताया था कि मुखर्जी आयोग ने राम भवन, फैजाबाद से प्राप्त दाँतों को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के परिवार के पितृ और मातृ पक्ष के सदस्यों के रक्त प्रतिदर्शों के साथ डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु भेजा था और गुमनामी बाबा एवं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की हस्तलिपियों को हस्तलिपि विशेषज्ञों को भेजा था। डी0एन0ए0 विशेषज्ञ और हस्तलिपि विशेषज्ञों दोनों की रिपोर्टों के निष्कर्षों को मैं अरविन्द शर्मा (सीडब्ल्यू–41) के साक्ष्य को संव्यवहृत करते हुए मैं वर्णित कर चुका हूँ।मेरी दृष्टि में, डी0एन0ए0 रूपरेखा और हस्तलिपि की तुलना की क्रिया अंतहीन नहीं चल सकती है।

मैं यह भी उल्लेख कर सकता हूँ कि शक्ति सिंह ने अपने वक्तव्य में बताया था कि स्वर्गीय गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी जो राम भवन, फैजाबाद में रहते थे और जिनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 को किया गया था की अभिज्ञातता के संबंध में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञों और उच्चाधिकारियों के दल के समावेशन वाली एक समिति के नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को विचारण का निदेश दिया था।

कदाचित्, श्री शक्ति सिंह यह तर्क प्रस्तुत करना चाहते थे कि उक्त निदेश का पालन नहीं किया गया है और उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञों और उच्चाधिकारियों के समावेशन वाले एक दल की समिति के स्थान परउत्तर प्रदेश के राज्यपाल के निदेशन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 28/06/2016 द्वारा जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन मेरे नेतृत्व में गुमनामी बाबा की अभिज्ञातता की खोजने के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया।

मेरी दृष्टि में, चूंकि उच्च न्यायालय ने केवल उत्तर प्रदेश सरकार को गुमनामी बाबा की अभिज्ञातता को खोजने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञों और उच्चाधिकारियों के एक दल के समावेशन

वाली एक समिति की नियुक्ति के विचारण का निदेश दिया था, यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार को मात्र तत्काल आयोग का गठन करना था।

दिनांक 28/06/2016 की अधिसूचना जिसके द्वारा वर्तमान आयोग का गठन किया गया था,इसकी स्थापना को दर्शाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने जनहित में गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी जो अपनी मृत्यु के पूर्व राम भवन, फैजाबाद में निवास करते थे और जिनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 को किया गया था की अभिज्ञातता के अभिनिर्धारण एवं गुमनामी बाबा की अभिज्ञातता के अभिनिर्धारण को आयोग गठित किये जाने के उपरोक्त उच्च न्यायालय के निदेशन की दृष्टि में भी उचित माना था।

चूंकि अधिसूचना का प्रस्तर 4 आयोग के अध्यक्ष पर छोड़ देता है कि वह विनिश्चित करे कि क्या यहाँ इसमें सहायता के लिए विशेषज्ञों की कोई आवश्यकता है और मेरी दृष्टि में, यहाँ इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, मैनें विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई अनुशंसा नहीं की।

उपरोक्त वर्णित कारणों के लिए, पूर्वकथित परिवाद सारहीन है।

5.41 सीडब्ल्यू–43 बिजोय कुमार नाग, पुत्र स्वर्गीय सुशील चन्द्र नाग, निवासी–श्रीनवान्तु, सी/58 पानेहसयार, कोलकाता–700094 ने लेख्य प्रमाणक (नोटरी) के समक्ष शपथयुक्त एक शपथपत्र को श्री रूद्र ज्योति भट्टाचारजी, अधिवक्ता के माध्यम से भेजा था। चूंकि श्री भट्टाचारजी के पत्र दिनांक 23/05/2017(जिसके साथ शपथपत्र भेजा गया था) में यह उल्लेख किया गया था कि बिजोय कुमार नाग वृद्ध हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है एवं लखनऊ और फैजाबाद यात्रा करने की स्थिति में नहीं हैं, आयोग उक्त शपथ पत्र को सीडब्ल्यू–43 बिजोय कुमार नाग के वक्तव्य के रूप में संव्यवहृत करे।

मैंने बिजोय कुमार नाग के शपथपत्र का परिशीलन किया, जिन्होनें इसमें स्पष्टतया बताया कि गुमनामी बाबा (जो भगवानजी के रूप में भी जाने जाते थे) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, जो अपनी मृत्यु के पूर्व राम भवन, फैजाबाद में एक कक्ष के भीतर रहते थे; परदे के पीछे से लोगों से बात करते थे; और डा0 पी0बनर्जी (मृत्यु तक), डा0 आर0पी0मिश्रा एवं कोलकाता के कुछ लोगों के अतिरिक्त, किसी ने उन्हें नहीं देखा था।

उक्त शपथपत्र में उन्होंने यह भी वर्णित किया कि 18 सितम्बर, 1985 को जिस शव का अंतिम संस्कार किया गया था, वह गुमनामी बाबा का नहीं था, जिन्होंने डा0 आर0पी0मिश्रा की सहायता से राम भवन, फैजाबाद को छोड़ दिया था, परन्तु उनके स्थान पर यह एक अज्ञात शव था।

चूंकि, उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनांक 28/06/2016, जिसके द्वारा इस आयोग का गठन किया गया था, मुझे गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी जो अपनी मृत्यु के पूर्व राम भवन, सिविल लाइन, फैजाबाद में रहते थे और जिनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार 18 सितम्बर, 1985 को किया गया था, की अभिज्ञातता

को खोजने का निदेश किया गया था, एवं श्री बिजोय कुमार नाग के शपथपत्र के अनुसार गुमनामी बाबा के शव का 18 सितम्बर, 1985 को अंतिम संस्कार नहीं किया गया था, चूंकि वह डा0 आर0पी0 मिश्रा की सहायता से राम भवन, फैजाबाद को छोड़ चुके थे और उनके स्थान पर एक अज्ञात शव का अंतिम संस्कार किया गया था, गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की अभिज्ञातता के अभिनिर्धारण में आयोग द्वारा उनके शपथपत्र को विचारण में नहीं लिया जा सकता।

श्री बिजोय कुमार नाग के शपथपत्र से पृथक होने के पूर्व, मैं उल्लेख कर सकता हूँ कि न तो डा0 आर0पी0मिश्रा, जिनका आयोग द्वारा सीडब्ल्यू–40 के रूप में परीक्षण किया गया था, न ही अन्य किसीअभिसाक्षी ने आयोग के समक्ष वर्णित किया कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी ने राम भवन छोड़ दिया था (डा0 आर0पी0 मिश्रा की सहायता से) एवं मात्र बिजोय कुमार नाग तथा सीडब्ल्यू–12 कृष्णा कुमार ने बताया था कि जिस शव का 18 सितम्बर, 1985 को अंतिम संस्कार किया गया था, वह गुमनामी बाबा का नहीं था। बिजोय कुमार नाग एवं कृष्णा कुमार के अतिरिक्त, अभिसाक्षियों के साक्ष्य, जो आयोग के समक्ष अभिसाक्षी हुए का कथन था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की मृत्यु 16 सितम्बर, 1985 को राम भवन, फैजाबाद में हुई थी और 18 सितम्बर, 1985 को गुप्तार घाट, फैजाबाद पर उनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था।

5.42 तरूण कुमार मुखोपाध्याय, निवासी– 2/1, वृन्दावन मुळीक, प्रथम सरणी, कोलकाता–700009 तथा सुरजीत दासगुप्ता, निवासी– 25/1, गुरूप्रसाद चौधरी सरणी, कोलकाता–700006 के शपथपत्रों को आयोग के समक्ष उनके वक्तव्यों के रूप मेंसंव्यवहृत किया गया है (सीडब्ल्यू–44 तरूण कुमार मुखोपाध्याय और सीडब्ल्यू–45 सुरजीत दासगुप्ता), दिनांक 23/05/2017 के श्री रूद्र ज्योति भट्टाचारजी (एक अधिवक्ता) के पत्र की दृष्टि से जिसमें यह वर्णित है कि वे वृद्ध हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और लखनऊ तथा फैजाबाद यात्रा करने की स्थिति में नहीं हैं। चूंकि तरूण कुमार मुखोपाध्याय और सुरजीत दासगुप्ता दोनों ने दावा किया है कि वह भगवानजी/नेताजी से मिले थे जब वह ब्रह्म कुण्ड, अयोध्या में रहते थे, मैने उनके साक्ष्यों पर साथ–साथ परिशीलन किया। उनका दावा है कि उन्होंने भगवानजी को आमने–सामने देखा था और आश्वस्त थे कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। सीडब्ल्यू–44 तरूण कुमार मुखापाध्याय का दावा है कि वह दिसम्बर, 1979 में ब्रह्मकुण्ड, अयोध्या में भगवानजी से मिले थे तथा सीडब्ल्यू–45 सुरजीत दासगुप्ता का दावा है वह सितम्बर, 1982 और फरवरी, 1983 में उनसे मिले थे। मैं भयभीत हूँ, मैं उनके दावे को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि आयोग के समक्ष जो साक्ष्य रखे गये हैं वे दर्शाते हैं कि भगवानजी ने मात्र एक बार 15/01/1975 से 15/05/1978 के मध्य सीडब्ल्यू–28 मंजीत सिंह के मकान में निवास किया था। तत्पश्चात, वह अयोध्या में लखनऊवा हाता में स्थानान्तरित हो गये थे एवं वहाँ से दिसम्बर, 1982 में सीडब्ल्यू–42 शक्ति सिंह के मकान में आ गये थे जो राम भवन कहलाता था और सिविल लाइन, फैजाबाद में स्थित था, जहाँ पर उन्होंने अंत तक

निवास किया और 16/09/1985 को उनकी मृत्यु हुई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दिसम्बर, 1979 और सितम्बर, 1982 में भगवानजी अयोध्या में लखनऊवा हाता में रहते थे और फरवरी, 1983 में राम भवन, सिविल लाइन्स, फैजाबाद में तथा तत्पश्चात यहाँ दिसम्बर, 1979 में सीडब्ल्यू–44 तरूण कुमार मुखोपाध्याय का ब्रह्मकुण्ड, अयोध्या में बैठक का और सितम्बर, 1982 एवं फरवरी, 1983 में सीडब्ल्यू–45 सुरजीत दासगुप्ता का वहाँ पर बैठक का कोई प्रश्न ही नहीं था। मेरी दृष्टि में ब्रह्मकुण्ड, अयोध्या में गुमनामी बाबा से बैठक का उनका दावा सही सिद्ध नहीं होता है। उनका दावा कि वे गुमनामी बाबा से आमने–सामने ब्रह्मकुण्ड, अयोध्या में मिले थे किसी भी दृष्टि से स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इस संबंध में सीडब्ल्यू–28 मंजीत सिंह, जिन्होंने बताया था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी उनके मकान संख्या 530/1, परिक्रमा मार्ग, ब्रह्मकुण्ड, अयोध्या में 15/01/1975 से 15/05/1978 तक किरायेदार रहे थे, के साक्ष्य को उद्धरित करना चाहूँगा और गुमनामी बाबा जो किसी से आमने–सामने नहीं मिलते थे के कक्ष के अंदर प्रवेश करके डा0 टी0सी0 बनर्जी तथा डा0 पी0 बनर्जी जो उनका उपचार किया करते थे। मंजीत सिंह के साक्ष्य दर्शाते हैं कि गुमनामी बाबा एक कक्ष के अंदर निवास करते थे जिसके द्वार पर वहाँ एक मोटा परदा था एवं जो व्यक्ति उनके साथ बातचीत करते थे आसन्न कक्ष में एक दरी पर बैठते थे परन्तु परदे के कारण वे उन्हें देख नहीं सकते थे।

आयोग के समक्ष जैसे साक्ष्य दर्शाये गये हैं कि गुमनामी बाबा मात्र एक बार ब्रह्मकुण्ड, अयोध्या में मंजीत सिंह के आवास में किरायेदार के रूप में 15/01/1975 से 15/05/1978 तक रूके थे(सीडब्ल्यू–28 मंजीत सिंह ने जैसा अभिसाक्षी किया है), तरूण कुमार मुखोपाध्याय के शपथपत्र में उनका प्रकथन कि वह दिसम्बर, 1979 में गुमनामी बाबा से ब्रहमकुण्ड, अयोध्या में मिले थे और सुरजीत दासगुप्ता के शपथ पत्र में दर्शाया गया है कि वह वहाँ उनसे सितम्बर, 1982 तथा फरवरी, 1983 में मिले थे, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शपथपत्र में उनका प्रकथन कि वे गुमनामी बाबा से ब्रह्मकुण्ड, अयोध्या में आमने–सामने मिले थे को भी सीडब्ल्यू–28 मंजीत सिंह के साक्ष्य के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सीडब्ल्यू–44 तरूण कुमार मुखोपाध्याय और सीडब्ल्यू–45 सुरजीत दासगुप्ता के वक्तव्य से पृथक होने के पूर्व मैं यह वर्णित करना उचित अनुभव करता हूँ कि लगभग प्रत्येक अभिसाक्षी, जो आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ, ने बताया कि गुमनामी बाबा लोगों से कभी आमने–सामने नहीं मिलते थे और उनसे सदैव परदे के पीछे से बात करते थे।

भाग – चतुर्थ

गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की अभिज्ञातता के अभिनिर्धारण हेतु अभिसाक्षीयों के साक्ष्यों का वर्गीकरण

1. यह आवश्यक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनांक 28/06/2016 (जिसके द्वारा आयोग का गठन किया गया है) में उपबंधित है कि यह आयोग गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी जो अपनी मृत्यु के पूर्व राम भवन, फैजाबाद में रहते थे और जिनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 को किया गया था, की अभिज्ञातता की खोज करेगा।

2. अभिसाक्षियों के साक्ष्य जो आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये या जिनके शपथपत्रों का उनके वक्तव्यों के रूप में आयोग द्वारा विचारण किया गया था (संपूर्ण रूप में वे संख्या में 45 हैं) को छह शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो निम्नवत् वर्णित हैं :–

1.	2.	3.	4.	5.	6.
अभिसाक्षी जिनका दावा था गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे/हो सकते थे। 1.सीडब्ल्यू–1 जयन्ती रक्षित 2.सीडब्ल्यू–2 अमिय रक्षित 3.सीडब्ल्यू–3 अनुज धर 4.सीडब्ल्यू–4 चन्द्रचूड़ घोष 5.सीडब्ल्यू–5 सुरजीत पनिक्कर 6.सीडब्ल्यू–7 रीता बनर्जी 7.सीडब्ल्यू–8 प्रो0 दशरथ सिंह	**अभिसाक्षी जिनका दावा था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे** 1.सीडब्ल्यू–22 विशम्भर नाथ अरोड़ा 2.सीडब्ल्यू–29 प्रो0 द्वारका नाथ बोस 3.सीडब्ल्यू–30 प्रो0 चित्रा घोष 4.सीडब्ल्यू–31 श्रीमती कृष्णा घोष 5.सीडब्ल्यू–32 श्रीमती नीता घोष	**अभिसाक्षी जिनका दावा था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के0 डी0 उपाध्याय थे** 1.सीडब्ल्यू–36 शीतला सिंह	**अभिसाक्षी जिनका दावा था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी उनके पितामह के समान थे** 1.सीडब्ल्यू–40 डा0 आर0पी0 मिश्रा	**अभिसाक्षी जिनका दावा था कि कोई महात्मा जो जनपद वाराणसी के ग्राम कैथी में 1951 में दो माह तक रहे थे और तत्पश्चात शोउलमारी आश्रम, फलाकाता, कूंचबिहार, पश्चिम बंगाल चले गये थे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे** 1.सीडब्ल्यू–16 श्याम लाल सिंह	**अभिसाक्षी जिनका दावा था कि स्वामी शारदानंद, जो वाराणसी, शोउलमारी आश्रम, फलाकाता, कूंच बिहार, पश्चिम बंगाल में रहे थे और जिनकी मृत्यु 1977 में देहरादून में हुई नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे** 1.सीडब्ल्यू–6 श्यामा चरण पाण्डेय 2.सीडब्ल्यू–14 उमा चरण पाण्डेय

1.	2.	3.	4.	5.	6.

8.सीडब्ल्यू–9 रवीन्द्र नाथ शुक्ला 9.सीडब्ल्यू–10 अशोक टण्डन 10.सीडब्ल्यू–11 अयोध्या प्रसाद गुप्ता 11.सीडब्ल्यू–12 कृष्णा कुमार 12.सीडब्ल्यू–13 राकेश श्रीवास्तव 13.सीडब्ल्यू–19 अमिता सिंह 14.सीडब्ल्यू–20 मदन मोहन त्रिपाठी 15.सीडब्ल्यू–21 अतुल कुमार सिंह 16.सीडब्ल्यू–23 मनीष जोशी 17.सीडब्ल्यू–24 नेतराम सिंह 18.सीडब्ल्यू–25 डा0 शंकर चटर्जी 19.सीडब्ल्यू–26 राम प्रकाश त्रिपाठी 20.सीडब्ल्यू–27 राम प्रताप यादव 21.सीडब्ल्यू–28 मंजीत सिंह 22.सीडब्ल्यू–37 नन्द कुमार मिश्रा 23.सीडब्ल्यू–38 कृष्णा कुमार मिश्रा	6.सीडब्ल्यू–33 अर्धेन्दु बोस 7.सीडब्ल्यू–34 शिबाशीष नाग 8.सीडब्ल्यू–35 अरूप कुमार मित्रा			श्याम लाल सिंह ने 1958 में कहा था कि वह मुंबई चले गये थे और तत्पश्चात उनका बाबाजी (महात्मा) के बारे में कोई जानकारी नहीं थी	3.सीडब्ल्यू–15 अदित्य नाथ पाण्डेय 4.सीडब्ल्यू–17 विश्राम सिंह 5.सीडब्ल्यू–18 राम शंकर सिंह

1.	2.	3.	4.	5.	6.

24.सीडब्ल्यू–39 शिव प्रसाद 25.सीडब्ल्यू–41 अरविन्द शर्मा 26.सीडब्ल्यू–42 गुरू शक्ति सिंह 27.सीडब्ल्यू–43 बिजोय कुमार नाग 28.सीडब्ल्यू–44 तरूण कुमार मुखापाध्याय 29.सीडब्ल्यू–45 सुरजीत दासगुप्ता					

3. स्तम्भ संख्या–4 और 5 में वर्णित कारणों के कारण गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की अभिज्ञातता के अभिनिर्धारण के लिए विचारण नहीं किया जा सकता।

4. जिन अभिसाक्षियों के नाम स्तम्भ क्रमांक–6 में वर्णित हैं, के साक्ष्यों को गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की अभिज्ञातता के अभिनिर्धारण हेतु विचारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे कहते हैं कि कोई स्वामी शारदानन्द, जो शोउलमारी आश्रम, फलाकाटा, कूचबिहार, पश्चिम बंगाल में रहते थे तथा जिनकी मृत्यु 1977 में देहरादून में हुई थी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे एवं दिनांक 28/06/2016 का उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना, जिसके द्वारा यह आयोग गठित किया गया है, उपबंधित करता है कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी, जो अपनी मृत्यु के पूर्व राम भवन, फैजाबाद में रहते थे और जिनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 को किया गया था की अभिज्ञातता का अभिनिर्धारण करेगा। इस प्रकार, उनके साक्ष्य आयोग के लिए निर्धारित निबंधन की अधिकार सीमा से परे हैं।

भाग–पंचम

राम भवन, सिविल लाइन, फैजाबाद के परिसर का वह भाग जिसमें गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी ने दिसम्बर, 1982 से मृत्यु पर्यन्त अर्थात 16/09/1985 तक निवासकिया था, से प्राप्त वस्तुओं के साक्ष्य।

1. जैसा की पूर्व में देखा गया था कि उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी, जो अपनी मृत्यु के पूर्व राम भवन, फैजाबाद में रहते थे और जिनका अंतिम संस्कार 18/09/1985 को किया गया था की अभिज्ञातता की खोज हेतु यह आयोग गठित किया है।

2.इस रिपोर्ट के भाग–तृतीय के प्रस्तर–1 में, मैंने कहा है कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की अभिज्ञातता का आयोग का निष्कर्ष प्राथमिकतः अभिसाक्षियों के साक्ष्य पर निर्भर करेगा, जो उन्होंने आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये हैं। तत्पश्चात, उक्त भाग में मैंने 45 अभिसाक्षियों के शपथ-पत्रों, जो या तो आयोग के समक्ष व्यक्तिशः प्रस्तुत किये गये हैं या जिनके शपथ-पत्र लेख्य प्रमाणक (नोटरी) के समक्ष शपथयुक्त हैं, को उनके वक्तव्य के रूप में आयोग के समक्ष संव्यवहृत किया गया था, का मूल्यांकन विशद् रूप में किया है।

3. मेरी दृष्टि में, उपरोक्त 45 अभिसाक्षियों के साक्ष्य से इतर, साक्ष्यों का अन्य स्त्रोत (यद्यपि बहुत कम महत्व के) जिसे गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की अभिज्ञातता के अभिनिर्धारण हेतु राम भवन, सिविल लाइन, फैजाबाद के उस भाग जिसमें गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी ने दिसम्बर, 1982 से मृत्युपर्यन्त अर्थात 16/09/1985 तक निवास किया से प्राप्त वस्तुओं पर आयोग को विचारण करना होगा।

4.यह वर्णित करना उचित है कि गुमनामी बाबा की मृत्यु 16/09/1985 को हुई थी और उनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार 18/09/1985 को गुप्तार घाट, फैजाबाद में किया गया था। सीडब्ल्यू–10 अशोक टण्डन के साक्ष्य दर्शाते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात (उनकी और अन्यों की उपस्थिति में) नगर मजिस्ट्रेट, फैजाबाद ने उस कक्ष का द्वार ताला खोला था जिसमें गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी से संबंधित वस्तुएं रखी गई थी। उनके और अन्यों के द्वारा किये गये निरीक्षण में पाया गया कि वहाँ पर अंग्रेजी, हिन्दी और बंगला में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित प्रचुर साहित्य और पत्राचार था। सीडब्ल्यू–10 अशोक टण्डन ने स्वीकार किया था कि उक्त से वह निष्कर्ष निकालते हैं कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से इतर अन्य कोई नहीं थे।

5. अशोक टण्डन के साक्ष्य भी दर्शाते हैं कि उनका अनुमान की गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, भी इस तथ्य पर आधारित हैं कि राम भवन, फैजाबाद में प्राप्त कुछ पुस्तकों और पत्रिकाओं में प्राप्त हस्तलिपियों को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की स्वीकृत हस्तलिपियों के साथ तुलना के लिए श्री बी0 लाल को भेजा गया था, जिन्होंने पाया कि वे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की हस्तलिपियां थीं।

6. सीडब्ल्यू–12 कृष्णा कुमार के वक्तव्य का एक अवलोकन भी दर्शाता है कि उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, क्योंकि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित बड़ी संख्या में पुस्तकें और वस्तुएं आदि राम भवन, फैजाबाद में उस कक्ष से प्राप्त हुई थी जिसमेंगुमनामी बाबा अपनी मृत्यु के पूर्व निवास किया करते थे।

7. सीडब्ल्यू–3 अनुज धर के साक्ष्य दर्शाते हैं कि उन्होंने अशोक टण्डन से गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की हस्तलिपियों के प्रतिदर्श लिये थे और सीडब्ल्यू–4 चन्द्रचूड़ घोष के साथ गुमनामी बाबा की अभिज्ञातता के प्रकरण पर एक विशद् संयुक्त जाँच–पड़ताल की थी। उनके साक्ष्य भी दर्शाते हैं कि उन्होंने एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे उन्होंने आयोग के समक्ष प्रस्तुत की थी। उनके साक्ष्य अग्रतर दर्शाते हैं कि राम भवन, फैजाबाद में प्राप्त कुछ पुस्तकों और पत्रिकाओं में प्राप्त हस्तलिपियों को नेताजी की स्वीकृत हस्तलिपियों के साथ तुलना के लिए भेजा गया था और श्री बी0 लाल, संदेहास्पद अभिलेखों के पूर्व सरकारी परीक्षक, नई दिल्ली ने दृढ़ राय दी थी कि वे हस्तलिपियां (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों) नेताजी की थीं।

8. श्री बी0लाल के उपरोक्त साक्ष्य को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के परिवार के साथ सीधे संबंधित बड़ी संख्या में वस्तुओ (राम भवन, फैजाबाद के उन कक्षों से जिनमें गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी निवास करते थे) जैसे प्रभावती देवी के एकल चित्र (नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की माता), जानकी नाथ बोस (नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के पिता), उनके संयुक्त चित्र, जानकी नाथ बोस से संबंधित एक छाता, गोल लेन्स का चश्मा (जैसा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस उपयोग किया करते थे), नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के कुछ निकटतम पारिवारिक सदस्यों द्वारा भेजे गये कुछ पत्र, अनेकों विषयों पर अंग्रेजी, हिन्दी और बंगला में बड़ी संख्या में पुस्तकें(जिसमें से कुछ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित थी) की प्राप्ति के साथ युग्मन के आधार पर कुछ अभिसाक्षियों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अलावा अन्य कोई नहीं थे।

9. अभिसाक्षियों के उपरोक्त दावों पर मैंने अपनी गंभीर मीमांसा दी और मेरी दृष्टि में उपरोक्त वस्तुओं की प्राप्ति मात्र से, यह अनुमानित नहीं किया जा सकता कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, जो राम भवन, फैजाबाद में गुमनामी बाबा के भेष में निवास किया करते थे। मेरी दृष्टि में, उपरोक्त वस्तुओं की प्राप्ति उस निष्कर्ष के साथ समान रूप से सुसंगत है कि अन्य व्यक्ति वहाँ रह रहा हो सकता है।

10. सीडब्ल्यू–42 गुरू शक्ति सिंह उपाख्य शक्ति सिंह के साक्ष्य दर्शाते हैं कि वह भी उसी प्रकार अनुभव करते हैं और प्रति–परीक्षण के दौरान उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रश्न क्रमांक 23 का उनके द्वारा दिये गये उत्तर से यह स्पष्ट है। उक्त प्रश्न थाः

> ''क्या सामान जो किसी से संबंध रखता है केवल उसकी प्रापर्टी होने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिसका सामान है वही व्यक्ति रह रहा था।''

इस पर उनका उत्तर निम्नवत् थाः

> ''इसके बारे में ऊपर अपने बयान में मैंने बताया है कि नेताजी से संबंधित तमाम सामानों के साथ रख देने से यह साबित नही होगा की गुमनामी बाबा ही नेताजी थे, किन्तु यदिगुमनामी बाबा के पास से पायी गई तमाम हैण्डराईटिंग को यदि नेताजी कीहैण्डराईटिंग से विशेषज्ञों द्वारा मिलान कराया जाय तो यह बात अवश्य सिद्ध होगी कि नेताजी की हैण्डराईटिंग में लिखने वाला 16/09/1985 तक जिंदा था।''

11. जहाँ तक हस्तलिपि विशेषज्ञों के साक्ष्य का संबंध है, रिपोर्ट के इस भाग के पृष्ठों 326 से 329 के प्रस्तरों 6.16, 6.17 और 6.18 का एक अवलोकलन दर्शायेगा कि चार हस्तलिपि विशेषज्ञों में से मात्र एक विशेषज्ञ के साक्ष्य दर्शाते हैं कि हस्तलिपियां नेताजी की थी वहीं उनमें से तीन विशेषज्ञों ने प्रतिकूल विचार दिया था। परिणामतः, मेरी दृष्टि में, श्री शक्ति सिंह का यह कहना न्यायसंगत नहीं है कि ''नेताजी की हैण्डराईटिंग में लिखने वाला 19/09/1985 तक जिंदा था।''

12. मेरी दृष्टि में, उक्त प्राप्तियां संयोगिक साक्ष्य की श्रेणी में आयेंगी और सुस्थापित तथ्य है कि संयोगिक साक्ष्य मात्र निर्णयात्मक के रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं यदि यहाँ उल्लखित चार आवश्यकताओं को पूरा किया गया हैः

(एक) परिस्थितियां दृढ़ता से सुस्थापित हैं;

(दो) वे निष्कर्ष को रेखांकित करने के प्रयास का ठीक–ठीक संचालन करते हैं;

(तीन) वे किसी अन्य निष्कर्ष के साथ पूर्णतः असंगत हैं;

(चार) वे किसी अन्य तर्कसंगत परिकल्पना पर व्याख्यायित किये जाने में अक्षम हैं।

यदि उक्त मानक ध्यान में आते हैं, तो यह सुनिश्चतता से नहीं कहा जा सकता कि उक्त प्राप्तियां यह दर्शाती हैं कि राम भवन, फैजाबाद में गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के छद्म वेश में जो रहते थे वे सुभाष चन्द्र बोस से इतर और कोई नहीं थे। वहाँ रहने वाले दूसरे व्यक्ति के साथ यह दोहराव समान रूप से संगत है।

13. इस संबंध में, सीडब्ल्यू–29 प्रो0 द्वारका नाथ बोस, सीडब्ल्यू–30 प्रो0 चित्रा घोष और सीडब्ल्यू–33 अर्धेन्दू बोस (सीडब्ल्यू–29 और सीडब्ल्यू–33 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के वास्तविक भाई के पुत्र होने के कारण नेताजी के वास्तविक भतीजे हैं तथा सीडब्ल्यू–30 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के वास्तविक भाई की पुत्री होने के कारण नेताजी की वास्तविक भतीजी हैं) के साक्ष्य का उल्लेख करना उचित होगा। सीडब्ल्यू–29 प्रो0 द्वारका नाथ बोस ने दिनांक 17, मार्च 2016 के टाइम्स ऑफ इण्डिया की एक कटिंग (एक्स0सी–16) को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे उनके अनुरोध पर अभिलेख में लिया गया था और उनके वक्तव्य के भाग के रूप में पढ़ा गया था। इसका अवलोकन दर्शाता है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के परिवारीजनों आदि के चित्रों को श्री बिजोय नाग द्वारा गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी को उनके अनुरोध पर भेजा गया था (गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी का अनुरोध)।

14. यहाँ सीडब्ल्यू–30 प्रो0 चित्रा घोष, जिनका शपथपत्र आयोग द्वारा उनके वक्तव्य के रूप में संव्यवहृत किया गया, के साक्ष्य को उद्धरित करना उचित होगा। उक्त शपथ-पत्र के प्रस्तर–सप्तम में उन्होंने निम्नवत् वर्णित किया है–

> ''विशेषतः बोस परिवार और सुभाष से संबंधित व्यक्तिगत प्रकृति की वस्तुओं में बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, उदाहरण के लिए परिवार के चित्र, गोल लेन्सों के चश्में, सुभाष के पिता जानकीनाथ से संबंधित एक छाता आदि। इन वस्तुओं की सुझावपरक प्रकृति इस रहस्योद्घाटन से समाप्त हो जाती है कि उक्त वस्तुओं को गुमनामी बाबा के अनुयायियों द्वारा कथित रूप से उनके विशिष्ट अनुरोध पर कोलकाता से लाया गया था।

15. इस संबंध में, सीडब्ल्यू–33 अर्धेन्दु बोस के साक्ष्यों को उल्लखित करना भी उपयोगी होगा, जिन्होंने अपने अभिसाक्ष्य के पृष्ठ 5 पर इस प्रकार कहा हैः

> ''राम भवन, फैजाबाद से प्राप्त कुछ वस्तुओं जैसे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के माता–पिता के चित्र, गोल लेन्सों के चश्में का एक जोड़ा और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से सुसंगत पुस्तकों के आधार पर मैं समझा कि एक मत प्रसारित किया गया है कि गुमनामी बाबा छुपे रूप में सुभाष चन्द्र बोस के अलावा अन्य कोई नहीं थे। इस प्रकार का कोई सिद्धांत विश्वसनीय नहीं है क्योंकि गुमनामी बाबा को उपरोक्त कुछ वस्तुएं उनके अनुरोध पर श्री बिजोय नाग द्वारा भेजी गयी थीं। उक्त वस्तुओं की प्राप्ति से किसी भी प्रकार अंतिम रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस गुमनामी बाबा थे, जैसा कि मैने पूर्व में अभिकथित किया था, गुमनामी बाबा सुभाष चन्द्र बोस थे के दावे को डी0एन0ए0 साक्ष्य ध्वस्त कर देते हैं।

16. जहाँ तक हस्तलिपि विशेषज्ञ श्री बी0लाल कपूर के साक्ष्य का संबंध है, यह प्रकृति की दृष्टि से निर्णयात्मक नहीं है। श्री अनुज धर मात्र अपने साक्ष्य पर दृढ़तापूर्वक कह रहे हैं कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

थे। यह प्रकट है कि वह इस तथ्य से असावधान थे कि मुखर्जी जाँच आयोग ने राम भवन, फैजाबाद में प्राप्त कुछ पुस्तकों और पत्रिकाओं में प्राप्त हस्तलिपियों को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की स्वीकृत हस्तलिपियों से मिलाने के लिए शिमला स्थित भारत सरकार के संदेहास्पद अभिलेखों के सरकारी परीक्षक के कार्यालय के श्री अमर सिंह, श्री एम0एल0 शर्माऔर कोलकाता में स्थित पश्चिम बंगाल सरकार की विधि विज्ञान प्रयोगशाला के डा0 एस0के0 मण्डल को भेजा था एवं समस्त तीनों व्यक्तियों ने श्री बी0लाल के प्रतिकूल विचार दिया था। यह इस तथ्य के कारण था कि मुखर्जी जाँच आयोग ने श्री बी0लाल के साक्ष्य को सत्य नहीं माना।

17. इस संबंध में, प्रो0 चित्रा घोष के वक्तव्य के प्रस्तर 2 में समाविष्ट दृढ़ कथनों का और मुखर्जी जाँच आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठ 121 के प्रस्तर 4.15.9 का मैं उल्लेख करना चाहूंगा।

प्रो0 चित्रा घोष ने अपने अभिसाक्ष्य के प्रस्तर 2 में इस प्रकार कहा हैः

''न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग ने नेताजी और जिनका गुमनामी बाबा होने का दावा किया जाता था से प्राप्त हस्तलिपियों के प्रतिदर्शों के परीक्षणों और तुलनाओं के संबंध में आचरण का निरीक्षण भी किया था। एक सेवानिवृत्त विशेषज्ञ के अनुसार, उनका दृढ़ कथन था कि ''गुमनामी बाबा'' से प्राप्त लेखन के प्रतिदर्श अर्थात जो 'कुछ पुस्तकों और पत्रिकाओं' में पाये गये नेताजी के थे। अपने कार्य में सक्रिय, समान रूप से ख्यातिलब्ध तीन अन्य हस्त–लिपि विशेषज्ञों ने एक प्रतिकूल विचार दिया था। न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग ने बहुमत की दृढ़ राय के आलोक में, प्रकरण को आगे बढ़ानें की आवश्यकता नहीं देखी।''

इस रिपोर्ट के पृष्ठ 121 के प्रस्तर 4.15.9 में, मुखर्जी आयोग ने इस प्रकार देखाः

''राम भवन में प्राप्त कुछ पुस्तकों और पत्रिकाओं में प्राप्त हस्तलिपियों को नेताजी कीस्वीकृत हस्तलिपियों के साथ तुलना के लिए भेजा गया था, पर विशेषज्ञों की रिपोर्टेंसारतः पृथक हैं। जबकि उनमें से एक अर्थात श्री बी0लाल, संदेहास्पद अभिलेखों के पूर्वसरकारी परीक्षक, नई दिल्ली (सीडब्ल्यू–119) का दृढ़ मत था कि दोनों (बंगाली औरअंग्रेजी दोनों) नेताजी की थी, श्री अमर सिंह और श्री एम0एल0शर्मा (सीडब्ल्यू–121), संदेहास्पद अभिलेखों के परीक्षकों का सरकारी कार्यालय, भारत सरकार, शिमला,जिन्होंने एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तथा डा0 एस0के0मण्डल, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता (सीडब्ल्यू–120) ने एक प्रतिकूल विचार दिया था। इस प्रकार के भिन्न मतों तथा नेताजी की हस्तलिपि से परिचित किसी व्यक्तिसे प्राप्त किसी साक्ष्य की अनुपस्थिति, कि प्रश्नगत हस्तलिपियां नेताजी की थी, इससंबंध में मौखिक पाठ की सुरक्षित स्वीकृति में एक अन्य बाधा है।''

18. वास्तव में, प्राप्त साक्ष्य, उन लोगों के दावे को जो दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अलावा और कोई नहीं थे, को ध्वस्त कर देते हैं।

सुसंगत साक्ष्य जो आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये है कि एक मात्र व्यक्ति जो राम भवन, सिविल लाइन, फैजाबाद में उनके साथ रहता था, उनकी सेविका श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला थीं (अब वह इस संसार में नहीं हैं)। सीडब्ल्यू–29 प्रो0 द्वारका नाथ बोस, सीडब्ल्यू–30 प्रो0 चित्रा घोष, सीडब्ल्यू–32 नीता घोष और सीडब्ल्यू–33 अर्धेन्दू बोस के साक्ष्य दर्शाते हैं कि राम भवन, सिविल लाइन, फैजाबाद जहाँ गुमनामी बाबा अपनी मृत्यु के पूर्व निवास करते थे, से प्राप्त दाँतों को मुखर्जी जाँच आयोग द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के पितृ पक्ष के दो वंशजों और मातृ पक्ष के तीन वंशजों के रक्त प्रदर्शों के साथ संग्रहित किया था। उक्त आयोग ने उनको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता को दाँतों से संबंधित व्यक्ति की अभिज्ञातता के अभिनिर्धारण के लिए डी0एन0ए0 रूपरेखा हेतु भेजा था। डी0एन0ए0 परीक्षण हेतु तीन दांतों (एक्स0 2 से 4) के परीक्षण के पश्चात, डी0एन0ए0 विशेषज्ञ डा0 वी0के0 कश्यप, जो उक्त प्रयोगशाला के निदेशक थे, ने निष्कर्षित किया था कि वे एकल वृद्ध आयु पुरूष मानव (अभिकथित गुमनामी बाबा) से संबंधित थे। दांतों का व्यक्तिगत स्त्रोत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मातृ या पितृ पक्ष की डी0एन0ए0 वंशावली से संबंधित नहीं था, अतः नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं हो सकते।

उपरोक्त वर्णित अभिसाक्षियों ने बताया कि चूंकि गुमनामी बाबा के साथ रहने वाला अन्य वृद्ध आयु का व्यक्ति मात्र श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला थी, डा0 कश्यप की रिपोर्ट इस तर्क को ध्वस्त कर देती है कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

19. इस संबंध में, मैं मुखर्जी जाँच आयोग की रिपोर्ट के पृष्ठों 121 और 122 के प्रस्तरों 4.15.10 तथा 4.15.11 का उल्लेख करना उचित अनुभव करता हूँ, जो निम्नवत् हैः

''4.15.10. 'राम भवन' में प्राप्त नौ में से पाँच दाँतों को नेताजी के पितृ पक्ष के दो वंशधरों और मातृ पक्ष के तीन वंशधरों से संग्रहित रक्त के प्रतिदर्शों के साथ केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता को किस व्यक्ति से दाँत संबंधित थे,की अभिज्ञातता के अभिनिर्धारण हेतु डी0एन0ए0 रूपरेखा परीक्षण हेतु भेजा गया था। पाँच में से तीन दाँतों के उपरोक्त परीक्षण के पश्चात डा0 वी0के0कश्यप, डी0एन0ए0 विशेषज्ञ और प्रयोगशाला के निदेशक ने निम्नलिखित सम्मति के साथ एक विशद् रिपोर्ट प्रस्तुत की :

> ''रूपात्मक परीक्षण और एसआरवाई जीन के विश्लेषण से, अग्रेषित प्रदर्शों 1–10 मेंएमटी डी0एन0ए0 (एचवीएस 1 और एचवीएस 2) तथा वाई–एसटीआर बिन्दुपथ से यहनिष्कर्षित किया जा सकता था कि अग्रेषित–(प्रदर्श 2 से 4) एकल वृद्ध आयु पुरूषमानव से संबंधित

है–(तथाकथित गुमनामी बाबा)। दाँत का वैयक्तिक स्त्रोत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के मातृ या पितृ डी0एन0ए0 वंशावली से सम्बन्धित नहीं है, अतः, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं हो सकते।''

4.15.11 तत्पश्चात उनका परीक्षण इस आयोग द्वारा सीडब्ल्यू–126 के रूप में किया गया था जिसके क्रम में उसकी रिपोर्ट प्रदर्शित की गयी थी (एक्स0 222ए)। मूल बिन्दूपर लाने के लिए कुछ अभिसाक्षियों द्वारा उनका विस्तार से प्रति–परीक्षण किया गया था, उनके विचार पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, परन्तु उनका प्रयास विफल रहा। चूंकि रिपोर्ट स्पष्टतया बताती है कि समस्त दाँत किसी एकल वृद्ध आयु पुरूष मानव से सम्बन्धित थे और चूंकि गुमनामी बाबा के अतिरिक्त अन्य वृद्ध आयु का अन्य सदस्य जो उनके साथ सदा रहता था वे श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला थीं, पूर्व में उद्धरित डा0 कश्यप द्वारा अभिलिखित नकारात्मक निष्कर्ष भी प्रत्यक्षदर्शियों के विवरणों को नकारते हैं।''

20. मुखर्जी जाँच आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तर 4.15.10 और 4.15.11 का अवलोकन दर्शाता है कि सीडब्ल्यू–29 प्रो0 द्वारका नाथ बोस, सीडब्ल्यू–30 प्रो0 चित्रा घोष, सीडब्ल्यू–32 नीता घोष और सीडब्ल्यू–33 अर्धेन्दू बोस का दृढ़तापूर्वक कहना न्यायसंगत है कि, मुखर्जी जाँच आयोग के तत्वावधान के अधीन किये गये गुमनामी बाबा के दाँत का डी0एन0ए0 परीक्षण उन लोगों के दावे को ध्वस्त कर देता है जो दावा करते हैं कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

21. गुमनामी बाबा के दाँत की डी0एन0ए0 रूपरेखा के पक्ष से विलग होने के पूर्व, मैं सीडब्ल्यू–3 अनुज धर और सीडब्ल्यू–4 चन्द्रचूड़ घोष द्वारा विनिर्मित संयुक्त संकलन के प्रस्तरों 6.3.11, 6..3.12 और 6.3.13 का में उल्लेख करना चाहूँगा, जिसको उनके अनुरोध पर आयोग द्वारा अभिलिखित किया गया था और उनके वक्तव्य के भाग के रूप में रखा गया। उनके संकलन के प्रस्तरों 6.3.11, 6.3.12 और 6.3.13 में श्री अनुज धर ने तर्क दिया था कि मुखर्जी आयोग का निष्कर्ष की गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के दाँत से प्राप्त डी0एन0ए0 नेताजी के पितृ और मातृ सम्बन्धियों के साथ मेल नहीं रखता, को स्वीकार नहीं किया जा सकता, उपरोक्त दो रिट याचिकाओं(रिट याचिका संख्या–प्रकीर्ण 929, 1086 : सुश्री ललिता बोस और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य तथा संलग्न रिट याचिका संख्या– प्रकीर्ण पीठ 10877, 2010 : सुभाष चन्द्र बोस राष्ट्रीय विचार केन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) खण्डपीठ के निष्कर्षों के दृष्टिगत् कि वहाँ कोई साक्ष्य नहीं था कि राम भवन में प्राप्त पाँच दाँत जिनका डी0एन0ए0 परीक्षण के लिए भेजा गया था, गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के थे और वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने अंतिम संस्कार के पश्चात भगवानजी के दाँतों प्रतिधारित किये थे। खण्डपीठ के प्रति अगाध सम्मान के साथ, मुझे खेद है कि मैं उपरोक्त दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकता क्योंकि निश्चित साक्ष्य जो आयोग के समक्ष रखे गये है श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ला, जो गुमनामी बाबा की सेविका थी और अब वह इस

संसार में नहीं हैं, के अतिरिक्त हैं, कोई अन्य व्यक्ति राम भवन, सिविल लाइन, फैजाबाद, जहाँ से उक्त दाँत प्राप्त किये गये थे, मैं उनके साथ नहीं रहा है। चूंकि आयोग के समक्ष यह दर्शाने के लिए कि उक्त दाँतबाद में प्रतिस्थापित किये थे, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये दॉत दर्शाते हैं कि जिस कक्ष से वे प्राप्त किये गये वह तालाबंद था, मेरी दृष्टि में, वे गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी से सम्बन्धित थे (जैसा मुखर्जी जाँच आयोग द्वारा धारित किया गया है)। यह वर्णित करना उचित है कि आयोग के समक्ष यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं रखे गये कि उक्त दाँत गुमनामी बाबा से सम्बन्धित नहीं थे।

22. चूंकि गुमनामी बाबा के दाँतों के सम्बन्ध में डी0एन0ए0 साक्ष्य उनके दावों को ध्वस्त कर देते हैं जो दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि वह (गुमनामी बाबा) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, स्फटिक की भांति स्पष्ट हैं कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे वरन कोई अन्य व्यक्ति थे, जो राम भवन, फैजाबाद में रहते थे। परिणामतः उपरोक्त प्राप्तियां समस्त प्रासंगिकता को खो देती हैं और गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, के निष्कर्ष के लिए आधार नहीं हो सकता।

23. जो दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से इतर और कोई नहीं थे, के दावे को प्राप्ति साक्ष्य कैसे ध्वस्त कर रहा का अन्य उदाहरण मेरी जानकारी में 22.06.2017 को आया जब मैने छोटी मंजूषा 5/5 और बड़ी मंजूषा 4/5 को कोषागार, जिलाधिकारी कार्यालय, फैजाबाद में निरीक्षण किया था, जिसमें राम भवन, फैजाबाद के जिस भाग में गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी निवास करते थे, से प्राप्त वस्तुओं को रखा गया था।

यह वर्णित करना उचित है कि उक्त मंजूषाओं के निरीक्षण के दौरान मैनें स्वयं की हस्तलिपि से टिप्पणियां लिखी। उक्त टिप्पणियां 9 पृष्ठों में थीं और टिप्पणियों के अंतिम पृष्ठ को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। उक्त टिप्पणियां अभिलेख पर हैं।

चूंकि उक्त मंजूषाओं में समाविष्ट पत्र/पत्राचार बंगाली में है, बंगाली के साथ में मेरी घनिष्ठता नहीं थी, मैं उनको अपने साथ लेकर श्री रोनोदेव घोष, निवासी–10, गोपालनगर, कृष्णा नगर, कानपुर रोड, लखनऊ के पास गया, जो बंगाली भाषा से सुप्रवीण थे, ने उक्त पत्रों/पत्राचार में क्या लिखा/वर्णित था को मुझे अग्रेंजी में व्याख्यायित किया था।

छोटी मंजूषा में एक बंगाली में पत्र था। श्री रोनोदेव घोष ने संपूर्ण पत्र को पढ़ा और उसके सार को मुझे अंग्रेजी में बताया जो निम्नवत् है :

यह 16/10/1980 का दिनांकित है। यह बुलबुल द्वारा कलकत्ता से भेजा गया हैं। यह श्रीचरण कमलेन्दू (गुरूजी) को सम्बोधित हैं। इसमें वर्णित है 'तुम मेरे स्थान पर कब आओगे यदि तुम नेताजी की जन्मतिथि के दिनांक को आओगे, हमें महान आनन्द होगा।'

सी०डब्ल्यू०—10 अशोक टण्डन, जिन्होंने राम भवन के उस कक्ष में जिसमें गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी निवास करते थे, में रखे प्रचुर परिमाण में साहित्य, पत्राचार और अभिलेखों का व्यापकता से परीक्षण किया था, जिसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। उनके साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि कोई नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का नाम नहीं ले सकता था और उनका उल्लेख शब्दों द्वारा जैसे श्रीचरणेश, श्रद्धा शब्देश, स्वामीजी आदि से किया जाता था।

24. बुलबुल के दिनांक 16/10/1980 के पत्र में प्रकट होता है कि श्रीचरण कमलेन्दू (गुरूजी) गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी थे। चूंकि उक्त पत्र में बुलबुल ने स्पष्टतया से वर्णित किया था कि यदि आप नेताजी के जन्मदिवस पर आयेगें, तो हमें अपार आनन्द की प्राप्ति होगी, अतः यह प्रकट है कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे।

25. उपरोक्त विचार—विमर्श यह स्पष्ट कर रहा है कि राम भवन के उस भाग जिसमें गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी अपनी मृत्यु के पूर्व निवास करते थे, से हुई अनेकों प्राप्तियों से यह अनुमानित नहीं किया जा सकता/कहा जा सकता कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

26. मैं प्रासंगिक वस्तुओं के निरीक्षण के पश्चात उक्त निष्कर्ष पर पहुँचाहूँ, जो मेरे विचार में गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की अभिज्ञातता के अभिनिर्धारण में वहनीय थीं, जिसके लिए मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के अधिसूचना दिनांक 28/06/2016 जिसके द्वारा यह आयोग गठित किया गया था, के उपबंधों में मुझे निदेशित किया गया था। उक्त वस्तुएं को राम भवन, फैजाबाद के उक्त भाग में रखा गया था जिसमें गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी अपनी मृत्यु के पूर्व निवास करते थे, जिनका देहावसान 16/09/1985 को हुआ था।

भाग–षष्टम

निष्कर्ष

1. इस रिपोर्ट के भाग–चतुर्थ (पृष्ठ 312 से 315) में वर्णित कारणों हेतु अभिसाक्षी / अभिसाक्षियों के मद–4,5 और 6 के उक्त भाग के अधीन वर्णित दावे के उल्लखित बिन्दू के उत्तर अर्थात गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी, जो राम भवन, फैजाबाद में निवास करते थे और जिनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार 18/09/1985 को किया गया था, पर आयोग द्वारा विचारण नहीं किया जा सकता।

2. गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की अभिज्ञातता के संबंध में इस रिपोर्ट के अवशेषित तीन मदों उदाहरणार्थ भाग–चतुर्थ का मद 1,2 और 3(पृष्ठ 312 से 315) के अधीन वर्णित अभिसाक्षियों/अभिसाक्षी के दावों पर आयोग का उत्तर निम्नवत् है :–

मदक्रमांक–1 : अभिसाक्षी जिनका दावा था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हो सकते थे।

आयोग का उत्तर :– इस रिपोर्ट के भाग–तृतीय और भाग–चतुर्थ में वर्णित कारणों के कारण दावा सत्य नहीं है।

मद**क्रमांक**–2 :– अभिसाक्षी जिनका दावा था कि गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे।

आयोग का उत्तर :– इस रिपोर्ट के भाग–तृतीय और भाग–चतुर्थ में वर्णित कारणों के कारण दावा सत्य है।

मद**क्रमांक**–3 :– अभिसाक्षी जिनका दावा था कि के0डी0 उपाध्याय गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी थे।

आयोग का उत्तर :– इस रिपोर्ट के भाग–तृतीय में वर्णित कारणों के कारण दावा सत्य नही है।

आयोग का अंतिम निष्कर्ष

3. इस रिपोर्ट के भाग–तृतीय और भाग–चतुर्थ में वर्णित कारणों के कारण, गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी(जो राम भवन, फैजाबाद में रहते थे और जिनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार 18/09/1985 को किया गया था) की अभिज्ञातता के अभिनिर्धारण का आयोग को निदेशित किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनांक 28/06/2016 द्वारा आयोग का गठन किया गया था। आयोग द्वारा गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी की अभिज्ञातता का अभिनिर्धारण नहीं किया जा सका।

राम भवन, फैजाबाद में गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के रूप रहने वाले व्यक्ति, जिनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार 18/09/1985 को किया गया था, के व्यक्तित्व के बारे में आयोग का अनुमान।

4. अभिसाक्षियों के वक्तव्य या जिनके शपथपत्र, उनमें वर्णित कारणों के कारण किसी लेख्य प्रमाणक (नोटरी) के समक्ष शपथयुक्त थे, जो आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, का आयोग द्वारा उनके वक्तव्य के रूप में इसके समक्ष विचारण किया गया था और राम भवन, फैजाबाद के उस भाग से जिसमें गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी निवास करते थे से प्राप्त वस्तुओं, पुस्तकों आदि के निरीक्षण से गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी के रूप में जो व्यक्ति रहता था के व्यक्तित्व की विशेषताएं, एतद्पश्चात प्रगणित है :–

(क) वह एक बंगाली थे;

(ख) वह बंगाली, अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में भिज्ञ थे;

(ग) वह एक असाधारण मेधावी व्यक्ति थे, क्योंकि राम भवन, फैजाबाद के जिस भाग में वह निवास करते थे से बंगाली, अंग्रेजी और हिन्दी में अनेकों विषयों की पुस्तकें बड़ी संख्या में प्राप्त हुई थीं;

(घ) उनकों युद्ध, राजनीति और सामयिकी की गहन जानकारी थी;

(ङ) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के स्वर के समान उनके स्वर में प्राधिकार का भाव था;

(च) उनमें प्रचण्ड आत्मबल और आत्म–संयम था जिसने उन्हें उनके जीवन के अंतिम 10 वर्षों में अयोध्या और फैजाबाद में परदे के पीछे रहने के योग्य बनाया था;

(छ) लोग जो उनसे परदे के पीछे से बात करते थे, उन्हें सुनने के पश्चात सम्मोहित हो जाते थे;

(ज) वह पूजा और ध्यान मे पर्याप्त समय व्यतीत करते थे;

(झ) वह जीवन में बढ़िया वस्तुओं जैसे संगीत, सिगार और भोजन के प्रेमी थे;

(त्र) वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अनुयायी थे परन्तु जिस समय यह बात प्रसारित होनी प्रारंभ हो गई कि वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे, उन्होंने तत्काल अपना मकान बदल लिया था; और

(ट) भारत में शासन की स्थिति से उनका मोहभंग था।

संक्षेप में, वह एक मेधावी आदमी थे, उनकी तरह के लोग बहुत ही कम होते हैं, जो अपनी अभिज्ञातता के रहस्य भंग के स्थान पर मृत्यु को पसंद करते हैं। परन्तु इसमें उनकी क्या त्रुटि हो सकती है?उनके पास अपनी इच्छा से अपना जीवन व्यतीत करने का भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत जीवन का मूलभूत अधिकार था और इस अधिकार में अंतर्निहित था अपनी अभिज्ञातता के रहस्य को बनाए रखने का अधिकार।

परन्तु, यह बड़ी लज्जा का प्रकरण था कि उनका अंतिम संस्कार इस प्रकार आयोजित किया गया कि मात्र 13 व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो सके। कैसी विधि की विडम्बना है, जिससे मना नहीं किया जा सकता, कि वह इस धरा से बहुत अधिक सम्मान के साथ विदाई के योग्य थे।

अभिस्वीकृतियां

मैं अपनी शुचिता में असफल होउँगा यदि इस रिपोर्ट से पृथक होने के पूर्व मैं दो व्यक्तियों के अपने असाधारण ऋण को अभिव्यक्त नहीं करता हूँ, उनके सहायता के बिना यह रिपोर्ट अस्तित्व में नहीं आ पाती। वे सज्जन हैं– श्री दिलीप कुमार (सेवानिवृत जनपद न्यायाधीश, चन्दौली), आयोग के सचिव और मेरे निजी सचिव श्री आर0पी0 श्रीवास्तव (पूर्व संयुक्त प्रधान निजी सचिव, मा0 मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय)।

रिपोर्ट लिखने के अतिरिक्त, श्री दिलीप कुमार ने आयोग से संबंधित समस्त अन्य कार्यों का ध्यान रखा। अभिसाक्षियों के साक्ष्य जो आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, के अभिलेखन में उन्होनें न केवल मेरी महान सहायता की थी वरन् उन्होंने जो निविष्टियां समय–समय पर मुझे प्रदान की उन्होंने रिपोर्ट के संकलन में मेरी अत्यधिक सहायता की थी।

श्री दिलीप कुमार जी को बहुत–बहुत धन्यवाद।

परन्तु यह रिपोर्ट जो लगभग 350 पृष्ठों में निर्मित हुई है श्री आर0पी0 श्रीवास्तव जी के चिरस्मरणीय प्रयासों के बिना संभव नहीं थी। जो कुछ मैं पूर्व दिवस को लिखवाता था (जो कभी–कभी 30–40 पृष्ठों का होता था) वह आगामी प्रातःकाल को त्रुटिरहित टंकित कर मेरे समक्ष रखा करते थे। वह इस रिपोर्ट के विनिर्माण के संबंध में भी समय–समय पर बहुत उपयोगी सुझाव दिया करते थे।

श्री आर0पी0 श्रीवास्तव जी को बहुत–बहुत धन्यवाद।

दिनांक : 19/09/2017

(न्यायमूर्ति विष्णु सहाय)
गुमनामी बाबा @ भगवानजी जाँच आयोग

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 3 सा0 गृह–31–08–2019–(723)–500 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।